
इकाई 1 प्राचीन कालीन वैदिक शिक्षा प्रणाली

Vedic Education System of Ancient Period

- 1.1 प्रस्तावना
- 1.2 उद्देश्य
- 1.3 शिक्षा की संरचना एवं संगठन Structure and Organization of Education
 - 1.3.1 शिक्षा का अर्थ Meaning of Education
 - 1.3.2 व्यावसायिक शिक्षा Vocational Education
 - 1.3.3 वैदिक शिक्षा प्रणाली के मुख्य अभिलक्षण Main Characteristics of Vedic Education System
 - 1.3.4 शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त Adminisitation and finance of Education
- 1.4 शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श Aims and Ideal of Education
 - 1.4.1 शिक्षा की पाठ्यचर्या Curriculam of Education
 - 1.4.2 शिक्षण विधियाँ Teaching Methods
 - 1.4.2 शिक्षण विधियाँ Teaching Methods
 - 1.4.4 शिक्षक Teacher
- 1.5 गुरु-शिष्य सम्बन्ध Relation of Teacher And Students
 - 1.5.1 गुरुओं के शिष्यों के प्रति कर्तव्य-
 - 1.5.2 शिष्यों के गुरुओं के प्रति कर्तव्य-
 - 1.5.3 परीक्षाएँ एवं उपाधियाँ- Examination and Degree
 - 1.5.4 समावर्तन समारोह- Convocation Programme
 - 1.5.5 स्त्री शिक्षा-Women Education
 - 1.5.6 वैदिक कालीन मुख्य शिक्षा केन्द्र
 - 1.5.7 वैदिक शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन अथवा गुण-दोष विवेचन
- 1.6 सारांश
- 1.7 शब्दावली
- 1.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर Answer of Practice Questions
- 1.9 संदर्भ Reference
- 1.10 निबन्धात्मक प्रश्न Essay Type Questions

1.1 प्रस्तावना Introduction

वैदिक काल :- भारतीय वेद (ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद) संसार के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। सामान्यतः वेदों को धार्मिक ग्रंथों के रूप में देखा-समझा जाता है, वेदों की रचना कब और किन विद्वानों ने की, इस विषय में भी विद्वान एक मत नहीं हैं। जर्मन विद्वान मैक्समूलर सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत आकर इस क्षेत्र में शोध कार्य शुरू किया। उनके अनुसार, वेदों में सबसे प्राचीन ऋग्वेद है और इसकी रचना 1200 ई० पू० में हुई थी। लोकमान्य तिलक ने ऋग्वेद में वर्णित नक्षत्र स्थिति के आधार पर इसका रचना काल 4000 ई० से 2500 ई० पू० सिद्ध किया है। इतिहासकार हड़प्पा और मोहनजोदड़ों की खुदाई में प्राप्त अवशेषों के आधार पर हमारी सभ्यता एवं संस्कृति को केवल ई० पू० 3500 वर्ष पुरानी मानते हैं। हमारे देश भारत में ई० पू० 7वीं शताब्दी में लोक भाषा प्राकृत और पाली थी। हमारे देश में संस्कृत भाषा का प्रयोग होता था वेदों की संस्कृत भाषा इतनी समृद्ध एवं परिमार्जित है और उनकी विषय-सामग्री इतनी विविध, विस्तृत एवं उच्च कोटि की है कि उस समय इनके विकास में काफी समय अवश्य लगा होगा।

एफ० डब्लू० थॉमस के शब्दों में - ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ ज्ञान के प्रति प्रेम इतने प्राचीन समय में प्रारम्भ हुआ हो जितना भारत में या जिसने इतना स्थायी और शक्तिशाली प्रभाव उत्पन्न किया हो जितना भारत *(There has been no country except India where the love of learning had so early an origin or has exercised so lasting and powerful influence.- F.W. Thomas) में। और यह बात भी सभी स्वीकार करते हैं कि भारत में 2500 ई० पू० से 500 ई० पू० तक वेदों का वर्चस्व रहा। इतिहासकार इस काल को वैदिक काल कहते हैं। वैदिक काल में हमारे देश में एक समृद्ध शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ।

1.2 उद्देश्य Objectives

- वैदिक शिक्षा प्रणाली के मुख्य अभिलक्षण को जान सकेंगे।
- वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्यों, पाठ्यचर्या, शिक्षण विधियाँ, अनुशासन आदि को समझ सकेंगे।
- गुरु शिष्य सम्बन्ध को समझ कर आज समाज के सामने आदर्श प्रस्तुत कर सकेंगे।
- वैदिक कालीन शिक्षा के मुख्य शिक्षा केन्द्रों के बारे में जान सकेंगे।

1.3 शिक्षा की संरचना एवं संगठन Structure and Organization of Education

वैदिक कालीन की शिक्षा की संरचना एवं संगठन निम्नलिखित है।

1.3.1 शिक्षा का अर्थ Meaning of Education

सामान्यतः बच्चों को परिवारों में विद्यारम्भ संस्कार और गुरुकुलों में उपनयन संस्कार के बाद विभिन्न विषयों में दिए जाने वाले ज्ञान एवं कला-कौशल में प्रशिक्षण को शिक्षा कहा जाता था। यह शिक्षा का संकुचित अर्थ था। परन्तु जब शिष्य गुरुकुल शिक्षा पूरी कर लेते थे तो समावर्तन समारोह होता था और इस समारोह में गुरु शिष्यों

को उपदेश यह भी देते थे कि स्वाध्याय में कभी प्रमाद (आलस्य) मत करना। इसका अर्थ है कि उस काल में जीवन भर स्वाध्याय द्वारा ज्ञानार्जन किया जाता था। यह शिक्षा का व्यापक अर्थ था।

वैदिक काल में शिक्षा निम्न प्रकार थी।

I. प्रारम्भिक शिक्षा- वैदिक काल में प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था परिवारों में होती थी। लगभग 5 वर्ष की आयु पर किसी शुभ दिन बच्चे का विद्यारम्भ संस्कार किया जाता था। यह संस्कार परिवार के कुल पुरोहित द्वारा कराया जाता था। बच्चे को स्नान कराकर नए वस्त्र पहनाए जाते थे और कुल पुरोहित के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता था। कुल पुरोहित नया वस्त्र बिछाता था और उस पर चावल बिछाता था। इसके बाद वेद मन्त्रों द्वारा देवताओं की आराधना की जाती थी और बच्चे की उंगली पकड़कर उसके द्वारा बिछे हुए चावलों में वर्णमाला के अक्षर बनवाए जाते थे। कुल पुरोहित को भोजन कराकर दक्षिणा दी जाती थी। कुल पुरोहित बच्चे को आशीर्वाद देता था और इसके बाद बच्चे की शिक्षा नियमित रूप से प्रारम्भ होती थी।

II. उच्च शिक्षा- वैदिक काल में उच्च शिक्षा की व्यवस्था गुरुकुलों में होती थी। 8 से 12 वर्ष की आयु पर बच्चों का गुरुकुलों में प्रवेश होता था, ब्राह्मण बच्चों का 8 वर्ष की आयु पर, क्षत्रिय बच्चों का 10 वर्ष की आयु पर और वैश्य बच्चों का 12 वर्ष की आयु पर। गुरुकुलों में प्रवेश के समय बच्चों का उपनयन संस्कार होता था। इस संस्कार के बाद उनकी उच्च शिक्षा प्रारम्भ होती थी।

1.3.2 व्यावसायिक शिक्षा -

वैदिक काल में आज की व्यावसायिक शिक्षा को कर्म शिक्षा कहा जाता था। प्रारम्भिक वैदिक काल में यह शिक्षा छात्रों की योग्यता और क्षमता के आधार पर दी जाती थी और उत्तर वैदिक काल में छात्रों के वर्ण के आधार पर दी जाती थी। आधुनिक युग में व्यावसायिक शिक्षा सम्बन्धी उत्तर वैदिक कालीन विचार मान्य नहीं है। आज संसार के अधिकतर देशों में लोकतन्त्र शासन प्रणाली है। लोकतन्त्र मनुष्य-मनुष्य में किसी भी प्रकार का भेद नहीं करता। आज सभी मनुष्यों को अपनी योग्यता एवं क्षमतानुसार किसी भी प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है और ऐसा ही प्रारम्भिक वैदिक काल में था। कहना न होगा कि यह देन भी वैदिक कालीन शिक्षा की ही है। और इस बीच व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र और स्वरूप में जो अन्तर हुआ है वह तो विकास प्रक्रिया का परिणाम है।

1.3.3 वैदिक शिक्षा प्रणाली के मुख्य अभिलक्षण Main Characteristics of Vedic Education System

वैदिक काल में जिस शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ उसे वैदिक शिक्षा प्रणाली कहते हैं। पूरे वैदिक काल में शिक्षा का प्रशासन एवं संगठन तो सामान्यतः एक सा रहा परन्तु समय की परिस्थितियों और ज्ञान एवं कला-कौशल के क्षेत्र में विकास के साथ-साथ उसकी पाठ्यचर्या और शिक्षण विधियों में विकास होता रहा। यहाँ वैदिक शिक्षा प्रणाली के मुख्य अभिलक्षणों (Main Features) का क्रमबद्ध वर्णन प्रस्तुत है।

1.3.4 शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त Administration and finance of Education

वैदिक शिक्षा प्रणाली के प्रशासन एवं वित्त के सम्बन्ध में तीन तथ्य उल्लेखनीय हैं-

- i. राज्य के नियन्त्रण से मुक्त - वैदिक काल में शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का उत्तरदायित्व नहीं था परिणामतः उस पर राज्य का कोई नियन्त्रण भी नहीं था। उस पर शिक्षा पूर्णरूप से गुरुओं के व्यक्तिगत नियन्त्रण में थी।
- ii. निःशुल्क शिक्षा- वैदिक काल में शिक्षा पूर्णरूप से निःशुल्क रही। शिष्यों के आवास एवं भोजन की व्यवस्था भी गुरु स्वयं करते थे। लेकिन शिक्षा पूर्ण होने पर शिष्य गुरुओं को अपनी सामर्थ्यानुसार गुरु दक्षिणा अवश्य देते थे।
- iii. आय के स्रोत-दान, भिक्षा और गुरु दक्षिणा- वैदिक काल में गुरुकुलों को आज की भाँति राज्य से कोई निश्चित अनुदान प्राप्त नहीं होता था। उस समय राजा, महाराजा और समाज के धनीवर्ग के लोग इन गुरुकुलों को स्वेच्छा से भूमि, पशु, अन्न, वस्त्र, पात्र और मुद्रा दान स्वरूप भेंट करते थे। गुरुकुलों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शिष्य समाज से नित्य भिक्षा माँग कर लाते थे। इन गुरुकुलों की आय का तीसरा स्रोत था- गुरु दक्षिणा।

1.4 शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श Aims and Ideal of Education

डॉ० अल्लेकर के शब्दों में ईश्वर भक्ति तथा धार्मिकता की भावना, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों का पालन, सामाजिक कुशलता की उन्नति और राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार प्राचीन भारत में शिक्षा के मुख्य उद्देश्य एवं आदर्श थे। उस काल में शिक्षा को ज्ञान के पर्याय के रूप में लिया जाता था। इससे स्पष्ट है कि उस काल में शिक्षा का सर्वप्रमुख उद्देश्य ज्ञान का विकास था। समाज एवं राष्ट्र के प्रति कर्तव्य पालन और राष्ट्रीय संस्कृति के संरक्षण एवं विकास पर भी उस काल में विशेष बल दिया जाता था। मोक्ष की प्राप्ति तो उस काल में मनुष्य जीवन का अन्तिम उद्देश्य माना जाता था और इसकी प्राप्ति के लिए शिक्षा द्वारा उसका आध्यात्मिक विकास किया जाता था।

इन सब उद्देश्यों को हम आज की भाषा में निम्नलिखित रूप में क्रमबद्ध कर सकते हैं।

- i. ज्ञान का विकास- यह वैदिक कालीन शिक्षा का सर्वप्रमुख उद्देश्य था। तब ज्ञान को मनुष्य का तीसरा नेत्र माना जाता था। (ज्ञानं मनुजस्य तृतीयं नेत्रं) और यह माना जाता था कि ये दो नेत्र तो हमें केवल दृश्य जगत का ज्ञान भर कराते हैं परन्तु यह तीसरा नेत्र हमें दृश्य और सूक्ष्म दोनों जगत का ज्ञान कराता है यह हमें सत्य-असत्य का भेद स्पष्ट करता है, करणीय तथा अकरणीय कर्मों का भेद स्पष्ट करता है और भौतिक एवं आध्यात्मिक उपलब्धियों को प्राप्त करने का मार्ग स्पष्ट करता है।

- ii. स्वास्थ्य संरक्षण एवं संवर्द्धन - ऋषि आश्रमों और गुरुकुलों में शिष्यों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के संरक्षण और संवर्द्धन पर विशेष बल दिया जाता था और उन्हें उचित आहार-विहार और आचार-विचार की शिक्षा दी जाती थी। शारीरिक स्वास्थ्य के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए शिष्यों को प्रातः ब्रह्ममुहूर्त में उठना होता था, दाँतून एवं स्नान करना होता था, व्यायाम करना होता था, सादा भोजन करना होता था, नियमित दिनचर्या का पालन करना होता था और व्यसनों से दूर रहना होता था। शिष्यों के मानसिक स्वास्थ्य के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए उन्हें उचित आचार-विचार की ओर उन्मुख किया जाता था।
- iii. जीविकोपार्जन एवं कला-कौशल की शिक्षा- प्रारम्भिक वैदिक काल में शिष्यों को उनकी योग्यतानुसार कृषि, पशुपालन एवं अन्य कला-कौशलों की शिक्षा दी जाती थी। उस समय हमारा देश धन-धान्य से सम्पन्न था, लोग बहुत अच्छा जीवन जीते थे। परन्तु उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों ने स्वार्थ के वशीभूत होकर कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था को जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था में बदल दिया जिसके परिणामस्वरूप लोगों को वर्णानुसार शिक्षा दी जाने लगी। वैदिक काल के इस अन्तिम चरण में शूद्रों को किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार से वंचित करना धूर्तता व स्वार्थ भरा कदम था वे शिक्षा अपने-अपने परिवारों में प्राप्त करते थे।
- iv. संस्कृति का संरक्षण एवं विकास- वैदिक काल में शिक्षा का एक उद्देश्य अपनी संस्कृति का संरक्षण और हस्तान्तरण था। उस काल में गुरुकुलों की सम्पूर्ण कार्य पद्धति धर्मप्रधान थी। उस काल में शिष्यों को वेद मन्त्र रटाए जाते थे, संध्या-वन्दन की विधियाँ सिखाई जाती थी और आश्रमानुसार कार्य करने का उपदेश दिया जाता था। उस पूरे काल में शिक्षा का एक ऐसा क्रम चला कि उसके प्रभाव से अनेक लोग गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे और जंगलों में रहते हुए अध्ययन, चिन्तन, मनन और निदिध्यासन करते थे और नए-नए तथ्यों की खोज करते थे। इनमें से कुछ लोग सन्यास आश्रम में प्रवेश करते थे और ध्यान और समाधि द्वारा मोक्ष प्राप्त करते थे। इससे इस देश की संस्कृति का संरक्षण और विकास हुआ।
- v. नैतिक एवं चारित्रिक विकास- वैदिक काल में चरित्र निर्माण से तात्पर्य मनुष्य को धर्मसम्मत आचरण में प्रशिक्षित करने से लिया जाता था, उसके आहार-विहार और आचार-विचार को धर्म के आधार पर उचित दिशा देने से लिया जाता था।
- vi. आध्यात्मिक उन्नति- वैदिक काल में शिक्षा का अन्तिम और सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य मनुष्य के बाह्य एवं आन्तरिक दोनों पक्षों को पवित्र बनाकर उन्हें चरम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर करना था।

1.4.1 शिक्षा की पाठ्यचर्या Curriculum of Education

वैदिक काल में शिक्षा दो स्तरों में विभाजित थी- प्रारम्भिक और उच्च।

1. प्रारम्भिक शिक्षा की पाठ्यचर्या- वैदिक काल में प्रारम्भिक स्तर की पाठ्यचर्या में भाषा, व्याकरण, छन्दशास्त्र और गणना का सामान्य ज्ञान और सामाजिक व्यवहार एवं धार्मिक क्रियाओं के प्रशिक्षण को स्थान प्राप्त था। उत्तर वैदिक काल में उसमें नीतिप्रधान कहानियों को और जोड़ दिया गया। जो लोग अपने बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु गुरुकुलों में प्रवेश दिलाना चाहते थे वे उन्हें संस्कृत भाषा और उसके व्याकरण का अपेक्षाकृत अधिक ज्ञान कराते थे।

2. उच्च शिक्षा की पाठ्यचर्या- इस काल में उच्च स्तर पर संस्कृत भाषा और उसके व्याकरण तथा धर्म एवं नीतिशास्त्र की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी। प्रारम्भिक वैदिक काल में वैदिक साहित्य के विभिन्न ग्रन्थों, कर्मकाण्ड, ज्योतिर्विज्ञान, आयुर्विज्ञान, सैनिक शिक्षा, कृषि, पशुपालन, कला-कौशल, राजनीतिशास्त्र, भूगर्भशास्त्र और प्राणिशास्त्र की शिक्षा ऐच्छिक थी। उत्तर वैदिक काल में उच्च शिक्षा की इस पाठ्यचर्या में अनेक अन्य विषय सम्मिलित किए गए, जैसे- इतिहास, पुराण, नक्षत्र विद्या न्यायशास्त्र, अर्थशास्त्र, देव विद्या, ब्रह्म विद्या और भूत विद्या इसे विशिष्ट शिक्षा की संज्ञा दी जा सकती है। शिष्य इनमें से अपनी रुचि के कोई भी विषय अध्ययन करने के लिए स्वतन्त्र थे।

वैदिक कालीन शिक्षा की पाठ्यचर्या को उसकी प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित दो रूपों में विभाजित किया जाता है-

1. अपरा (भौतिक) पाठ्यचर्या- इसके अन्तर्गत भाषा, व्याकरण, अंकशास्त्र, कृषि, पशुपालन, कला (संगीत एवं नृत्य), कौशल (कताई, बुनाई, रंगाई, काष्ठ कार्य, धातु कार्य एवं शिल्प), अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, भूगर्भशास्त्र, प्राणिशास्त्र, सर्प विद्या, तर्कशास्त्र, ज्योतिर्विज्ञान, आयुर्विज्ञान एवं सैनिक शिक्षा का अध्ययन और व्यायाम, गुरुकुल व्यवस्था एवं गुरु सेवा क्रियाएँ सम्मिलित थी।

2. परा (आध्यात्मिक) पाठ्यचर्या- इसके अन्तर्गत वैदिक साहित्य (वेद, वेदांग एवं उपनिषद्), धर्मशास्त्र और नीतिशास्त्र का अध्ययन और इन्द्रिय निग्रह, धर्मानुकूल आचरण, ईश्वर भक्ति, सन्ध्यावन्दन और यज्ञादि क्रियाओं का प्रशिक्षण सम्मिलित था।

1.4.2 शिक्षण विधियाँ Teaching Methods

वैदिक काल में शिक्षण सामान्यतः मौखिक रूप से होता था और प्रायः प्रश्नोत्तर, शंका-समाधान, व्याख्यान और वाद-विवाद द्वारा होता था। उस समय भाषा की शिक्षा के लिए अनुकरण विधि और कला-कौशल की शिक्षा के लिए प्रदर्शन एवं अभ्यास विधियों का प्रयोग किया जाता था। उपनिषदकारों ने शिक्षण की एक बहुत प्रभावी विधि

का विकास किया था जिसे श्रवण, मनन और निदिध्यासन विधि कहते हैं। साफ जाहिर है कि उस समय उपरोक्त सब विधियों का प्रयोग कुछ अपने ढंग से होता था अतः यहाँ इनके प्राचीन रूप को स्पष्ट करना आवश्यक है।

- i. अनुकरण, आवृत्ति एवं कण्ठस्थ विधि- अनुकरण विधि सीखने की स्वाभाविक विधि है। वैदिक काल में प्रारम्भिक स्तर पर भाषा और व्यवहार की शिक्षा प्रायः इसी विधि से दी जाती थी। उच्च स्तर पर भी इसका प्रयोग होता था- गुरु शिष्यों के सम्मुख वेद मन्त्रों का उच्चारण करते थे, शिष्य उनका अनुकरण करते थे, उन्हें बार-बार उच्चारित करते थे और इस प्रकार उन्हें कण्ठस्थ करते थे।
- ii. व्याख्या एवं दृष्टान्त विधि- वैदिक काल में शिष्यों को व्याकरण का कोई नियम अथवा वेदों का कोई मन्त्र कण्ठस्थ कराने के बाद गुरु उसकी व्याख्या करते थे, उसका अर्थ एवं भाव स्पष्ट करते थे और उसके अर्थ एवं भाव को स्पष्ट करने के लिए उपमा, रूपक और दृष्टान्तों का प्रयोग करते थे।
- iii. प्रश्नोत्तर, वाद-विवाद और शास्त्रार्थ विधि- उत्तर वैदिक काल में उपनिषदों की शैली के आधार पर प्रश्नोत्तर, वाद-विवाद और शास्त्रार्थ विधियों का विकास हुआ। प्रारम्भिक वैदिक काल में गुरु उपदेश देते थे, व्याख्यान देते थे और शिष्य शान्तिपूर्वक सुनते थे, उत्तर वैदिक काल में शिष्य अपनी शंका प्रस्तुत करते थे और गुरु उनका समाधान करते थे। उच्च शिष्या में उच्च स्तर के शिष्यों और गुरुओं के बीच वाद-विवाद भी होता था। अति गूढ़ विषयों पर चर्चा हेतु अधिकारी विद्वानों के सम्मेलन भी बुलाए जाते थे, उनके बीच शास्त्रार्थ होता था, शिष्य इस सबको सुनते थे और अपने तत्सम्बन्धी ज्ञान में वृद्धि करते थे।
- iv. कथन, प्रदर्शन एवं अभ्यास विधि- वैदिक काल में कृषि, पशुपालन, कला-कौशल, सैन्य शिक्षा और आयुर्विज्ञान आदि क्रियाप्रधान विषयों की शिक्षा कथन, प्रदर्शन और अभ्यास विधि से दी जाती थी। गुरु सर्वप्रथम सिखाए जाने वाली क्रिया के सम्पादन की विधि बताते थे और फिर उसे स्वयं करके दिखाते थे, शिष्य उनका अनुकरण कर यथा क्रिया का अभ्यास करते थे और धीरे-धीरे उसमें दक्षता प्राप्त करते थे।
- v. श्रवण, मनन, निदिध्यासन विधि- यह विधि भी उपनिषदकारों की देन है। उस काल में गुरु जो भी व्याख्यान देते थे, वेद मन्त्रों आदि कि जो भी व्याख्या करते थे, धर्म, दर्शन एवं अन्य विषयों के सम्बन्ध में जो कुछ भी जानकारी देते थे, शिष्य उनको ध्यानपूर्वक सुनते थे, उसके बाद उस पर मनन करते थे, चिन्तन करते थे।
- vi. तर्क विधि- उत्तर वैदिक काल में तर्कशास्त्र जैसे गूढ़ विषयों के शिक्षण हेतु तर्क विधि का विकास हुआ। उस समय इस विधि के पाँच पद थे- प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, अनुपयोग और निगमन।

- vii. कहानी विधि- उत्तर वैदिक काल में आचार्य विष्णु शर्मा ने राजकुमारों को नीति की शिक्षा देने के लिए कहानियों की रचना की। ये कहानियाँ पंचतन्त्र और हितोपदेश के नाम से संग्रहीत हैं। कहानी सुनाने के बाद आचार्य शिष्यों से प्रश्न पूछते थे। इन प्रश्नों में अन्तिम प्रश्न यह होता था कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है।

1.4.3 अनुशासन Discipline

प्रारम्भिक वैदिक काल में अनुशासन से तात्पर्य शारीरिक, मानसिक और आत्मिक संयम से लिया जाता था। उस काल में शारीरिक, संयम से तात्पर्य था- ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, श्रंगार न करना, सुगन्धित पदार्थों का प्रयोग न करना, नृत्य एवं संगीत में आनन्द न लेना, मादक पदार्थों का प्रयोग न करना, जुआ न खेलना, गाय न मारना, झूट न बोलना और चुगली न करना, मानसिक संयम से तात्पर्य था-इन्द्रियनिग्रह, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का पालन और काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद से दूर रहना, और आत्मिक संयम से तात्पर्य था- आत्मा के स्वरूप को पहचानना, सबमें एकात्म भाव देखना और सबके कल्याण के लिए कार्य करना। परन्तु उत्तर वैदिक काल में शिष्यों द्वारा गुरुओं के आदेशों और नियमों के पालन को ही अनुशासन माना जाने लगा और शिष्य इनका पालन नहीं करते थे उन्हें दण्ड दिया जाता था। पर शारीरिक दण्ड विशेष परिस्थितियों में ही दिया जाता था।

1.4.4 शिक्षक (गुरु)Teacher

वैदिक काल में अति विद्वान, स्वाध्यायी, धर्मपरायण और सच्चरित व्यक्ति ही गुरु हो सकते थे। ये अतिज्ञानी के साथ-साथ अति संयमी भी होते थे। उस समय इन्हें समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। ये देव रूप में प्रतिष्ठित थे। इन्हें धियावसु (जिसकी बुद्धि ही धन है), सत्यजन्मा (सत्य को जानने वाला) और विश्ववेदा (सर्वज्ञ) आदि विशेषणों से सम्बोधित किया जाता था। ये अपने गुरुकुलों के पूर्ण स्वामी होते थे, पर पूर्ण स्वामित्व के साथ पूर्ण उत्तरदायित्व जुड़ा था। ये अपने गुरुकुलों की सम्पूर्ण व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होते थे। ये अपने शिष्यों के आवास, भोजन एवं वस्त्रादि की व्यवस्था करते थे, उनके स्वास्थ्य की देखभाल करते थे और उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्रयत्न करते थे।

1.5 गुरु-शिष्य सम्बन्ध Relation of Teacher And Students

वैदिक काल में गुरु और शिष्यों के बीच बहुत मधुर सम्बन्ध था। गुरु शिष्यों को पुत्रवत् मानते थे और शिष्य गुरुओं को पितातुल्य मानते थे।- उपर से प्रेम बरसता था और नीचे से श्रद्धा उमड़ती थी। वैदिक काल में गुरुकुलों की व्यवस्था गुरु और शिष्य दोनों संयुक्त रूप से करते थे। यहाँ गुरुओं के शिष्यों के प्रति और उत्तरदायित्वों एवं कार्यों का वर्णन संक्षेप में प्रस्तुत है।

1.5.1 गुरुओं के शिष्यों के प्रति कर्तव्य-

वैदिक काल में गुरु शिष्यों के प्रति पूर्णरूप से उत्तरदायी होते थे। वे शिष्यों के प्रति निम्नलिखित उत्तरदायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वाह करते थे -

- (1) शिष्यों के आवास, भोजन एवं वस्त्रादि की व्यवस्था करना।
- (2) शिष्यों के स्वास्थ्य की देखभाल करना, उनके अस्वस्थ होने पर उपचार की व्यवस्था करना।
- (3) शिष्यों को भाषा, धर्म और नीतिशास्त्र का ज्ञान अनिवार्य रूप से कराना।
- (4) शिष्यों को उनकी योग्यतानुसार (प्रारम्भिक वैदिक काल) अथवा वर्णानुसार (उत्तर वैदिक काल) विशिष्ट विषयों एवं क्रियाओं (कर्म) की शिक्षा देना।
- (5) शिष्यों को सदाचार की शिक्षा देना और उनका चरित्र निर्माण करना।
- (6) शिष्यों को करणीय कर्मों की ओर उन्मुख करना और अकरणीय कर्मों से रोकना।
- (7) शिष्यों का सर्वांगीण विकास करना।
- (8) शिक्षा पूरी होने पर शिष्यों को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की आज्ञा देना और उनका मार्गदर्शन करना।

1.5.2 शिष्यों के गुरुओं के प्रति कर्तव्य-

वैदिक काल में शिष्य गुरुओं के प्रति पूर्णरूप से समर्पित होते थे। वे गुरुओं के प्रति निम्नलिखित उत्तरदायित्वों एवं कर्तव्यों का पालन करते थे-

- (1) गुरुकुल की सफाई करना और उसकी पूर्ण व्यवस्था करना।
- (2) गुरुगृह की सफाई करना, गुरु के स्थान एवं पूजा-पाठ की व्यवस्था करना।
- (3) गुरु एवं गुरुकुलवासियों के लिए भिक्षा माँगना।
- (4) गुरु एवं गुरुकुलवासियों के भोजन की व्यवस्था करना।
- (5) गुरुओं के सोने से पहले उनके पैर दबाना।
- (6) गुरुओं के आदेशों का पूर्ण निष्ठा से पालन करना।
- (7) शिक्षा पूरी होने पर अपनी सामर्थ्यानुसार गुरु दक्षिणा देना।

1.5.3 परीक्षाएँ एवं उपाधियाँ- Examination and Degree

वैदिक काल में आज की तरह की परीक्षाएँ नहीं होती थीं। सर्वप्रथम तो गुरु ही मौखिक रूप से प्रश्न पूछ कर यह निर्णय करते थे कि किसी शिष्य ने यथा ज्ञान प्राप्त कर लिया है अथवा नहीं। इसके बाद उन्हें विद्वानों की सभा में उपस्थित किया जाता था। ये विद्वान इन छात्रों से प्रश्न पूछते थे और सन्तुष्ट होने पर उन्हें सफल घोषित करते थे। वैदिक काल में सफल छात्रों को कोई प्रमाणपत्र नहीं दिए जाते थे, उनकी योग्यता ही उनका प्रमाणपत्र होती थी। परन्तु जो छात्र गुरुकुलों का 12 वर्षीय सामान्य पाठ्यक्रम अथवा किसी एक वेद का अध्ययन पूरा कर लेते थे उन्हें स्नातक, जो 24 वर्षीय पाठ्यक्रम (किन्हीं दो वेदों का अध्ययन) पूरा कर लेते थे उन्हें वसु, जो 36 वर्षीय पाठ्यक्रम (किन्हीं तीन वेदों का अध्ययन) पूरा कर लेते थे उन्हें रूद्र और जो 48 वर्षीय पाठ्यक्रम (चारों वेदों का अध्ययन) पूरा कर लेते थे उन्हें आदित्य कहा जाता था।

1.5.4 समावर्तन समारोह- Convocation Programme

वैदिक काल में शिष्यों की गुरुकुलीय शिक्षा पूरी होने पर समावर्तन समारोह होता था। समावर्तन का शाब्दिक अर्थ है - घर लौटना। समावर्तन समारोह में सर्वप्रथम छात्रों को ब्रह्मचारी वस्त्र उतार कर गृहस्थ वस्त्र पहनाए जाते थे। इसके बाद गुरु उन्हें यज्ञ वेदी के सामने बैठाते थे। वेद मन्त्रों से देवताओं की आराधना होती थी। इसके बाद गुरु शिष्यों को उपदेश (दीक्षान्त भाषण) देते थे। वे उन्हें गृहस्थ जीवन के कर्तव्य पालन, समान सेवा और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य पालन का उपदेश देते थे और अध्ययन में कभी प्रमाद (आलस्य) न करने का उपदेश देते थे। वे उन्हें पितृऋण, गुरुऋण और देवऋण से उऋण होने का उपदेश देते थे। तैत्तिरीय उपनिषद् में इस प्रकार के दीक्षान्त भाषण का उल्लेख है। आज के अधिकतर भारतीय विश्वविद्यालयों में दीक्षान्त समारोहों में तैत्तिरीय उपनिषदीय दीक्षान्त उपदेश दिए जाते हैं। उस काल में दीक्षान्त उपदेश देने के बाद गुरु शिष्यों को गृहस्थ जीवन में प्रवेश की आज्ञा प्रदान करते थे और उन्हें आशीर्वाद देकर गुरुकुल से घर के लिए विदा करते थे।

1.5.5 स्त्री शिक्षा-Women Education

यूँ तो प्रारम्भिक वैदिक काल में स्त्रियों को किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार प्राप्त था परन्तु उत्तर वैदिक काल में उन्हें वर्णानुसार शिक्षा ही दी जाती थी। शूद्र वर्ण की स्त्रियों को तो ब्राह्मणीय व्यवस्था ने धूर्तता से उच्च शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। आज भी ब्राह्मणी व्यवस्था की इनके विकास को नहीं चाहती है इनके विकास में बाधक बनाती है लेकिन आज इस वर्ग की कन्या शिक्षा, मेहनत व तर्क के बल पर बड़े से बड़े मुकाम पर पहुँचकर संसार के विकास में अपना योगदान कर रही है। अल्लेकर ने एक तथ्य यह उजागर किया है कि वैदिक काल के अन्तिम चरण (ब्राह्मण काल) में बालिकाओं के विवाह की आयु 12 वर्ष निश्चित कर दी गई थी और साथ ही उनके लिए वेदों का अध्ययन निषेध कर दिया गया था। स्त्री शिक्षा के सम्बन्ध में एक तथ्य यह भी है कि उस काल में स्त्रियों के लिए अलग से कोई गुरुकुल नहीं थे। परिणामतः सामान्य परिवारों की बच्चियाँ उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती थीं, केवल गुरुओं की पुत्रियाँ, रजघरानों और राज्यों में ऊँच पदों पर आसीन व्यक्तियों की पुत्रियाँ और अति धनी एवं अति विशिष्ट व्यक्तियों की पुत्रियाँ ही इन गुरुकुलों में प्रवेश ले

पाती थीं। यँ तो उस काल में विश्वारा, अपाला, होमशा, शाश्वती और घोषा आदि अनेक विदुषी महिलाओं का भी उल्लेख मिलता है परन्तु वास्तविकता यह है कि उस पूरे काल में स्त्री शिक्षा बहुत सीमित थी और यदि यह कहें कि उस काल में स्त्री शिक्षा उपेक्षित रही तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। जिस काल में स्त्रियों पर प्रतिबंध लगाये जाते हैं वह काल अच्छा नहीं होता है।

1.5.6 वैदिक कालीन मुख्य शिक्षा केन्द्र

वैदिक काल में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था परिवारों और उच्च शिक्षा की व्यवस्था गुरुकुलों में होती थी। ये गुरुकुल प्रारम्भिक वैदिक काल में तो प्रायः जन कोलाहल से दूर प्रकृति की सुरम्य गोद में स्थापित होते थे परन्तु उत्तर वैदिक काल में बड़े-बड़े नगरों और तीर्थ स्थानों पर स्थापित होने लगे थे। उस काल में तीर्थ स्थान धर्म प्रचार के केन्द्र होने के साथ-साथ उच्च शिक्षा के केन्द्रों के रूप में विकसित हुए। बड़े-बड़े नगरों तक्षशिला, पाटलिपुत्र, मिथिला, धार, कन्नौज, नासिक, कर्नाटक और काँची उस समय के मुख्य शिक्षा केन्द्र थे। यहाँ इनमें से मुख्य शिक्षा केन्द्रों का वर्णन संक्षेप में प्रस्तुत है।

1. तक्षशिला- तक्षशिक्षा उस काल में उत्तरी भारत के तत्कालीन गांधार राज्य को राजधानी था। ऐसा उल्लेख मिलता है कि इस नगर को तत्कालीन गांधार नरेश भारत ने अपने पुत्र तक्ष के नाम से बसाया था। आगे चलकर उसने इसे अपने राज्य की राजधानी बनाया और साथ ही यहाँ देश के विभिन्न भागों से विद्वानों को बुलाकर बसाया। उसने उन्हें गाँव के गाँव दान में दिए और उन पर शिक्षा की व्यवस्था का कार्य भार सौंपा। इस प्रकार यह नगर उस समय राज्य की राजधानी के साथ-साथ एक शिक्षा नगर के रूप में विकसित हुआ। ऐसा उल्लेख मिलता है कि यहाँ संस्कृत भाषा, साहित्य और व्याकरण की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध थे, कोई किसी वेद की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध थे और कोई धर्म एवं दर्शन की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध थे। ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि कुछ विद्वान आयुर्विज्ञान के विशेषज्ञ थे। परिणामतः उस काल में तक्षशिला वैदिक साहित्य, धर्म, दर्शन और आयुर्विज्ञान की शिक्षा के मुख्य केन्द्र के रूप में विकसित हुआ। यहाँ कर्म(कला-कौशल एवं व्यवस्थाओं) की शिक्षा की भी उत्तम व्यवस्था थी। यही कारण है कि गांधार राज्य उस समय का वैभवशाली राज्य था। ई0 पू0 7वीं शताब्दी तक यह वैदिक और ब्राह्मणीय शिक्षा का मुख्य केन्द्र रहा।

2. केकय- केकय मध्य भारत के तत्कालीन केकय राज्य की राजधानी थी। उपनिषद काल में यह शिक्षा का मुख्य केन्द्र था। यहाँ संस्कृत भाषा, व्याकरण, साहित्य, वेद, धर्म और दर्शन की शिक्षा का उत्तम प्रबन्ध था। प्राचीन ग्रन्थों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि केकय नरेश अश्वपति स्वयं बड़े विद्वान थे, वे विद्वानों का आदर करते थे। उन्होंने अपनी राजधानी में बड़े-बड़े विद्वानों को बसाया था। वे समय-समय पर राजधानी में विद्वत् सम्मेलन भी करते थे।

3. मिथिला- मिथिला मध्य भारत के तत्कालीन मिथिला राज्य की राजधानी था। यँ तो यह वैदिक काल से पहले से ही शिक्षा का मुख्य केन्द्र रहा था, यहाँ धर्म और दर्शन के विद्वानों के सम्मेलन होते थे परन्तु उपनिषद काल में

तो यह वैदिक शिक्षा के मुख्य केन्द्र के रूप में विकसित हुआ। इस नगर में धर्म और दर्शन के प्रकाण्ड विद्वान निवास करते थे। दूर-दूर से लोग धर्म और दर्शन की शिक्षा प्राप्त करने यहाँ आते थे। ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि इस नगर में प्रतिद्वन्दी राज्यों से भी लोग धर्म और दर्शन की शिक्षा प्राप्त करने आते थे और उन्हें बिना किसी भेद-भाव के यह शिक्षा दी जाती थी। उत्तर वैदिक काल में यहाँ कला-कौशल एवं सैनिक शिक्षा की भी व्यवस्था हुई।

4. प्रयाग- भारत के पूर्वी भाग में स्थित प्रयाग (इलाहाबाद) प्रारम्भ से ही ऋषियों की तपोभूमि रहा है। वैदिक काल में इस क्षेत्र के गंगातटवर्ती क्षेत्रों में अनेक ऋषि आश्रम थे। ये आश्रम धर्म और दर्शन की शिक्षा के मुख्य केन्द्र थे। यहाँ बड़े-बड़े विद्वान भी अपने शंकाओं का समाधान करने आया करते थे। यह एक तीर्थ स्थान तथा धार्मिक स्थल था और ऋषियों की तपोभूमि था इसलिए यह धर्म एवं दर्शन की शिक्षा के केन्द्र के रूप में विकसित हुआ।

5. काशी- भारत के पूर्वी भाग में स्थित काशी(वाराणसी) भी प्रारम्भ से ही ऋषियों की तपोभूमि और विद्वानों के बीच शास्त्रार्थ का मुख्य केन्द्र रहा है। यहाँ के गंगातटवर्ती क्षेत्रों में अनेक ऋषि आश्रम थे। ऐसा उल्लेख मिलता है कि काशी नरेश अजातशत्रु उपनिषदीय ज्ञान (ब्रह्म विद्या) के पंडित थे। उन्होंने अपने शासन काल में यहाँ विद्वानों को आमंत्रित किया था। और आत्मा-परमात्मा और ब्रह्म के स्वरूप के विषय में शास्त्रार्थ कराया था। बस तभी से यह विभिन्न मतों की शिक्षा और शास्त्रार्थ के केन्द्र के रूप में विकसित हुआ। वैदिक शिक्षा के लिए तो यह जितना तब प्रसिद्ध था उतना ही मध्यकाल में प्रसिद्ध रहा और उतना ही आज भी प्रसिद्ध है।

6. काँची- काँची दक्षिण भारत का एक तीर्थ स्थान है। धार्मिक लोग इसे दक्षिण काशी कहते हैं। भारत के नक्शे में यह आज काँजीवरम है। उत्तर वैदिक काल में यहाँ वेदों के विद्वान पहुँच गए थे और उन्होंने वैदिक धर्म और दर्शन की शिक्षा देना शुरू कर दिया था। ये ब्राह्मण पुरोहित थे, कर्मकाण्डी थे इसलिए इन्होंने यहाँ कर्मकाण्डप्रधान शिक्षा का ही विकास किया। तब से लेकर आज तक यह ब्राह्मणीय शिक्षा का मुख्य केन्द्र चला आ रहा है। और चौंकने वाला तथ्य यह है कि मध्यकाल (मुस्लिम काल) में भी यह ब्राह्मणीय शिक्षा का मुख्य केन्द्र रहा।

1.5.7 वैदिक शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन अथवा गुण-दोष विवेचन Merits and Demerits of Vedic Education

वैदिक शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन अथवा गुण-दोष विवेचन प्रस्तुत है।

वैदिक शिक्षा प्रणाली के गुण :- यदि हम वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली को अपने देश भारत की वर्तमान परिस्थितियों, आवश्यकताओं, सम्भावनाओं और आकांक्षाओं की दृष्टि से देखें-समझे तो उसमें निम्नलिखित गुण स्पष्ट होंगे जिन्हें आज भी ग्रहण करना चाहिए।

1. निःशुल्क शिक्षा- वैदिक काल में गुरुकुलों में शिष्यों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता था। उस समय शिष्यों के आवास, भोजन एवं वस्त्रादि की व्यवस्था भी निःशुल्क होती थी। इस व्यय की पूर्ति राजा एवं धनी

लोगों से प्राप्त दान, भिक्षाटन और गुरुदक्षिणा द्वारा होती थी। आज संसार के सभी देशों में एक निश्चित स्तर तक की शिक्षा निःशुल्क है, हमारे देश भारत में भी।

2. शिक्षा का व्यापक अर्थ- वैदिक काल में छात्रों से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे गुरुकुल शिक्षा पूरी करने के बाद भी स्वाध्याय में कभी आलस्य न करें। उस काल में लोग जीवन में अन्य कार्यों के सम्पादन के साथ-साथ निरन्तर ज्ञानार्जन करते थे। गृहस्थाश्रम के बाद वाणप्रस्थाश्रम में प्रवेश करने के बाद तो लोग अध्ययन और चिन्तन ही किया करते थे और समाज को अपने अध्ययन एवं अनुभवों से लाभ पहुँचाया करते थे। आज संसार के प्रायः सभी देशों में सतत शिक्षा की व्यवस्था है,

3. शिक्षा के व्यापक उद्देश्य- वैदिक काल में शिक्षा के उद्देश्य अति व्यापक थे। उस काल में शिक्षा द्वारा मनुष्यों का शारीरिक एवं मानसिक विकास किया जाता था, उन्हें सामाजिक एवं राष्ट्रीय कर्तव्यों का बोध कराया जाता था, उनका नैतिक एवं चारित्रिक विकास किया जाता था, उन्हें कर्म (व्यवसाय) की शिक्षा दी जाती थी और इस सबके साथ-साथ उनका आध्यात्मिक विकास किया जाता था। हाँ, यह बात अवश्य है कि उस समय सर्वाधिक बल ज्ञान के विकास, चरित्र निर्माण और आध्यात्मिक विकास पर दिया जाता था।

4. शिक्षा की व्यापक पाठ्यचर्या - वैदिक काल में मनुष्य के प्राकृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक, तीनों पक्षों के विकास पर बल दिया जाता था और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठ्यचर्या में अपरा (भौतिक) एवं परा (आध्यात्मिक) दोनों प्रकार के विषयों एवं क्रियाओं को स्थान दिया जाता था। हाँ, यह बात अवश्य है कि उस समय सर्वाधिक बल भाषा, साहित्य, धर्म, दर्शन और नीतिशास्त्र की शिक्षा पर दिया जाता था और ये उस समय गुरुकुलीय शिक्षा के अनिवार्य विषय थे। आज हमारे देश में उच्च शिक्षा की पाठ्यचर्या अतिव्यापक है परन्तु वह बहुपक्षीय नहीं है, मनुष्य के प्राकृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक तीनों पक्षों का विकास नहीं करती।

5. विशिष्टीकरण- हमारे देश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्टीकरण का शुभारम्भ वैदिक काल में ही हो गया था। हाँ, यह बात सत्य है कि प्रारम्भिक वैदिक काल में तो यह विशिष्टीकरण छात्रों की योग्यता के आधार पर होता था परन्तु उत्तर वैदिक काल में यह छात्रों के वर्ण के आधार पर होने लगा था। आज हमारे देश में ही नहीं, संसार के सभी देशों में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्टीकरण का क्षेत्र अतिव्यापक हो गया है और छात्रों को उनकी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार विशिष्ट शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्राप्त करने के अवसर दिये जाते हैं।

6. उत्तम शिक्षण विधियों का विकास- वैदिक काल में गुरुओं ने शिक्षण की अनेक उत्तम विधियों- अनुकरण, व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, विचार-विमर्श, श्रवण-मनन-निदिध्यासन, तर्क, प्रयोग एवं अभ्यास, नाटक और कहानी का विकास किया था। उस काल में शिक्षण को रोचक और प्रभावी बनाने पर विशेष बल दिया जाता था। यँ आज मनोविज्ञान के ज्ञान और विज्ञान के आविष्कारों की सहायता से अनेक अन्य उत्तम शिक्षण विधियों का विकास हुआ है परन्तु वैदिक कालीन उपरोक्त विधियों का महत्त्व आज भी है और सदैव रहेगा। हमें उनका आवश्यकतानुसार प्रयोग करना चाहिए।

7. गुरु एवं शिष्यों का अनुशासित जीवन- वैदिक काल में गुरुकुलों के नियम बड़े कठोर होते थे और गुरु एवं शिष्य, दोनों ही इनका पालन करते थे। उस काल में गुरु बहुत अनुशासित जीवन जीते थे, उनकी कथनी और करनी समान होती थी। गुरुओं के आदर्श आहार-विहार और आचार-विचार का शिष्यों पर सीधा प्रभाव पड़ता था और वे भी उचित आहार-विहार और उचित आचार-विचार का पालन करते थे। गुरु और शिष्य दोनों सादा जीवन जीते थे, अनुशासित जीवन जीते थे। सच बात यह है कि आचरण की शिक्षा आचरण द्वारा ही दी जा सकती है। आज हमारे देश में आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षक स्वयं आदर्श आचरण करें, तभी शिष्य आदर्श आचरण करेंगे।

8. गुरु-शिष्यों के बीच मधुर सम्बन्ध- वैदिक काल में गुरु-शिष्यों के बीच बहुत मधुर सम्बन्ध था। ऊपर से प्रेम बरसता था और नीचे से श्रद्धा उमड़ती थी। गुरु शिष्यों की पूरी देख-भाल करते थे और उनके सर्वांगीण विकास के लिए कठोर परिश्रम करते थे और शिष्य गुरुओं का आदर करते थे, उनके आदेशों का पालन करते थे और उनकी सेवा करते थे। सच बात यह है कि जब तक शिष्यों की गुरुओं में श्रद्धा नहीं होती, वे उनसे कुछ भी नहीं सीख सकते और जब तक गुरु शिष्यों के प्रति समर्पित नहीं होते, वे शिष्यों को कुछ भी सिखा नहीं सकते।

9. गुरुकुलों का उत्तम पर्यावरण और संस्कारप्रधान जीवन पद्धति- वैदिक काल में गुरुकुल प्रकृति की सुरम्य गोद में स्थित होते थे। यहाँ शुद्ध वायु और शुद्ध जल प्राप्त होता था और वातावरण एकदम शान्त होता था। इन गुरुकुलों की दूसरी विशेषता थी- संस्कारप्रधान जीवन पद्धति। इनमें प्रवेश के समय बच्चों का उपनयन संस्कार होता था। इस संस्कार से बच्चों की मानसिक स्थिति में परिवर्तन होता था, वे ब्रह्मचर्य जीवन को सहज में स्वीकार करते थे और संयमित जीवन जीते थे। नियमित रूप से धार्मिक कृत्यों (यज्ञादि) के सम्पादन से उनमें उच्च संस्कारों का निर्माण होता था। शिक्षा पूरी होने पर समावर्तन समारोह होता था। इस समारोह में गुरु शिष्यों को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की आज्ञा देते थे और उन्हें कर्तव्य पालन का उपदेश देते थे। आज की परिस्थितियों में हमारे विद्यालय प्रदूषण रहित स्थानों पर स्थित हों, उनमें पेड़-पौधे हों, फुलवारी हो, उनके आसपास किसी प्रकार का शोर न हो और ध्वनि प्रदूषण न हो। यदि विद्यालयों की कार्य प्रणाली और दिनचर्या को संस्कारप्रधान एवं मूल्य आधारित बनाया जा सके तो फिर सोने में सुहागा समझिए।

वैदिक शिक्षा प्रणाली के दोष

वैदिक कालीन शिक्षा के दोषों को हम निम्नलिखित रूप में क्रमबद्ध कर सकते हैं।

1. शिक्षा राज्य का उत्तरदायित्व नहीं- वैदिक काल में शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का उत्तरदायित्व नहीं था, यह व्यक्तिगत नियन्त्रण में थी, उस पर गुरुओं का पूर्ण अधिकार था। परिणामतः शिक्षा का कोई सर्वमान्य स्वरूप विकसित नहीं हो सका, जन शिक्षा का समप्रत्यय विकसित नहीं हो सका और स्त्री शिक्षा की समुचित व्यवस्था

नहीं हो सकी। आज की परिस्थितियों में किसी भी देश में शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का उत्तरदायित्व माना जाता है, हमारे देश भारत में भी। आज सबके लिए शिक्षा के समान अवसर का नारा बुलन्द है।

2. आय के अनिश्चित स्रोत एवं भिक्षाटन- वैदिक काल में गुरुकुलों को आज की भाँति राज्य से कोई निश्चित आर्थिक अनुदान नहीं मिलता था, ये राजा, महाराजा और धनी लोगों की कृपा पर निर्भर करते थे। यही कारण है कि उस काल में कुछ गुरुकुलों की स्थिति अति दयनीय थी। उस काल में सभी गुरुकुलों के छात्र समाज में भिक्षा माँगने जाते थे, यह उस समय के गुरुकुलों की आय का एक मुख्य स्रोत था। कुछ विद्वानों का मत है कि भिक्षाटन से दो-लाभ होते थे- एक तो गुरुकुलों की व्यवस्था चलती थी और दूसरे छात्रों में विनम्रता आती थी। परन्तु आज की परिस्थितियों में भिक्षाटन से न तो विद्यालयों की व्यवस्था की जा सकती है और न छात्रों में विनम्रता विकसित की जा सकती है। इससे तो आज के छात्रों में हीन भावना का ही विकास होगा। यही कारण है कि आज शिक्षा की व्यवस्था के लिए वित्त व्यवस्था करना राज्य का उत्तरदायित्व माना जाता है। हमारी सरकार को भी अपने इस उत्तरदायित्व को समझना चाहिए।

3. शिक्षा की अमनोवैज्ञानिक संरचना- वैदिक काल में शिक्षा केवल दो स्तरों में विभाजित थी- प्राथमिक एवं उच्च, और उच्च शिक्षा की पाठ्यचर्या बाल एवं किशोरों के मनोविज्ञान के अनुकूल नहीं थी। आज की परिस्थितियों के लिए तो वह एकदम अनुपयुक्त है। आज तो मनोवैज्ञानिकों ने इस तथ्य को उजागर किया है कि शिशु, बाल, किशोर और युवाओं के मनोविज्ञान में बहुत अन्तर होता है अतः शिक्षा को शिशु, बाल, किशोर और युवाओं के मनोविज्ञान के आधार पर शिशु शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा आदि स्तरों में विभाजित करना चाहिए और उच्च शिक्षा को भी भिन्न-भिन्न वर्गों-कला, वाणिज्य, कृषि, विज्ञान, तकनीकी आदि में विभाजित करना चाहिए।

4. अव्यवस्थित पाठ्यचर्या- वैदिक काल में सभी गुरुकुलों की पाठ्यचर्या एक समान नहीं थी, भिन्न-भिन्न गुरुकुलों की पाठ्यचर्या भिन्न-भिन्न थी। उस समय यह धारणा थी कि शिष्यों को जितना अधिक ज्ञान करा दिया जाएगा वे जीवन में उतने ही अधिक ज्ञान करा दिया जाएगा वे जीवन में उतने ही अधिक सफल होंगे। पर इस ज्ञान के स्वरूप के विषय में गुरु एकमत नहीं थे। आज जब शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का उत्तरदायित्व हो गया है किसी भी स्तर की शिक्षा की पाठ्यचर्या पूर्व निश्चित होनी आवश्यक है। आज सभी राज्य ऐसा ही प्रयत्न करते हैं, भारत राज्य भी।

5. रटने पर अधिक बल- वैदिक काल में मुद्रण कला का विकास नहीं हुआ था अतः समस्त ज्ञान स्मरण द्वारा सुरक्षित रखा जाता था; गुरुकुलों में भी शिष्यों को समस्त ज्ञान कण्ठस्थ करना पड़ता था। उस काल में उसी व्यक्ति को योग्य माना जाता था जिसे धर्म, दर्शन, नीतिशास्त्र और अन्य अनुशासनों एवं क्रियाओं सम्बन्धी श्लोक कण्ठस्थ होते थे। आज ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में इतना अधिक विकास हो चुका है कि न तो उसे सूत्र रूप में संजोया-पिरोया जा सकता है और न उसे कण्ठस्थ किया जा सकता है। वैसे भी आज स्मरण पर नहीं, समझने पर बल दिया जाता है।

6. कठोर अनुशासन- प्रारम्भिक वैदिक काल में अनुशासन से तात्पर्य शारीरिक, मानसिक और आत्मिक, तीनों प्रकार के संयम से लिया जाता था। इसकी प्राप्ति के लिए गुरु और शिष्य दोनों बहुत संयम का पालन करते थे, अपने आहार-विहार और आचार-विचार पर नियन्त्रण रखते थे और धर्म और नीति के अनुसार आचरण करते थे। उत्तर वैदिक काल में गुरु के आदेशों और गुरुकुलों के नियमों के पालन को ही अनुशासन माना जाने लगा। तब शिष्यों को गुरु के आदेशों और गुरुकुलों के नियमों का कठोरता से पालन करना होता था। आज के इस लोकतन्त्रीय वातावरण में न तो कठोर नियमों के लिए जगह है और न उनके कठोरता से पालन करने की स्थिति है। आज तो बच्चों को कठोर अनुशासन में रखने के स्थान पर स्वतन्त्र वातावरण में रखने पर बल दिया जाता है। पर हमने इस स्वतन्त्र वातावरण के दुष्परिणाम भी देख लिए हैं। अतः आज स्वतन्त्रता और अनुशासन में सन्तुलन रखने की आवश्यकता है।

7. जन शिक्षा का अभाव- वैदिक काल में जन शिक्षा का सम्प्रत्यय ही विकसति नहीं हुआ था। उत्तर वैदिक काल में वर्णानुसार कर्म की शिक्षा देना और शूद्रों को उच्च शिक्षा के अधिकार से वंचित कर देना तो जन शिक्षा का विरोधी कदम था। आज किसी भी देश में जन शिक्षा (एक निश्चित स्तर तक की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा और अशिक्षित प्रौढ़ों की सामान्य शिक्षा) पर विशेष बल दिया जाता है।

8. स्त्री शिक्षा की समुचित व्यवस्था का अभाव- यूँ तो वैदिक काल में स्त्रियों को किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं था लेकिन उस काल में अनेक स्त्रियों ने भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में विशेष ज्ञान एवं कौशल की प्राप्ति भी की थी परन्तु इनकी संख्या नगण्य थी। उस काल में स्त्रियों के लिए अलग से गुरुकुल नहीं थे और जिन गुरुकुलों में कन्या प्रवेश ले सकती थी उनमें भी केवल गुरुओं, राजा-महाराजाओं और धनी वर्ग की बच्चियाँ ही प्रवेश ले पाती थी। साफ जाहिर है कि उस काल में स्त्री शिक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं थी। आज संसार के प्रायः सभी देशों में स्त्री-पुरुष में किसी प्रकार का भेद नहीं किया जाता। लोकतन्त्रीय देशों में तो उन्हें सभी क्षेत्रों में समान अधिकार प्राप्त है। हमने भी स्त्री शिक्षा के महत्त्व को पहचाना है और आज देश इन्हें किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्रदान करने के लिए प्रयत्नशील हैं।

9. धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा पर अधिक बल- वैदिक काल में शिक्षा धर्म प्रधान थी। उस काल में भाषा, साहित्य, धर्म और नीतिशास्त्र पाठ्यचर्या के अनिवार्य विषय थे और इनकी शिक्षा पर सबसे अधिक बल दिया जाता था। छात्रों की आधे से अधिक शक्ति धर्म ग्रन्थों के अध्ययन और धार्मिक क्रियाओं के सम्पादन में व्यय होती थी। यही कारण है कि ज्ञान के क्षेत्र में सर्वप्रथम पदार्पण करने के बाद भी हमारा देश भौतिक दौड़ में बहुत पीछे रह गया। यूँ आज हम आध्यात्मिक विकास के स्थान पर भौतिक विकास के लिए अधिक प्रयत्नशील हैं। पर आवश्यकता इस बात है कि मनुष्य के प्राकृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक तीनों पक्षों के विकास पर समान बल दिया जाए।

1.6 सारांश Summary

वैदिक शिक्षा प्रणाली आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली का नींव का पत्थर है। उसी के आधार पर आधुनिक शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ है। सच बात तो यह है कि वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली हमारी संस्कृति पर आधारित थी और संस्कृति से हम अलग हो नहीं सकते। आज भी हमारी शिक्षा के उद्देश्य मूल रूप से वही हैं जो वैदिक काल में थे। वैदिक काल की भाँति हम आज भी समस्त ज्ञान-विज्ञान, कौशल और तकनीकी को शिक्षा की पाठ्यचर्या में सम्मिलित करते हैं। आज भी हम शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच मधुर सम्बन्ध स्थापित करना चाहते हैं। और आधुनिक काल की शिक्षा प्रणाली और वैदिक शिक्षा प्रणाली में जो अन्तर है वह तो विकास के क्रम में होना स्वाभाविक ही था।

कुछ मिलाकर यह कहा जा सकता है कि वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली उस समय की संसार की श्रेष्ठतम शिक्षा प्रणाली परन्तु आज के भारतीय समाज के स्वरूप और उसकी भावी आवश्यकताओं की दृष्टि से उसके कुछ तत्व ग्रहणीय हैं और कुछ तत्व त्याज्य हैं। उसके ग्रहणीय तत्वों को ही हम उसके गुण मानते हैं और त्याज्य तत्वों को दोष। उसके ग्रहणीय तत्वों में मुख्य हैं- निःशुल्क शिक्षा, व्यापक उद्देश्य, व्यापक पाठ्यचर्या, गुरु-शिष्यों का अनुशासित जीवन, गुरु-शिष्यों के बीच मधुर सम्बन्ध और शिक्षण संस्थाओं की संस्कारप्रधान पद्धिति। हमें वैदिक कालीन शिक्षा के ग्रहणीय तत्वों को ग्रहण कर अपनी वर्तमान शिक्षा प्रणाली को प्रभावी बनाने का प्रयत्न करना चाहिए।

अपनी उन्नति जानिय Check your Progress

प्रश्न 1 वेदों में सबसे प्राचीन है?

प्रश्न 2 विद्यारम्भ संस्कार कितने वर्ष की आयु पर किया जाता था?

प्रश्न 3 वैदिक कालीन में मनुष्य का तीसरा नेत्र माना जाता था।?

प्रश्न 4 वैदिक कालीन में शूद्रों को उच्च शिक्षा के अधिकार से वंचित कर देना कैसा कदम था?

प्रश्न 5 समावर्तन समारोह कब होता था?

1.7 शब्दावली glossary

अपरा (भौतिक) पाठ्यचर्या- इसके अन्तर्गत भाषा, व्याकरण, अंकशास्त्र, कृषि, पशुपालन, कला (संगीत एवं नृत्य), कौशल (कताई, बुनाई, रंगाई, काष्ठ कार्य, धातु कार्य एवं शिल्प), अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, भूगर्भशास्त्र, प्राणिशास्त्र, सर्प विद्या, तर्कशास्त्र, ज्योतिर्विज्ञान, आयुर्विज्ञान एवं सैनिक शिक्षा का अध्ययन और व्यायाम, गुरुकुल व्यवस्था एवं गुरु सेवा क्रियाएँ सम्मिलित थी।

परा (आध्यात्मिक) पाठ्यचर्या- इसके अन्तर्गत वैदिक साहित्य (वेद, वेदांग एवं उपनिषद्), धर्मशास्त्र और नीतिशास्त्र का अध्ययन और इन्द्रिय निग्रह, धर्मानुकूल आचरण, ईश्वर भक्ति, सन्ध्यावन्दन और यज्ञादि क्रियाओं का प्रशिक्षण सम्मिलित था।

1.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर Answer of Practice Questions

उत्तर 1 वेदों में सबसे प्राचीन ऋग्वेद है।

उत्तर 2 बच्चे का विद्यारम्भ संस्कार लगभग 5 वर्ष की आयु पर किसी शुभ दिन किया जाता था।

उत्तर 3 वैदिक कालीन में ज्ञान को मनुष्य का तीसरा नेत्र माना जाता था।

उत्तर 4 शूद्रों को उच्च शिक्षा के अधिकार से वंचित कर देना जन शिक्षा विरोधी कदम था।

उत्तर 5 शिक्षा पूरी होने पर समावर्तन समारोह होता था।

1.9 संदर्भ Reference

1. लाल (डॉ) रमन बिहारी, भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएं, राज प्रिंटर्स, मेरठा।
2. जे. (डॉ) एस. वालिया (2009) भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास, अहमपाल पब्लिशर्स, मेरठा।
3. शुक्ला (डॉ) सी. एस. (2008) उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक, इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस, मेरठा।
4. शर्मा, रामनाथ व शर्मा, राजेन्द्र कुमार (2006) शैक्षिक समाजशास्त्र, एटलांटिक पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स।
5. शीलू मैरी (डॉ) (2008) शिक्षक के सामाजिक एवं दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, रजत प्रकाशन नई दिल्ली।

1.10 निबन्धात्मक प्रश्न Essay Type Questions

प्रश्न 1. वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के मुख्य अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए?

प्रश्न 2. वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श क्या थे ? आज के युग में उनकी प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए?

प्रश्न 3. वैदिक काल में गुरु-शिष्यों के सम्बन्धों की विवेचना कीजिए और यह बताइए कि उन सम्बन्धों को आज की परिस्थितियों में किस सीमा तक और कैसे स्थापित किया जा सकता है ?

प्रश्न 4. वैदिक कालीन शिक्षा के गुण-दोषों का विवेचन कीजिए और यह बताइए कि आधुनिक भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के विकास में उसकी क्या देन है?

- प्रश्न 5. वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली का आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली के विकास में क्या योगदान है ? सप्रमाण उत्तर दीजिए?
- प्रश्न 6. वैदिक कालीन मुख्य शिक्षा केन्द्रों का समान्य परिचय दीजिए?
- प्रश्न 7 वैदिक काल में शुद्रों की शिक्षा पर एक विस्तृत लेख लिखिये?
- प्रश्न 8. वैदिक काल में स्त्री शिक्षा की क्या व्यवस्था थी ?

इकाई 2 प्राचीन कालीन बौद्ध शिक्षा प्रणाली Anciant Period Budhistic Education System

- 2.1 प्रस्तावना Introduction
- 2.2 उद्देश्य Objectives
- 2.3 बौद्ध शिक्षा प्रणाली के मुख्य अभिलक्षण Main Feature of Bodh education System
 - 2.3.1 शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त Administation and Finance of Education
 - 2.3.2 शिक्षा की संरचना एवं संगठन Structure and Organization of Education
 - 2.3.3 शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श Aims and Ideals of Education
- 2.4 शिक्षा की पाठ्यचर्या Curriculum of Education
 - 2.4.1 शिक्षण विधियाँ Education Techniques/Methods
 - 2.4.2 अनुशासन Discipline
 - 2.4.3 शिक्षक (उपाध्याय, उपाध्याय) Teachers
 - 2.4.4 शिक्षार्थी (श्रमण, सामनेर) Students
 - 2.4.5 शिक्षक-शिक्षार्थी सम्बन्ध Relationship of Teacher and Student
 - 2.4.6 परीक्षाएँ एवं उपाधियाँ Examinations and Degrees –
- 2.5 शिक्षा के अन्य विशेष पक्ष Other Parts of Education
 - 2.5.1 बौद्धकालीन मुख्य बौद्ध शिक्षा केन्द्र Main Baudh Education Center of Bodh Periods
 - 2.5.2 वैदिक शिक्षा प्रणाली और बौद्ध शिक्षा प्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन Compatative Study of Vedice Education System and Vodh education System
 - 2.5.3 बौद्ध शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन अथवा गुण-दोष विवेचन Explain Merits and Demerits/Evaluation of Bodh Education System
- अपनी उन्नति जानिय Check your Progress
- 2.6 सारांश Summary
- 2.7 शब्दावली Glossary
- 2.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर Answer of practice Questions
- 2.9 सन्दर्भ पुस्तके Book Reference
- 2.10 निबन्धात्मक प्रश्न Essay type Questions

2.1 प्रस्तावना Introduction

बौद्ध काल :- भारतीय संस्कृति संसार की सबसे प्राचीन संस्कृति रही है यहाँ पर अन्यो देशो के व्यक्तियों ने आकर भारतीयों संस्कृति को नष्ट कर दिया। योरोपीय व पश्चिमी देशो से आये आर्यों ने नीग्रो व द्रविडो के साथ धोका करके उनकी सभ्यता व संस्कृति को न केवल नष्ट किया बल्कि उन्हें अपना दास बनाया। कर्म आधारित व्यवस्था को परिवर्तित कर जन्म आधारित व्यवस्था भारत में फलीभूत होने लगी। भारतीय शिक्षा पर ब्राहमण वर्ग का एक छत्र साम्राज्य स्थापित हो गया, शुद्र वर्ग को पूर्ण रूप से शिक्षा से वंचित कर दिया गया। इस कारण वे सरकारी कार्यों व अन्य व्यवसायों से वंचित हो गये। किसी भी देश का इतिहास उठाकर देखिए जब कोई विचारधारा अति को पर करती है तो दूसरी विरोधी विचारधारा को जन्म मिलता है, हमारे देश में भी ऐसा ही हुआ। जब उत्तर वैदिक काल में कठोर वर्ण व्यवस्था ओर कर्मकाण्ड की अति हुई तो इसका विरोध प्रारम्भ हुआ। यूँ तो यह विरोध बहुत पहले चारवाक और आजीवकों ने शुरू कर दिया था परन्तु उनके अपने विचारों के पीछे कोई ठोस दर्शन नहीं था इसलिए उनका प्रभाव जिस तेजी से बढ़ा उसी तेजी से समाप्त हो गया। ई0पू0 563 में भारत की इस पुण्य भूमि पर महात्मा बुद्ध का अवतरण हुआ। यूँ तो वे राजघराने में पैदा हुए थे और उन्हें सभी सुख-सुविधाएँ उपलब्ध थीं परन्तु उन्होंने लोगों के सांसारिक दुःखों की अनुभूति की। उन्होंने इन दुःखों से छुटकारा पाने के उपाय खोजने के लिए तपस्या की और कर्मकाण्ड प्रधान वैदिक धर्म के स्थान पर करुणाप्रधान मानवतावादी बौद्ध धर्म की स्थापना की। भारत में इस धर्म का प्रभाव 500 ई0 से 1200 ई0 तक रहा। इतिहासकार इस काल को बौद्ध काल कहते हैं।

महात्मा बुद्ध ने अपना यह धर्मोपदेश सर्वप्रथम वाराणसी से लगभग 8 किमी0 दूर सारनाथ स्थान पर दिया था। यहाँ से चार शिष्यों के साथ उन्होंने यह कार्य आगे बढ़ाया। इनके इस कार्य में तत्कालीन राजा-महाराजाओं का बड़ा सहयोग रहा। देखते-देखते देश के विभिन्न भागों में बौद्ध मठों और विहारों का निर्माण हो गया। प्रारम्भ में तो ये बौद्ध मठ एवं विहार महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के केन्द्र के रूप में विकसित हुए थे पर आगे चलकर ये जन शिक्षा की व्यवस्था भी करने लगे। इस काल में बौद्ध भिक्षुओं (बौद्ध धर्म प्रचारकों) द्वारा एक नई शिक्षा प्रणाली का विकास किया गया जिसे बौद्ध शिक्षा प्रणाली कहते हैं। बौद्ध शिक्षा प्रणाली इसलिए कि इसका विकास बौद्ध काल में हुआ ओर यह बौद्ध धर्म एवं दर्शन पर आधारित थी, वैदिक धर्म की कठोर वर्ण व्यवस्था और कर्मकाण्ड के प्रतिकूल बौद्ध धर्म समानता, प्रेम और करुणा पर आधारित थी।

2.2 उद्देश्य Objectives

- i. बौद्ध शिक्षा प्रणाली के प्रशासन एवं वित्त के सम्बन्ध में समझ संकेगो।
- ii. शिक्षा की संरचना एवं संगठन का ज्ञान प्राप्त कर सकेगो।
- iii. बौद्ध शिक्षा प्रणाली के शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श को समझ सकेगो।
- iv. बौद्ध शिक्षा प्रणाली शिक्षा की पाठ्यचर्या को जान सकेगो।

v. बौद्धकालीन मुख्य बौद्ध शिक्षा केन्द्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेगो।

2.3 बौद्ध शिक्षा प्रणाली के मुख्य अभिलक्षण Main Feature of Bodh education System

बौद्ध काल में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा एक नई शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ जिसे बौद्ध शिक्षा प्रणाली कहते हैं। यहाँ बौद्ध शिक्षा प्रणाली के मुख्य अभिलक्षणों (Main Features) का क्रमबद्ध वर्णन प्रस्तुत है।

2.3.1 शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त Administation and Finance of Education

बौद्ध शिक्षा प्रणाली के प्रशासन एवं वित्त के सम्बन्ध में तीन तथ्य उल्लेखनीय हैं-

1. शिक्षा पर बौद्ध संघों का नियन्त्रण- बौद्ध भिक्षुओं द्वारा विकसित बौद्ध शिक्षा प्रणाली सीधी बौद्ध संघों के नियन्त्रण में थी, इस पर व्यक्ति विशेष का नहीं, संघ का नियन्त्रण था। संघ ही सभी शिक्षा व्यवस्था को नियंत्रण व संचालित करता था।
2. शासन का संरक्षण प्राप्त- बौद्ध काल में शिक्षा संस्थाओं को शासन का सहयोग वैदिक काल की अपेक्षा बहुत अधिक प्राप्त हुआ। तत्कालीन राजाओं ने इनके भवन निर्माण के लिए धन उपलब्ध कराया और इनके संचालन के लिए गाँव के गाँव दान में दिए, क्योंकि बौद्ध काल में शिक्षा के द्वार सभी के लिये खोल दिये थे। इसलिये शिक्षा का विकास इस समय बहुत तेजी से हुआ।
3. प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क और उच्च शिक्षा सशुल्क- बौद्ध शिक्षा प्रणाली में बच्चों की प्राथमिक एवं उच्च दोनों स्तरों की शिक्षा की व्यवस्था की गई पर प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था निःशुल्क थी और उच्च शिक्षा के छात्रों से शुल्क लिया जाता था।

2.3.2 शिक्षा की संरचना एवं संगठन Structure and Organization of Education

बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिक्षा को तीन स्तरों में बाँटा गया था-

1. प्राथमिक शिक्षा- बौद्ध शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक शिक्षा के द्वार सभी वर्गों के लिये खुलने पर समाज के वंचित वर्ग अपने बच्चों को शिक्षा को दिलाने को लालायित दिखे क्योंकि वैदिक कालीन व्यवस्था में शिक्षा के द्वार सभी वर्गों के लिये नहीं खुले थे। जिनके लिये खुले थे वे भी अपने व्यवसाय की ही शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। शिक्षा की व्यवस्था भी बौद्ध मठों एवं विहारों में की जाती थी। यह 6 वर्ष की आयु से 12 वर्ष की आयु तक चलती थी। प्रवेश के समय बच्चों का पबज्जा संस्कार होता था। बौद्ध ग्रन्थ महावग्ग में इस विधि का सविस्तार वर्णन है।

पबज्जा का अर्थ है- बाहर जाना। क्योंकि उस समय बच्चे शिक्षा हेतु परिवार छोड़कर मठ अथवा विहार में जाते थे इसलिए प्रवेश के समय होने वाले संस्कार को पबज्जा संस्कार कहा जाता था। सर्वप्रथम बच्चे का सिर मुंडाया जाता था। फिर उसके घर के वस्त्र उतार कर पीले वस्त्र पहनाए जाते थे और हाथ में दण्ड दिया जाता था। अब उसे मठ अथवा विहार के प्रवेश अधिकारी भिक्षु (शिक्षक) के सम्मुख उपस्थित किया जाता था। वह अपने मस्तक से भिक्षु के चरण स्पर्श करता था। इसके बाद उसके सम्मुख पालथी मारकर जमीन पर बैठता था। भिक्षु उससे निम्नलिखित तीन प्रणों को ऊँचे स्वर में उच्चारित कराता था। इन तीन प्रणों को सरणत्रय (शरणत्रयी) कहा जाता था। ये तीन प्रण थे-

बुद्धं शरणम् गच्छामि।

धम्मं शरणम् गच्छामि॥

संघ शरणम् गच्छामि॥

इसके बाद गुरु शिष्य को दस उपदेश देता था। इसे दस सिक्खा पदानि कहते थे। ये दस उपदेश थे-

(1) अहिंसा का पालन करना, (2) शुद्ध आचरण करना, (3) सत्य न बोलना, (4) सत आहार लेना, (5) मादक वस्तुओं का प्रयोग न करना, (6) परनिन्दा न करना, (7) श्रृंगार की वस्तुओं का प्रयोग न करना, (8) नृत्य एवं संगीत आदि से दूर रहना, (9) पराई वस्तु ग्रहण न करना। और (10) सोना, चाँदी, हीरा-जवाहरात आदि कीमती दान न लेना।

बच्चा इनके पालन का प्रण लेता था और इसके बाद उसे मठ अथवा विहार में प्रवेश दिया जाता था और अब उसे श्रमण अथवा सामनेर कहा जाता था।

2. उच्च शिक्षा- उच्च शिक्षा में प्रवेश हेतु एक प्रवेश परीक्षा सम्पन्न होती थी और योग्य छात्रों को उच्च शिक्षा में प्रवेश दिया जाता था। यह शिक्षा सामान्यतः 12 वर्ष की आयु पर शुरू होती थी और 20-25 वर्ष की आयु तक चलती थी।

3. उपसम्पदा संस्कार एवं भिक्षु शिक्षा - बौद्ध काल में उच्च शिक्षा की समाप्ति के बाद कुछ छात्र (श्रमण अथवा सामनेर) तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते थे और कुछ भिक्षु शिक्षा में प्रवेश करते थे। भिक्षु शिक्षा में प्रवेश से पहले उनकी पुनः परीक्षा होती थी और परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र श्रमण को दस प्रतिज्ञाओं के अतिरिक्त आठ प्रतिज्ञाएँ और लेनी होती थीं, तब उसे भिक्षु शिक्षा में प्रवेश मिलता था। इसे उपसम्पदा संस्कार कहा जाता था। यह संस्कार दस भिक्षुओं (उपाध्यायों) की उपस्थिति में होता था। सर्वप्रथम श्रमण भिक्षु का वेश (हाथ में कमण्डल और कन्धे पर चीवर) धारण करता था फिर इन दस भिक्षुओं के सम्मुख उपस्थित होता था, उन्हें प्रणाम करता था और आज्ञा मिलने पर हाथ जोड़कर बैठ जाता था। एक भिक्षु श्रमण का परिचय कराता था और अन्य भिक्षु उससे प्रश्न पूछते थे। परीक्षा में सफल श्रमण अब आठ प्रतिज्ञाएँ करता था- (1) वृक्ष के नीचे निवास करना (2) भिक्षा मांगकर भिक्षा

पात्र में भोजन करना (3) भिक्षा द्वारा प्राप्त साधारण वस्त्र पहनना (4) चोरी न करना (5) हत्या न करना (6) मैथुन न करना और (7) अलौकिक शक्तियों का दावा न करना।

इन प्रतिज्ञाओं के लेने के बाद श्रमण को भिक्षु शिक्षा में प्रवेश मिलता था। उस काल में भिक्षु शिक्षा का छात्र अपने गुरु का चुनाव स्वयं करता था। यह शिक्षा 8 वर्ष तक चलती थी। इस शिक्षा को प्राप्त करने के बाद भिक्षु पूर्ण भिक्षु कहलाते थे और अध्यापन एवं धर्म शिक्षा के लिए योग्य माने जाते थे। पर इन कार्यों के सम्पादन के लिए उन्हें आजीवन अविवाहित रहना होता था और संघ के नियमों का कठोरता से पालन करना होता था। असमर्थता प्रकट करने पर ये पूर्ण भिक्षु संघ से अलग हो सकते थे।

2.3.3 शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श Aims and Ideals of Education

बौद्ध काल में जिस बौद्ध शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ उसके उद्देश्य एवं आदर्श अति व्यापक थे। यँ तो ये सामान्यतः वही थे जो वैदिक शिक्षा प्रणाली के थे परन्तु इनका स्वरूप कुछ भिन्न था। यहाँ उन सबका, आज की भाषा में क्रमबद्ध विवेचन प्रस्तुत है।

1. मानव संस्कृति का संरक्षण एवं विकास- बौद्ध धर्म मानव जाति विशेष की नहीं, मानवमात्र की संस्कृति के संरक्षण एवं विकास का पोषक है। यही कारण है कि बौद्ध मठों एवं विहारों में बौद्ध धर्म एवं दर्शन के साथ-साथ अन्य धर्मों, दर्शनों और संस्कृतियों के अध्ययन की व्यवस्था थी। उस काल में सैंकड़ों विद्वान प्राचीन साहित्य के संरक्षण और नवीन साहित्य के निर्माण कार्य में लगे थे। ये प्राचीन ग्रन्थों की हस्तलिखित प्रतियाँ तैयार करते थे और भिन्न-भिन्न भाषाओं में अनुवाद करते थे। इसके साथ-साथ कुछ विद्वान मौलिक साहित्य सृजन भी करते थे और इन सब साहित्य के संरक्षण के लिए उस काल में बड़े-बड़े पुस्तकालयों का निर्माण किया गया था।

2. समाजिक आचरण की शिक्षा - बौद्ध धर्म सामाजिक कल्याण की भावना का पक्षधर रहा है उस समय व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना बहुत बलवती थी गरीब वर्गों पर अत्याचार किया जाता था। इसमें सबसे अधिक बल करुणा और दया पर दिया गया है। बिना करुणा भाव के एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के दुःखों को नहीं समझ सकता। यदि ईमानदारी से सोचें-समझें तो मनुष्य के दुखों का कारण स्वयं मनुष्य ही अधिक होते हैं।

3. ज्ञान का विकास- महात्मा बुद्ध के अनुसार इस संसार के समस्त दुःखों का कारण अज्ञान है अतः उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति के लिए सच्चे ज्ञान के विकास पर बल दिया। बौद्ध शिक्षा का यह प्रमुख उद्देश्य एवं आदर्श था। वैदिक काल में वेद ग्रन्थों के ज्ञान को सच्चा ज्ञान माना जाता था, परन्तु बौद्ध धर्म एवं दर्शन में चार सत्यों का ही वर्णन किया गया है।

4. चरित्र निर्माण- बौद्ध धर्म में आत्मसंयम, करुणा और दया का सबसे अधिक महत्त्व है। बौद्धों की दृष्टि से जो इनका पालन करता है, वही चरित्रवान है। इस चरित्र निर्माण के लिए बौद्ध मठों एवं विहारों में छात्रों को प्रारम्भ से

ही 10 नियमों का पालन कराया जाता था, उन्हें सादा जीवन जीने और विनयपूर्ण व्यवहार करने में प्रशिक्षित किया जाता था और बुरे कर्मों से दूर रखा जाता था।

5. कला-कौशल एवं व्यवसायों की शिक्षा- बौद्ध धर्म मनुष्यों को संसार से विमुख होने का उपदेश नहीं देता, वह तो मनुष्यों को संसार के दुःखों से बचने का उपदेश देता है। तब भूख के दुःख से बचने के लिए कला-कौशल और व्यवसाय कि शिक्षा आवश्यक है। बौद्ध काल तक हमारे देश में कृषि, पशुपालन, कला-कौशल और वाणिज्य के क्षेत्र में काफी प्रगति हो चुकी थी। उत्तर वैदिक काल में व्यवसाय की शिक्षा वर्णानुसार दी जाती थी, बौद्धों ने इसे छात्रों की योग्यता और क्षमता के आधार पर देना शुरू किया। परिणाम यह हुआ कि इस काल में कृषि, पशुपालन, कला-कौशल और वाणिज्य के क्षेत्र में और अधिक प्रगति हुई।

6. बौद्ध धर्म की शिक्षा- यँ तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली में उस समय तक विकसित समस्त मुख्य धर्म एवं दर्शनों की शिक्षा की व्यवस्था की गई थी परन्तु सर्वाधिक बल बौद्ध धर्म की शिक्षा पर ही दिया जाता था और यह पाठ्यचर्या का अनिवार्य अंग थी। छात्रों को सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध द्वारा खोजे चार सत्यों (संसार दुःखमय है, इन दुःखों से छुटकारा सम्भव है, सांसारिक दुःखों से छुटकारा ही निवारण है और विवारण प्राप्ति के लिए जप-तप नहीं, मानवमात्र के प्रति कल्याण की भावना आवश्यक है) का ज्ञान कराया जाता था और इसके बाद उन्हें निवारण की प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग (सम्यक् दृष्टि, सम्यक् संकल्प, सम्यक् कर्मान्त, सम्यक् वाक्, सम्यक् आजीव, सम्यक् व्यायाम, सम्यक् स्मृति और सम्यक् समाधि) में प्रशिक्षित किया जाता था।

2.4 शिक्षा की पाठ्यचर्या Curriculum of Education

बौद्ध शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक, उच्च और भिक्षु, सभी प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था बौद्ध मठों एवं विहारों में होती थी और चूँकि उस समय बौद्ध शिक्षा बौद्ध संघों के नियन्त्रण में थी बौद्ध शिक्षा की पाठ्यचर्या को हम दो आधारों पर देख- समझ सकते हैं। एक उसके स्तरों (प्राथमिक, उच्च और भिक्षु) के आधार पर और दूसरे उसकी प्रकृति (लौकिक एवं धार्मिक) के आधार पर।

1. प्राथमिक स्तर की पाठ्यचर्या- बौद्ध शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक शिक्षा की अवधि 6 वर्ष थी। इस स्तर पर सर्वप्रथम सिद्धरस्त नामक पोथी के द्वारा पाली भाषा के 49 अक्षरों का ज्ञान कराया जाता था और इसके बाद भाषा का पढ़ना-लिखना सिखाया जाता था। तत्पश्चात् शब्द विद्या, शिल्प विद्या, चिकित्सा विद्या, हेतु विद्या, और अध्यात्म विद्या नामक 5 विज्ञान पढ़ाए जाते थे। इस स्तर पर बच्चों को बौद्ध धर्म की सामान्य शिक्षाओं का ज्ञान भी कराया जाता था। साथ ही कुछ कला-कौशलों की सामान्य शिक्षा का शुभारम्भ कर दिया जाता था।

2. उच्च स्तर की पाठ्यचर्या- बौद्ध शिक्षा प्रणाली में उच्च शिक्षा की अवधि सामान्यतः 8 वर्ष थी। इस अवधि में छात्रों को सर्वप्रथम व्याकरण, धर्म, ज्योतिष, आयुर्विज्ञान और दर्शन का सामान्य ज्ञान कराया जाता था और उसके बाद विशिष्ट शिक्षा शुरू की जाती थी। विशिष्ट शिक्षा की पाठ्यचर्या में पाली, प्राकृत और संस्कृत भाषा और इन भाषाओं के व्याकरण एवं साहित्य, खगोलशास्त्र, नक्षत्रशास्त्र, न्यायशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, कला

(चित्रकला, मूर्तिकला और संगीत,) कौशल (कताई, बुनाई और रंगाई आदि) व्यवसाय (कृषि, पशुपालन एवं वाणिज्य आदि), भवन निर्माण विज्ञान, आयुर्विज्ञान, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक धर्म, ईश्वरशास्त्र, तर्क, दर्शन और ज्योतिष, इन सब विषयों एवं क्रियाओं को स्थान दिया गया था।

3. भिक्षु शिक्षा की पाठ्यचर्या- बौद्ध शिक्षा प्रणाली में भिक्षु शिक्षा की अवधि सामान्यतः 8 वर्ष थी, परन्तु जो भिक्षु बौद्ध धर्म-दर्शन का विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, वे अपना अध्ययन आगे भी जारी रख सकते थे। यून तो इन्हें केवल बौद्ध धर्म एवं दर्शन का ही ज्ञान कराया जाता था और उसके लिए इनकी पाठ्यचर्या में बौद्ध साहित्य (त्रिपिटक, सुवन्त, विनय और धम्म) को रखा गया था, परन्तु धर्म के तुलनात्मक अध्ययन हेतु वैदिक धर्म का भी ज्ञान कराया जाता था। साथ ही उन्हें भवन निर्माण और मठों एवं विहारों की सम्पत्ति का लेखा-जोखा रखना सिखाया जाता था।

1. लौकिक पाठ्यचर्या- इसके अन्तर्गत पठन, लेखन, गणित, कला-कौशल और व्यवसायिक शिक्षा (कृषि, पशुपालन, चिकित्सा और वाणिज्य आदि) दी जाती थी।

2. धार्मिक पाठ्यचर्या- धार्मिक पाठ्यचर्या को हम दो भागों में बाँट सकते हैं-

सामान्य छात्रों की और भिक्षुओं की। सामान्य छात्रों के लिए बौद्ध, जैन और वैदिक धर्मों के अध्ययन की सुविधा उपलब्ध थी। भिक्षुओं की धार्मिक शिक्षा थोड़ी विस्तृत थी। उन्हें बौद्ध साहित्य-त्रिपिटक, सुवन्त, विनय और धम्म का विशेष अध्ययन करना होता था, बौद्ध धर्म की तुलना हेतु वैदिक धर्म का अध्ययन करना होता था, मठों के निर्माण का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करना होता था और मठों एवं विहारों की सम्पत्ति का लेखा-जोखा रखना सीखना होता था।

2.4.1 शिक्षण विधियाँ Education Techniques/Methods

बौद्ध काल में बोलचाल की भाषा पाली थी, बौद्धों ने इसी को शिक्षा का माध्यम बनाया। इस काल में मुद्रण कला का तो विकास नहीं हुआ था परन्तु बौद्ध भिक्षुओं ने मुख्य ग्रन्थों की हस्तलिखित प्रतियाँ तैयार कर दी थीं। उन्होंने प्राचीन ग्रन्थों के पाली भाषा में अनुवाद भी कर दिए थे और इन सबको पुस्तकालयों में सुरक्षित रखा था। इन परिस्थितियों में शिक्षण प्रायः मौखिक रूप (व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, तर्क, शास्त्रार्थ और सम्मेलनों) से ही होता था। प्रायोगिक विषयों के शिक्षण के लिए प्रदर्शन, अनुकरण एवं अभ्यास विधियों का प्रयोग किया जाता था।

यहाँ इन सब विधियों के बौद्धकालीन स्वरूप का वर्णन संक्षेप में प्रस्तुत है।

1. प्रश्नोत्तर विधि- प्रश्नोत्तर भी सीखने-सिखाने की स्वाभाविक विधि है। बच्चे प्रारम्भ से ही यह क्या है, यह ऐसा क्यों है, यह ऐसा कैसे हो रहा है आदि प्रश्न पूछते हैं। और बड़े उन्हें इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। बौद्ध काल में इस विधि का प्रयोग इसी रूप में होता था, शिष्य प्रश्न करते थे और भिक्षु (शिक्षक) उत्तर देते थे।

2. अनुकरण विधि- अनुकरण विधि सीखने-सिखाने की स्वाभाविक विधि है। बौद्ध काल में इस विधि का प्रयोग मुख्य रूप से प्राथमिक स्तर पर किया जाता था, भाषा की शिक्षा की शुरुआत तो इसी विधि से की जाती थी। शिक्षक अक्षरों का उच्चारण करते थे, छात्र उनका अनुकरण करते थे, क्रियाप्रधान विषयों के शिक्षण में भी इसी विधि का प्रयोग किया जाता था।
3. व्याख्या विधि- चीनी यात्री हेनसांग ने अपने भारत यात्रा वर्णन में लिखा है। कि शिक्षक छात्रों को पाठ्यवस्तु का अर्थ बताते थे और पाठ्यवस्तु की सविस्तार व्याख्या करते थे इस विधि का प्रयोग उच्च स्तर पर विशेष रूप से किया जाता था।
4. वाद-विवाद एवं तर्क विधियाँ- उस काल में विवादस्पद विषयों का शिक्षा वाद-विवाद और तर्क विधियों से होता था। अपने-अपने मत की पुष्टि में 8 प्रकार के प्रमाण (सिद्धान्त, हेतु, उदाहरण, साधर्म्य, वैधर्म्य, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम) प्रस्तुत किए जाते थे।
5. व्याख्यान विधि- बौद्ध काल में उच्च शिक्षा केन्द्रों में विषय के अधिकारी विद्वान बुलाए जाते थे, उनके व्याख्यान कराए जाते थे, शंका समाधान होता था और इस प्रकार उच्च शिक्षा के छात्र विषयों का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करते थे।
6. सम्मेलन एवं शास्त्रार्थ- बौद्ध काल में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सम्मेलनों का आयोजन भी होता था। इन सम्मेलनों में विषय विशेषज्ञ आमन्त्रित किए जाते थे। इसे विद्वत् सभा भी कहते थे। इन सम्मेलनों में व्याख्यान होते थे और शास्त्रार्थ होता था। उच्च शिक्षा के छात्र इनको सुनते थे और अपनी शंकाओं का समाधान भी करते थे।
7. प्रदर्शन एवं अभ्यास विधि- यह अनुकरण विधि का ही उच्च रूप है। उस काल में इस विधि का प्रयोग विभिन्न कलाओं, शिल्पों, व्यावसायिक विषयों और चिकित्सा विज्ञान आदि के शिक्षण के लिए किया जाता था। उपाध्याय यथा क्रिया को करके दिखाते थे, छात्र उनका अनुकरण करते थे, फिर यथा क्रिया को बार-बार करके अभ्यास करते थे और उसमें दक्षता प्राप्त करते थे।
8. देशाटन- इस विधि का प्रयोग मुख्य रूप से भिक्षु शिक्षा में किया जाता था। भिक्षु शिक्षा के भिक्षुओं को देशाटन के अवसर प्रदान किए जाते थे, उन्हें वास्तविकता जगत को जानने के अवसर दिए जाते थे, मानव समाज की वास्तविकता स्थिति को जानने के अवसर दिए जाते थे और धर्म प्रचार का प्रशिक्षण दिया जाता था।

2.4.2 अनुशासन Discipline

बौद्ध काल में गुरु और शिष्य दोनों को बौद्ध मठों के नियमों का कठोरता के साथ पालन करना होता था। सामान्य छात्रों को पबज्जा संस्कार के समय बताए गए 10 नियमों (अहिंसा का पालन करना, शुद्ध आचरण करना, सत्य बोलना, सत् आहार लेना, मादक वस्तुओं का प्रयोग न करना, पर निन्दा न करना, श्रृंगार की वस्तुओं का प्रयोग न करना, नृत्य एवं संगीत से दूर रहना, पराई वस्तु ग्रहण न करना, कीमती दान न लेना) का पालन करना होता था।

और भिक्षु की शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को इनके अतिरिक्त 8 और नियमों (वृक्ष के नीचे निवास करना, सादे वस्त्र धारण करना, भिक्षा माँगकर भोजन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, चोरी न करना, हिंसा से दूर रहना और अलौकिक शक्तियों का दावा न करना) का पालन करना होता था। उस काल में इन नियमों के पालन को ही अनुशासन कहा जाता था। बौद्ध काल में मास में सामान्यतः दो बार छात्र और शिक्षक एक स्थान पर एकत्रित होते थे, अत्मनिरीक्षण करते थे और अपने दोष स्वीकार करते थे। इससे उनमें आत्मानुशासन का विकास होता था। उस काल में गुरु और शिष्य दोनों एक-दूसरे के आचरण पर दृष्टि रखते थे, दोनों एक-दूसरे को सचेत रखते थे और किसी के द्वारा भी नियम भंग होने पर उन्हें दण्ड दिया जाता था। छात्रों को यह दण्ड भिक्षु देते थे पर शारीरिक दण्ड का इस युग में निषेध था। संघ की मर्यादा भंग करने, भिक्षु (शिक्षक) का अपमान करने और शादी करने जैसे अपराध करने वाले छात्रों को मठ एवं विहारों से निकाल दिया जाता था।

2.4.3 शिक्षक (उपाध्याय, उपाध्याय) Teachers

बौद्ध काल में प्राथमिक एवं उच्च, दोनों प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था बौद्ध मठों एवं विहारों में होती थी। उस काल में बौद्ध भिक्षु ही शिक्षण कार्य करते थे और जो बौद्ध भिक्षु शिक्षण कार्य करते थे उन्हें उपाध्याय (उपाध्याय) कहा जाता था। उपाध्याय बनने के लिए पहली अनिवार्यता थी- उच्च शिक्षा के बाद 8 वर्ष तक बौद्ध धर्म की उच्च शिक्षा प्राप्त करना, दूसरी अनिवार्यता थी- बौद्ध धर्मावलम्बी होना, तीसरी अनिवार्यता थी- आजीवन अविवाहित रहना और चौथी अनिवार्यता थी- बौद्ध संघों के नियमों का कठोरता से पालन करना। उस समय अति विद्वान, आत्मसंयमी और चरित्रवान भिक्षु ही उपाध्याय हो सकते थे। बौद्ध उपाध्याय अपने शिष्यों (श्रमणों) के आवास एवं भोजन की व्यवस्था करते थे, उनका ज्ञानवर्द्धन करते थे।

2.4.4 शिक्षार्थी (श्रमण, सामनेर) Students

बौद्ध काल में शिक्षार्थियों को श्रमण अथवा सामनेर कहा जाता था। इन्हें बौद्ध मठों एवं विहारों में रहना अनिवार्य था। ये बौद्ध मठों एवं विहारों के नियमों का कठोरता से पालन करते थे। इन्हें मूल रूप से दस आदेशों का पालन करना होता था। ये दस आदेश थे-

- (1) अहिंसा का पालन करना, (2) निन्दा न करना, (3) सत् आहार लेना, (4) सत्य बोलना, (5) मादक पदार्थों का सेवन न करना, (6) पराई वस्तु ग्रहण न करना, (7) श्रृंगार की वस्तुओं का प्रयोग न करना, (8) सोना, चाँदी, हीरा, जवाहरात आदि कीमती दान न लेना, (9) शुद्ध आचरण करना और (10) नृत्य एवं संगीत आदि से दूर करना।

2.4.5 शिक्षक-शिक्षार्थी सम्बन्ध Relationship of Teacher and Student

बौद्ध काल में गुरु शिष्यों को पुत्रवत् मानते थे और शिष्य गुरुओं को पिता तुल्य मानते थे। उस समय गुरु प्रायः मठों एवं विहारों के प्रशासन एवं शैक्षणिक कार्य की व्यवस्था देखते थे और शिष्य उनके आदेशानुसार विभिन्न

कार्यों का सम्पादन करते थे। यहाँ बौद्धकालीन गुरुओं के शिष्यों के प्रति और शिष्यों के गुरुओं के प्रति उत्तरदायित्व एवं कार्यों का वर्णन संक्षेप में प्रस्तुत है।

गुरुओं के शिष्यों के प्रति उत्तरदायित्व- बौद्ध काल में गुरु शिष्यों के प्रति निम्नलिखित उत्तरदायित्वों का निर्वाह करते थे-

- (1) शिष्यों के आवास एवं भोजन की व्यवस्था करना।
- (2) शिष्यों के स्वास्थ्य की देखभाल करना, उनके अस्वस्थ होने पर उपचार की व्यवस्था करना।
- (3) शिष्यों को पाली भाषा एवं बौद्ध धर्म का ज्ञान कराना।
- (4) शिष्यों को उनकी योग्यता एवं क्षमतानुसार विशिष्ट ज्ञान कराना।
- (5) शिष्यों को करणीय कर्मों की शिक्षा देना और उन्हें अकरणीय कर्मों से रोकना।
- (6) शिष्यों के आचरण पर दृष्टि रखना और उनका चरित्र निर्माण करना।

शिष्यों के गुरुओं के प्रति कर्तव्य- बौद्ध काल में शिष्य गुरुओं के प्रति निम्नलिखित कर्तव्यों का निर्वाह करते थे-

- (1) गुरुओं के जागने से पहले शैयाँ त्यागना, गुरुओं के लिए दाँतून व स्नानादि की व्यवस्था करना।
- (2) मठों एवं विहारों की व्यवस्था में गुरुओं का सहयोग करना और उनके आदेशानुसार कार्यों का सम्पादन करना।
- (3) मठ एवं विहार निवासियों के लिए गुरुओं के साथ भिक्षा मांगने जाना।
- (4) गुरुओं की अन्य सभी प्रकार से सेवा करना।
- (5) गुरुओं के आचरण पर दृष्टि रखना और उनके भूल करने पर संद्य को सूचित करना।

2.4.6 परीक्षाएँ एवं उपाधियाँ Examinations and Degrees –

बौद्ध काल में आज की तरह परीक्षाएँ नहीं होती थीं। प्राथमिक स्तर पर तो अधिकारी शिक्षक सन्तुष्ट होने पर उन्हें सफल उद्घोषित करते थे। इस स्तर पर उत्तीर्ण छात्रों की किसी प्रकार का प्रमाणपत्र नहीं दिया जाता था। उच्च स्तर पर भिक्षुओं (शिक्षकों) का एक पैनल छात्रों की मौखिक रूप से परीक्षा लेता था और सफल छात्रों को उपाधियाँ दी जाती थीं।

2.5 शिक्षा के अन्य विशेष पक्ष Other Parts of Education

बौद्ध काल में यूँ तो सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार की शिक्षा की उत्तम व्यवस्था थी परन्तु उस काल में स्त्री शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा का स्वरूप आज से कुछ भिन्न था। अतः यहाँ उन सबका वर्णन संक्षेप में प्रस्तुत है।

- i. स्त्री शिक्षा- बौद्ध काल के प्रारम्भ में तो बौद्ध मठों एवं विहारों में स्त्रियों को प्रवेश नहीं दिया जाता था परन्तु बाद में महात्मा बुद्ध ने अपनी विमाता महाप्रजामति और अपने प्रिय शिष्य आनन्द के आग्रह पर उनके प्रवेश की अनुमति प्रदान की। उस काल में स्त्रियों को भी पुरुषों की भाँति संघ के कठोर नियमों का पालन करना होता था। यूँ सहशिक्षा मठों एवं विहारों में स्त्रियों के रहने के लिए अलग व्यवस्था थी और साथ ही कुछ मठ एवं विहारों में केवल स्त्री शिक्षा की ही व्यवस्था की गई थी परन्तु फिर भी बहुत कम बालिकाएँ इनमें प्रवेश लेती थीं। सचमुच संघ के नियमों का पालन करना बालिकाओं के लिए एक कठिन कार्य था। कुछ विद्वान इस युग की कुछ विदुषी महिलाओं- शीलभट्टारिका, विजयांका और प्रभुदेवी (कवयित्री), रानी नयनिका और रानी प्रभावती गुप्त (राजनीति की विद्वान), सम्राट अशोक की बहिन (संघमित्र) (धर्म विशेषज्ञा) और सम्राट हर्षवर्धन की बहिन (शास्त्रार्थ में निपुण) के नामों का उल्लेख कर यह बताने का असफल प्रयास करते हैं कि उस युग में स्त्री शिक्षा की अच्छी व्यवस्था थी परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं था, इस काल में तो स्त्री शिक्षा और अधिक पिछड़ गई थी।
- ii. व्यावसायिक शिक्षा- बौद्ध काल में कला-कौशल और वाणिज्य के क्षेत्र में बड़ी उन्नति हुई। यह काल भारत के इतिहास का स्वर्णकाल माना जाता है। उस काल में बच्चों को अपनी योग्यता एवं क्षमतानुसार विभिन्न कला-कौशलों एवं व्यावसायों की शिक्षा दी जाती थी। बौद्ध ग्रंथ महावग्ग में ऐसा उल्लेख है कि उस काल में बौद्ध भिक्षुओं को कताई, बुनाई और सिलाई का प्रशिक्षण दिया जाता था और अन्य छात्रों को कृषि, पशुपालन और वाणिज्य की शिक्षा दी जाती थी। उस काल में चित्रकला, मूर्तिकला और भवन निर्माण कला आदि की शिक्षा की भी उत्तम व्यवस्था थी। बौद्धों के ग्रन्थ मल्लिन्दपान्ह में 18 शिल्पों (शिल्पों) की शिक्षा की व्यवस्था का वर्णन है। उस काल में भिन्न-भिन्न मठों एवं विहारों में भिन्न-भिन्न शिल्पों की शिक्षा दी जाती थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय में दस शिल्पों की शिक्षा की व्यवस्था थी। उस काल में आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत विकास हुआ। वैद्यराज धन्वन्तरि और चरक एवं शल्य चिकित्सक जीवक और सश्रुत इसी काल में हुए थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा का मुख्य केन्द्र था।

2.5.1 बौद्धकालीन मुख्य बौद्ध शिक्षा केन्द्र Main Baudh Education Center of Bodh Periods

बौद्ध काल में प्रायः सभी मठों एवं विहारों में शिक्षा की व्यवस्था की गई थी, कुछ में केवल प्राथमिक शिक्षा की, कुछ में प्राथमिक और उच्च शिक्षा दोनों की और कुछ में केवल उच्च शिक्षा की। इनमें से तक्षशिला, नालन्दा, वल्लभी और विक्रमशिला उस समय के विश्वख्यात विश्वविद्यालय थे। यहाँ इनका वर्णन संक्षेप में प्रस्तुत है।

I तक्षशिला विश्वविद्यालय

तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर से लगभग 35 किमी० की दूरी पर स्थित था। वैदिक काल में यह वैदिक शिक्षा का मुख्य केन्द्र था। बौद्ध काल में यह बौद्ध शिक्षा के मुख्य केन्द्र के रूप में विकसित हुआ। प्रारम्भ में यहाँ केवल एक विहार का निर्माण हुआ था पर आगे चलकर यहाँ अनेक विहारों का निर्माण हुआ, बड़े-बड़े शिक्षण कक्ष बने, बड़े-बड़े सभाभवन बने विशाल पुस्तकालय भवन बना, बड़े-बड़े शिक्षक निवास बने, बड़े-बड़े छात्रावास बने और भोजनालय आदि बने और यह एक उच्च श्रेणी के विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ। इस विश्वविद्यालय का प्रमुख भिक्षु कुलपति होता था। उसकी अध्यक्षता में अनेक समितियों का गठन किया जाता था जो विश्वविद्यालय के भिन्न-भिन्न कार्यों के सम्पादन और देख-रेख के लिए उत्तरदायी होती थीं।

इस विश्वविद्यालय में किसी भी क्षेत्र के किसी भी जाति के बच्चों को प्रवेश का अधिकार था। प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 16 वर्ष थी। प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा होती थी, केवल सफल छात्रों को ही प्रवेश दिया जाता था। प्रवेश के समय प्रत्येक छात्र को 1000 तत्कालीन मुद्राएँ देनी होती थीं। जो छात्र प्रवेश के समय 1000 मुद्राएँ एक मुश्त नहीं दे पाते थे वे सुविधानुसार दे सकते थे और जो छात्र यह शुल्क देने में असमर्थ होते थे वे सेवा कार्य करते हुए शिक्षा प्राप्त कर सकते थे।

II नालन्दा विश्वविद्यालय:-

नालन्दा विश्वविद्यालय संसार का सबसे पहला विश्वविद्यालय था। यह विश्वविद्यालय वर्तमान बिहार प्रान्त के पटना नगर से लगभग 75 किमी० की दूरी पर स्थित था। यह 550 ई० पू० से 450 ई० तक के 1000 वर्ष लम्बे काल में बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केन्द्र रहा। 5वीं शताब्दी के मध्य में बर्बर हूणों ने इसे नष्ट कर दिया। 5 वीं शताब्दी में जब चीनी यात्री फाहियान भारत आया था तब इसका महत्त्व समाप्त हो चुका था। अब वहाँ इसके कुछ खण्डहर ही अवशेष हैं। यँ यह संसार का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय होने के कारण मानव जाति की धरोहर है। यूनेस्को ने भी इसे अन्तर्राष्ट्रीय ऐतिहासिक धरोहर माना है।

यह महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य सारिपुत्र की जन्म भूमि थी। यहाँ प्रथम विहार का निर्माण बौद्ध धर्मावलम्बी सम्राट अशोक ने ई० पू० तीसरी शताब्दी में कराया था। ई० पू० द्वितीय शताब्दी में यह शिक्षण केन्द्र के रूप में विकसित हुआ। विश्वविद्यालय तीन भवनों में बँटा था- रत्नसार, रत्नोदधि और रत्नरंजक। रत्नसार में सभी धर्मों से सम्बन्धित

पुस्तकें थीं, रत्नोदधि में विज्ञान आदि से सम्बन्धित पुस्तकें थीं और रत्नरजंक में सभी कलाओं से सम्बन्धित पुस्तकें थीं। इस पुस्तकालय में कुल मिलाकर हजारों पुस्तकें थीं और सैकड़ों विद्वान ग्रन्थों की प्रतियाँ तैयार करने और एक भाषा के ग्रन्थों का दूसरी भाषा में अनुवाद करने में लगे थे।

हेनसांग के समय (7वीं शताब्दी) में इसमें 1500 भिक्षु (उपाध्याय, शिक्षक) थे। शीलभद्र इसके कुलपति थे। उस काल के मूर्धन्य विद्वान नागार्जुन इसी विश्वविद्यालय के शिक्षक थे। हेनसांग के समय इसमें देश-विदेश के 10,000 छात्र अध्ययनरत थे। विदेशी छात्रों में चीन, तिब्बत, जापान, कोरिया, बर्मा, सुमात्रा, जावा और लंका के छात्र थे। छात्रों के रहने के लिए छात्रावास थे।

III वल्लभी विश्वविद्यालय

वल्लभी नगर भारत के पश्चिम में वर्तमान गुजरात प्रान्त के काठियावाड़ के निकट स्थित था। चौथी शताब्दी में यह मैत्रक नरेशों की राजधानी था। राजधानी के साथ-साथ यह उस समय अन्तर्राष्ट्रीय बन्दरगाह था और व्यापार का मुख्य केन्द्र था। ऐसा उल्लेख मिलता है कि उस समय इस नगर में 100 करोड़पति (आज के अरबपति) नागरिक रहते थे। इस विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा होती थी और सफल छात्रों को बिना किसी भेदभाव के प्रवेश दिया जाता था। इस विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य बड़े-बड़े कक्षों में होता था और सामूहिक रूप से होता था। हेनसांग की यात्रा के समय (7वीं शताब्दी) में इसमें 200 विद्वान शिक्षण कार्य करते थे। यँ इस विश्वविद्यालय के शिक्षकों को अपेक्षाकृत अधिक सुविधाएँ प्राप्त थीं पर वे एकदम सादा एवं संयमित जीवन जीते थे। हेनसांग के समय इसमें 6000 छात्र थे। सभी छात्र सादा एवं संयमित जीवन जीते थे। वल्लभी विश्वविद्यालय उस समय का विश्वविख्यात विश्वविद्यालय था। इसमें देश-विदेश के छात्र शिक्षा प्राप्त करते थे। 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक यह पश्चिम भारत में शिखा का मुख्य केन्द्र रहा। इस विश्वविद्यालय के स्नातकों को शासन में उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। 12वीं शताब्दी में यह विनाश को प्राप्त हो गया।

IV विक्रमशिला विश्वविद्यालय

यह विश्वविद्यालय मगध में गंगा तट पर एक पहाड़ी के ऊपर स्थित था। इसका निर्माण पालवंश के राजा धर्मपाल (770-810) ने आठवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में कराया था। इस विश्वविद्यालय में बड़े-बड़े अध्ययन कक्ष, सभा भवन शिक्षक निवास भवन छात्रावास थे। विश्वविद्यालय भवन के केन्द्र में महाबोधि (भगवान बुद्ध) की मूर्ति स्थापित थी और उसके चारों ओर 108 मन्दिर थे। इस विश्वविद्यालय के चारों ओर पक्की चारदीवारी थी जिसमें 6 द्वार थे। इस विश्वविद्यालय में एक विशाल पुस्तकालय था जिसमें हजारों अलभ्य पुस्तकें थीं। विश्वविद्यालय का प्रमुख भिक्षु (कुलपति) विश्वविद्यालय के भिक्षुओं (शिक्षकों) द्वारा निर्वाचित होता था। शिक्षक- इसमें 108 भिक्षु शिक्षण कार्य करते थे। ये सभी सादा एवं संयमित जीवन जीते थे। शिक्षार्थी- इस विश्वविद्यालय में 3000 छात्र पढ़ते थे। छात्र भी सादा एवं संयमित जीवन जीते थे। भिक्षुओं के पैनल द्वारा मौखिक परीक्षा होती थी। सफल छात्रों को उपाधियाँ और प्रमाणपत्र दिए जाते थे। 8 वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के अन्त तक यह विश्वविद्यालय शिक्षा का

मुख्य केन्द्र रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गद्दी पर बैठते ही 1203 में इसे भी अपने सेनापति बख्तियार खिलजी से नष्ट करवा दिया था।

2.5.2 वैदिक शिक्षा प्रणाली और बौद्ध शिक्षा प्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन Comparative Study of Vedic Education System and Voth education System

भारत में वैदिक काल (2500 ई० पू० से 500 ई० पू०) में जिस शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ उसे वैदिक शिक्षा प्रणाली कहते हैं और उसके बाद बौद्ध काल (500 ई० पू० से 1200 ई०) में बौद्धों द्वारा जिस शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ उसे बौद्ध शिक्षा प्रणाली कहते हैं। यहाँ वैदिक शिक्षा प्रणाली और बौद्ध शिक्षा प्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत है, उनकी समानताएँ और असमानताएँ प्रस्तुत हैं।

वैदिक शिक्षा प्रणाली और बौद्ध शिक्षा प्रणाली में समानताएँ

- (1) दोनों शिक्षा प्रणालियों में शिक्षा राज्य के नियन्त्रण से मुक्त थी।
- (2) दोनों शिक्षा प्रणालियों में शिक्षण संस्थाओं की आय के मुख्य स्रोत दान और भिक्षा थे।
- (3) दोनों शिक्षा प्रणालियों में शिक्षा का संगठन प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा, दो स्तरों में किया गया था।
- (4) दोनों शिक्षा प्रणालियों में शिक्षा के उद्देश्य लगभग समान थे और छात्रों के चरित्र निर्माण पर विशेष बल दिया जाता था।
- (5) दोनों शिक्षा प्रणालियों की पाठ्यचर्या में तब तक विकसित समस्त ज्ञान एवं कला-कौशलों को स्थान दिया गया था।
- (6) दोनों शिक्षा प्रणालियों में सामान्य विषय पढ़ाने के लिए मौखिक विधियों (व्याख्या, व्याख्यान, प्रश्नोत्तर एवं वाद-विवाद) का और क्रियात्मक विषय पढ़ाने के लिए प्रदर्शन एवं अभ्यास विधियों का प्रयोग किया जाता था।
- (7) दोनों शिक्षा प्रणालियों में शिक्षकों के लिए योग्य एवं संयमी होना आवश्यक था और शिक्षकों को समाज में उच्च स्थान प्राप्त था।
- (8) दोनों शिक्षा प्रणालियों में शिक्षार्थी को शिक्षा संस्थाओं के नियमों का कठोरता से पालन करना होता था, वे सादा एवं संयमित जीवन जीते थे और व्यसनों से दूर रहते थे।
- (9) वे दोनों शिक्षा-प्रणालियों में शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच पवित्र और मधुर सम्बन्ध थे।
- (10) दोनों शिक्षा प्रणालियों में शिक्षक संस्थाएँ आवासीय थीं, इनमें प्रवेश के समय छात्रों का क्रमशः उपनयन और पबज्जा संस्कार होता था और इनकी व्यवस्था शिक्षक और शिक्षार्थी संयुक्त रूप से करते थे।

वैदिक शिक्षा प्रणाली और बौद्ध शिक्षा प्रणाली में असमानताएँ

- (1) वैदिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षा पर गुरुओं का नियन्त्रण था, बौद्ध शिक्षा प्रणाली में यह बौद्ध संघों के नियन्त्रण में थी।
- (2) वैदिक शिक्षा प्रणाली में केवल शिष्य भिक्षा माँगते थे और बोलकर माँगते थे., बौद्ध शिक्षा प्रणाली में गुरु और शिष्य दोनों भिक्षा माँगते थे और मौन होकर माँगते थे।
- (3) वैदिक शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था परिवारों में होती थी, बौद्ध शिक्षा प्रणाली में इसकी शिक्षा की व्यवस्था मठों एवं विहारों में होती थी।
- (4) वैदिक शिक्षा प्रणाली में वैदिक धर्म की शिक्षा अनिवार्य थी, बौद्ध शिक्षा प्रणाली में बौद्ध धर्म की शिक्षा अनिवार्य थी।
- (6) वैदिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का माध्यम विशुद्ध भाषा संस्कृत थी, बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का माध्यम लोक भाषा पाली थी।
- (7) वैदिक शिक्षा प्रणाली में आन्तरिक अनुशासन पर अधिक बल रहता था, बौद्ध शिक्षा प्रणाली में बाह्य अनुशासन पर।
- (8) वैदिक शिक्षा प्रणाली में केवलगुरु ही छात्रों के आचरण पर दृष्टि रखते थे, बौद्ध शिक्षा प्रणाली में गुरु और शिष्य दोनों एक-दूसरे के आचरण पर दृष्टि रखते थे।
- (9) वैदिक शिक्षा प्रणाली में केवल ब्राह्मण वर्ण के व्यक्ति ही शिक्षण कार्य करते थे, बौद्ध शिक्षा प्रणाली में किसी भी वर्ण के व्यक्ति (पुरुष अथवा स्त्री) भिक्षु शिक्षा प्राप्त करने के बाद शिक्षण कार्य कर सकते थे।
- (10) वैदिक शिक्षा प्रणाली की अपेक्षा बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिक्षार्थियों को अधिक संयम से रहना होता था।

2.5.3 बौद्ध शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन अथवा गुण-दोष विवेचन Explain Merits and Demerits/Evaluation of Bodh Education System

वर्तमान भारत के सन्दर्भ में बौद्ध शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन अथवा गुण-दोष विवेचन प्रस्तुत है।

बौद्ध शिक्षा प्रणाली के गुण:- यदि हम बौद्ध शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन अपने देश भारत की वर्तमान परिस्थितियों और इसकी भविष्य की आकांक्षाओं और सम्भावनाओं के आधार पर करें तो उसमें निम्नलिखित गुण स्पष्ट होंगे। इन गुणों को हमें अपनी शिक्षा प्रणाली में आज भी अपनाना चाहिए।

1. केन्द्रीय प्रशासन- वैदिक काल में शिक्षा गुरुओं के व्यक्तिगत नियन्त्रण में थी, बौद्ध काल में यह संघों के केन्द्रिय नियन्त्रण में हो गई जिससे शिक्षा के स्वरूप में एकरूपता आई और उसका प्रशासन सुचारू रूप से हुआ। आज के लोकतन्त्रीय भारत में शक्ति के विकेन्द्रीयकरण का नारा अवश्य बुलन्द है परन्तु शिक्षा को उचित स्वरूप और गति देने के लिए उस पर केन्द्रीय नियन्त्रण (केन्द्र सरकार का नियन्त्रण) का होना आवश्यक है।
2. प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क और उच्च शिक्षा सशुल्क- बौद्ध शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क थी और उच्च शिक्षा में शुल्क लिया जाता था। सामान्य शिक्षा मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है इसलिए किसी भी लोकतन्त्रीय देश में एक निश्चित स्तर तक की शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य होनी चाहिए। बौद्ध काल में उच्च शिक्षा में प्रवेश योग्यता के आधार पर दिया जाता था और इस स्तर के छात्रों से शुल्क लिया जाता था। सच बात यह है कि उच्च शिक्षा सही रूप में योग्य व्यक्ति ही प्राप्त कर सकते हैं।
3. सभी को शिक्षा के समान अवसर- बौद्ध शिक्षा प्रणाली में सभी वर्णों के बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। इस प्रणाली में जाति और लिंग के आधार पर कोई अन्तर नहीं किया जाता था। आज हम इसकी आवश्यकता तो समझते ही हैं, साथ ही सबको शिक्षा के समान अवसर भी सुलभ कराना चाहते हैं।
4. शिक्षा की विस्तृत पाठ्यचर्या और विशिष्टीकरण- बौद्ध शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक एवं उच्च, दोनों स्तरों की पाठ्यचर्या अति विस्तृत थी और उच्च स्तर के छात्रों को विशिष्टीकरण की सुविधा थी। छात्र धर्म, दर्शन, कला-कौशल, व्यवसाय और राजनीति आदि में विशिष्ट योग्यता प्राप्त करते थे। इस प्रणाली में चिकित्सा विज्ञान और शल्य चिकित्सा की उच्च शिक्षा की भी व्यवस्था थी। किसी देश के विकास का आधार सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार की शिक्षा होती है।
5. शिक्षण की मौखिक विधियों में सुधार और स्वाध्याय विधि का विकास- बौद्ध शिक्षा प्रणाली के विकास के साथ शिक्षण की मौखिक विधियों में सुधार किया गया, उनमें छात्रों की भागीदारी को महत्त्व दिया गया। इस काल में अनेक ग्रन्थों की हस्तलिखित प्रतियाँ तैयार की गईं, उन्हें पुस्तकालयों में स्थान दिया गया और उच्च शिक्षा के छात्रों को स्वाध्याय द्वारा ज्ञान प्राप्ति के अवसर दिए गए। आज तो यह बात सभी स्वीकार करते हैं कि पुस्तकालय शिक्षकों के पूरक होते हैं। इस क्षेत्र में हम बौद्ध शिक्षा प्रणाली के ऋणी हैं।
6. शिक्षा का माध्यम लोकभाषा- वैदिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का माध्यम शिष्ट भाषा संस्कृत थी, बौद्ध शिक्षा प्रणाली में उस समय की लोकभाषा पाली को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। इसका लाभ यह हुआ कि सामान्य परिवारों के बच्चों को भी शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा हुई।
7. गुरु-शिष्य का अनुशासित जीवन- बौद्ध शिक्षा प्रणाली में गुरु और शिष्य दोनों संघों के नियमों का कठोरता से पालन करते थे और सबसे बड़ी बात यह है कि ये दोनों एक-दूसरे के आचरण पर दृष्टि रखते थे। भूल होने पर आम

सभा में भूल स्वीकार की जाती थी, पश्चाताप किया जाता था आज की परिस्थितियों में हम कठोर नियमों की वकालत तो नहीं करते पर नियमों की वकालत अवश्य करते हैं और उनके पालन की आवश्यकता पर बल देते हैं।

8. गुरु और शिष्यों के बीच पवित्र एवं मधुर सम्बन्ध- बौद्ध शिक्षा प्रणाली का आधार बौद्ध धर्म था जिसमें मानवमात्र के कल्याण की बात है, करुणा और दयाभाव की बात है। यही कारण है कि बौद्ध शिक्षा केन्द्रों में गुरु और शिष्यों के बीच पवित्र एवं मधुर सम्बन्ध थे, गुरु शिष्यों को पुत्रवत् मानते थे और शिष्य गुरुओं को पितातुल्य मानते थे और दोनों एक-दूसरे के प्रति कर्तव्यों का पालन पूर्ण निष्ठा से करते थे।

9. सुसंगठित शिक्षा केन्द्रों की स्थापना- यदि आप भारत की शिक्षा के इतिहास पर दृष्टिपात करें तो होगा कि अपने देश में विद्यालयी शिक्षा और कक्षा शिक्षण का शुभारम्भ बौद्ध शिक्षा प्रणाली में हुआ था। उस काल के मठ और विहार आज के विद्यालयों के रूप में विकसित हुए थे और उनमें एक स्तर छात्रों को बड़े-बड़े कक्षों में एक साथ बैठाकर पढ़ाया जाता था। इतना ही नहीं अपितु इस शिक्षा प्रणाली में उच्च शिक्षा के लिए विश्वविख्यात विश्वविद्यालयों (तक्षशिला, नालन्दा और विक्रमशिला आदि) का निर्माण भी हुआ था जिनमें देश-विदेश के छात्र उच्च शिक्षा ग्रहण करते थे।

10. स्त्रियों के लिए समान शिक्षा- बौद्ध शिक्षा प्रणाली में स्त्रियों को पुरुषों की भाँति किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, यह बात दूसरी है कि उस समय उन्हें शिक्षा प्राप्त करने की समान सुविधा उपलब्ध नहीं थी। आज स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने के समान अधिकार के साथ समान सुविधा प्रदान करने का नारा बुलन्द है। हमारे देश में भी यह प्रयत्न किया जा रहा है।

11. कला-कौशल एवं व्यावसायिक शिक्षा का उत्तम प्रबन्ध- बौद्ध शिक्षा प्रणाली में कला-कौशलों, व्यवसायों और भवन निर्माण विज्ञान तथा चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा की उत्तम व्यवस्था थी। यही कारण है कि उस काल में इन सब क्षेत्रों में बहुत विकास हुआ। आज इस क्षेत्र में विज्ञान एवं तकनीकी का प्रवेश हो चुका है

बौद्ध शिक्षा प्रणाली के दोष:- बौद्ध शिक्षा प्रणाली अपने समय की संसार की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रणाली थी। यदि हम उसे आज की अपनी परिस्थितियों के आधार पर देखें-परखें तो उसमें अनेक दोष पाएँगे। उन दोषों को हम निम्नलिखित रूप में क्रमबद्ध कर सकते हैं-

1. आय के अनिश्चित स्रोत एवं भिक्षाटन- बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का प्रशासन बौद्ध संघों के हाथों में था। यूँ इन्हें राज्यों का संरक्षण प्राप्त था परन्तु यह राज्यों पर निर्भर करता था कि वे इन्हें कितनी आर्थिक सहायता दें। भोजन आदि की व्यवस्था भिक्षा द्वारा होती थी, गुरु और शिष्य दोनों भिक्षा माँगने जाते थे

2. शिक्षा के उद्देश्यों में संतुलन का अभाव- यूँ बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिक्षा के व्यापक उद्देश्य थे, शिक्षा द्वारा बच्चों के ज्ञान में विकास किया जाता था, अनका चरित्र निर्माण किया जाता था और उन्हें उनकी योग्यतानुसार

विभिन्न कला-कौशलों और व्यवसायों की शिक्षा दी जाती थी परन्तु वास्तविकता यह है कि सबसे आधिक बल धार्मिकता के विकास पर दिया जाता था।

3. बोलोचित शिश्रण विधियों का प्रयोग नहीं- बौद्ध शिक्षा प्रणाली में विकसित बालोचित नाटक एवं कहानी विधियों का प्रयोग किया और न ही किन्हीं अन्य बालोचित विधियों का विकास किया, केवल अनुकरण विधि को अपनाया और रटने पर अधिक बल दिया। आज भिन्न-भिन्न विधियों से पढ़ाने पर बल दिया जाता है। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए।

4. कठोर अनुशासन- बौद्ध शिक्षा प्रणाली में पबज्जा संस्कार में स्वीकार किए गए दस नियमों और बौद्ध मठों एवं विहारों के नियमों का पालन करने को ही अनुशासन माना जाता था। ये नियम सचमुच बहुत कठोर थे, बाल, किशोर एवं युवा मनोविज्ञान के प्रतिकूल थे।

5. स्त्री शिक्षा में हास- यूँ बौद्ध शिक्षा प्रणाली में स्त्रियों को पुरुषों की भाँति किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था परन्तु उन्हें भी पुरुष छात्रों की भाँति श्रमण जीवन के कठोर नियमों का पालन करना होता था और बौद्ध मठों एवं विहारों के नियमानुसार जीवन जीना होता था। परिणामतः बहुत कम बालिकाएँ ही बौद्ध मठों एवं विहारों में प्रवेश लेती थीं।

6. सैनिक शिक्षा का आभाव- बौद्ध अहिंसा के पुजारी थे, युद्धों को अनावश्यक समझते थे इसलिए उन्होंने अपने कुछ शिक्षा केन्द्रों में ही सैनिक शिक्षा की व्यवस्था की थी। बौद्धों ने एक ओर देशवासियों में अहिंसा की भावना का विकास किया और दूसरी ओर सैनिक शक्ति में हास किया, परिणामतः आगे चलकर देश को विदेशियों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी।

6. धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा के नाम पर बौद्ध धर्म की शिक्षा- बौद्ध शिक्षा प्रणाली में बौद्ध धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी और श्रमणों (छात्रों) के लिए इस धर्म के अनुसार आचरण करना अनिवार्य था। इससे दो हानियाँ हुई- पहली यह कि अन्य धर्मावलम्बियों ने इन संस्थाओं में प्रवेश नहीं लिया और दूसरी यह कि इन शिक्षण संस्थाओं का विरोध शुरू हो गया। काश इन संस्थाओं को राजाओं का संरक्षण प्राप्त न होता तो ये तभी समाप्त हो गई होतीं।

अपनी उन्नति जानिय Check your Progress

सही उत्तर का चयन कीजिए-

प्रश्न (1) बुद्ध काल में बौद्ध शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी ?

(1) संस्कृत

(2) पाली

(3) प्राकृत

(4) अपभ्रंश

प्रश्न (2) बौद्ध काल में चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा का मुख्य केन्द्र कौन सा था ?

- (1) तक्षशिला (2) नालन्दा (3) विक्रमशिला (4) वल्लभी

प्रश्न (3) बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिशु शिक्षा सामान्यतः कितने वर्ष की थी?

- (1) 6 वर्ष (2) 8 वर्ष (3) 12 वर्ष (4) 25 वर्ष

प्रश्न (4) संसार का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था ?

- (1) तक्षशिला (2) नालन्दा (3) वल्लभी (4) विक्रमशिला

प्रश्न 5 निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए।

- (1) पबज्जा संस्कार (2) उपसम्पदा संस्कार (3) दस सिक्खा पदानि
(4) तक्षशिला विश्वविद्यालय (5) नालन्दा विश्वविद्यालय (6) अग्रहार

2.6 सारांश Summary

बौद्ध शिक्षा प्रणाली अपने समय की संसार की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रणाली थी परन्तु आज के भारतीय समाज के स्वरूप एवं उसकी भविष्य की आकांक्षाओं एवं सम्भावनाओं की दृष्टि से उसके कुछ तत्त्व ग्रहणीय हैं और कुछ तत्त्व त्याज्य हैं। जो तत्त्व ग्रहणीय हैं उन्हें हम उसके गुणों की संज्ञा देते हैं और जो तत्त्व त्याज्य हैं उन्हें हम उसके दोषों की संज्ञा देते हैं। हमें बौद्ध शिक्षा प्रणाली के ग्रहणीय तत्त्वों को ग्रहण कर अपनी वर्तमान शिक्षा प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाना चाहिए। बौद्ध काल में एक नई शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ जिसे बौद्ध शिक्षा प्रणाली कहते हैं। यह शिक्षा प्रणाली कुछ अर्थों में वैदिक शिक्षा प्रणाली के समान थी और कुछ अर्थों में असमान। यह अपने कुछ अनुकरणीय पद चिह्न अवश्य छोड़ गई। बस उन्हीं को हम आधुनिक भारतीय शिक्षा के विकास में उसका योगदान मान सकते हैं।

2.7 शब्दावली Glossary

गुरु-शिष्य का अनुशासित जीवन- बौद्ध शिक्षा प्रणाली में गुरु और शिष्य दोनों संघों के नियमों का कठोरता से पालन करते थे और सबसे बड़ी बात यह है कि ये दोनों एक-दूसरे के आचरण पर दृष्टि रखते थे। भूल होने पर आम सभा में भूल स्वीकार की जाती थी, पश्चाताप किया जाता था आज की परिस्थितियों में हम कठोर नियमों की वकालत तो नहीं करते पर नियमों की वकालत अवश्य करते हैं और उनके पालन की आवश्यकता पर बल देते हैं।

2.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर Answer of practice Questions

उत्तर 1. पाली उत्तर 2 तक्षशिला उत्तर(3) 8 वर्ष उत्तर(4) तक्षशिला

2.9 सन्दर्भ पुस्तके Book Reference

- i. लाल (डॉ) रमन बिहारी, भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएं, राज प्रिंटर्स, मेरठा
 - ii. जे. (डॉ) एस. वालिया (2009) भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास, अहमपाल पब्लिशर्स, मेरठा
 - iii. शुक्ला (डॉ) सी. एस. (2008) उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक, इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस, मेरठा
 - iv. शर्मा, रामनाथ व शर्मा, राजेन्द्र कुमार (2006) शैक्षिक समाजशास्त्र, एटलांटिक पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स
 - v. शीलू मैरी (डॉ) (2008) शिक्षक के सामाजिक एवं दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, रजत प्रकाशन नई दिल्ली।
-

2.10 निबन्धात्मक प्रश्न Essay type Questions

1. बौद्ध शिक्षा प्रणाली के मुख्य अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए।
2. बौद्ध कालीन शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श क्या थे? आज के युग में उनकी प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए।
3. बौद्ध शिक्षा प्रणाली में गुरु-शिष्यों के बीच कैसे सम्बन्ध थे ? आपकी सम्मति में आज की परिस्थितियों में उन्हें किस सीमा तक अपनाना चाहिए?
4. वैदिक शिक्षा प्रणाली और बौद्ध शिक्षा प्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत कीजिए।
5. आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली के विकास में बौद्ध शिक्षा प्रणाली का क्या योगदान है? सप्रमाण उत्तर दीजिए।
6. बौद्ध शिक्षा प्रणाली के गुण-दोषों का विवेचन कीजिए।
7. बौद्ध कालीन मुख्य बौद्ध शिक्षा केन्द्रों का सामान्य परिचय दीजिए।

ईकाइ 3 मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा प्रणाली Medieval Period Muslim Education System

- 3.1 प्रस्तावना Introduction
- 3.2 उद्देश्य Objectives
- 3.3 मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के मुख्य अभिलक्षण Main Characteristics of Muslim Education System
 - 3.3.1 शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त
 - 3.3.2 शिक्षा की संरचना एवं संगठन
 - 3.3.3 शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर
 - 3.3.4 शिक्षा की पाठ्यचर्या Curriculum of Education
 - 3.3.5 शिक्षण विधियाँ Methods of Teaching
- 3.4 मुस्लिम शिक्षा के सम्बन्ध में विशेष Special in Muslim Education
 - 3.4.1 अनुशासन Discipline
 - 3.4.2 शिक्षक (उस्ताद) Teachers
 - 3.4.3 शिक्षार्थी (शागिर्द) Students
 - 3.4.4 शिक्षक-शिक्षार्थी सम्बन्ध Teacher and Students Relationship
 - 3.4.5 शिक्षण संस्थाएँ (मकतब और मदरसे) Educational Institute (Makatab & Madarshe)
 - 3.4.6 शिक्षा के अन्य विशेष पक्ष Other Parts of Education
- 3.5 मध्यकालीन मुख्य शिक्षा केन्द्र Main Education Centers in Medieval Periods
 - 3.5.1 हिन्दू शिक्षा प्रणाली और मुस्लिम शिक्षा प्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन
 - 3.5.2 हिन्दू शिक्षा प्रणाली और मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में समानताएँ
 - 3.5.3 हिन्दू शिक्षा प्रणाली और मुस्लिम शिक्षा प्रणालियों में असमानताएँ
 - 3.5.4 मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के गुण
 - 3.5.5 मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के दोष
- 3.6 शारांश Summary
- 3.7 शब्दावली Glossary
- 3.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर Answer of Practice Question
- 3.9 सन्दर्भ पुस्तके Book Reference
- 3.10 निबन्धात्मक प्रश्न

3.1 प्रस्तावना Introduction

हमारे देश में आज भी अन्य देशों का सम्मान उसी प्रकार से बरकरार है जैसा कि प्राचीन काल, मध्य काल में होता था। यहाँ कि भोली-भाली जनता ने दूसरों पर विश्वास किया। लेकिन अन्य देशों ने धोखा देकर यहाँ कि अमूल्य संपत्ति सोना, चांदी, हीरा, मोती को लूटकर अपने देश में ले गये साथ ही यहाँ कि सौंदर्य कला व संस्कृति को भी नष्ट किया। उत्तरी सीमा पार के शासक इस पर सदैव आक्रमण करते रहते थे। इन आक्रमणकारियों में सर्वप्रथम नाम परसिया (वर्तमान ईरान) के राज साइरस (538 ई0 पू0 - 530 ई0 पू0) का आता है। उसने इसके उत्तरीय सीमावर्ती राज्य गांधार पर आक्रमण कर उसके एक भाग पर कब्जा भी कर लिया था। उसके बाद मैसोडोनिया (यूनान, ग्रीस) के राजा सिकन्दर ने 327 ई0पू0 में आक्रमण किया। उसने सर्वप्रथम यहाँ से पारसियों को खदेड़ा और उसके बाद तक्षशिला के राजा आम्भी के सहयोग से आगे बढ़ा। परन्तु कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनीं कि उसे अपने देश लौटना पड़ा। ईसा की 5वीं शताब्दी में इसकी उत्तरी सीमा पर हूणों ने आक्रमण शुरू किए परन्तु ये गांधार से आगे नहीं बढ़ पाए। गुप्तकाल में इन्हें भी वहाँ से खदेड़ दिया गया। इसके बाद इस देश पर अरबियों ने आक्रमण शुरू किए। परन्तु इनके आक्रमण लूट-पाट तक ही सीमित रहें। 12वीं शताब्दी में अफगान के बादशाह मौहम्मद गौरी ने भारत पर कई बार आक्रमण किए, परन्तु पराजित हुआ और लौट गया। सन् 1192 में उसने 11वीं बार आक्रमण किया और सीमावर्ती राज्यों को रौंदता हुआ दिल्ली की ओर बढ़ा। दिल्ली के तत्कालीन हिन्दू राजा पृथ्वीराज चौहान से उसका तराइन के मैदान में निर्णायक युद्ध हुआ। उसने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर बन्दी बना लिया। वह स्वयं तो यहाँ से लूट का भारी माल लेकर अपने देश लौट गया परन्तु अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली को शासक बना गया। बस यहीं से भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत हुई। इतिहासकारों ने कुतुबुद्दीन ऐबक और उसके वंशजों को गुलाम वंश की संज्ञा दी है। गुलाम वंश के बाद भारत में क्रमशः खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश और मुगल वंश का शासन रहा। मुगल वंश में औरंगजेब ने 1659 से 1707 तक राज्य किया। वह बड़ा कट्टरपंथी था। उसने इस्लाम धर्म को न मानने वालों के ऊपर जजिया कर लगा दिया था, परिणामस्वरूप चारों ओर विद्रोह की आग भड़क उठी थी और औरंगजेब के शासन काल के अन्तिम चरण में ही मुगल साम्राज्य का वैभव समाप्त होने लगा था। 1200 से 1700 तक यहाँ मुसलमान बादशाहों और इस्लाम धर्म का वर्चस्व रहा। इतिहासकारों ने 1200 से 1700 ई0 तक के काल को मध्यकाल अथवा मुस्लिम काल की संज्ञा दी है।

3.2 उद्देश्य Objectives

- i. मुस्लिम शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त के सम्बन्ध को जानकारी प्राप्त कराना।
- ii. मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा प्रणाली की संरचना एवं संगठन को समझाना।
- iii. मुस्लिम शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श का विस्तार से ज्ञान प्राप्त कर सकेगे।

-
- iv. मध्यकालीन मुख्य शिक्षा केन्द्र का अध्ययन कर सकेगो।
 - v. मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन अथवा गुण-दोषो को जान सकेगो।
-

3.3 मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के मुख्य अभिलक्षण Main Characteristics of Muslim Education System

हमारे देश में मध्यकाल में मुसलमान शासकों के सहयोग से एक नई शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ जिसे मुस्लिम शिक्षा प्रणाली कहते हैं। यहाँ मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा प्रणाली का प्रशासन एवं वित्त क्रमबद्ध वर्णन प्रस्तुत है।

3.3.1 शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त

मुस्लिम शिक्षा के प्रशासन एवं वित्त के सम्बन्ध में तीन तथ्य उल्लेखनीय हैं-

- i. निःशुल्क शिक्षा- इन मकतब और मदरसों में छात्रों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता था। मदरसों के छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को भोजन एवं वस्त्र भी निःशुल्क दिए जाते थे। मेधावी छात्रों को छात्रवृत्तियाँ दी जाती थीं।
- ii. राज्य का परोक्ष नियन्त्रण- इस काल में सभी मुसलमान बादशाहों ने इस्लाम धर्म और संस्कृति के प्रचार एवं प्रसार के लिए मकतब और मदरसों का निर्माण कराया और उन्हें आर्थिक सहायता दी। तब इनके द्वारा शासनानुकूल कार्य करना स्वाभाविक था। इसे हम शिक्षा पर राज्य का परोक्ष नियन्त्रण कह सकते हैं।
- iii. आय का मुख्य स्रोत राज्य सहायता- इस काल के सभी बादशाहों ने इन मकतब और मदरसों को आर्थिक सहायता दी। शासन में उच्च पदों पर आसीन लोग भी इन्हें आर्थिक सहायता देते थे। इस्लाम प्रेमी भी इस कार्य में पीछे नहीं रहे, वे इन संस्थाओं को चलाना अपना पवित्र कार्य मानते थे।

3.3.2 शिक्षा की संरचना एवं संगठन

मुस्लिम शिक्षा भी दो स्तरों में विभाजित थी- प्राथमिक एवं उच्च। प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था मकतबों में होती थी और उच्च शिक्षा की व्यवस्था मदरसों में।

3.3.3 शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श

मुस्लिम शिक्षा का सर्वप्रमुख उद्देश्य एवं आदर्श इस्लाम धर्म एवं संस्कृति का प्रचार एवं प्रसार था। इसके साथ-साथ इसमें ज्ञान के विकास, कला-कौशल के प्रशिक्षण और सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति पर भी बल दिया गया था। मुस्लिम शिक्षा के इन सब उद्देश्यों एवं आदर्शों को हम आज की भाषा में निम्नलिखित रूप में क्रमबद्ध कर सकते हैं।

1. इस्लाम संस्कृति का प्रचार एवं प्रसार - भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना होने पर उन्होंने भारत में इस्लाम संस्कृति का प्रचार एवं प्रसार करना शख्त से आरम्भ कर दिया। यदपि मुसलमान भारत में अपनी संस्कृति लेकर आए थे, उनकी अपनी भाषा थी, अपने रीति-रिवाज थे, अपने रहन-सहन की विधियाँ थीं और इन्हीं में उनकी आस्था थी। उन्होंने यहाँ इस्लाम शिक्षा पर बल दिया। मगतब और मदरसों में बच्चों को अनिवार्य रूप से फारसी भाषा पढ़ाई जाती थी, शरिअत (इस्लामी धर्म एवं कानून) का ज्ञान कराया जाता था और इस्लामी तहजीब सिखाई जाती थी।
2. ज्ञान का विकास - इस्लाम धर्म के प्रतिपादक हजरत मौहम्मद साहब ज्ञान को अमृत मानते थे, निजात (मुक्ति) का साधन मानते थे। ज्ञान से उनका तात्पर्य भौतिक एवं आध्यात्मिक, दोनों प्रकार के ज्ञान से था और आध्यात्मिक ज्ञान से तात्पर्य इस्लाम के ज्ञान से था। कुरान शरीफ में कलम की स्याही को शहीदों के खून से भी अधिक पवित्र बताया गया है।
3. नैतिक एवं चारित्रिक विकास – मुस्लिम शिक्षा में नैतिक एवं चारित्रिक विकास पर बल दिया गया है इस्लामी नैतिकता के आदर्श एवं मूल्य हिन्दुओं की नैतिकता के आदर्श एवं मूल्यों से कुछ भिन्न हैं। मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में इस्लामी नैतिकता के विकास पर बल दिया गया था और अन्यथा आचरण करने पर इस्लामिक मानदण्डों के आधार के पर इस्लामिक मानदण्डों के आधार पर प्रायश्चित्त करने पर बल दिया गया था।
4. शासन के प्रति वफादारी- मुसलमान बादशाह भारत के लिए विदेशी थे इसलिए वे शिक्षा द्वारा भारतीयों को शासन के प्रति वफादार बनाना चाहते थे। यह मुस्लिम शिक्षा का एक बड़ा उद्देश्य एवं आदर्श था। यही कारण है कि उन्होंने अरबी और फारसी भाषा जानने वाले और इस्लामी तहजीब को अपनाने वाले हिन्दुओं को ही शासन में ऊँचे-ऊँचे पद दिए।
5. कला-कौशलों एवं व्यवसायों की शिक्षा - जिस समय मुसलमान बादशाह इस देश में आए यहाँ कला-कौशलों के क्षेत्र में बड़ा विकास हो चुका था। ये भी अपने साथ अनेक कला-कौशलों को लेकर आए थे। प्रायः सभी मुसलमान बादशाह कला और शिल्प प्रेमी थे इसलिए इन्होंने इनकी शिक्षा पर विशेष बल दिया। इस शिक्षा के परिणामस्वरूप ही उस काल में कला-कौशलों के क्षेत्र में बहुत अधिक उन्नति हुई। साथ ही विभिन्न व्यवसायों की शिक्षा की व्यवस्था भी की गई थी।
6. सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति - इस्लाम पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता यही कारण है कि इस्लाम धर्म के मानने वाले मौहम्मद साहब के दिखाए हुए मार्ग पर चलते हुए सांसारिक सुख की प्राप्ति के पक्षधर हैं।

3.3.4 शिक्षा की पाठ्यचर्या Curriculum of Education

मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में शिक्षा दो स्तरों में विभाजित थी- प्राथमिक और उच्च। प्राथमिक स्तर पर सभी विषय अनिवार्य रूप से पढ़ाए जाते थे और उच्च स्तर पर अरबी एवं फारसी के अतिरिक्त अन्य विषय वैकल्पिक रूप से पढ़ाए जाते थे।

प्राथमिक स्तर की पाठ्यचर्या - इस शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक स्तर पर लिपि ज्ञान, कुरानशरीफ का 30वां भाग, लिखना, पढ़ना, अंकगणित, पत्र लेखन, बातचीत और अर्जीनवीसी पढ़ाई-सिखाई जाती थी। बच्चों को प्रारम्भ से ही कुरान शरीफ की कुछ आयतें रटाई जाती थीं और इस्लाम के पैगम्बरों और मुसलमान फकीरों की जीवनीयाँ पढ़ाई जाती थीं। बच्चों के नैतिक विकास के लिए उन्हें शेरदादी की प्रसिद्ध पुस्तक गुलिस्तां और बोस्तां पढ़ाई जाती थीं। इनके अतिरिक्त अरबी-फारसी के कवियों की कविताएँ पढ़ाई जाती थीं। इस काल में प्रारम्भ से ही बच्चों के उच्चारण और लेख पर बहुत ध्यान दिया जाता था और उन्हें शुद्ध उच्चारण और सुलेख का अभ्यास कराया जाता था।

उच्च स्तर की पाठ्यचर्या- इस शिक्षा प्रणाली में उच्च स्तर की शिक्षा का पाठ्यक्रम अति विस्तृत था। इस स्तर की पाठ्यचर्या को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है- लौकिक और धार्मिक। लौकिक पाठ्यचर्या में अरबी तथा फारसी भाषाएँ एवं उनके साहित्य, अंकगणित, ज्यामिति, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति, नीतिशास्त्र, ज्योतिषशास्त्र, इस्लामी कानून, यूनानी चिकित्सा और विभिन्न कला-कौशलों एवं व्यवसायों की शिक्षा को स्थान दिया गया था। धार्मिक पाठ्यचर्या में कुरान शरीफ, इस्लामी इतिहास, इस्लामी साहित्य, सूफी साहित्य और शरिअत (इस्लामी कानून) को स्थान दिया गया था। अगबर बादशाह उदारवादी था, उसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई थी इसलिए उसने कुछ मदरसों में संस्कृत भाषा, वैदिक धर्म-दर्शन और वैदिक साहित्य की शिक्षा की व्यवस्था भी करवाई थी।

3.3.5 शिक्षण विधियाँ Methods of Teaching

मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में भिन्न-भिन्न स्तरों पर भिन्न-भिन्न विषयों के शिक्षण के लिए भिन्न-भिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ उन सब विधियों का वर्णन संक्षेप में प्रस्तुत है।

1. अनुकरण, अभ्यास एवं स्मरण विधि- मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में इस विधि का प्रयोग मुख्य रूप से प्राथमिक स्तर पर किया जाता था। उस्ताद (शिक्षक) उच्च स्वर में कुरान शरीफ की आयतों, अक्षरों और पहाड़ों का उच्चारण करते थे, शागिर्द (छात्र) सामूहिक रूप में उनका अनुकरण करते थे, आवृत्ति द्वारा कण्ठस्थ करते थे और स्मरण करते थे। उच्चारण और सुलेख की शिक्षा भी इसी विधि से दी जाती थी। आइने अकबरी में ऐसा उल्लेख है कि उस समय तख्ती, स्याही और सरकण्डे की कलम का प्रयोग होता था, शिक्षक शिक्षार्थियों को लिखकर दिखाते थे, शिक्षार्थी उनका अनुकरण करते थे और अभ्यास द्वारा अपना लेख सुधारते थे। उस समय इस स्तर पर रटने, शुद्ध उच्चारण और सुलेख पर विशेष ध्यान दिया जाता था।

2. भाषण, व्याख्यान एवं व्याख्या विधि- मदरसे का अर्थ है- भाषण देना। उस समय उच्च स्तर पर प्रायः भाषण विधि से पढ़ाया जाता था इसीलिए उच्च शिक्षा की संस्थाओं को मदरसा कहा जाता था। भाषण का विकसित रूप है व्याख्यान और व्याख्यान विधि की सफलता निर्भर करती है व्याख्यान में आए तथ्यों की व्याख्या पर। उस समय मदरसों में सैद्धान्तिक विषयों का शिक्षण प्रायः इन तीनों विधियों के संयुक्त रूप से ही किया जाता था।

3. तर्क विधि- इस विधि का प्रयोग दर्शन एवं तर्कशास्त्र जैसे विषयों के शिक्षण के लिए किया जाता था। यह तर्क विधि वैदिक कालीन तर्क विधि और बौद्ध कालीन तर्क विधि से कुछ भिन्न थी। इसमें प्रत्यक्ष उदाहरणों और इस्लामिक सिद्धान्तों का विशेष महत्त्व था।

4. स्वाध्याय विधि- मुसलमान बादशाहों ने मुख्य ग्रंथों की हस्तलिखित प्रतियाँ तैयार करने पर खुल कर पैसा खर्च किया और इनके रख-रखाव के लिए बड़े-बड़े पुस्तकालयों का निर्माण कराया। परिणामतः स्वाध्याय के अवसर सुलभ हुए। छात्र इन पुस्तकालयों में बैठकर इन पुस्तकों का अध्ययन करते थे।

5. प्रदर्शन, प्रयोग एवं अभ्यास विधि- यह विधि अनुकरण विधि का ही विकसित रूप है। इसका प्रयोग प्रायोगिक विषयों, कला-कौशलों और व्यवसायों की शिक्षा के लिए किया जाता था। शिक्षक सर्वप्रथम यथा वस्तु अथवा क्रिया का प्रदर्शन करते थे, शिक्षार्थी देखते थे और देखकर उसके स्वरूप को समझते थे। इसी प्रकार वे क्रियाओं को करके दिखाते थे, छात्र ठीक उसी प्रकार उन क्रियाओं को करते थे, बार-बार करते थे और उन्हें सीखते थे।

3.4 मुस्लिम शिक्षा के सम्बन्ध में विशेष Special in Muslim Education

मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा प्रणाली की शिक्षण विधियों के विषय में अग्रलिखित दो तथ्य और उल्लेखनीय हैं-

1. शिक्षा का माध्यम अरबी और फारसी- यद्यपि मध्य काल में भारत के बहुसंख्यकों की भाषा प्राकृत हिन्दी थी परन्तु मुस्लिम शिक्षा केन्द्रों- मकतब और मदरसों में अरबी और फारसी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। हाँ, अकबर ने कुछ मकतब व मदरसों में हिन्दी के माध्यम से भी शिक्षा की व्यवस्था कराई थी।

2. नायकीय पद्धति- इस शिक्षा प्रणाली में कुछ वरिष्ठ एवं योग्य छात्रों को कनिष्ठ छात्रों को पढ़ाने का अवसर दिया जाता था। इसे नायकीय पद्धति कहते हैं। इससे दो लाभ हुए, पहला यह कि शिक्षकों की कमी की पूर्ति हुई और दूसरा यह कि छात्रों को अपने अध्ययन काल में ही शिक्षण में प्रशिक्षण प्राप्त हुआ।

3.4.1 अनुशासन Discipline

मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली में शिक्षकों के आदेशों और मकतब तथा मदरसों के नियमों का पालन ही अनुशासन माना जाता था। आदेशों और नियमों का पालन न करने वाले छात्रों को कठोर दण्ड दिया जाता था, उन्हें दिन भर खड़ा रखा जाता था, मुर्गा बनाया जाता था, बैतों, से पीटा जाता था, कोड़े लगाए जाते थे और कभी-कभी कपड़े

से बाँध कर टांग दिया जाता था। इसे आज की भाषा में दमनात्मक अनुशासन कहा जाता है। इस दण्ड व्यवस्था के साथ योग्य एवं अनुशासित छात्रों को पारितोषित देने की भी व्यवस्था थी।

3.4.2 शिक्षक (उस्ताद) Teachers

मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा में इस्लाम धर्म को मानने वाले, अरबी और फारसी के विद्वान और अपने विषय के अच्छे जानकार व्यक्ति ही शिक्षक पद पर नियुक्त किए जाते थे। नियुक्ति के बाद ये अपने ज्ञान और आचरण के प्रति सदैव सचेष्ट रहते थे। पर साथ ही ये भारी वेतन पाते थे और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीते थे। यही कारण है कि उस समय उन्हें समाज में उच्च स्थान प्राप्त था।

3.4.3 शिक्षार्थी (शागिर्द) Students

मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली में शिक्षार्थियों को मकतब तथा मदरसों में शिक्षकों के कठोर अनुशासन में रहना होता था, उन्हें किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं थी। पर इस काल में वे वैदिक एवं बौद्ध काल की तरह कठोर जीवन नहीं जीते थे, आरामदायक जीवन जीते थे। छात्रावासों में कालीनों पर सोते थे और भोजन में चपाती, पुलाव और विरयानी खाते थे। व अरबी फारसी का मेहनत से अध्ययन करते थे।

3.4.4 शिक्षक-शिक्षार्थी सम्बन्ध Teacher and Students Relationship

मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में भी शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच अच्छे सम्बन्ध थे। शिक्षक शिक्षार्थियों को प्रेम करते थे और उन्हें परिश्रम से पढ़ाते थे और शिक्षार्थी उनका आदर करते थे और उनके आदेशों का पालन करते थे। शिक्षकों के भोजन, पानी रहने सहने की व्यवस्था शिक्षार्थी व समाज के व्यक्तियों द्वारा किया जाता है प्रतिदिन मुस्लिम समाज के घर से मौलवी साहब के लिये भोजन की व्यवस्था की जाती थी।

3.4.5 शिक्षण संस्थाएँ (मकतब और मदरसे) Educational Institute (Makatab & Madarshe)

मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था मुख्य रूप से मकतबों और उच्च शिक्षा की व्यवस्था मदरसों में होती थी। इनके अतिरिक्त खानकाहें, दरगाहें, कुरान स्कूल, फारसी स्कूल, फारसी-कुरान स्कूल और अरबी स्कूलों की व्यवस्था भी थी।

मकतब- मकतब शब्द अरबी भाषा के 'कुतुब' शब्द से बना है जिसका अर्थ है- वह स्थान जहाँ पढ़ना-लिखना सिखाया जाता है। मध्यकाल में ये मकतब प्रायः मस्जिदों से संलग्न होते थे और एक शिक्षकीय होते थे। उस समय पर्दा प्रथा थी, इसके बावजूद, मकतबों में लड़के-लड़कियाँ एक साथ पढ़ते थे। मकतबों में बच्चों का प्रवेश 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन की आयु पर बिस्मिल्लाह खानी की रस्म होती थी। बच्चों को नए वस्त्र पहनाकर शिक्षक (उस्ताद, मौलवी) के सामने उपस्थित किया जाता था। शिक्षक बच्चों से कुरान शरीफ की कुछ आयतें दोहरवाते थे

और जो बच्चे कुरान शरीफ की आयतें दोहराने में असमर्थ होते थे उनसे बिस्मिल्लाह शब्द का उच्चारण करवाते थे। बिस्मिल्लाह का अर्थ है- अल्लाह के नाम पर। और इसके बाद बच्चे को मकतब में प्रवेश दिया जाता था।

मदरसा- मदरसा शब्द अरबी भाषा के 'दरस' शब्द से बना है जिसका अर्थ है- भाषण देना और चूँकि उस समय उच्च शिक्षा प्रायः भाषण द्वारा दी जाती थी इसलिए उन स्थानों को जहाँ भाषण द्वारा शिक्षा दी जाती थी मदरसा कहा गया। मध्यकाल में ये मदरसे प्रायः राजधानियों और मुस्लिम बाहुल्य बड़े-बड़े नगरों में स्थापित किए गए थे। इन मदरसों के भवनों, पुस्तकालयों और छात्रावासों आदि के निर्माण में उस समय में मुसलमान शासकों का बड़ा योगदान रहा। ये मदरसे बहुशिक्षकीय थे। इनके शिक्षकों को उच्च वेतन दिया जाता था। वेतन आदि की व्यवस्था के लिए भी राजकोष से आर्थिक सहायता दी जाती थी।

इब्नबतूता के लेखों से पता चलता है कि अधिकतर मदरसों में बड़े-बड़े पुस्तकालय थे। इन पुस्तकालयों के बड़े-बड़े भवन थे और इनमें अरबी एवं फारसी भाषा और इस्लाम धर्म के सभी मुख्य ग्रन्थों की कई-कई प्रतियाँ थीं। साथ ही शिक्षक निवास और छात्रावास भी थे। ये भी बहुत उच्च श्रेणी के थे और इनमें हर प्रकार की सुविधा थी। मनोरंजन के लिए पार्क, तालाब और खेल के मैदानों की व्यवस्था थी। कर्मचारियों का वेतन भुगतान और छात्रावासों में रहने वाले छात्रों की भोजन व्यवस्था आदि के लिए राज्य से आर्थिक सहायता मिलती थी परन्तु इनका प्रबन्ध पूर्ण रूप से शिक्षकों के हाथ में था।

मध्यकालीन मदरसों में आज जैसी परीक्षाएँ नहीं होती थीं। शिक्षा पूरी करने पर शिक्षकों की संस्तुति पर ही किसी छात्र को सफल घोषित किया जाता था। इन मदरसों में इस्लाम धर्म में विशेष योग्यता प्राप्त करने वालों को आमिल, अरबी फारसी साहित्य में विशेष योग्यता प्राप्त करने वालों को काबिल और तर्क तथा दर्शनशास्त्र में विशेष योग्यता प्राप्त करने वालों को फाजिल की उपाधियाँ दी जाती थीं। उस काल में काबिल उपाधि प्राप्त व्यक्तियों को ही शासन में उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था।

खानकाहें- ये प्राथमिक शिक्षा के केन्द्र थे इनमें केवल मुसलमान बच्चों ही प्रवेश ले सकते थे। इनका व्यय दान से प्राप्त धनराशि से चलाया जाता था।

दरगाहें- ये भी प्राथमिक शिक्षा केन्द्र थे। इनमें भी केवल मुसलमान बच्चों को प्रवेश दिया जाता था।

कुरान स्कूल- ये धार्मिक शिक्षा केन्द्र थे। इन स्कूलों में केवल कुरान शरीफ की पढ़ाई ही की जाती थी।

फारसी स्कूल - ये उच्च शिक्षा के ऐसे केन्द्र थे जिनमें मुख्य रूप से फारसी भाषा और मुस्लिम संस्कृति की शिक्षा दी जाती थी और हिन्दू और मुसलमानों दोनों को शासन कार्य के लिए तैयार किया जाता था।

फारसी-कुरान स्कूल- ये धार्मिक शिक्षा केन्द्र थे। इन स्कूलों में फारसी भाषा और कुरान शरीफ तैयार की शिक्षा जाती थी। अरबी स्कूल- ये ऐसे उच्च शिक्षा केन्द्र थे जिनमें केवल अरबी भाषा और उसके साहित्य की शिक्षा दी जाती थी।

3.4.6 शिक्षा के अन्य विशेष पक्ष Other Parts of Education

मुस्लिम काल में जन शिक्षा, स्त्री शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा का रूप आज से कुछ भिन्न था अतः यहाँ इन पर भी थोड़ा प्रकाश डालना आवश्यक है।

जन शिक्षा- मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में जन शिक्षा की बात ही नहीं सोची गई मुसलमान बादशाहों का मुख्य उद्देश्य भारत में अपना शासन कायम रखना था और इस्लाम धर्म एवं संस्कृति का प्रचार करना था। यहाँ के जन उत्थान की बात उनके मस्तिष्क में कभी नहीं रही। उन्होंने इस देश में जिस शिक्षा प्रणाली का विकास किया वह इस्लाम धर्म और संस्कृति प्रधान थी। परिणामतः बहुत कम हिन्दू उसकी ओर आकृष्ट हुए। दूसरी ओर हिन्दूओं के लिए जो ब्राह्मणीय शिक्षा दबे पाँव चल रही थी उसे जन-जन तक पहुँचाना सम्भव नहीं था। परिणाम यह था कि उस समय हमारे देश में केवल 6 प्रतिशत लोग ही साक्षर थे।

स्त्री शिक्षा- मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक शिक्षा केन्द्र मकतबों में तो लड़के-लड़कियों दोनों को प्रवेश दिया जाता था परन्तु उच्च शिक्षा के मदरसों में केवल लड़कों को ही प्रवेश दिया जाता था। हाँ, शहजादियों की शिक्षा का प्रबन्ध व्यक्तिगत रूप से महलों में और शासन में उच्च पदों पर कार्यरत व्यक्तियों और धनी वर्ग के लोगों की बच्चियों की शिक्षा का प्रबन्ध व्यक्तिगत रूप से उनके अपने-अपने घरों में अवश्य होता था। उस समय पर्दा प्रथा होने के कारण लोग अपनी बच्चियों को घर से बाहर नहीं भेजते थे इस काल में अनेक विदुषी महिलाएँ हुईं, जिनमें बाबर की बेटी गुलबदन लेखिका के रूप में प्रसिद्ध हुईं हुमायूँ की भतीजी सलीमा सुल्तान कवयित्री के रूप में प्रसिद्ध हुईं, नूरजहाँ, मुमताज और जहाँआरा आदि अरबी एवं फारसी की विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हुईं, रजिया बेगम और चाँदबीबी कुशल शासक के रूप में प्रसिद्ध हुईं और औरंगजेब की पुत्री जेबुन्निसा अरबी और फारसी की अच्छी कवयित्री के रूप में प्रसिद्ध हुईं, परन्तु ये सब राजघरानों से सम्बन्धित शहजादिया थीं। आम महिलाओं को उच्च शिक्षा के अवसर विलकुल भी प्राप्त नहीं थे। परिणामतः इस काल में स्त्री शिक्षा और अधिक पिछड़ गई। हमारे देश की इस आधी मानव शक्ति का विलकुल भी विकास नहीं हुआ।

कला-कौशल एवं व्यावसायिक शिक्षा- प्रथमतः तो उस समय हमारे देश में ही कला-कौशलों और व्यवसायों के क्षेत्र में बड़ा विकास हो चुका था, द्वितीय ये मुसलमान अपने साथ अपने कला-कौशल लाए थे और तीसरे उस काल के मुसलमान बादशाह बड़े कला-प्रेमी थे इसलिए उन्होंने जो भी मदरसे स्थापित किए उनमें से अधिकतर में अरबी-फारसी भाषा और साहित्य तथा इस्लाम धर्म एवं संस्कृति की शिक्षा के साथ विभिन्न कला-कौशलों और व्यवसायों की शिक्षा का उत्तम प्रबन्ध किया। इस काल में संगीत, नृत्य और चित्रकला, मलमल निर्माण और काशीदारी कौशल और भवन निर्माण कला के क्षेत्र में बहुत विकास हुआ। आगरे का ताजमहल और दिल्ली की कुतुबमीनार इस तथ्य के जीवित प्रमाण हैं।

सैनिक शिक्षा :- मध्यकाल युद्धों का युग था अतः सैनिक शिक्षा के लिए विशेष मदरसों का निर्माण किया गया। इनमें सामान्य व्यक्तियों को घुड़सवारी और भाला व तलवार चलाना सिखाया जाता था और शहजादों को इसके

साथ-साथ किलाबन्दी और सैन्य संचालन की शिक्षा दी जाती थी और कुछ सैनिकों को अस्त्र-शस्त्र निर्माण की शिक्षा दी जाती थी। मुगलकाल में बन्दूक चलाने और तोपो से गोले दागने का प्रशिक्षण भी दिया जाने लगा था।

3.5 मध्यकालीन मुख्य शिक्षा केन्द्र Main Education Centers in Medieval Periods

मध्यकालीन में मुस्लिम बादशाहों ने अपने राज्यों के मुख्य नगरों में बड़े-बड़े मदरसे और पुस्तकालयों का निर्माण कराया और इन्हें उच्च शिक्षा केन्द्रों के रूप में विकसित किया। यहाँ मध्यकालीन कुछ मुख्य शिक्षा केन्द्रों का वर्णन संक्षेप में प्रस्तुत है।

1. दिल्ली- दिल्ली का सबसे प्रथम मुसलिम बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसने गद्दी पर बैठते ही दिल्ली में कई मस्जिदें बनवाई और इन्हें इस्लामी शिक्षा केन्द्रों के रूप में विकसित किया। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश ऐबक गद्दी पर बैठा। उसने दिल्ली में मदरसा-ए-मुअज्जी की स्थापना की। 1290 में दिल्ली में खिलजी वंश का शासन शुरू हुआ। खिलजी वंश के प्रथम बादशाह जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली में एक शाही पुस्तकालय का स्थापना की। इसके बाद मुगल वंश के द्वितीय बादशाह हुमायूँ ने 16वीं शताब्दी में दिल्ली में भूगोल और ज्योतिष की शिक्षा के लिए एक अन्य मदरसे का निर्माण कराया। साथ ही उसने एक बड़े पुस्तकालय का निर्माण भी कराया। मुगल वंश के पंचम बादशाह शाहजहाँ ने भी दिल्ली की जामा मस्जिद के निकट एक बड़े मदरसे की स्थापना की जिसमें संगीत और काव्य की उच्च शिक्षा की उत्तम व्यवस्था थी। दिल्ली उस काल में इस्लामी शिक्षा का विश्वविख्यात केन्द्र था।

2. फिरोजाबाद- खिलजी वंश के बाद भारत में 1320 में तुगलक वंश का राज्य स्थापित हुआ। तुगलक बादशाहों ने अपने शासन काल में अनेक मकतब और मदरसों का निर्माण कराया। फिरोज तुगलक ने अपने शासन काल में 30 मदरसे स्थापित किए थे। इन मदरसों में फिरोजाबाद का फिरोजशाही मदरसा उस समय का एक बड़ा विश्वविद्यालय था। आज भी फिरोजाबाद मुस्लिम शिक्षा का एक बड़ा केन्द्र है।

3. बदायूँ- तुगलक वंश के पतन के बाद 1441 में भारत में सैयद वंश का राज्य स्थापित हुआ। इस वंश के अन्तिम बादशाह सैयद अलाउद्दीन ने बदायूँ में अनेक मकतब और मदरसों का निर्माण कराया और इसे दिल्ली की तरह मुस्लिम शिक्षा के मुख्य केन्द्र के रूप में विकसित किया। आज भी बदायूँ मुस्लिम शिक्षा का एक बड़ा केन्द्र है।

4. आगरा एवं फतेहपुर सीकरी- 1451 में भारत में लोदी वंश का शासन स्थापित हुआ। लोदी वंश के द्वितीय बादशाह सिकन्दर लोदी ने दिल्ली के स्थान पर आगरा को अपनी राजधानी बनाया। उसने अपने शासनकाल में यहाँ कई बड़े-बड़े मदरसों का निर्माण कराया और इनमें योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की। 1526 में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। मुगल साम्राज्य के तृतीय बादशाह अकबर ने भी आगरा और फतेहपुर सीकरी में बड़े-बड़े मकतब और मदरसे स्थापित किए। उसने इन मदरसों के पाठ्यक्रमों में तर्कशास्त्र, गणित, भूमिति, रेखागणित, नक्षत्र विद्या, लेखाशास्त्र, सार्वजनिक प्रशासन और कृषि शिक्षा को सम्मिलित किया। एक मदरसे में केवल यूनानी

चिकित्साशास्त्र की शिक्षा की व्यवस्था की गई। आगरा उस समय चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा का मुख्य केन्द्र था। अकबर एक उदारवादी बादशाह था। उसने कुछ मदरसों में संस्कृत भाषा और वैदिक धर्म-दर्शन की शिक्षा की भी व्यवस्था की।

5. मालवा- मालवा राज्य के संस्थापक महमूद ने इसे मुस्लिम शिक्षा के उच्च केन्द्र के रूप में विकसित किया। मालवा में स्त्री शिक्षा के लिए एक अलग मदरसा था। यहाँ के मदरसे कला और संगीत की उच्च शिक्षा के लिए प्रसिद्ध थे। पर राज्य संरक्षण समाप्त होते ही यहाँ के मदरसों की स्थिति बिगड़ गई।

6. बीदर- बीदर दक्षिण भारत में बहमनी राज्य का प्रमुख नगर था। महमूद गावा ने यहाँ कई बड़े-बड़े मदरसों की स्थापना की थी। उसने यहाँ एक विशाल पुस्तकालय का निर्माण भी कराया था जिसमें इस्लाम धर्म और संस्कृति, ज्योतिष, इतिहास, कृषि और यूनानी चिकित्साशास्त्र की 30 हजार पुस्तकें थीं। पर बहमनी वंश के प्रभाव के साथ-साथ इस शिक्षा केन्द्र का वैभव भी समाप्त हो गया।

3.5.1 हिन्दू शिक्षा प्रणाली और मुस्लिम शिक्षा प्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन

प्राचीन काल में भारत में दो शिक्षा प्रणालियों का विकास हुआ, प्रारम्भ में वैदिक शिक्षा प्रणाली का और उसके बाद बौद्ध शिक्षा प्रणाली का। इन दोनों प्रणालियों को हिन्दू शिक्षा प्रणाली कहते हैं। हिन्दू शिक्षा प्रणाली इसलिए कि इन दोनों शिक्षा प्रणालियों का विकास भारत की अपनी पृष्ठभूमि, अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति के आधार पर हुआ था। यही कारण है कि इन दोनों में आधारभूत समानता थी। परन्तु मध्यकाल में जिस मुस्लिम शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ उसकी पृष्ठभूमि विदेशी थी, वह इस्लाम धर्म और मुस्लिम संस्कृति पर आधारित थी, इसलिए यह प्राचीन कालीन हिन्दू शिक्षा प्रणाली से बहुत भिन्न थी। यहाँ प्राचीन कालीन हिन्दू शिक्षा प्रणाली और मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत है, उनकी समानताएँ एवं असमानताएँ प्रस्तुत हैं।

3.5.2 हिन्दू शिक्षा प्रणाली और मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में समानताएँ

- (1) दोनों शिक्षा प्रणालियों में शिक्षा के धार्मिक एवं नैतिक विकास के उद्देश्य की प्राप्ति पर सबसे अधिक बल दिया जाता था।
- (2) दोनों शिक्षा प्रणालियों में शिक्षा केवल दो स्तरों में विभाजित थी- प्रारम्भिक और उच्च।
- (3) दोनों शिक्षा प्रणालियों में मुख्य रूप से शिक्षण की मौखिक विधियों का प्रयोग किया जाता था और रटने पर बल दिया जाता था।
- (4) दोनों शिक्षा प्रणालियों में शिक्षा राज्य के प्रत्यक्ष नियन्त्रण से मुक्त थी।

(5) दोनों शिक्षा प्रणालियों में उच्च शिक्षा केन्द्रों पर विशिष्टीकरण की व्यवस्था थी, भिन्न-भिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों के लिए भिन्न-भिन्न विशिष्ट संस्थाएँ थीं।

(6) दोनों शिक्षा प्रणालियों में शिक्षण हेतु नायक विधि का प्रयोग किया जाता था।

(7) दोनों शिक्षा प्रणालियों में शिष्य गुरुओं की आज्ञा का पालन करते थे।

(8) दोनों शिक्षा प्रणालियों में स्त्री शिक्षा की व्यवस्था के लिए ठोस प्रयास नहीं किए गए।

(9) दोनों शिक्षा प्रणालियों में कला-कौशल और व्यवसायों की शिक्षा की उत्तम व्यवस्था थी।

(10) दोनों शिक्षा प्रणालियों में चिकित्सा विज्ञान की उच्च शिक्षा की उत्तम व्यवस्था थी।

3.5.3 हिन्दू शिक्षा प्रणाली और मुस्लिम शिक्षा प्रणालियों में असमानताएँ

(1) वैदिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य वैदिक धर्म और संस्कृति का प्रचार था, बौद्ध शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म और मानव संस्कृति का प्रचार था और मुस्लिम शिक्षा का मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म और मुस्लिम संस्कृति का प्रचार था।

(2) वैदिक काल में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था घरों में और उच्च शिक्षा की व्यवस्था गुरुकुलों में होती थी, बौद्ध काल में दोनों प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था बौद्ध मठों और विहारों में होती थी परन्तु मध्यकाल में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था मकतबों और उच्च शिक्षा की व्यवस्था मदरसों में होती थी।

(3) प्राचीन काल में शिक्षण की तर्क विधि को अधिक महत्त्व दिया जाता था, मध्यकाल में भाषण विधि को।

(4) वैदिक शिक्षा में संस्कृत भाषा और वैदिक साहित्य अनिवार्य थे, बौद्ध शिक्षा में पाली भाषा और बौद्ध साहित्य अनिवार्य विषय थे और मुस्लिम शिक्षा में अरबी और फारसी भाषाएँ और इस्लाम साहित्य अनिवार्य थे।

(5) वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम प्राकृत और संस्कृत भाषा थी, बौद्ध काल में लोकभाषा पाली थी और मध्यकाल में अरबी और फारसी भाषा का प्रयोग किया जाता था।

(6) प्राचीन शिक्षा प्रणाली में आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी, मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में यूनानी चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी।

(7) प्राचीन काल में शिक्षक-शिक्षार्थियों के बीच पिता-पुत्र तुल्य सम्बन्ध थे, मध्यकाल में शिक्षक-शिक्षार्थियों के बीच संबंधों में अपनत्व की कमी महसूस दिखाई देती थी।

(8) प्राचीन काल की अपेक्षा मध्यकाल में स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अधिक प्रयास हुआ।

(9) वैदिक शिक्षा प्रणाली में सभी राजकुमारों और क्षत्रियों को सैनिक शिक्षा दी जाती थी बौद्ध शिक्षा प्रणाली में कुछ ही केन्द्रों में सैनिक शिक्षा की व्यवस्था थी, मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में सैनिक शिक्षा की व्यवस्था अपेक्षाकृत अधिक उत्तम थी।

(10) प्राचीन काल की अपेक्षा मध्यकाल में कला-कौशलों की शिक्षा का बहुत अच्छा प्रबन्ध था।

मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन अथवा गुण-दोष विवेचन

वर्तमान भारत के सन्दर्भ में मुस्लिम शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन अथवा गुण-दोष विवेचन प्रस्तुत है।

3.5.4 मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के गुण

यदि हम मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन अपने देश भारत की वर्तमान परिस्थितियों और इसकी भविष्य की आकांक्षाओं एवं सम्भावनाओं के आधार पर करें तो उसमें निम्नलिखित गुण पाएँगे। इन गुणों को हमें अपनी आज की शिक्षा प्रणाली में भी अपनाना चाहिए।

1. शिक्षा को राज्य का संरक्षण प्राप्त- लोकतन्त्रीय शासन में शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का उत्तरदायित्व माना जाता है। भारत में इस कार्य की शुरुआत मध्यकालीन मुसलमान बादशाहों ने ही कर दी थी। उन्होंने इस देश में अनेक मकतबों, मदरसों और पुस्तकालयों का निर्माण कराया और उन्हें खुले हाथों से आर्थिक सहायता दी। उन्होंने उच्च कोटि के मदरसों के साथ बड़ी-बड़ी जागीरें भी लगा दी थीं। उन्होंने मदरसों में योग्य शिक्षकों की नियुक्ति में भी सहयोग दिया था। इस प्रकार मध्यकाल में शिक्षा को राज्य का संरक्षण प्राप्त हुआ।

2. निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था- मध्यकाल में मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के मकतब और मदरसों में किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता था। इतना ही नहीं अपितु मदरसों के छात्रावासों में रहने वाले छात्रों के लिए आवास एवं भोजन की निःशुल्क व्यवस्था थी। यह सब व्यय राज्य (शासक) और समाज (प्रजा, विशेषकर धनी वर्ग के लोग) दोनों मिलकर उठाते थे।

3. कला-कौशल एवं व्यवसायों की शिक्षा की उत्तम व्यवस्था- प्रायः सभी मुसलमान बादशाह कला प्रेमी हुए, कौशल प्रेमी हुए और तरक्की पसन्द हुए। यही कारण है कि उन्होंने मदरसों में कला-कौशलों और व्यवसायों की शिक्षा की उत्तम व्यवस्था कराई। आज तो शिक्षा को व्यवसायपरक बनाने पर बल दिया जाता है।

4. प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा की अलग-अलग व्यवस्था- मध्यकाल में मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था मकतबों और उच्च शिक्षा की व्यवस्था की शुरुआत थी। आज भी मुस्लिम शिक्षा का एक बड़ा केंद्र देववन्द जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में शिक्षा की अलाखालाख जगा रहा है।

5. ज्ञान के विकास पर बल- मुहम्मद साहब ज्ञान को अमृत मानते थे। यही कारण है कि मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में इस्लाम धर्म एवं संस्कृति के विकास के साथ-साथ ज्ञान के विकास पर बल दिया गया।

6. साहित्य रचना को प्रोत्साहन- मुसलमान बादशाहों ने अपने काल में साहित्य रचना को बहुत प्रोत्साहन दिया। उन्होंने साहित्यिक रचना की प्रवृत्ति वाले छात्रों को सम्मान दिया, उनकी आर्थिक सहायता की, उन्हें प्रोत्साहित किया। आज हम बच्चों की सृजनात्मकता को उसके व्यापक रूप में लेते हैं, उन्हें किसी भी क्षेत्र में सृजनात्मक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

7. नायकीय पद्धति का विकास- मध्यकाल में मुस्लिम मदरसों में उच्च कक्षाओं के योग्य छात्र निम्न कक्षाओं के छात्रों को पढ़ाते थे, इसे नायकीय पद्धति कहते हैं। यूनै इस पद्धति की शुरुआत प्राचीन काल में ही हो गई थी परन्तु मध्यकाल में इस विधि में थोड़ा विकास किया गया, पहले वरिष्ठ छात्रों को इसका प्रशिक्षण दिया जाता था और फिर उन्हें यह कार्य सौंपा जाता था।

8. उच्च शिक्षा की उत्तम व्यवस्था- मध्यकाल में मुसलमान बादशाहों ने भिन्न-भिन्न प्रकार की उच्च शिक्षा के लिए भिन्न-भिन्न मदरसों का निर्माण कराया और उनमें उच्च कोटि के पुस्तकालयों और योग्य शिक्षकों की व्यवस्था कराई। इस प्रकार इस काल में उच्च शिक्षा की उत्तम व्यवस्था हुई। उस समय शासन के उच्च पदों पर उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों की ही नियुक्ति होती थी परिणामतः उच्च शिक्षा का विकास हुआ।

3.5.5 मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के दोष

मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के दोषों को निम्नलिखित रूप में क्रमबद्ध किया जा सकता है

1. आर्थिक सहायता में पक्षपात- यह बात सत्य है कि मध्यकाल में मुसलमान बादशाहों ने शिक्षा के विकास में विशेष रुचि ली और उन्होंने अनेक मकतब और मदरसों का निर्माण कराया। यह बात भी सत्य है कि उन्होंने इन शिक्षण संस्थाओं को पूरी-पूरी आर्थिक सहायता दी। परन्तु दूसरी ओर यह बात भी सत्य है कि मुगल सम्राट अकबर को छोड़कर अन्य किसी भी मुसलमान बादशाह ने हिन्दू शिक्षा संस्थाओं को किसी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं दी। आज ऐसी पक्षपातपूर्ण नीति का समर्थन नहीं किया जा सकता।

2. तत्कालीन भारतीय शिक्षा पर प्रहार- मध्यकाल में केवल इस्लाम धर्म एवं संस्कृति की शिक्षा की व्यवस्था की गयी। तत्कालीन ब्राह्मणीय शिक्षा संस्थाओं को सहयोग देना तो दूर, उन्हें नष्ट करने का प्रयत्न किया। इस देश के प्रथम मुसलमान बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक ने गद्दी पर बैठते ही अपने सेनापति बख्तियार खिलजी द्वारा यहाँ के विश्वविख्यात बौद्ध विश्वविद्यालय नालन्दा और विक्रमशिला को नष्ट करवा डाला था।

3. शिक्षा का मूल उद्देश्य इस्लाम धर्म और संस्कृति का प्रचार- मध्यकाल में लगभग सभी मुसलमान शासकों ने इस्लाम धर्म और संस्कृति के प्रचार एवं प्रसार पर बहुत अधिक बल दिया। परिणामतः चाहे मकतब हों, चाहे मदरसे, सभी में इस्लाम धर्म और संस्कृति की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी। यही मुस्लिम शिक्षा का यह उद्देश्य संकीर्णता को प्रदर्शित करता है।

4. भारतीय भाषाओं, साहित्य, धर्म और दर्शन की अवहेलना- मध्यकाल में अकबर बादशाह से पहले इस देश में जितने भी मकतब और मदरसे स्थापित किए गए उनमें न भारतीय भाषाएँ पढ़ाई जाती थीं और न भारतीय साहित्य पढ़ाया जाता था। भारतीय भाषाओं, साहित्य, धर्म और दर्शन की अवहेलना की गयी थी।

5. शिक्षा का माध्यम विदेशी भाषाएँ- मध्यकाल में शिक्षा का माध्यम विदेशी भाषाएँ अरबी और फारसी थीं। अतः सभी बच्चों को प्रारम्भ से ही इन भाषाओं को सीखना होता था। हिन्दुओं के लिए अरबी और फारसी अतिरिक्त बोझ थी। वैसे भी तब अधिकतर हिन्दू इन भाषाओं को सीखना हेय समझते थे। परिणामतः इस देश के बहुसंख्यक इस शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाए; शासन में उच्च पद प्राप्त करने के इच्छुक कुछ हिन्दू ही इस शिक्षा को प्राप्त करते थे। यही कारण है कि तब शिक्षा को सर्वसुलभ नहीं बनाया जा सका।

6. रटने पर अधिक बल- मध्यकाल में मकतबों में प्रारम्भ से ही कुरान शरीफ की आयतें रटाई जाती थीं, गिनती और पहाड़े रटाए जाते थे और इस्लामी शिक्षाएँ और कानून रटाए जाते थे। बच्चों की आधे से अधिक शक्ति इन सबके रटने में ही व्यय होती थी। यह उस समय की मुस्लिम शिक्षा प्रणाली का बहुत बड़ा दोष था। आज रटने पर नहीं, समझने पर बल लिया जाता है।

7. दमनात्मक अनुशासन- मध्यकाल में शिक्षक अपने में तानाशाह होते थे। वे छात्रों को छोटे-छोटे अपराधों पर कठोर दण्ड देते थे। बच्चों को दिनभर खड़े रखना, मुर्गा बनाना, बैतों से पीटना, कोड़े लगाना और कपड़ों से बाँधकर लटका देना, उस समय की दण्ड व्यवस्था थी। छात्र शिक्षकों के भय से आतंकित रहते थे। इसे निकृष्ट कोटि का अनुशासन ही कहेंगे। मनोवैज्ञानिक तो दण्ड के भय से स्थापित व्यवस्था को अनुशासन ही नहीं मानते। उनकी दृष्टि से अनुशासन आन्तरिक होना चाहिए।

8. जन शिक्षा की अवहेलना- मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा में आम जनता की शिक्षा की बात उस काल के किसी बादशाह ने नहीं सोची। इस प्रकार इस शिक्षा प्रणाली में जन शिक्षा की पूरे तौर से अवहेलना की गई।

9. स्त्री शिक्षा की अवहेलना- मध्यकाल में बच्चियों को मकतबों में तो प्रवेश दिया जाता था परन्तु मदरसों में नहीं। मकतबों में भी बहुत कम लोग अपनी बच्चियों को भेजते थे। हाँ, शासक और उच्च वर्ग के कुछ लोग अपनी बच्चियों की शिक्षा की व्यवस्था व्यक्तिगत रूप से अपने घरों में अवश्य करा लेते थे। इस प्रकार इस काल में स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा ह्रास हुआ।

अपनी उन्नति जानिय check your Progress

प्रश्न 1 निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए-

(1) बिस्मिल्लाह खानी

(2) मकतब

(3) मदरसे

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

सही उत्तर का चयन कीजिए।

प्रश्न 2 मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में बिस्मिल्लाह खानी' रस्म किस आयु पर होती थी ?

- (a) 4 वर्ष, 4 माह, 4 दिन (b) 5 वर्ष, 5 माह, 5 दिन
(c) 6 वर्ष, 6 माह, 6 दिन (d) 8 वर्ष, 8 माह, 8 दिन

प्रश्न 3 मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा की व्यवस्था किन संस्थाओं में होती थी ?

- (a) मकतबों (b) मदरसों
(c) खानकाहों (d) दरगाहों

प्रश्न 4 दिल्ली में मदरसा-ए- मुअज्जी' की स्थापना किसने करवाई थी ?

- (a) कुतुबुद्दीन ऐबक (b) इल्तुतमिश ऐबक
(c) हुमायूँ (d) औरंगजेब

प्रश्न 5 शाहजहाँ ने किस मुस्लिम शिक्षा केन्द्र को शिराजे-ए-हिन्द' कहा था ?

- (a) दिल्ली (b) आगरा
(c) फिरोजाबाद (d) जौनपुर

3.6 शारांश Summary

मध्यकालीन में मुस्लिम शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ जिसे मुस्लिम शिक्षा प्रणाली कहते हैं। मुस्लिम शिक्षा प्रणाली इसलिए कि यह मुस्लिम धर्म और संस्कृति पर आधारित थी। हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली के विकास में मुस्लिम शिक्षा प्रणाली का भी काफी योगदान है। आज देश भर में जो मकतब और मदरसे दिखाई दे रहे हैं, वे इसी शिक्षा प्रणाली के अवशेष हैं। आज जो देश में इस्लाम धर्म की शिक्षा के केन्द्र दिखाई दे रहे हैं, ये भी इसी शिक्षा प्रणाली की देन हैं। देवबन्द का दारुलेउलम तो इस्लाम धर्म की शिक्षा का विश्वविख्यात केन्द्र है, देश-विदेश के इस्लाम धर्मावलम्बी इसमें शिक्षा प्राप्त करते हैं। अरबी, फारसी और उर्दू की शिक्षा की व्यवस्था की निरन्तरता इसी प्रणाली का फलता-फूलता फल है। परोक्ष रूप में भी इस शिक्षा प्रणाली का अपना कुछ योगदान है। यँ उसमें कुछ बातें ऐसी थीं जो किसी भी शिक्षा प्रणाली में होनी चाहिए, आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली में भी हमें देखने को मिल रही हैजैसे- शिक्षा की व्यवस्था में राज्य और समाज का सहयोग, निःशुल्क शिक्षा की

व्यवस्था, योग्य एवं निर्धन छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था और समस्त ज्ञान-विज्ञान की उच्च शिक्षा की उत्तम व्यवस्था।

3.7 शब्दावली Glossary

नायकीय पद्धति - मध्यकाल में मुस्लिम मदरसों में उच्च कक्षाओं के योग्य छात्र निम्न कक्षाओं के छात्रों को पढ़ाते थे, इसे नायकीय पद्धति कहते हैं। यूनं इस पद्धति की शुरुआत प्राचीन काल में ही हो गई थी परन्तु मध्यकाल में इस विधि में थोड़ा विकास किया गया, पहले वरिष्ठ छात्रों को इसका प्रशिक्षण दिया जाता था और फिर उन्हें यह कार्य सौंपा जाता था।

खानकाहें- ये प्राथमिक शिक्षा के केन्द्र थे इनमें केवल मुसलमान बच्चों ही प्रवेश ले सकते थे। इनका व्यय दान से प्राप्त धनराशि से चलाया जाता था।

दरगाहें- ये भी प्राथमिक शिक्षा केन्द्र थे। इनमें भी केवल मुसलमान बच्चों को प्रवेश दिया जाता था।

3.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर Answer of Practice Question

उत्तर 2 (1) 4 वर्ष, 4 माह, 4 दिन उत्तर 3 (b) मदरसों

उत्तर 4 (b) इल्तुतमिश ऐबक उत्तर 5 (d) जौनपुर

3.9 सन्दर्भ पुस्तके Book Reference

- i. लाल (डॉ) रमन बिहारी, भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएं, राज प्रिंटर्स, मेरठा
- ii. जे. (डॉ) एस. वालिया (2009) भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास, अहमपाल पब्लिशर्स, मेरठा
- iii. शुक्ला (डॉ) सी. एस. (2008) उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक, इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस, मेरठा
- iv. शर्मा, रामनाथ व शर्मा, राजेन्द्र कुमार (2006) शैक्षिक समाजशास्त्र, एटलांटिक पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स।
- v. शीलू मैरी (डॉ) (2008) शिक्षक के सामाजिक एवं दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, रजत प्रकाशन नई दिल्ली।

3.10 निबन्धात्मक प्रश्न

1. प्राचीन कालीन हिन्दू शिक्षा प्रणाली और मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा प्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए।

-
2. मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श क्या थे? आज के युग में उनकी प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए।
 3. मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के मुख्य अभिलक्षणों (Main Features) का संक्षेप में वर्णन कीजिए।
 4. मध्यकालीन मुख्य मुस्लिम शिक्षा केन्द्रों को विस्तार से लिखीया।
 5. मध्यकाल में स्त्री शिक्षा की क्या स्थिति थी? मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में शिक्षक-शिक्षार्थियों के बीच कैसे सम्बन्ध थे ?
 6. मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा के गुण-दोषों का उल्लेख कीजिए।

इकाई 4 - सन् 1833 का आज्ञा पत्र Anglicist Orientalist Controversy 1833

- 4.1 प्रस्तावना Introduction:-
- 4.2 उद्देश्य Objectives:-
- 4.3 प्राच्य-विवाद Oriental-Occidental Controversy :-
 - 4.3.1 प्राच्यवादी वर्ग Oriental Class:-
 - 4.3.2 पाश्चात्यवादी वर्ग (Occidental Group):-
अपनी उन्नति जानिए Check your Progress
- 4.4 सन् 1833 का आज्ञा पत्र Charter Act 1833 A.D.:-
 - 4.4.1 आज्ञा-पत्र के लाभ (Advantages of the character):-
 - 4.4.2 आज्ञा-पत्र के हानियाँ (Disadvantages of the character)- इस आज्ञा पत्र से कुछ हानियाँ भी हुई:-
 - 4.4.3 प्राच्य-पाश्चात्य विवाद का उग्र होना (Oriental Occidental Controversy Growing):-
- 4.5 1813 से 1833 के 20 वर्ष के काल में देशी शिक्षा की स्थिति:-
 - 4.5.1 देशी पाठशालाओं के पतन के कारण:-
अपनी उन्नति जानिय Check Your Progress
- 4.6 सारांश Summary:-
- 4.7 शब्दावली Glossary:-
- 4.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर Answer of Practice Question:-
- 4.9 सन्दर्भ Reference:-
- 4.10 निबन्धात्क प्रश्न:-

4.1 प्रस्तावना Introduction:-

कम्पनी की आज्ञा पत्र प्रति 20 वर्ष बाद पुनरावर्तन हेतु ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रस्तुत होता था। सन् 1793 में जब कम्पनी का आज्ञा पत्र पुनरावर्तन के लिये ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रस्तुत हुआ था तब उसके सदस्य रॉबर्ट विल्वरफोर्स ने चार्ल्स ग्राण्ट और ईसाई मिशनरियों के विचारों का समर्थन करते हुए यह प्रस्ताव रखा था कि आज्ञा पत्र में एक धारा इस आशय की जोड़ दी जाये ताकि यूरोपीय ईसाई धर्म एवं शिक्षा के प्रसार की उन्मुक्ति प्राप्त हो। पार्लियामेंट के एक दूसरे सदस्य रैडल जेक्सन ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। वाद-विवाद के बाद रॉबर्ट विल्वरफोर्स का प्रस्ताव अस्वीकृत कर लिया गया। पर इंग्लैण्ड की मिशनरियों चार्ल्स ग्रान्स के नेतृत्व में यह मॉग निरन्तर करती रही कि मिशनरियों को भारत जाने और वहाँ ईसाई धर्म और शिक्षा का प्रसार करने की खुली छूट दी जाए।

सन् 1793 के 20 वर्ष बाद जब सन् 1813 में कम्पनी का आज्ञा पत्र पुनरावर्तन हेतु ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रस्तुत हुआ तो इस बार अधिकतर सदस्यों ने मिशनरियों द्वारा चलाये जा रहे आन्दोलन का समर्थन किया। परिणामतः इस आज्ञा पत्र (Charter Act 1813) में तत्सम्बन्धी तीन धारयें जोड़ी गयी।

1. यूरोपीय देश की मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने और वहाँ ईसाई धर्म एवं शिक्षा के प्रसार की पूरी छूट की।
2. ईस्ट इण्डिया कम्पनी पर अपने शासित प्रदेशों में शिक्षा की व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व होगा।
3. प्रतिवर्ष कम से कम एक लाख रुपयों की धनराशि का प्रयोग सहित्य के रख रखाव एवं विकास तथा भारतीय विद्वानों के प्रोत्साहन और भारत में ब्रिटिश शासित क्षेत्र में रहने वालों को विज्ञान का ज्ञान कराने में किया जाए

उपरोक्त आज्ञा पत्र में कुछ कामियाँ थी।

1. आज्ञा पत्र में शिक्षा के स्वरूप और माध्यम के विषय में कोई संकेत नहीं था।
2. धारा 43 के सम्बन्ध में भी बड़ी भ्रान्ति थी। कुछ विद्वान साहित्य से अर्थ भारतीय साहित्य से ले रहे थे। कुछ पाश्चात्य साहित्य थे।
3. भारतीय साहित्य के विषय में भी भिन्न-भिन्न मत थे- कुछ संस्कृत, हिन्दी, अरबी और फारसी साहित्य से ले रहे थे और कुछ सभी भारतीय भाषाओं के साहित्यों से ले रहे थे।
4. कुछ सदस्य साहित्य से अर्थ लैटिन और अंग्रेजी साहित्य से ले रहे थे।

उपरोक्त भ्रान्तियों के परिणामस्वरूप कम्पनी एक लाख रुपयों की धनराशि को व्यय करने के सम्बन्ध में कोई निश्चित नीति नहीं बना पाई और प्रतिवर्ष यह धनराशि भिन्न-भिन्न रूप में व्यय होती रही।

दो विचारधारायें (Two ideologies) भारतीयों की शिक्षा का स्वरूप क्या हों इसका माध्यम क्या हो और यह किस प्रकार व्यवस्थित की जाए इस सन्दर्भ में दो विचारधाराये उभरी- एक प्राच्यवादी और दूसरी पाश्चात्यवादी।

इस सम्बन्ध में भारतीय भी दो खेमों में बँट गये- एक प्राच्यवादी और दूसरे पाश्चात्यवादी। इस प्रकार भारत और ब्रिटेन दोनों स्थानों पर प्राच्य-पाश्चात्य विवाद खड़ा हो गया।

4.2 उद्देश्य Objectives:-

- i. छात्र 1833 के आज्ञापत्र की शिक्षा पद्धति व सुधार को समझ सकेंगे।
- ii. छात्र प्राच्य-पाश्चात्य विवाद के बारे में जान सकेंगे।
- iii. तत्कालीन देशी शिक्षा की स्थिति का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे।
- iv. देशी पाठशालाओं के पतन के कारणों का समझ सकेंगे।

4.3 प्राच्य-विवाद Oriental-Occidental Controvers :-

इस विवाद का जन्म ईस्ट इण्डिया कम्पनी के 1813 के आज्ञा पत्र (Charter Act 1813) से हुआ। इस सम्बन्ध में निम्न दो कारक प्रमुख थे - (1) प्रथम, इस आज्ञा पत्र में यह को निर्देश दिया गया था कि ब्रिटिश कम्पनी शासित क्षेत्रों में शिक्षा की व्यवस्था करना कम्पनी का उत्तरदायित्व होगा परन्तु इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि शिक्षा का स्वरूप क्या होगा ?

(2) द्वितीय, धारा 43 में जो एक लाख रुपये की धनराशि प्रतिवर्ष साहित्य के रख-रखाव और भारतीय विद्वानों के प्रोत्साहन और भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान का ज्ञान कराने के लिये निश्चित की गई थी उसमें साहित्य और भारतीय विद्वान की व्याख्या नहीं की गई थी

परिणामतः कम्पनी के लोगों ने इन दोनों शब्दों का अर्थ अलग-अलग लिया जिसके कारण दो वर्ग बन गये - एक प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी।

4.3.1 प्राच्यवादी वर्ग Oriental Class:-

प्राच्यवादी वर्ग में अधिकतर कम्पनी के वरिष्ठ एवं अनुभवी अधिकारी थे। ये 1813 के आज्ञा पत्र के साहित्य शब्द का तात्पर्य भारतीय साहित्यों से लगाते थे और भारतीय विद्वान का अर्थ भारतीय साहित्यों के विद्वानों से लेते थे। ये चाहते थे कि भारत में - (1) भारतीय भाषाओं अर्थात् संस्कृति, हिन्दी, अरबी आदि के मध्यम से शिक्षा दी जायें

(2) भारतीय साहित्यों एवं ज्ञान- विज्ञान की शिक्षा दी जाए।

(3) भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान- विज्ञान का सामान्य ज्ञान कराया जाये। परन्तु इस सम्बन्ध में इनके अपने- अपने तर्क थे -

(1) कुछ भारत के हित की दृष्टि से ऐसा सोच रहे थे।

(2) कुछ अन्य ब्रिटेन के हित की दृष्टि से ऐसा सोच रहे थे।

(क) भारत के हित की दृष्टि से सोचने वालों के अपने तर्क निम्न प्रकार थे - भारत की अपनी संस्कृति है उसकी संस्कृति की रक्षा करने के लिये उसकी भाषा और साहित्य की शिक्षा देना आवश्यक है।

(ख) ब्रिटेन के हित की दृष्टि से सोचने वालों के तर्क निम्न प्रकार थे

(1) प्रिन्सप तथा अनेक समर्थकों का तर्क था कि भारतीयों में इतनी योग्यता नहीं है कि वे पाश्चात्य भाषा साहित्य और ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा प्राप्त कर सकें।

(2) विल्सन व उनके सथियों आदि का तर्क था कि भारत ने पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा देने से भारत में अंग्रेजों अंग्रेजों का विराध होने की सम्भावना है।

(3) कुछ विचारों का तर्क था कि पाश्चात्य भाषा, साहित्य, ज्ञान -विज्ञान का ज्ञान प्राप्त कर भारतीय उनके अर्थात् यूरोपियों के समकक्ष हो जाएंगे जो कि अनुपयुक्त है।

(4) कुछ का तर्क था कि पाश्चात्य भाषा ज्ञान-विज्ञान का ज्ञान प्राप्त कर भारतीय जागरूक हो जाएंगे और भारत में ब्रिटेन के शासन का उन्मूलन कर देंगे।

(5) कुछ की धारणा यह थी कि भारतवासियों को विभाजित रख कर ही उन पर शासन किया जा सकता था। अतः इस देश के निवासियों को अरबी, फारसी और संस्कृत पर आधारित शिक्षा प्रदान करके, विभिन्न धर्मों और जातियों में विभाजित रखा जाए।

(6) अन्य पाश्चात्यवादी ने भारतीयों को अंग्रेजी की शिक्षा दिये जाने के विपक्ष में निम्न तर्क प्रस्तुत किये -

(क) भारत में पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञानों का प्रसार करने से इस देश की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का लोप हो जाएगा।

(ख) भारत में अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन देने से उस भारतीय साहित्य का विनाश हो जायेगा जिसमें अनेक युगों का ज्ञान संचित है।

(ग) जब भारतीयों की अपनी स्वयं की एक प्राचीन भव्य संस्कृति है तब उनको अन्य देश की भाषा और साहित्य का ज्ञान प्रदान करने के लिये बाध्य करना दोषपूर्ण निति है।

4.3.2 पाश्चात्यवादी वर्ग (Occidental Group):-

पाश्चात्यवादी दल में कम्पनी के नवयुवक कर्मचारी और मिशनरी थे वे सम्पूर्ण देश में यत्र-तत्र बिखरे हुये थे। अतः इस दल का न तो कोई संगठित स्वरूप था और न उनका कोई नेता ही था। फिर भी उन्होंने प्राच्यवादियों की निति का निम्न प्रकार कटु विरोध किया-

(1) उन्होंने यह विचार प्रकट किया कि प्राच्य शिक्षा-प्रणाली मरणासन्न अवस्था को प्राप्त कर चुकी है और उसे पुनः जीवन प्रदान करना मानव-प्रयास से बाहर की बात है।

(2) अरबी, फरसी और संस्कृत के साहित्यों में पुरातन्त्र और निरर्थक विचारों के सिवा किसी प्रकार का उपयोगी ज्ञान नहीं मिलता है।

उपरोक्त स्थिति में भारतीयों का मानसिक विकास करने के लिये उनको अंग्रेजी के माध्यम से पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञानों से अवर्गत कराया जाना परम् आवश्यक है।

पाश्चात्यवादी सन् 1813 के आज्ञा पत्र के 'साहित्य शब्द का अर्थ 'पाश्चात्य साहित्य' से लेते थे। और ये निम्न प्रकार की व्यवस्था चाहते थे।

(1) भारतीयों को प्रदान की जाने वाली शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो।

(2) भारतीयों को पाश्चात्य भाषा और साहित्य का ज्ञान कराया जाए।

(3) कुछ ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य करने के पक्ष में हों।

इस सम्बन्ध में पाश्चात्यवादियों के प्रमुखतया दो वर्ग थे-

(1) कुछ व्यक्ति भारत के हित की दृष्टि से ऐसा सोच रहे थे।

(2) कुछ व्यक्ति ब्रिटेन के हित की दृष्टि से ऐसा सोच रहे थे।

(क) भारत के हित की दृष्टि से सोचने वालों के अपने तर्क इस प्रकार थे -

(1) राजाराम मोहन राय आदि के अनुसार पाश्चात्य शिक्षा से भारतीय अधुनिकतम ज्ञान -विज्ञान से परिचित होंगे और अपनी उन्नति करेंगे।

(ख) ब्रिटेन के हित की दृष्टि से सोचने वालों के तर्क निम्न प्रकार थे

(1) इससे भारत में पश्चिमी संस्कृति को विकसित किया जा सकेगा।

(2) इससे कम्पनी के व्यापार और शासन कार्य के लिये अंग्रेजी पढ़े-लिखे बाबू तैयार किये जा सकेंगे।

(3) भारत में अंग्रेजपरस्त लोग तैयार किये जा सकेंगे जो जन्म से भारतीय होने पर भी विचारों से अंग्रेज होंगे।

(4) भारत में ब्रिटिश शासन की जड़े दृढ़ होंगी।

उपरोक्त प्राच्य-पाश्चात्य विवाद के कारण कम्पनी बीस वर्ष तक अपनी कोई शिक्षा नीति निश्चित नहीं कर सकी।

अपनी उन्नति जानिए Check your Progress

प्रश्न 1 ब्रिटिश काल में शिक्षा के क्षेत्र में किन दो विचारधाराओं का जन्म हुआ।

प्रश्न 2 क्या ब्रिटिश काल में ईसाई धर्म की शिक्षा पर अधिक बल दिया जाता था।

4.4 सन् 1833 का आज्ञा पत्र Charter Act 1833 A.D.

सन् 1813 के बीस वर्ष बाद 1833 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इन्डिया कम्पनी को नया आज्ञा पत्र Charter Act 1833 जारी किया। इस आज्ञा पत्र में कम्पनी पर अपने द्वारा शासित प्रदेशों में शिक्षा की उचित व्यवस्था करने का दायित्व निश्चित किया गया। इस आज्ञा पत्र की शिक्षा सम्बन्धी कुछ धाराएँ निम्न प्रकार हैं-

(1) बंगाल प्रान्त का गवर्नर, गवर्नर जनरल होगा और अन्य प्रान्तों के गवर्नर कुछ मामलों में उसके अधीन होंगे।

(2) गवर्नर जनरल की कौंसिल में एक कानूनी सलाहकार होगा। वह गवर्नर जनरल को प्रत्येक मामले में कानून से अवगत कराएगा।

(3) शिक्षा के लिए 1813 के आज्ञा पत्र में स्वीकृत धनराशि जो एक लाख प्रतिवर्ष थी, अल्प होने के कारण अब 10 लाख रुपया प्रतिवर्ष निश्चित की जाती है।

(4) किसी भी भारतीय को जाति, धर्म या वर्ग के आधार पर कम्पनी में नौकरी के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा। किसी भी पद पर नियुक्ति प्रतिवर्ष अभ्यर्थी शैक्षिक योग्यता और कार्यक्षमता के आधार पर की जाएगी।

(5) किसी भी देश की ईसाई मिशनरियों को भारत आने को उन्मुक्ति होगी पर वे भारतीयों की धर्म भावना को ठेस नहीं पहुँचाएँगे।

4.4.1 आज्ञा-पत्र के लाभ (Advantages of the character)

(Advantages)- उपरोक्त आज्ञा पत्र से अनेक लाभ हुए-

(1) गवर्नर जनरल द्वारा शिक्षा नीति के निर्धारण का प्रारम्भ हुआ।

-
- (2) भारत में ईसाई मिशनरियों का बड़ी संख्या में प्रवेश और शिक्षा के विकास में सहयोग का प्रारम्भ हुआ।
- (3) शिक्षा पर व्यय की जाने वाली धनराशि के एकदम दस गुना हो जाने से शिक्षा का तीव्र विकास हुआ।
- (4) भारतीयों के लिए नौकारी के द्वार खुलने से अंग्रेजी शिक्षा के प्रति आकर्षण बढ़ा।

4.4.2 आज्ञा-पत्र के हानियाँ (Disadvantages of the character)-

इस आज्ञा पत्र से कुछ हानियाँ भी हुई-

- (1) शिक्षा की स्पष्ट नीति अभाव हुआ।
- (2) ईसाई मिशनरियों के अपवित्र इरादों को प्रोत्साहन हुआ।
- (3) भारतीय पद्धति के स्कूलों के साथ सौतेला व्यवहार हुआ।
- (4) अंग्रेजी के प्रति अति आकर्षण, वर्ग भेद प्रारम्भ हुआ।

4.4.3 प्राच्य-पाश्चात्य विवाद का उग्र होना (Oriental Occidental Controversy Growing)

प्राच्यवादियों तथा पाश्चात्यवादियों के मध्य संघर्ष सन् 1834 तक निरन्तर चलता रहा। किसी निर्णायक व्याख्या के अभाव में विभिन्न प्रान्तों के अधिकारीगण अपने-अपने विचारों के अनुरूप धारा 43 की व्याख्या करते रहे तथा तदनुसार शिक्षा नीति बना ली। विभिन्न प्रान्तों की शिक्षा नीतियों में विभिन्नता होने तथा शिक्षा सम्बन्धी विचारों के निरन्तर संघर्ष के परिणामस्वरूप सन् 1813 में शिक्षा के लिए आर्थिक उत्तरदायित्व निश्चित हो जाने पर भी शिक्षा की प्रगति लगभग नगण्य ही रही।

समिति का गठन (Composition of Committee)- उपरोक्त परिस्थितियों में शिक्षा योजनाओं के संचालन हेतु सन् 1823 में जनशिक्षा की समिति (Committee of Public Instruction) का गठन तत्कालीन गर्वनर जनरल के द्वारा किया गया। इस समिति में दस सदस्य थे तथा इसके मंत्री मि- विल्सन। इस समिति में प्राच्यवादियों का बहुमत होने के कारण संस्कृत, अरबी तथा फारसी की शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाने लगा। पाश्चात्यवादियों ने समिति की नीतियों व कार्यों का निरन्तर विरोध किया। कालान्तर में प्राच्य-पाश्चात्य वादियों के विवाद ने उग्ररूप धारण कर लिया। इस प्रकार की स्थिति में समिति के मंत्री ने नीति निर्धारण सम्बन्धी निर्णय देने का अनुरोध किया। लार्ड बैटिक ने गर्वनर जनरल की कौंसिल के विधि सदस्य लार्ड मैकाले को जनशिक्षा समिति का सभापति नियुक्त कर उससे सन् 1813 के आज्ञापत्र की धारा 43 के विवादग्रस्त बिन्दुओं पर कानूनी सलाह देने का निदेश दिया।

4.5 1813 से 1833 के 20 वर्ष के काल में देशी शिक्षा की स्थिति:-

उस समय हमारे देश में एक ओर पहले से चली आ रही दकशी पाठशालाए- गुरुकुल संस्कृत विद्यालय, ग्रामीण स्कूल, मकतब और मदरसे चल रहे थे और दूसरी ओर ईसाई मिशनरियों और ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा संचालित स्कूल एवं कालिज चल रहे थे। 1913 शताब्दी के प्रारम्भ में ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने अपने अधीनस्थ भारतीय क्षेत्र का सर्वेक्षण कराया। इस सर्वेक्षण से कई तथ्य उजागर हुए-

- (1) उस समय देश के सभी भागों में शिक्षा संस्थाओं की पर्याप्त संख्या थी।
- (2) उस समय देश के नगरों में मुख्य रूप से मदरसे और ईसाई मिशनरियों द्वारा संचालित स्कूल चल रहे थे और ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से हिन्दू पाठशालाए चल रही थी।
- (3) उस समय छोटे-छोटे गावों में भी एक हिन्दू पाठशाला चल रही थी।
- (4) इन देशी शिक्षा संस्थाओं में शिक्षा का माध्यम संस्कृत, अरबी और फारसी था।
- (5) उस समय हिन्दू शिक्षा संस्थाओं में अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जाता था।
- (6) उस समय मुस्लिम उच्च शिक्षा संस्थाओं (मदरसों) में केवल चुने हुए योग्य छात्रों को प्रवेश दिया जाता था।
- (7) उस समय बालिकाओं की शिक्षा का बड़ा अभाव था।
- (8) उस समय साक्षरता प्रतिशत लगभग 7 प्रतिशत था।
- (9) उस समय देशी पाठशालाए अवनति की ओर थीं और ईसाई मिशनरियों द्वारा चलाए जा रहे स्कूल प्रगति कर रहे थे।

4.5.1 देशी पाठशालाओं के पतन के कारण:-

1813 के बाद भारत में देशी पाठशालाओं का पतन होना शुरू हो गया था। इसके दो मुख्य कारण थे- एक तो इन देशी पाठशालाओं की अपनी कमियाँ और दूसरा ईसाई मिशनरियों और कम्पनी द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों की अच्छाईयाँ। उन सब कारणों को हम निम्नलिखित रूप में क्रमबद्ध कर सकते हैं-

- (1) देशी पाठशालाओं को शासन की ओर से बहुत कम आर्थिक सहायता दी जाती थी।
- (2) अंग्रेजों ने देशी रियासतों को भी अपने अधीन कर लिया था, परिणामस्वरूप इनसे मिलने वाली आर्थिक सहायता भी बन्द हो गई थी। अतः धीरे-धीरे ये पाठशालाए बन्द होने लगीं।

- (3) अंग्रेजों ने देशी शिक्षा संस्थाओं (मदरसों और कॉलिजों) को तो कुछ प्रोत्साहन दिया परन्तु प्राथमिक शिक्षा की अवेहलना की।
- (4) देशी पाठशालाओं का पाठ्यक्रम संकुचित था, बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता था।
- (5) इन विद्यालयों में पुरानी शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता था और रटने पर अधिक बल दिया जाता था।
- (6) इन विद्यालयों में छात्रों को कठोर अनुशासन में रखा जाता था।
- (7) इन विद्यालयों में कार्यरत अधिकतर शिक्षक कम योग्य थे और अप्रशिक्षित थे।
- (8) इन विद्यालयों में छात्रों के साथ भेद-भाव किया जाता था, अनुसूचित जाति के बच्चों को तो प्रवेश ही नहीं दिया जाता था।
- (9) इन विद्यालयों की स्थिति भी ठीक नहीं थी, न अच्छे भवन थे, न टाट-पट्टी और न शिक्षण साधन व खेल का सामान आदि।
- (10) दूसरी ओर ईसाई मिशनरियों द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों को शासन की ओर से पर्याप्त आर्थिक सहायता दी जाती थी। इन्हें ईसाई सगठनों से भी आर्थिक सहयोग मिलता था।
- (11) ईसाई मिशनरियों और कम्पनी द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में शिक्षा तो निषुल्क: थी साथ ही निर्धन बच्चों को पाठ्यपुस्तके आदि भी निषुल्क: दी जाती थी और अति निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति भी दी जाती थी।
- (12) ईसाई मिशनरियों और कम्पनी द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों का पाठ्यक्रम भी समयानुकूल था, उनमें भाषा, गणित और इतिहास के साथ- साथ स्थानीय कला-कौशलों की शिक्षा का भी प्रबन्ध था।
- (13) ईसाई मिशनरियों और कम्पनी द्वारा संचालित स्कूलों में नवीन रोचक शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता था और अंग्रेजी के साथ-साथ देशी स्थानीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था थी।
- (14) अनुशासन की स्थापना के लिये दण्ड नहीं दिया जाता था। बच्चों के साथ प्रेम एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जाता था।
- (15) इन स्कूलों में शिक्षण करने वाले व्यक्ति योग्य प्रशिक्षित थे।
- (16) इनके द्वारा संचालित विद्यालयों में बच्चों के साथ भेद-भाव नहीं बरता जाता था। सभी को प्रवेश दिया जाता था, अनुसूचित जाति के बच्चों को भी।

(17) इनके द्वारा संचालित विद्यालयों की स्थिति ठीक थी, अच्छे भवन थे, आवश्यक साज-सज्जा थी, समय-सारणी थी, सब कार्य नियामित रूप से होते थे।

(18) इनके द्वारा संचालित स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ने वाले छात्रों को आगे चलकर सरकारी नौकरी प्राप्त होती थी। यह इन स्कूलों का सबसे बड़ा आकर्षण था।

अपनी उन्नति जानिय Check Your Progress

प्रश्न 3 सन 1833 के आज़ा पत्र में शिक्षा के लिय कितनी धनराशी प्रतिवर्ष के लिय स्वीकृत की गयी थी।

प्रश्न 4 भारत में उस समय साक्षरता स्तर कितना था।

प्रश्न 5 भारत में देशी पाठशालाओं की स्थिति कैसी थी।

4.6 सारांश Summary:-

इस काल के प्रारम्भ में जहाँ गाँव-गाँव में देशी पाठशालाएँ थी वे आर्थिक सहायता न मिलने के कारण धीरे-धीरे कम होती गईं और शिक्षा के प्रसार में एक बार कमी आई। 1833 के आज़ा पत्र (Charter Act 1833) में जब शिक्षा हेतु धनराशि को एक लाख से बढ़ाकर दस लाख रुपया किया गया और देशी पाठशालाओं को कुछ जीवन मिला। परन्तु इनकी प्रगति वुड डिस्पेच 1854 के बाद ही शुरू हुई।

इस आज़ा पत्र से कई लाभ हुए-(1) गवर्नर जनरल द्वारा शिक्षा नीति के निर्धारण की शुरुआत, (2) भारत में ईसाई मिशनरियों का बड़ी संख्या में प्रवेश और शिक्षा के विकास में सहयोग (3) शिक्षा पर व्यय की जाने वाली धनराशि के एकदम दस गुना हो जाने से शिक्षा के विकास में तेजी और (4) भारतीयों के लिए नौकरी के द्वार खुलने से अंग्रेजी के प्रति आकर्षण। परन्तु साथ ही कुछ अलाभ भी हुए- (1) शिक्षा की स्पष्ट नीति का अभाव (2) ईसाई मिशनरियों के नापाक इरादों को प्रोत्साहन (3) भारतीय पद्धति के स्कूलों के साथ सौतेला व्यवहार और (4) अंग्रेजी के प्रति अति आकर्षण एवं वर्ग भेद की शुरुआत। पर लाभ-हानि तो एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। शुक्र है स्वतन्त्रता सेनानियों का जिन्होंने हमें अंग्रेजों के चंगुल से शीघ्र मुक्त करा दिया अन्यथा पता नहीं इस देश की क्या स्थिति होती।

4.7 शब्दावली Glossary:-

प्राच्यवादी वर्ग Oriental Class:-प्राच्यवादी वर्ग में अधिकतर कम्पनी के वरिष्ठ एवं अनुभवी अधिकारी थे। ये 1813 के आज़ा पत्र के साहित्य शब्द का तात्पर्य भारतीय साहित्यों से लगाते थे और भारतीय विद्वान का अर्थ भारतीय साहित्यों के विद्वानों से लेते थे।

पाश्चात्यवादी वर्ग (Occidental Group):- पाश्चात्यवादी दल में कम्पनी के नवयुवक कर्मचारी और मिशनरी थे वे सम्पूर्ण देश में यत्र-तत्र बिखरे हुये थे। अतः इस दल का न तो कोई संगठित स्वरूप था और न उनका कोई नेता ही था। फिर भी उन्होने प्राच्यवादियों की निति का न कटु विरोध किया

4.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर Answer of Practice Question:-

उत्तर1 ब्रिटिश काल में शिक्षा के क्षेत्र में दो प्राच्य-पाश्चात्य विचारधाराओं का जन्म हुआ।

उत्तर2 ब्रिटिश काल में ईसाई धर्म की शिक्षा पर सर्वाधिक बल दिया जाता था।

उत्तर3 दस लाख की धनराशी ।

उत्तर4 सात प्रतिशत साक्षरता स्तर ।

उत्तर5 भारत में देशी पाठशालाओं की स्थिति ठीक नहीं थी।

4.9 सन्दर्भ Reference:-

- 1 लाल (डॉ) रमन बिहारी, भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएं। राज प्रिंटर्स, मेरठा
2. जे. (डॉ) एस. वालिया (2009) भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास अहम पाल पुब्लिशर्स पंजाब ।
3. शुक्ला (डॉ.) सी.एस. (2008) उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक, इण्टरनेशनल पब्लिशिंग हाउस, मेरठा
4. शर्मा रामनाथ व शर्मा राजेन्द्र कुमार (2006) शैक्षिक समाजशास्त्र, एटलांटिक पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स।
5. सलैक्स) (डॉ) शीलू मैरी (2008) शिक्षक के सामाजिक एवं दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, रजत प्रकाशन, नई दिल्ली।

4.10 निबन्धात्मक प्रश्न

(1) ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इण्डिया कम्पनी को प्रेषित 1813 के आज्ञा पत्र की मुख्य धाराए क्या थीं? इस आज्ञा पत्र का तत्कालीन भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा?

(2) 1813 का आज्ञा पत्र भारतीय के इतिहास में एक परिवर्तनकारी कदम था। इस कथन की विवेचना कीजिए।

(3) प्राच्य-पाश्चात्य विवाद के मुख्य कारण क्या थे? यह विवाद किन मुद्दों पर केन्द्रित था? इस विवाद का तात्कालीन भारतीय शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा?

(4) 1813 के आज्ञा पत्र की शिक्षा सम्बन्धी मुख्य धाराओं का उल्लेख कीजिए।

- (5) 1813 के बाद देशी पाठशालाओं के पतन के मुख्य कारण क्या थे ?
- (6) 1833 के आज़ा पत्र की मुख्य धाराओं का उल्लेख कीजिए।
- (7) 1813 से 1833 के बीच शिक्षा की प्रगति का संक्षेप में वर्णन कीजिए।
- (8) भारतीय शिक्षा को राजा राममोहन राय के योगदान का वर्णन कीजिए।

**इकाई -5 मैकाले का विवरण पत्र और बैटिक प्रस्ताव 1835 Mecavlay's Minutes ,
Bentick's Resolution of 1835.**

- 5.1 परिचय Introduction:-
- 5.2 उद्देश्य Objectives :-
- 5.3 मैकाले का विवरण-पत्र 1835 (Macvley Menutus 1835)
 - 5.3.1 1813 के आज्ञा पत्र की 43 वी धारा की व्याख्या
 - 5.3.2 लॉर्ड मैकाले के सुझाव
- अपनी उन्नति जानिय check your progress
- 5.4 गवर्नर जनरल विलियम बैटिक की स्वीकृति
 - 5.4.1 लॉर्ड मैकाले के विवरण पत्र और विलियम बैटिक की शिक्षा नीति के परिणाम
 - 5.4.2 मैकाले और उसके विवरण पत्र का मूल्यांकन अथवा गुण-दोष विवेचन
 - 5.4.3 निःस्यन्दन अथवा छन्नाई का सिद्धान्त (Filtration theory of Education)
 - 5.4.4 मैकाले के विवरण पत्र की अच्छाइयों अथवा गुण –
 - 5.4.5 मैकाले के विवरण पत्र की कमियाँ अथवा दोष-
- 5.5 मैकाले और उसके विवरण पत्र का दीर्घकालीन प्रभाव -
- अपनी उन्नति जानिय Check Your Progress
- 5.6 सारांश Summary:-
- 5.7 शब्दावली Glossary:-
- 5.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर Answer of Practice Question:-
- 5.9 सन्दर्भ Reference:-
- 5.10 निबन्धात्क प्रश्न:-

5.1 परिचय Introduction:-

सन् 1835 से पूर्व भारतीयों की शिक्षा के सम्बन्ध में कम्पनियों के अधिकारी प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी दो दलों में बँट गये थे। प्राच्यवादी दल वाले संस्कृत अरबी और फारसी के माध्यम से प्राचीन ज्ञान का प्रसार करना चाहते थे जबकि पाश्चात्यवादी अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पाश्चात्य साहित्य और विज्ञान की शिक्षा का समर्थन करते थे। इसलिए सन् 1813 के आज्ञा पत्र की 43 वी धारा के अनुसार 1 लाख रुपया साहित्य के विकास तथा विद्वान भारतवासियों को प्रोत्साहित करने और ब्रिटिश भारत के निवासियों में विज्ञान का प्रचार और प्रसार करने

से प्रथक रखा गया था उसके सम्बन्ध में प्राच्यवादियों का मत था कि साहित्य से अभिप्राय हिन्दू, मुसलमानों के साहित्य से है। उनका कहना था कि संस्कृत, अरबी और फारसी से शिक्षा की व्यवस्था की जाए और अंग्रेजी साहित्य और वैज्ञानिक ग्रन्थों का भी अनुवाद पूर्वी भाषाओं में किया जाए तथा अंग्रेजी में शिक्षा का माध्यम न बनाया जाए।

इस दल में बंगाल के शिक्षा सचिव एच० टी० प्रिन्सेप और लोक शिक्षा समिति के मन्त्री ए० एच० विल्सन के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। पर इन दोनों में भी मतभेद न था प्रिन्सेप का यह दावा था कि भारतीय कभी भी अंग्रेजी भाषा के विद्वान नहीं हो सकते और विल्सन यह नहीं चाहता था कि भारतीय अंग्रेजी पढ़कर उसने देशवादियों के साथ कन्धा मिलाकर खड़े हो। कुछ प्राच्यवादियों को यह भी सन्देह था कि पाश्चात्य ज्ञान व विचारों के सम्पर्क में आने से भारतीय संस्कृति नष्ट हो जायगी। अतः वह शिक्षा का माध्यम संस्कृत, अरबी, फारसी को बनाना उचित समझते थे। ठीक इसके विपरीत पाश्चात्यवादी अंग्रेजी भाषा के पक्ष में थे और उनका कहना था कि शिक्षा के लिए संकल्पित सम्पूर्ण धनराशि पाश्चात्य शिक्षा में ही व्यय की जाए। इस दल में न केवल कम्पनी के नवयुवक अधिकारी और मिशनरी सम्मिलित थे बल्कि कुछ भारतवासी भी थे जो यह मानते थे कि इस प्रकार यह दल पाश्चात्य शिक्षा व अंग्रेजी भाषा का कट्टर समर्थक था।

5.2 उद्देश्य Objectives:-

- i. ब्रिटिश कालीन शिक्षा पद्धति का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे।
- ii. मैकाले विवरण पत्र की नीतियों का जान सकेंगे।
- iii. प्राच्य-पाश्चात्य शिक्षा के विवाद को समझ सकेंगे।
- iv. निःसन्देह या छानाई सिद्धांत को समझ सिद्धांत को समझ सकेंगे।
- v. छात्रों के ज्ञान में बढ़ोतरी कर सकेंगे।

5.3 मैकाले का विवरण-पत्र 1835 (Macvley Menutus 1835)

लार्ड मैकाले ने गवर्नर जनरल की कौंसिल के कानून सदस्य के रूप में 10 जून 1834 में भारत में प्रवेश किया। उस समय विवाद अपनी चरम सीमा पर था। लार्ड बैटिक का विश्वास था कि मैकाले जैसा विद्वान ही इस विवाद को हल कर सकता था। अतः उसे बंगाल की लोक शिक्षा सीमिति का सभापति बना दिया गया। उसने लार्ड मैकाले से अनुरोध किया कि 1813 के आज्ञा पत्र की 43 की धारा में अंकित 1 लाख रुपये की धनराशि को व्यय करने के प्राच्य पाश्चात्य विवाद सुलझाये। मैकाले ने सर्वप्रथम आज्ञा पत्र की धारा और दोनों के कर्तव्य का अध्ययन करके अपनी तर्कपूर्ण और भाव भाषा में सलाह दी जिसे अपने विवरण पत्र में लेखबद्ध करके 2 फरवरी 1835 के लार्ड वैक के पास भेज दिया है।

5.3.1 1813 के आज्ञा पत्र की 43 वी धारा की व्याख्या

इस आज्ञा पत्र के तीन मुद्दे विवाद के विषय थे- आवंटित धनराशी का व्यय हो, साहित्य शब्द से क्या अर्थ लिया जाए और भारतीय विद्वान की सीमा में कौन से विद्वान लिये जाएं। मैकाले ने इन तीनों मद्दों को स्पष्ट किया।

1. धनराशी के व्यय की व्याख्या - मैकाले ने स्पष्ट किया कि इस धनराशी को व्यय करने के सम्बन्ध में किसी प्रकार का बन्धन नहीं है वह इसे जिस मद पर जिस तरह व्यय करना चाहे कर सकती है।
2. साहित्य शब्द की व्याख्या - मैकाले ने स्पष्ट किया कि साहित्य शब्द से तात्पर्य केवल भारतीय साहित्य-संस्कृत, अरबी आदि के साहित्य से ही नहीं है। अपितु इसकी सीमा में पाश्चात्य साहित्य (अंग्रेजी साहित्य) भी आता है।
3. भारतीय विद्वान की व्याख्या - भारतीय विद्वान की सीमा के सम्बन्ध में मैकाले ने कहा कि इसमें केवल भारतीय भाषाओं (संस्कृत और अरबी) के विद्वान ही नहीं अपितु अंग्रेजी साहित्य के विद्वान भी आते हैं, लॉक के दर्शन और मिल्टन की कविताओं के जानकारी भी आती है।

5.3.2 लॉर्ड मैकाले के सुझाव -

1813 के आज्ञा पत्र की तत्संबन्धी धारा 43 की व्याख्या करने के बाद लॉर्ड मैकाले ने भारतीयों की शिक्षा के स्वरूप के सम्बन्ध में अपने सुझाव प्रस्तुत किए। मैकाले के उन सुझावों को निम्नलिखित रूप में क्रमबद्ध किया जा सकता है-

(a) प्राच्य साहित्य एवं ज्ञान की शिक्षा निरर्थक- भारतीय साहित्य (संस्कृत और अरबी) के विषय में मैकाले ने लिखा कि भारतीय धर्म ग्रन्थ अन्धविश्वासों और मूर्खतापूर्ण तथ्यों के भी हैं। इसके इतिहास में 30 फीट लम्बे राजाओं का वर्णन है और उसके भूगोल में शीरे और मक्खन के समुद्रों का वर्णन है। इसका चिकित्साशास्त्र ऐसा है जिस पर अंग्रेज पशु चिकित्सक को भी शर्म आएगी और ज्योतिषशास्त्र ऐसा है जिस पर अंग्रेज स्कूली लड़कियाँ हँसेंगी। अब इनका पढ़ना-पढ़ाना निरर्थक है। उसने यह भी सुझाव दिया कि संस्कृत और अरबी स्कूल तथा कॉलेजों पर सरकारी धन व्यय करना व्यर्थ है, उन्हें तुरन्त बन्द कर दिया जाए। साथ ही उसने यह भी सुझाव दिया कि प्राच्य साहित्य के मुद्रण और प्रकाशन पर सरकारी धन को व्यय नहीं किया जाए।

(B) पाश्चात्य साहित्य एवं ज्ञान की शिक्षा महत्वपूर्ण - मैकाले अंग्रेजी साहित्य को संसाधन का सर्वश्रेष्ठ साहित्य मानता था। संस्कृत और अरबी साहित्य को तो वह उसके आगे निम्न मानता था। उसने अपने विवरण पत्र में लिखा कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी की पुस्तके भारत और अरब के सम्पूर्ण साहित्य के बराबर हैं (a single shelf of good European library worth the whole native literature of India)

and Arabia) उसने सुझाव दिया कि भारतीयों को अंग्रेजी भाषा और साहित्य का ज्ञान अनिवार्य रूप से कराया जाए।

(C) अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाना आवश्यक - प्राच्यवादी भारतीय भाषाओ (संस्कृत और अरबी आदि) को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहते थे और पाश्चात्यवादी अंग्रेजी को। मैकाले ने अपने विवरण पत्र में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का सुझाव दिया। अपने सुझाव के पक्ष में उसने अग्रलिखित तर्क प्रस्तुत किये।

1. भारत में प्रचालित देशी भाषायें अविकसित और गँवारा है इनका शब्दाकोष बहुत सीमित है। इनके माध्यम से भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान से परिचित नहीं कराया जा सकता।

2. अंग्रेजी भाषा में संसार का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान भण्डार है जो अंग्रेजी भाषा को जानता है वह उस ज्ञान भण्डार को जान सकता है जिसे की सबसे बुद्धिमान जातियों ने रचा है। भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान अंग्रेजी के माध्यम से ही कराया जा सकता है।

3. संस्कृत और अरबी भारत की सर्वसाधारण की भाषा नहीं है और इन्हें सीखने में भारतीयों की रुचि भी नहीं है। वैसे भी इनकी अपेक्षा अंग्रेजी भाषा सीखना सरल है इसलिये इसे ही शिक्षा का माध्यम बनाया जाए।

4. अंग्रेजी शासकों की भाषा है, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की भाषा है और अब भारत के उच्च वर्ग के लोगों की भाषा है। अतः इसे ही शिक्षा का माध्यम बनाया जाए।

5. अब प्रबुद्ध भारतीय राजा राममोहन राय आदि भी यह स्वीकार कर रहे हैं कि भारत के विकास और उत्थान के लिये अंग्रेजी सीखना आवश्यक है और पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान सीखना आवश्यक है। अतः अंग्रेजी को ही शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिये।

6. मैकाले ने भारतीय कानून की शिक्षा के लिये अरबी और फारसी को माध्यम बनाए रखने का भी विरोध किया और सुझाव दिया कि भारतीय कानून का अंग्रेजी में अनुवाद किया जाए और उसकी शिक्षा भी अंग्रेजी के माध्यम से दी जाए।

(D) उच्च वर्ग के लिये उच्च शिक्षा संस्थाओं की व्यवस्था- मैकाले ने अपने विवरण पत्र में यह भी स्पष्ट किया कि सरकार के पास इतना धन नहीं है कि वह भारत में जन शिक्षा की व्यवस्था करे। अपने इस सुझाव के पक्ष में उसने निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किये-

1. इससे भारत में एक ऐसे वर्ग का निर्माण होगा - उच्च शिक्षा प्राप्त उच्च वर्ग और शासित (भारत की आम जनता) के बीच सन्देशवाहक का कार्य करेगा।

2. इससे भारत में दो वर्गों का निर्माण होगा - उच्च शिक्षा प्राप्त उच्च वर्ग और उच्च शिक्षा से वंचित निम्न वर्ग।

3. इससे उच्च वर्ग में पड़े पाश्चात्य संस्कार धीरे- धीरे उनके सम्पर्क में आने वाले निम्न वर्ग के लोगों पर पड़ेगे।
4. इससे कम्पनी को कनिष्ठ पदों पर कार्य करने वाले भारतीय सरलता से मिल सकेंगे।
5. उच्च वर्ग के शिक्षित लोगों के द्वारा शिक्षा निम्न वर्ग के लोगों तक स्वयं पहुंच जाएगी।

(E) शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक तटस्थता की नीति आवश्यक – यू तो मैकाले भारत पाश्चात्य ईसाई धर्म, पाश्चात्य यूरोपियन संस्कृति और पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान का प्रसार धर्म भारतीयों को पाश्चात्य जामा पहनाने का प्रबल समर्थन था परन्तु वह सब कार्य बहुत चतुराई से करना चाहता था। वह जान रहा था कि यदि इस सबके लिये सीधे और जबरन प्रयास किया जाए तो उससे एक ओर भारतीय अपने धर्मों की रक्षा और उनके प्रसार के लिये क्रियाशील हो जाएंगे और दूसरी ओर वे अंग्रेजी शासन का विरोध करने लगेंगे। इसलिये उसने विद्यालयों में किसी भी धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से नें दिये जाने का सुझाव दिया।

अपनी उन्नति जानिय check your progress

सही/गलत पर (/) निसान लगाये

प्रश्न1 प्राच्यवादियों को यह भी सन्देह था कि पाश्चात्य ज्ञान व विचारों के सम्पर्क में आने से भारतीय संस्कृति नष्ट हो जायगी। सही/गलत।

प्रश्न2 लार्ड मैकाले ने गवर्नर जनरल की कौंसिल के कानून सदस्य के रूप में 10 जून 1834 में भारत में प्रवेश किया। सही/गलत

5.4 गवर्नर जनरल विलियम बैटिक की स्वीकृति

2 फरवरी 1835 को गवर्नर बैटिक को मैकाले का विवरण पत्र प्राप्त हुआ। इस नीति पर उसने गम्भीरता से विचार किया और 7 मार्च 1835 को मुख्य सिफरिशो स्वीकार करते हुए ब्रिटिश सरकार की नई शिक्षा नीति की घोषणा की इस नीति की मुख्य घोषणाये इस प्रकार थी।

1. शिक्षा के लिये निरधारित धनराशी सर्वोत्कृष्ट प्रयोग केवल अंग्रेजी शिक्षा के लिये ही किया जा सकेगा। (all government fund appropriated for the purpose of the education would be best employed of English an education alone-Government prolation of 1835)।
2. संस्कृत, आरबी और फरसी की शिक्षा संस्थाओं को बन्द नहीं किया जाएगा। उनके आध्यापकों के वेतन और छात्रों की छात्रवृत्तियों के लिये आर्थिक अनुदान यथावत् रहेगा।
3. भविष्य में प्राच्य साहित्य के मुद्रण और प्रकाशन पर कोई व्यय नहीं किया जाएगा।
4. मद 3 से बचने वाली धनराशी को अंग्रेजी साहित्य और पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा पर व्यय किया जाएगा।

5.4.1 लॉर्ड मैकाले के विवरण पत्र और विलियम बैटिक की शिक्षा नीति के परिणाम

लॉर्ड मैकाले के विवरण पत्र के आधार पत्र घोषित विलियम बैटिक की शिक्षा नीति परिणामों को निम्नलिखित रूप में क्रमबद्ध किया जा सकता है-

- (1) भारत में अंग्रेजी माध्यम की अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत।
- (2) विद्यालयी पाठ्यक्रम में प्राच्य भाषा और साहित्यों और ज्ञान- विज्ञान के स्थान पाश्चात्य भाषा अंग्रेजी और पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान को स्थान।

5.4.2 मैकाले और उसके विवरण पत्र का मूल्यांकन अथवा गुण-दोष विवेचन

यू तो का मैकाले की दलील थी कि प्राच्य साहित्य और ज्ञान- विज्ञान बहुत निम्न कोटि का है इसलिए भारतीयों की दशा सुधारने के लिए उन्हें अंग्रेजी साहित्य और ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा देना आवश्यक है और यह शिक्षा अंग्रेजी भाषा के माध्यम से ही दी जा सकती है, परन्तु वास्तविकता यह है कि वह हमारे देश में एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना चाहता था जो जन्म से तो भारतीय हो परन्तु आचार-विचार से अंग्रेज हो। उसके अपने शब्दों में- हमें भारत में एक ऐसा वर्ग विकसित करना चाहिए जो हमारे और उनके बीच जिन पर हम राज्य करते हैं, सन्देश वाहक का कार्य करे। एक ऐसा वर्ग जो रक्त और रंग में भारतीय हो परन्तु विचार, आदर्श और बुद्धि में अंग्रेज हो। (we must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions which we govern. A class of persons Indian in blood and the colour but English in opinion morals and in intellect.) इतना ही नहीं अपितु उसका इरादा भारतीय धर्म, दर्शन और संस्कृति को जड़मूल से समाप्त करने का था। उसने बंगाल से अपने पिता को लिखे पत्र में स्वयं लिखा था। यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि हमारी शिक्षा योजना को लागू किया जाता है तो 30 वर्ष पश्चात बंगाल के उच्च वर्ग में कोई भी मूर्ति उपासक शेष नहीं बचेगा (It is my believe that if our plans of education are followed up there will not be a single Idolator among the respectable classes in Bengal thirty years hence)

साफ जाहिर है कि भारतीयों की दृष्टि से मैकाले का इरादा नेक नहीं था भारतीय धर्म, दर्शन और संस्कृति को नष्ट करना चाहता था और उसके स्थान पर यहाँ पाश्चात्य धर्म, दर्शन और संस्कृति का विकास करना चाहता था साथ ही भारत में अपने देश के शासन की नींव सुदृढ़ करना चाहता था और इस दृष्टि से मैकाले और उसका विवरण पत्र दोनों ही आलोचना के विषय हैं उनकी जितनी भर्त्सना की जाए थोड़ी है।

5.4.3 निस्सन्दन अथवा छन्नाई का सिद्धान्त (Filtration theory of Education)

(a) सिद्धान्त की व्याख्या (Explanation of Theory)- निस्सन्दन या छन्नाई शब्द का अंग्रेजी रूपान्तर है जो (Filter) - शब्द से बना है जिसका अर्थ “छानना” होता है। इसका तात्पर्य यह था कि उच्च वर्ग से शिक्षा छन-छन कर निम्न वर्ग तक पहुँचे। असल में कम्पनी शिक्षा पर अधिक धन व्यय नहीं करना चाहती थी। जितना पैसा कम्पनी खर्च कर रही थी। उससे व्यापक रूप में शिक्षा का प्रचार नहीं किया जा सकता था जिस कारण इस सिद्धान्त का जन्म हुआ कि उच्च वर्ग के लोगो पर शिक्षा का व्यय किया जाए। उच्च वर्ग को दिया गया ज्ञान छन-छन कर निम्न वर्ग तक अपने आप पहुँच जाएगा।

Matheu Artherb ने The Education in Indian में लिखा है जन समूह में शिक्षा ऊपर से टपकाई जाए। बूँद-बूँद करके भारतीय जीवन के हिमालय से लाभदायक शिक्षा नीचे बहे जो समय पाकर एक चौड़ी व विशाल धारा में परिवर्तित हो जाए।

(b) सिद्धान्त के समर्थक - वैसे छन्नाई के सिद्धान्त का जन्मदाता मैकाले माना जाता है परन्तु मैकाले से पूर्व भी कम्पनी के अधिकारी तथा संचालक इस विचार से प्रभावित थे तथा समय-समय पर उन्होंने अपने विचार इस सम्बन्ध में व्यक्त किये थे।

1. ईसाई मिशनरियों का विचार था कि उच्च वर्ग के लोगो को शिक्षा देकर उन्हें ईसाई बनाया जाए जिससे निम्न वर्ग के लोग उनसे प्रेरणा लेकर ईसाई धर्म स्वीकार कर सकें।
2. बम्बई के गवर्नर की कौंसिल के सदस्य फ्रांसिस वार्डन ने 23 दिसम्बर 1823 के अपने विवरण पत्र में लिखा था बहुत से व्यक्तियों को थोड़ा सा ज्ञान देने के बजाय थोड़े से व्यक्तियों को बहुत सा ज्ञान देना अधिक लाभदायक है।
3. कम्पनी के संचालकों ने अपने आदेश पत्र में 29 दिसम्बर 1830 के अपने विवरण पत्र में लिखा था शिक्षा की प्रगति उसी समय हो सकती है जब उच्च वर्ग के उन व्यक्तियों को शिक्षा दी जाए जिनके पास अवकाश है तथा जिनका अपने देश के निवासियों पर प्रभाव है।
4. मैकाले ने तो अपने विचारों से इस सिद्धान्त को व्यावहारिक स्वरूप प्रदान किया तथा सरकार द्वारा उसे स्वीकृति भी प्रदान करायी। उसने अपने विवरण पत्र में लिखा था हमारा उद्देश्य एक ऐसे वर्ग का निर्माण है जो इसके उपरान्त अपने देश वासियों को उस शिक्षा के जो हमने उसे दी है कुछ अंशो को वितरित कर सकें।
5. बंगाल लोक शिक्षा समिति ने सन् 1839 में कहा था- हमारे प्रयास सर्वप्रथम उच्च तथा मध्यम वर्ग की शिक्षा पर केंद्रित रहने चाहिए।

(C) आकलैण्ड द्वारा सिद्धान्त को स्वीकृति - तत्कालीन गवर्नर जनरल आकलैण्ड ने छन्नाई के सिद्धान्त को शिक्षा की सरकारी नीति के रूप में स्वीकार कर लिया। उन्होंने 24 अक्टूबर सन् 1830 के अपने विवरण पत्र में घोषित

किया। सरकार का प्रयास समाज के उच्च वर्गों में उच्च शिक्षा का प्रसार करने तक सीमित रहना चाहिये जिनके पास अध्ययन का अवकाश है जिनकी संस्कृति छन-छन कर जन साधारण तक पहुंचेगी।

(Attempt of government should be restricted to the extension of high education to the upper classes of society who have leisure for study wholes filter could would down to the masses – Aukland's Minute 1829

5.4.4 मैकाले के विवरण पत्र की अच्छाइयाँ अथवा गुण –

1. प्राच्य-पाश्चात्य विवाद के विषय में तर्कपूर्ण निर्णय-मैकाले ने यू तो पाश्चात्यवादियों का ही समर्थन किया था और बहुत पक्षपातपूर्ण ढंग से लिया था परन्तु जिस चतुराई के साथ था, वह उसकी विशेषता ही कही जाएगी। बहरहाल विवाद का हल तो प्रस्तुत हुआ ही।
2. पाश्चात्य भाषा, साहित्य और ज्ञान-विज्ञान की वकालत-ज्ञान अपने में प्रकाश अमृत है वह कही से भी प्राप्त हो उसे लेना चाहिए। मैकाले ने पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान की श्रेष्ठ स्पष्ट की, उससे भारतीयों को परिचित कराने पर बल दिया, यह उसके विवरण पत्र में एक बड़ा अच्छाई की बात थी।
3. प्रगतिशील शिक्षा की वकालत-मैकाले के समय भारत में जो शिक्षा चल रह थी वह रुढ़िवाद थी, प्राचीन साहित्य प्रधान थी। मैकाले ने उसे आधुनिक ज्ञान-विज्ञान प्रधान बनाने पर बल दिया, उसे आवश्यक बनाने पर बल दिया। यह उसके विवरण पत्र की सबसे बड़ी अच्छाई थी।
4. शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक तटस्थता की नीति-मैकाले के समय हिन्दू पाठशालाओं में हिन्दू धर्म, मुस्लिम मकतब और मदरसों में इस्लाम मिशनरियों के स्कूलों में ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी रही थी। मैकाले ने सरकार द्वारा अनुदान प्राय स्कूलों में किसी भी धर्म की शिक्षा न दिये जाने की सिफारिश की। भारतीय सन्दर्भ में यह उसका अति उतम सुझाव था।

5.4.5 मैकाले के विवरण पत्र की कमियाँ अथवा दोष-

1. 1813 के आज्ञा पत्र की धारा 43 की व्याख्या पक्षपातपूर्ण - मैकाले का शिक्षा के लिये स्वीकृत धनराशी को व्यय किए जाने के सम्बन्ध में कहना कि उसे किसी भी रूप व्यय किया जा सकता है, साहित्य से तात्पर्य प्राच्य और पाश्चात्य साहित्य से है और भारतीय विद्वान से अर्थ भारतीय साहित्य के विद्वानों के साथ - साथ लॉक के दर्शन और मिल्टन की कविता को जानने वाले भारतीय विद्वानों से भी है, पक्षपातपूर्ण था। यह बात दूसरी है कि वह उसे अपने तर्कों से उचित सिद्ध कर सका।
2. प्राच्य साहित्य की आलोचना द्वेषपूर्ण - मैकाले ने प्राच्य साहित्य को अति निम्न स्तर का बताया और उसकी मखौल उड़ाई। यह उसकी द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति थी, नादानी थी, काश उस ऋग्वेद और उपनिषदों के आध्यात्मिक

ज्ञान, यथर्ववेद के भौतिक ज्ञान और चरक संहिता आयुर्वेद विज्ञान आदि का अध्ययन किया होता तो वह ऐसा कहने का दुस्साहस कभी न कर पाता।

3. अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का सुझाव अनुचित- किसी भी देश की शिक्षा का माध्यम उस देश के नागरिकों की मातृभाषा अथवा मातृभाषाएँ होती है। मैकाले ने भारत की शिक्षा का माध्यम विदेशी भाषा अंग्रेजी को बनाने का सुझाव देकर न जाने कितने भारतीयों को शिक्षा प्राप्त करने से वंचित कर दिया था। इससे जन शिक्षा को बड़ा धक्का लगा।

4. केवल उच्च वर्ग के लिये उच्च शिक्षा की व्यवस्था का सुझाव अनुचित- शिक्षा को सबका जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे किसी वर्ग तक सीमित रखना मानवीय अधिकारो का हनिकारक है।

5.5 मैकाले और उसके विवरण पत्र का दीर्घकालीन प्रभाव -

1. भारतीयों को पाश्चात्य साहित्य और ज्ञान-विज्ञान की जानकारी - मैकाले के सुझावों पर भारत में जिस अंग्रेजी माध्यम की यूरोपीय ज्ञान-विज्ञान प्रधान शिक्षा की व्यवस्था की गई उससे द्वारा भारतीयों को पाश्चात्य साहित्य और ज्ञान-विज्ञान की जानकारी हुई जिससे अनेक लाभ हुए।

2. भारत में भौतिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त - मैकाले के समय भारतीय शिक्षा में सामाजिक व्यवहार और आध्यात्मिक विकास पर अधिक बल दिया जाता था। मैकाले के सुझावों के आधार पर जिस शिक्षा प्रणाली को लागू किया गया उसमें समग्र रूप से देश की उन्नति का ध्यान रखा गया। उससे भारत की भौतिक क्षेत्र में बहुत उन्नति हुई।

3. भारत में सामाजिक जागरूकता का उदय- उस समय हम अनेक सामाजिक बुराई से ग्रस्त थे। मैकाले ने जिस शिक्षा प्रणाली की नींव रखी उससे हम उनके प्रति सचेत हुए अनेक दूर करने के लिये प्रयत्नशील हुए और उनमें अनेक सुधार किए।

4. भारत में राजनैतिक जागरूकता का उदय - अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली ने हमें हमारे मान-अधिकारों का ज्ञान कराया स्वतन्त्रता, समानता और भ्रातृत्व का महत्व बताया और हमारे राजनैतिक चेतना जागृत की। नुरुल्ला और नायक ने ठीक ही लिखा है कि यदि भारत अंग्रेजी शिक्षा का प्रादर्भाव न हुआ होता तो कदाचित भारत में स्वतन्त्रता संग्राम ही शुरु न हुआ होता।

5. भारत में अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व - उपर्युक्त अच्छाइयों के साथ इसके कुछ कुप्रभाव भी पड़े। उन कुप्रभावों में सबसे मुख्य प्रभाव विदेशी भाषा अंग्रेजी का वर्चस्व बढ़ना है। आप देख रहें हैं कि इस देश में अंग्रेजी का वर्चस्व इतना बढ़ गया है कि उसे जितना कम करने का प्रयास किया जाता है वह उतना और अधिक बढ़ जाता है। अब इस देश से अंग्रेजी का वर्चस्व समाप्त करना दुर्लभ प्रतीत होता है।

6. भारत में पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति का प्रवेश – यू तो किसी सभ्यता और संस्कृति के अच्छे तत्वों को स्वीकार कर अपनी सभ्यता एवं संस्कृति में विकास करना अच्छी बात है। परन्तु अपनी सभ्यता एवं संस्कृति को हेय समझकर दूसरी सभ्यता एवं संस्कृति को स्वीकार कर अपनी पहचान को समाप्त करना है, अपनी अस्मिता को समाप्त करना है। मैकाले द्वारा प्रस्ताविक अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का हमारे ऊपर कुछ ऐसा ही कुप्रभाव पड़ा है।

अपनी उन्नति जानिय Check Your Progress

प्रश्न 3 गवर्नर बैटिक को मैकाले का विवरण पत्र कब प्राप्त हुआ?

प्रश्न 4 1813 के आज्ञा पत्र का वर्णन किस धारा में किया गया है?

5.6 सारांश Summary:-

कुछ विद्वानों का मत है कि मैकाले के इरादे तो नेक थे वह भारतीयों की उन्नति कर चाहता था यह बात दूसरी है कि उसके द्वारा प्रतिपादित अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली से हमें हानियाँ हुई हैं। परन्तु वास्तविकता यह है कि मैकाले के इरादे नेक नहीं थे, वह भारतीयों साहित्य, धर्म और दर्शन को समाप्त कर उसके स्थान पर यहाँ पाश्चात्य साहित्य, धर्म और दर्शन का विकास करना चाहता था यह बात दूसरी है कि उसके सुझावों के आधार पर भारत में जिस अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली को शुरू किया गया उससे हमें लाभ अधिक और हानियाँ अपेक्षाकृत कम हुई हैं। सबसे बड़ा लाभ तो हमें यह हुआ कि देश में रुढ़िवादी शिक्षा के स्थान पर प्रगतिशील शिक्षा की शुरुआत हुई जिसके कारण देश में भैतिक तरक्की हुई सामाजिक सुधार हुए राष्ट्रिय चेतना जागृत हुई, स्वतन्त्रता संग्राम छिड़ा और हम स्वतन्त्र हुए। आज हमने कृषि और दूर संचार एवं अन्तरिक्ष तकनीकी में जो उल्लेखनीय उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं ये सब इस अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के ही परिणाम हैं। आज इसी भाषा के माध्यम से हम देश-विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं विशेषकर विज्ञान और तकनीकी की ओर इसी के माध्यम से हम दूसरे देशों में अच्छी नौकरी प्राप्त कर रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में सफलता का आधार भी यह अंग्रेजी भाषा है। रही जन शिक्षा की बात हमने स्वतन्त्र होने के बाद अपनी शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा को बनाया है। इससे जन शिक्षा का प्रसार हो रहा है। रही उच्च स्तर पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाए रखने की बात यह एक ओर हमारी विवशता है और दूसरी ओर हमारी आवश्यकता है। यह अन्तर्राष्ट्रीय का युग है। अतः हमें मैकाले को उसके नापाक इरादों के लिये क्षमा कर देना चाहिये और उसके द्वारा प्रतिपादित अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली से हमें जो लाभ हुए हैं उसके लिये उसे साधुवाद देना चाहिए।

5.7 शब्दावली Glossary:-

साहित्य शब्द - मैकाले ने स्पष्ट किया कि साहित्य शब्द से तात्पर्य केवल भारतीय साहित्य-संस्कृत, अरबी आदि के साहित्य से ही नहीं है। अपितु इसकी सीमा में पाश्चात्य साहित्य (अंग्रेजी साहित्य) भी आता है।

प्राच्य साहित्य एवं ज्ञान की शिक्षा निरर्थक- भारतीय साहित्य (संस्कृत और अरबी) के विषय में मैकॉले ने लिखा कि भारतीय धर्म ग्रन्थ अन्धविश्वासों और मुर्खतापूर्ण तथ्यों के भी है। इसके इतिहास में 30 फीट लम्बे राजाओं का वर्णन है और उसके भूगोल में शीरे और मक्खन के समुद्रों का वर्णन है। इसका चिकित्साशास्त्र ऐसा है जिस पर अंग्रेज पशु चिकित्सक को भी शर्म आएगी और ज्योतिषशास्त्र ऐसा है जिस पर अंग्रेज स्कूली लड़कियाँ हँसेंगी। अब इनका पढ़ना-पढ़ाना निरर्थक है।

5.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर Answer of Practice Question:-

उत्तर 1 सही।

उत्तर 2 सही।

उत्तर 3 फरवरी 1835 को गवर्नर बैटिक को मैकाले का विवरण पत्र प्राप्त हुआ।

उत्तर 4 1813 के आज्ञा पत्र का वर्णन धारा 42 में किया गया है?

5.9 सन्दर्भ Reference:-

- i. लाल (डॉ) रमन बिहारी, भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएं, राज प्रिंटर्स, मेरठा
- ii. जे. (डॉ) एस. वालिया (2009) भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास, अहमपाल पब्लिशर्स, मेरठा
- iii. शुक्ला (डॉ) सी. एस. (2008) उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक, इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस, मेरठा
- iv. शर्मा, रामनाथ व शर्मा, राजेन्द्र कुमार (2006) शैक्षिक समाजशास्त्र, एटलांटिक पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स।
- v. शीलू मैरी (डॉ) (2008) शिक्षक के सामाजिक एवं दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, रजत प्रकाशन नई दिल्ली।

5.10 निबन्धात्क प्रश्न:-

1. मैकॉले के विवरण पत्र की मुख्य सिफारिशें क्या थी? उनका तत्कालीन भारतीय शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा?
2. मैकॉले भारत में पाश्चात्य अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है विवेचना कीजिए।
3. निःस्यन्दन सिद्धान्त क्या है? इसके गुण दोषों की विवेचना कीजिए।
4. सन् 1813 के आज्ञा पत्र ने भारतीय शिक्षा के इतिहास को एक नई दिशा में मोड़ा। समीक्षा कीजिए।
5. प्राच्य- पाश्चात्य विवाद के मुख्य कारण क्या थे? इसका अन्त किस प्रकार किया गया ?
6. मैकॉले के प्रतिवेदन तथा विलियम बैटिक के प्रस्ताव का आलोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत कीजिए।

इकाई - 6 वुड का घोषणा पत्र-1854 Wood's Despatch 1854

- 6.1 प्रस्तावना Introduction –
- 6.2 उद्देश्य Objectives
- 6.3 वुड के घोषणा पत्र द्वारा शिक्षा नीति
 - 6.3.1 शिक्षा का संगठन
 - 6.3.2 शिक्षा के उद्देश्य
 - 6.3.3 शिक्षा की पाठ्यचर्या
 - 6.3.4 शिक्षण विधि
- 6.4 शिक्षण विधि -
 - 6.4.1 शिक्षण संस्थाएँ-
 - 6.4.2 जन शिक्षा –
 - 6.4.3 स्त्री शिक्षा-
 - 6.4.4 मुसलमानों की शिक्षा -
 - 6.4.5 व्यावसायिक शिक्षा-
 - 6.4.7 धार्मिक शिक्षा
- 6.5 वुड के घोषणा पत्र का मूल्यांकन अथवा गुण- दोष विवेचना –
 - 6.5.1 वुड के घोषणा पत्र (शिक्षा नीति) की कमियाँ (Shortcoming of weakness)
- 6.6 शारांश summary
- 6.7 शब्दावली Glossary
- 6.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर Answer of Practice question
- 6.9 सन्दर्भ Reference:-
- 6.10 निबन्धात्मक प्रश्न -

6.1 प्रस्तावना Introduction –

ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार व शासन को सुदृढ़ बनाने का रहा था यद्यपि कम्पनी पर ब्रिटिश सरकार का नियन्त्रण था। तथापि ब्रिटिश सरकार प्रत्येक 20 वर्ष बाद कम्पनी के लिए नया घोषणा पत्र जारी करती थी जब नया घोषणा पत्र जारी करने का अवसर आया तब ब्रिटेन के राजनीतिक क्षेत्रों में यह महसूस किया जाने लगा था कि भारतीयों की शिक्षा अवेहलना अब नहीं की जा सकती है। अतः ब्रिटिश संसद ने एक संसदीय समिति की नियुक्ति की। समिति ने भारतीय शिक्षा से सम्बन्धित एक शिक्षा निति तैयार कर संसद के सम्मुख पेश की। इस पर चर्चा हुई और उसके आधार पर भारत के लिये शिक्षा निति निश्चित की गई। उस समय सर चार्ल्स वुड (Charl's wood) कम्पनी के बोर्ड आफ कन्टोल के प्रधान के नाम पर ही वुड का घोषणा पत्र कहा जाता है। उन्होने 19 जुलाई 1854 को इस नीति की घोषणा की। इसलिये इसे उन्ही के नाम पर वुड का घोषणा पत्र कहा जाता है। यह घोषणा पत्र 100 अनुच्छेदों का एक लम्बा अभिलेख है। इस घोषणा पत्र के नाम पर लिखा है कि इतिहास में एक नये उपकाल की शुरुवात हुई यही कारण ही कि कुछ लोगो ने इस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र (Magna Carta) कहा है। इसमें प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक की योजना है

6.2 उद्देश्य Objectives

वुड घोषणा पत्र की शिक्षा नीति का ज्ञान कराना।

वुड घोषणा पत्र में शिक्षा के उद्देश्य को स्पष्ट कराना।

वुड घोषणा पत्र के प्रमुख गुणों से छात्रों को लाभान्वित कराना।

वुड घोषणा पत्र का भारतीय शिक्षा में योगदान।

6.3 वुड के घोषणा पत्र द्वारा शिक्षा नीति

वुड के घोषणा पत्र में भारत की शिक्षा निति को एक नया रूप दिया गया था। उस नई तथा निति को हम निम्नलिखित रूप में क्रमबद्ध कर सकते है।

शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त:-

शिक्षा के प्रशासन एवं वित्त के सम्बन्ध में इस निति में 3 घोषणाएँ की गई-

1. शिक्षा का उत्तरदायित्व कम्पनी (सरकार) पर - इस शिक्षा नीति में कम्पनी शासित भारतीयों की शिक्षा की व्यवस्था करना कम्पनी (सरकार) का उत्तरदायित्व निश्चित किया गया। उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा गया कि कोई भी विषय हमारा ध्यान इतना आकर्षित नहीं करता जितना शिक्षा। यह हमारा एक पवित्र कर्तव्य है।

2. जन शिक्षा विभाग की स्थापना - इस शिक्षा नीति में भारत के कम्पनी शासित प्रान्तों में जन शिक्षा विभाग (Department of Public Instruction) की स्थापना घोषणा की गई। यह भी घोषणा की गई कि इस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी जन निदेशक (Director of Public Instruction) होगा और इसकी सहायता के लिये उपसंचालक, निरीक्षक और लिपिकों की नियुक्ति होगी। वर्ष के अन्त में प्रत्येक प्रान्त को प्रान्त की शिक्षा प्रगति की रिपोर्ट देनी होगी।

3. सहायता अनुदान प्रणाली- इस नीति में पहली बार देशी और विदेशी सभी शिक्षा संस्थाओं को बिना धार्मिक भेद-भाव के आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई और आर्थिक सहायता को विभिन्न मदों- भवन निर्माण, शिक्षकों के और छात्रवृत्तियों आदि में देने का प्रावधान किया गया।

6.3.1 शिक्षा का संगठन

शिक्षा के संगठन के विषय में इस नीति में दो घोषणाएँ की गईं-

1. शिक्षा का संगठन चार स्तरों में- इस नीति में भारतीय शिक्षा को चार स्तरों - प्राथमिक, मिडिल, हाईस्कूल और उच्च में संगठित करने की घोषणा की गई।

2. क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना- इस शिक्षा नीति में शिक्षा के उपर्युक्त संस्थाओं के लिए क्रमबद्ध विद्यालयों- प्राथमिक, मिडिल, हाईस्कूल, कॉलिज और विश्वविद्यालयों में स्थापना की घोषणा की गई। इस क्रमबद्ध विद्यालय योजना को प्रायः निम्नांकित रेखाचित्र दर्शाया जाता है-

प्राथमिक, मिडिल, हाईस्कूल, कॉलिज, विश्वविद्यालय

6.3.2 शिक्षा के उद्देश्य

इस घोषणा पत्र (शिक्षा नीति) में पहली बार भारतीय शिक्षा के उद्देश्य स्पष्ट किए उन उद्देश्यों को हम निम्नलिखित रूप में क्रमबद्ध कर सकते हैं-

1. भारतीयों का मानसिक विकास करना और उनके बौद्धिक स्तर को ऊँचा उठाना।
2. भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान से परिचित कराना और उनकी भौतिक उन्नति करना।
3. भारतीयों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाना और भारत में अंग्रेजी माल की माँग बन्द करना।
4. भारतीयों का नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना।
5. राज्य सेवा के लिए सुयोग्य कर्मचारी तैयार करना।

6.3.3 शिक्षा की पाठ्यचर्या

इस घोषणापत्र (शिक्षा नीति) में पाठ्यचर्या के सन्दर्भ में निम्नलिखित घोषणा की गई -

1. प्राच्य भाषा एवं साहित्य को स्थान - इसमें भारतीयों के लिये प्राच्य भाषा एवं साहित्य के महत्व को स्वीकार किया गया और उन्हें पाठ्यचर्या में उचित स्थान देने की घोषणा की गई। साथ ही यह घोषणा भी की गई कि प्राच्य भाषा और साहित्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा। भारतीयों की भौतिक उन्नति के लिये पाश्चात्य ज्ञान- विज्ञान की शिक्षा को अति आवश्यक बताया गया और उसे पाठ्यचर्या में विशेष स्थान देने पर बल दिया गया। घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा गया कि हम बलपूर्वक घोषित करते हैं। कि हम भारत में जिस शिक्षा का प्रसार देखना चाहते हैं वह है - यूरोपीय ज्ञान।

3. धार्मिक शिक्षा की सीमित छूट - इस घोषणा पत्र (शिक्षा नीति) में मिशन स्कूलों को धार्मिक शिक्षा की छूट दी गई और सरकारी स्कूलों में धार्मिक तथस्थता की नीति का पालन किया गया। पर साथ ही इन सरकारी स्कूलों के पुस्तकालयों में बाईबिल रखना अनिवार्य कर दिया गया।

6.4 शिक्षण विधि -

इस घोषणा पत्र (शिक्षा नीति) में शिक्षा के माध्यम के सम्बन्ध में निम्नलिखित नीति की घोषणा की गई-

1. प्राथमिक शिक्षा का माध्यम देशी भाषाएँ और अंग्रेजी- इस घोषणा पत्र में प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए देशी भाषाओं और अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया कि- हम भारत के समस्त स्कूलों को फलते-फूलते देखना चाहते हैं।

2. उच्च शिक्षा का माध्यम केवल अंग्रेजी- घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्राच्य भाषाएँ इतनी विकसित नहीं हैं कि उनके माध्यम से पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा दी जा सके अतः उच्च शिक्षा के लिये अंग्रेजी ही शिक्षा के लिये अंग्रेजी ही शिक्षा का माध्यम होगी।

शिक्षक - इस घोषणा पत्र (शिक्षा नीति) में शिक्षकों के स्तर उठाने पर बल दिया गया और इसके लिये शिक्षकों के वेतन बढ़ाने की बात कही गई।

शिक्षार्थी - इस घोषणा पत्र (शिक्षा नीति) में किसी भी प्रकार के विद्यालयों में बढने वाले निर्धन छात्रों के लिये छात्रवृत्तियाँ देने का प्रावधान किया गया।

6.4.1 शिक्षण संस्थाएँ-

शिक्षण संस्थाएँ के विषय में इस नीति में निम्नलिखित घोषणाएँ की गई-

1. विभिन्न स्तर की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना- इस शिक्षा नीति में किसी भी स्तर की शिक्षा की व्यवस्था करना कम्पनी (सरकार) का उत्तरदायित्व निश्चित किया गया और कम्पनी से यह अपेक्षा की गई कि वह आवश्यकतानुसार विभिन्न स्तर की संस्थाओं की स्थापना करे।
2. व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना - इस शिक्षा नीति में पहली बार भारतीयों शिक्षा देने हेतु व्यावसायिक विद्यालय खोलने की घोषणा की गई।
3. विश्वविद्यालयों की स्थापना - उस समय हमारे में उच्च शिक्षा और शोध कार्य हेतु विश्वविद्यालय नहीं थे। इस घोषणा की गई कि भारत में लन्दन विश्वविद्यालय के आदर्श पर कलकता और बम्बई में विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे और इसके बाद आवश्यकतानुसार मद्रास और अन्य स्थानों पर भी विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। इन विश्वविद्यालयों में सीनेट का गठन किया जाएगा और योग्य एवं अनुभवी कुलपती एवं प्राध्यापक नियुक्त किये जाएंगे। इन विश्वविद्यालयों में प्राच्य एवं पाश्चात्य भाषा एवं साहित्यों, विधि और इंजीनियरिंग की उच्च शिक्षा की विशेष व्यवस्था की जाएगी। साथ ही महाविद्यालयों को इनसे सम्बद्ध किया जाएगा। ये विश्वविद्यालय अपने क्षेत्र के महाविद्यालयों को सम्बद्धता प्रदान करेंगे, उन पर नियन्त्रण रखेंगे, उनके छात्रों की परीक्षा लेंगे और उत्तीर्ण छात्रों को प्रमाणपत्र प्रदान करेंगे।

6.4.2 जन शिक्षा –

इस घोषणा पत्र (शिक्षा नीति) में जन शिक्षा के प्रसार की घोषणा की गई और इस सम्बन्ध में निम्नलिखित 5 निर्णयों की घोषणा की गई-

1. निष्पन्दन सिद्धान्त को निरस्त किया जाता है। शिक्षा केवल उच्च वर्ग के लिए नहीं सबके लिए सुलभ कराई जाएगी।
2. प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों की संख्या में वृद्धि की जाएगी।
3. निर्धन छात्रों को छात्रवृत्तियाँ दी जाएगी।
4. जन शिक्षा के प्रसार हेतु व्यक्तिगत प्रयासों (देशी और मिशनरी प्रयासों) को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
5. भारतीय भाषाओं का विकास किया जाएगा, यूरोपीय ज्ञान-विज्ञान का भारतीय भाषाओं में अनुवाद कराया जाएगा और अच्छे अनुवादको को पुरस्कृत किया जाएगा।

6.4.3 स्त्री शिक्षा-

इस घोषणा पत्र- (शिक्षा नीति) में स्वीकार किया गया कि भारतीयों का नैतिक एवं चारित्रिक विकास करने और उसकी भैतिक उन्नति करने के लिये स्त्री शिक्षा की अति आवश्यकता और इसके विकास हेतु निम्नलिखित घोषणाएँ की गईं

- (1) बालिका विद्यालयों को विशेष अनुदान (सरकारी सहायता) दिया जाएगा।
- (2) स्त्री शिक्षा हेतु सहयोग देने हेतु व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

6.4.4 मुसलमानों की शिक्षा -

इस घोषणापत्र (शिक्षा नीति) में यह स्वीकार किया गया कि भारत में हिन्दूओं की अपेक्षा मुसलमानों में शिक्षा का प्रचार बहुत कम है और इनको शिक्षा के प्रसार के लिये निम्नलिखित घोषणाएँ की गईं -

- (1) मुसलमान बच्चों की शिक्षा के लिये विशेष स्कूल खोले जाएंगे।
- (2) मुसलमान बच्चों को स्कूलों की ओर आकर्षित किया जाएगा।

6.4.5 व्यावसायिक शिक्षा-

इस घोषणा पत्र (शिक्षा नीति) में इस बात को स्वीकार किया गया कि भारत में बेरोजगारी दूर करने, उद्योगों में कुशल कर्मचारियों की पूर्ति करने और भारतीयों की आर्थिक उन्नति करने के व्यावसायिक शिक्षा की उचित व्यवस्था आवश्यक है। इस सम्बन्ध में दो घोषणाएँ की गईं।

- (1) भारत में व्यावसायिक शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाएगी।
- (2) शिक्षित व्यक्तियों को उनकी शैक्षिक योग्यता और कार्य कुशलता के आधार पर सरकारी नौकरी दी जाएगी।

6.4.6 शिक्षक शिक्षा-

इस घोषणा पत्र (शिक्षा नीति) में शिक्षा का स्तर के लिये शिक्षक शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया गया और इस सम्बन्ध में निम्नलिखित घोषणाएँ की गईं।

- (1) भारत में इंग्लैण्ड के शिक्षक प्रशिक्षण की तरह के शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।
- (2) यह प्रशिक्षण सामान्य शिक्षकों, विधि शिक्षकों और चिकित्सा शिक्षकों के लिये अलग-अलग होगा।
- (3) शिक्षकों को प्रशिक्षण काल में छात्रवृत्तियाँ देने की व्यवस्था की जाएगी।

6.4.7 धार्मिक शिक्षा

धार्मिक शिक्षा के सम्बन्ध में इसमें एक ओर धार्मिक तटस्थता की नीति की बात कही गई और दूसरी मिशन स्कूलों को धर्म शिक्षा देने की छूट दी गई और सभी सरकारी स्कूलों के पुस्कालयों में बाइबिल रखना अलिवाय किया गया।

6.5 वुड के घोषणा पत्र का मूल्यांकन अथवा गुण- दोष विवेचना -

किसी भी वस्तु, विचार अथवा क्रिया का मूल्यांकन किन्ही निश्चित मानदण्डों के आधार पर किया जाता है। शिक्षा एक सामाजिक प्राकिया है, विकास की प्रकिया है। अतः किसी भी शैक्षिक विचार अथवा क्रिया का मूल्यांकन समाज विशेष की तत्कालीन परिस्थितियों आवश्यकताओं, आकाक्षाओं और सम्भावनाओं के आधार पर किया जाना चाहिये। हम यहां वुड के घोषणा पत्र (शिक्षा नीति) 1854 का मूल्यांकन अथवा गुण-दोष विवेचन भारतीय समाज के सन्दर्भ में ही करेंगे।

वुड का घोषणा पत्र, शिक्षा का महाधिकार पत्र प्रमुख गुण

Wood's dispatch the Megnacarta of Indian Education main merites

वुड का घोषणा-पत्र शिक्षा का महाधिकार पत्र निम्न आधारों पर कहलाता है-

(1) शिक्षा का उत्तरदायित्व सरकार पर (Responsibility of Education on Government) - भारत में प्रथम बार यह स्वीकार किया गया है कि शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य (सरकार) का उत्तरदायित्व है। आज की परिस्थितियों में तो यह अति आवश्यक हो गया है।

(2) शिक्षा विभाग की स्थापना (Establishment of education Department) - शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का उत्तरदायित्व होने की स्थिति में इस उत्तरदायित्व के निर्वाह के लिये राज्य में शिक्षा विभाग होना भी आवश्यक था। वुड के घोषणा पत्र में प्रत्येक प्रान्त में जन-विभाग की स्थापना की घोषणा किया जाना उसका दूसरा बड़ा गुण था। वर्तमान में शिक्षा विभाग को इतना विस्तृत किया गया है कि उसके अभाव में शिक्षा की व्यवस्था सही ढंग से की ही नहीं जा सकी।

(3) सहायता अनुदान प्रणाली का शुभारम्भ (Beginning of Grants in Aid System) - शिक्षा की सम्पूर्ण व्यवस्था सरकार द्वारा किया जाना असम्भव ही है। ऐसी स्थिति में व्यक्तिगत प्रयासों द्वारा चलाई जा रही संस्थाओं को अर्थिक सहायता देने का प्रारम्भ और वह भी नियमानुसार और कुछ शर्तें पूरी करने पर, इस घोषणा पत्र द्वारा घोषित नीति का तीसरा गुण था। उसी सहायता अनुदान प्रणाली को हम आज भी चला रहे हैं यह बात अन्य है कि थोड़े परिवर्तित रूप में यह कार्य हो रहा है।

(4) निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति देने का प्रावधान(Provision of giving scholarship to poor students)- अल्प साधन होते हुए भी निर्धन छात्रों के लिये छात्रों के लिये छात्रवृत्ति का प्रावधान इसका प्रशंसीय था।

(5) शिक्षा का संगठन मनोवैज्ञानिक स्तरों में (Organization of Education in Physical Education)- पहले से हमारे देश में शिक्षा केवल दो ही स्तरों में विभाजित चली आ रही थी- प्राथमिक और उच्च। इस घोषणा पत्र में छात्रों की आयु अर्थात् उनकी मनोवैज्ञानिक भिन्नता के आधार पर उसे प्राथमिक (शिशु) मीडिल (बाल), हाईस्कूल (किशोर) और उच्च (युवा) में संगठित किया गया।

(6) क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना (Foundation of Grade Institution) शिक्षा के विभिन्न स्तरों - मीडिल, हाई स्कूल और उच्च के लिये अलग-अलग विद्यालयों की स्थापना की घोषणा किया जाना इसका महत्वपूर्ण गुण था।

(7) भारतीयों के नैतिक विकास पर बल (Emphasis on Moral Development of Indians) - इस घोषणा पत्र में शिक्षा के पाँच उद्देश्य निश्चित किये गये थे।

(क) भारतीयों का मानसिक विकास,

(ख) भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान से परिचित कराना।

(ग) भारतीयों का जीवन-स्तर ऊँचा उठाना।

(घ) भारतीयों का नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना,

(ङ) राज्य के लिये सुयोग्य कर्मचारी तैयार करना।

यह उद्देश्य ऐसा उद्देश्य था जो हमारी संस्कृति की पहचान है। इसके विकास के कारण ही हम देश की स्वतन्त्रता के लिये आगे बढ़ें।

(8) पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान के ज्ञान पर बल (Emphasis on Western Knowledge) - इस घोषणा पत्र में स्पष्ट किया गया-‘हम बलपूर्वक घोषित करते हैं कि हम भारत में जिस शिक्षा का प्रसार देखना चाहते हैं वह है- यूरोपीय ज्ञान’। अब इसके पीछे उनका उद्देश्य चाहे कुछ भी रहा हो पर इसके परिणाम भारत और भारतवासियों के हित में रहें। अतः इसे भी इस नीति का गुण ही मानना चाहिये।

(9) सभी प्रकार के विद्यालयों- प्राच्य और पाश्चात्य के विकास पर बल (Emphasis on the development of all kinds of school – Oriental and Occidental) घोषणा पत्र में स्पष्ट किया गया - ‘हम भारत में देशी, मिशनरी और सरकारी सभी प्रकार की शिक्षा संस्थाओं को फूलते-फलते देखना चाहते हैं। वर्तमान में भारतीय सरकार को तो इस नीति को हृदय में अपनाना आवश्यक है।

(10) विश्वविद्यालयों की स्थापना (Foundation of Universities)-

घोषणा पत्र में भारत में विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई। उस समय केवल कलकता और बम्बई में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। आज देश भर में विश्वविद्यालय स्थापित हैं।

(11) निस्सन्दन सिद्धान्त की समाप्ति और जन शिक्षा पर बल (Cessation of filtration theory and Emphasis on Mass Education) - मैकाले के सुझाव पर लॉर्ड विलियम बैंटिक और उसके बाद लॉर्ड ऑकलैण्ड द्वारा स्थापित भेदभावपूर्ण निस्सन्दन सिद्धान्त को निरस्त कर दिया गया और शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने पर बल दिया गया। वर्तमान में भारत में तो यह प्रमुख आवश्यकता है।

(12) स्त्री शिक्षा पर बल (Emphasis on Women education) - देश की उन्नति के लिये स्त्री शिक्षा की आवश्यकता अनुभव की गयी और उसके लिये बालिका विद्यालयों की संख्या बढ़ाने की घोषणा की गई। आज यह बात सभी स्वीकार करते हैं कि स्त्रियों की शिक्षा पुरुषों की शिक्षा से भी अधिक महत्वपूर्ण और आवश्यक है।

(13) मुसलमानों की शिक्षा पर बल (Emphasis on muslim Education) उस समय मुसलमान बच्चे इस अंग्रेजी शिक्षा की ओर कम आकर्षित हो रहे थे। अंग्रेजी ने इस समस्या को घोषणा की कि मुसलमानों की शिक्षा के लिये अतिरिक्त प्रबन्ध किये जायेंगे। यह स्थिति आज भी बनी है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिये।

(14) व्यावसायिक शिक्षा पर बल (Emphasis on Vocational Education) - अंग्रेजी ने पहली बार यह स्वीकार किया कि भारत की आर्थिक उन्नति के लिये व्यावसायिक शिक्षा आवश्यक है। वर्तमान में शिक्षाविद् रोजगारपरक शिक्षा पर बल दे रहे हैं।

(15) शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था (Arrangement of Teacher education) - निसन्देह उस समय तक इस देश में मिशनरियों द्वारा एक दो शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय खोले जा चुके थे परन्तु उनमें दिया जाने वाला प्रशिक्षण अपने ही प्रकार का था। इस नीति में यह घोषणा की गई कि शिक्षा का स्तर उठाने के लिये इंग्लैण्ड की तरह के शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय खोले जायेंगे। वर्तमान में शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय और महाविद्यालय आज भी उसी आधार पर चल रहे हैं।

6.5.1 वुड के घोषणा पत्र (शिक्षा नीति) की कमियाँ (Shortcoming of weakness)

वुड के घोषणा पत्र (शिक्षा नीति) की कमियों अथवा दोषों का वर्णन निम्न प्रकार है-

(1) शिक्षा कम्पनी (ब्रिटिश शासन) के नियन्त्रण में (Education under the control of company)- शिक्षा की व्यवस्था करना कम्पनी का उत्तरदायित्व घोषित होने पर शिक्षा पर उनका नियन्त्रण होना स्वाभाविक था। उनके द्वारा ईमानदारी से भारतीयों का हित साधा जाना तर्क संगत न था।

(2) शिक्षा के क्षेत्र में लाल फीताशाही का प्रारम्भ (Begning of Red-Tepism in the field of education)-शिक्षा विभाग की स्थापना का अर्थ लाल- फीताशाही का श्रीगणेश था। उस समय इस विभाग में ऊँचे पदों पर तो अंग्रेज ही नियुक्त होते थे और कनिष्ठ पदों पर अंग्रेजभक्ता इनसे भारतीयों के हितार्थ सामान्य व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जा सकती थी।

(3) सहायता अनुदान की कठोर शर्तें (Harsh condition of grant in Aid))- सहायता अनुदान प्रणाली का प्रारम्भ एक अच्छा कदम था, परन्तु इसको प्राप्त करने के लिए विद्यालयों को अनेक शर्तें पूरी करनी होती थीं, जो इतनी अधिक और कठोर थी कि प्राच्य विद्यालय इसका कम लाभ उठा पाए।

(4) शिक्षा का उद्देश्य पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति का विकास (The objective of education, the development of western culture and civilization)-इस नीति में शिक्षा के पाँच उद्देश्य निश्चित किए गये थे। यद्यपि उनमें यह उद्देश्य घोषित नहीं किया गया, तथापि वासताव में इन सबके पीछे उनका मुख्य उद्देश्य भारत में पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति का विकास ही था।

(5) पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान को अधिक महत्व (More importance of Western knowledge)-अंग्रेजों को अपनी भाषा, अपने साहित्य और अपने ज्ञान-विज्ञान को श्रेष्ठ समझना स्वाभाविक था, पर उन्होंने यह विचार कभी नहीं किया कि भारतीयों के लिए क्या श्रेष्ठ है। इसका दुरगामी कुप्रभाव यह रहा कि भारतीयों में हीनता की भावना विकसित हुई, जिससे वे अभी तक नहीं निकल पाए हैं।

(6) उच्च शिक्षा का माध्यम केवल अंग्रेजी (Only English Medium of Higher Education) - इस घोषणा पत्र (शिक्षा नीति) में प्राच्य भाषाओं और अंग्रेजी दोनों को शिक्षा का माध्यम बनाने की घोषणा थी। इसके साथ ही पाश्चात्य ज्ञान- विज्ञान को प्राच्य भाषाओं में अनुवाद करने के सम्बन्ध में कहा गया था परन्तु उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को ही रखा गया था। परिणामतः सामान्य वर्ग के बच्चे उच्च शिक्षा से वंचित ही रहे।

(7) सरकारी स्कूलों में बाईबिल अनिवार्य -(Bible Compulsory in government school) - शिक्षा नीति में शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक तथ्यस्थता की नीति की घोषणा की गई थी। पर स्कूलों के पुस्तकालयों में बाईबिल की प्रतियाँ अनिवार्य रूप से रखने का आदेश दिया गया था।

(8) ईसाई मिशनरियों को अपने स्कूलों में धर्म शिक्षा देने की छूट (Christian missionaries at - liberty in imparting religious education in their school) ईसाई मिशनरियों की माँग पर इस शिक्षा नीति में उन्हें धार्मिक शिक्षा देने की छूट दी गई। यद्यपि किसी भी धर्म की शिक्षा जबरन न देने का सुझाव दिया गया। तथापि यह आवरण मात्र था।

(9) सरकारी नौकरी हेतु अंग्रेजी जानना आवश्यक Knowing English essential for government service - घोषणा यह की गई थी कि यदि अभ्यर्थियों में अन्य योग्यतायें समान हो तो अंग्रेजी जानने वालों को सरकारी नौकरियों में वरियता दी जाएगी। वास्तव में इसका आशय अंग्रेजी के ज्ञान की अनिवार्यता से

अपनी उन्नति जानिय check your progress

रिक्त स्थानों की पूर्ति करो

1. वुड के घोषणा पत्र सन् 1854 को घोषित किया गया ।
2. घोषणा पत्र में कहा गया कि सरकारी स्कूल में..... नामक धार्मिक पुस्तक का रखना अनिवार्य है।
3. देशी प्राथमिक विद्यालयों तथा हाई स्कूल के मध्य स्कूल रखें गये ।
4. यदि अभ्यर्थियों में अन्य योग्यतायें समान हों तों.....जानने वालों को वरियता दी जायेगी।
ही थी।

सत्य/असत्य कथन

5. घोषणा पत्र में कहा गया कि बालिका विद्यालयों को विशेष अनुदान दिया जाएगा।
6. शिक्षण संस्थानों को आर्थिक सहायता देने हेतु सहायता अनुदान प्रणाली को प्रचालित करने का सुझाव दिया गया।
7. शिक्षा के कम्पनी का उत्तरदायित्व घोषित होने का तात्पर्य था कम्पनी का शिक्षा पर नियन्त्रण ।
8. परीक्षाओं को सर्वोपरि स्थान देने से शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान अर्जन न रहा।

बहुविकल्पीय प्रश्न -

सही उत्तर का चयन कीजिये

9. शिक्षा नीति 1854 किसने तैयार की थी ?

- (1) ब्रिटिश सरकार, (2) कम्पनी
(3) चार्ल्स वुड, (4) इनमें से कोई नहीं।

10. शिक्षा नीति 1854 की घोषणा किसने की थी ?

-
- (1) मैकाले, (2) विलियम बैटिक,
(3) ऑकलैण्ड, (4) चार्ल्स वुड

11. भारत के सर्वप्रथम जन शिक्षा विभागों की स्थापना कहाँ की गई थी ?

- (1) कम्पनी मुख्यालय पर, (2) प्रान्तों के मुख्यालयों पर,
(3) कम्पनी शासित जिलों में (4) पूरे देश में

6.6 शारांश summary

वुड के घोषणा पत्र में निहित शिक्षा नीति का भारतीय शिक्षा के प्रति योगदान (Contribution of education policy consisted in Wood's Despatch to Indian education)

वुड के घोषणा पत्र में निहित शिक्षा नीति में भारतीय शिक्षा के विकास के योगदान को हम दो भागों में देख या समझ सकते हैं तत्कालीन प्रभाव और दीर्घकालीन प्रभाव। इनका वर्णन निम्न प्रकार है-

तत्कालीन प्रभाव- (Short term effect) -

वुड के घोषणा पत्र के तत्कालीन प्रभाव को हम निम्नलिखित क्रम में देख समझ सकते हैं-

(1) 1856 तक सभी प्रान्तों में शिक्षा विभागों की स्थापना (Establishment of education department in all provinces by 1856 - 1865 तक कम्पनी (ब्रिटिश शासित सभी प्रान्तों में शिक्षा विभागों की स्थापना हो गई, जन शिक्षा निदेशक और अन्य कर्मचारियों की नियुक्तियाँ हो गईं। इन्होंने शीघ्र ही अपना कार्य करना प्रारम्भ की दिया।

(2) सभी प्रान्तों में सहायता अनुदान प्रणाली प्रारम्भ (Beginning of grant in aid system in all the provission)- सभी प्रान्तों के शिक्षा विभागों ने अपने-अपने क्षेत्र की शैक्षिक स्थिति और आवश्यकतानुसार सहायता-अनुदान के नियम बनाए। वे विद्यालय जो उन शर्तों को पूरी करते गये उन्हें अनुदान देना शुरू कर दिया।

(3) सभी स्तर के स्कूल और कॉलिजों की स्थापना (Establishment of school and college of all levels) माध्यमिक और उच्च शिक्षा संस्थाओं की माँग अधिक होने के कारण कम्पनी ने उसी स्तर के स्कूल कॉलिज खोलने शुरू किए।

(4) कलकत्ता और बम्बई में विश्वविद्यालयों की स्थापना (Foundation of university in Calcutta and Bombay)- 1857 में कलकत्ता और मुम्बई में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गयी। प्रारम्भ में ये विश्वविद्यालयों

के छात्रों की परीक्षा लेने और उत्तीर्ण छात्रों के प्रमाण पत्र देने तक सीमित रहे, बाद में इनमें शिक्षण कार्य भी होने लगा।

दीर्घकालीन प्रभाव (Long Term Effects)-

वुड के घोषणा पत्र के दीर्घकालीन प्रभाव यहाँ से शुरू होते हैं। उसके दीर्घकालीन प्रभाव निम्नलिखित प्रकार से हैं-

(1) शिक्षा राज्य का उत्तरदायित्व (Education and Liability)- वुड के घोषणा पत्र में पहली बार शिक्षा राज्य का उत्तरदायित्व स्वीकार किया गया था। आज तक हमारे देश में शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का उत्तरदायित्व माना जाता रहा है।

(2) शिक्षा राज्य के नियन्त्रण में (Education under State Control) - यह यर्वाविदित है कि शिक्षा का उत्तरदायित्व तो राज्य तभी निभा सकता है जब उसका नियन्त्रण उसके हाथों में हो। वुड के घोषणा पत्र में पहली बार भारतीय शिक्षा की पूरी नीति और पूरी योजना प्रस्तुत की गई थी। आज भी यही स्थिति बनी हुई है।

(3) सहायता अनुदान प्रणाली की निरन्तरता (Continuity of Grant in Aid system)- पहले राज्य अथवा सरकार शिक्षा संस्थाओं को स्वेच्छा से आर्थिक सहायता देती थी। वुड के घोषणा पत्र में पहली बार निश्चित शर्तों को पूरी करने पर सभी प्रकार के विद्यालयों को आर्थिक अनुदान शुरू किया गया। यह व्यवस्था कुछ परिवर्तनों के साथ आज भी लागू है।

(4) शिक्षा का संगठन विभिन्न स्तरों में (Organisation of Education in various stage) - वुड के घोषणा पत्र में प्रथम बार बच्चों की आयु और मानसिक योग्यता के आधार पर शिक्षा को चार स्तरों में बाँटा गया था। वर्तमान में केवल एक स्तर पूर्व प्राथमिक स्तर और बढ़ाया गया है। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा को विभिन्न वर्गों में विभजित किया गया है।

(5) शिक्षा के उद्देश्य समय की माँग के अनुसार (Objectives of education according to time) - वुड के घोषणा पत्र में पहली बार भारतीय शिक्षा के उद्देश्य आधुनिक परिप्रेक्ष्य में निश्चित किए गये थे। आज भी समयानुसार शिक्षा के उद्देश्य निश्चित करने का काम जारी है।

(6) शिक्षा की पाठ्यचर्या में पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान का वर्चस्व (Survival of western knowledge in the Curriculum of education)- वुड डिस्पेच में पहली बार स्पष्ट शब्दों में घोषणा की गई कि भारत में यूरोपीय ज्ञान का ही वर्चस्व है। आज ते हमारी शिक्षा की पाठ्यचर्या, विशेषकर उच्च शिक्षा में कृषि, इंजीनियरिंग और चिकित्सा विज्ञान में पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान का वर्चस्व चला आ रहा है। इसी वर्चस्व के कारण हमने इस युग में भौतिक उन्नति की है।

(7) उच्च शिक्षा जैसे- कृषि, इन्जीनियरिंग, चिकित्सा आदि का माध्यम अंग्रेजी (Medium of higher education viz Agriculture, Engineering, Medical etc)- उस समय उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाना अंग्रेजों की विवशता थी। स्वतन्त्रता प्राप्ति के 58 वर्ष बाद भी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कृषि, इन्जीनियरिंग और चिकित्साशास्त्र का माध्यम अंग्रेजी ही बना हुआ है।

(8) क्रमबद्ध विद्यालयों की निरन्तरता (Continuity of graded school)- वुड डिस्पेच में क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना की घोषणा की गई थी, यह आज भी है। हमने उसके पूर्व में प्राथमिक और अन्त में अनेक वर्गों की शिक्षा के लिए अलग-अलग विद्यालय और महाविद्यालयों की स्थापना करनी शुरू कर दी है।

(9) जन शिक्षा, स्त्री शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा और अध्यापक शिक्षा (Public education, women education, Vocational education and Teacher education) जन शिक्षा, स्त्री शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और अध्यापक शिक्षा का प्रारम्भ वुड डिस्पेच में ही किया गया था। इन सबके महत्व को उस समय से आज तक बराबर स्वीकार किया जाता रहा है।

6.7 शब्दावली Glossary

व्यावसायिक शिक्षा- इस घोषणा पत्र (शिक्षा नीति) में इस बात को स्वीकार किया गया कि भारत में बेरोजगारी दूर करने, उद्योगों में कुशल कर्मकारों की पूर्ति करने और भारतीयों की आर्थिक उन्नति करने के व्यावसायिक शिक्षा की उचित व्यवस्था आवश्यक है।

क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना (Foundation of Grade Institution) शिक्षा के विभिन्न स्तरों - मिडिल, हाई स्कूल और उच्च के लिये अलग-अलग विद्यालयों की स्थापना की घोषणा किया जाना इसका महत्वपूर्ण गुण था।

6.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर Answer of Practice question

उत्तर 1 मेगनाकार्ट	उत्तर 2 बाईविल
उत्तर 3 मिडिल	उत्तर 4 अंग्रेजी
उत्तर 5 सत्य	उत्तर 6 सत्य
उत्तर 7 सत्य	उत्तर 8 सत्य
उत्तर 9 कम्पनी	उत्तर 10 चार्ल्स वुड
	उत्तर 11 पूरे देश

6.9 सन्दर्भ Reference:-

- लाल (डॉ) रमन बिहारी, भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएं, राज प्रिंटर्स, मेरठा

-
- ii. जे. (डॉ) एस. वालिया (2009) भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास, अहमपाल पब्लिशर्स, मेरठा।
 - iii. शुक्ला (डॉ) सी. एस. (2008) उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक, इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस, मेरठा।
 - iv. शर्मा, रामनाथ व शर्मा, राजेन्द्र कुमार (2006) शैक्षिक समाजशास्त्र, एटलांटिक पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स।
 - v. शीलू मैरी (डॉ) (2008) शिक्षक के सामाजिक एवं दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, रजत प्रकाशन नई दिल्ली।
-

6.10 निबन्धात्मक प्रश्न -

1. सन् 1854 के वुड के आदेश पत्र की प्रमुख सिफारिशें क्या थीं। आधुनिक भारतीय शिक्षा के इतिहास में इस आदेश पत्र के स्थान का समीक्षात्मक मूल्यांकन कीजिये।

What were the main recommendations of wood's dispatch of 1854? Give a critical estimate of the place of this dispatch in the history of modern Indian Education.

2. वुड का आदेश-पत्र भारतीय शिक्षा का महाधिकार -पत्र कहा जाता है। समीक्षा कीजिये।

Wood dispatch is called the megnsacharta of Indian Education Discuss.

3. वुड के आदेश - पत्र की कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशों बताइयें, जो आधुनिक भारत में शिक्षा के लिये लाभप्रद सिद्ध हों सकती हैं।

Point out some of the important recommendation of Wood's despatch which can prove useful for education in Morden India.

4. वुड के घोषणा पत्र का मूल्यांकन कीजिये।

Evaluate the Wood's Despatch.

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. वुड डिस्पेच में घोषित शिक्षा नीति के मुख्य तत्वों का उल्लेख कीजिये।

2. वुड डिस्पेच में शिक्षक-शिक्षा के विषय में क्या घोषणा की गई थी।

3. वुड के घोषणा पत्र के गुण-दोषों का उल्लेख कीजिये।

4. आपकी सम्मति में वुड के घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहना कहाँ तक उचित है

अति लघु उत्तरीय प्रश्न -

1. किन नगरों में विश्वविद्यालय में स्थापित करने की घोषणा की गयी ?

In which city was in declared to setup Univercity.

2. स्त्री शिक्षा के लिये क्या नीति घोषित की गई?

What policy was declared for women education.

3 वुड के घोषणा पत्र के निस्पन्दन सिद्धान्त के सम्बन्ध में क्या उठाया गया ?

What step was taken about filtration theory in Wood's Dispatch.

इकाई 7 भारतीय शिक्षा आयोग (हन्टर कमीशन) India Education Commission 1882

- 7.1 प्रस्तावना Introduction
- 7.2 उद्देश्य Objectives
- 7.3 हन्टर कमीशन का उद्देश्य तथा कार्य क्षेत्र Aims and Field of Hunter Commission
 - 7.3.1 आयोग के उद्देश्य (Objectives of the Commission)
 - 7.3.2 आयोग का कार्यक्षेत्र (Terms of Reference of Commission)
 - 7.3.3 आयोग का प्रतिवेदन
- 7.4 आयोग की सिफारिशें और सुझाव (Recommendation and Suggestion of the Commission)
 - 7.4.1 प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में सुझाव (Suggestion for Primary Education)
 - 7.4.2 सुझाव:-
 - 7.4.3 माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में सुझाव (Suggestion for Secondary Education)
 - 7.4.4 उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में आयोग के सुझाव (Commission's Suggestion About Higher Education)
- 7.5 सहायता अनुदान प्रणाली (Grant in Aid System)
 - 7.5.1 स्त्री शिक्षा के सम्बन्ध में सुझाव (Suggestion About Women Education)
 - 7.5.2 मुसलमानों की शिक्षा के सम्बन्ध में सुझाव (Suggestion about the Education of Muslim)
 - 7.5.3 अनुसूचित और पिछड़ी जातियों की शिक्षा सम्बन्ध में सुझाव (Suggestion for schedule Cast and Backward Cast Education)
 - 7.5.4 आदिवासियों और पहाड़ी जातियों की शिक्षा (Education and Aboriginal and hill Tribes)
 - 7.5.5 धार्मिक शिक्षा के सम्बन्ध में सुझाव (Suggestion about Religious Education)
 - 7.5.6 भारतीय शिक्षा में ईसाई मिशनरियों की भूमिका के सम्बन्ध में सुझाव (Suggestion about the Role of Christian Missionaries in Indian Education)
- 7.6 सारांश Summary
- 6.7 शब्दावली Glossary
- 6.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर Answer of Practice question
- 6.9 सन्दर्भ Reference:-
- 6.10 निबन्धात्मक प्रश्न -

7.1 प्रस्तावना Introduction

वुड घोषण पत्र 1854 के तहत भारतीय शिक्षा के इतिहास में क्रान्तीकारी परिवर्तन व एक नये अध्याय का आरम्भ हुआ। सन् 1855 के अन्त तक प्रत्येक प्रान्त में लोक शिक्षा आयोग की स्थापना हो गयी। तथा सहायता अनुदान प्रणाली प्रचलित की गयी।

सन् 1857 में मद्रास, मुम्बई, और कलकत्ता में विश्वविद्यालयों का शिलान्यास किया गया किन्तु उसी वर्ष 1857 की क्रान्ती के विस्फोट ने भारतीय शिक्षा की प्रगति का मार्ग कुछ समय के लिए अवरूध कर दिया। परिस्थितियों में सुधार लाने हेतु सन् 1858 ब्रिटिश पार्लियामेन्ट ने कम्पनी के शासन को समाप्त करके ब्रिटिश सरकार (महारानी विक्टोरिया) ने स्वयं शासन की बागडोर अपने हाथों में सम्भाल ली। तथापि कम्पनी के कर्मचारियों में परिवर्तन नहीं हुआ। इसके बाद जब ब्रिटिश सरकार ने भारत का शासन अपने हाथों में सम्भाला तो बोर्ड आफ कन्ट्रोल के स्थान पर भारत मन्त्री की नियुक्ति की गई तथा स्टैनले पहला भारत मन्त्री नियुक्त हुआ। उसने तत्कालीन परिस्थितियों का अध्ययन करके 1859 ई० में पुनः एक आज्ञा पत्र जारी किया। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा के अलावा बुड की सभी विषयों में की गई सिफरिशों को स्वीकार कर लिया। इसके बाद 1861 में ब्रिटेन सरकार ने, भारतीय ब्रिटेन सरकार ने भारतीय वैधानिक अधिनियम (Indian Legislative Act) पास किया। उसके अनुसार भारत के प्रत्येक प्रान्त में विधान परिषदों (Legislative Council) का गठन किया जिनमें भारतीयों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया।

भारत में ब्रिटिश शासन को सुदृढ करने के बाद सरकार का ध्यान भारतीय शिक्षा पर गया। इधर भारत में भारतीय और उधर इंग्लैंड में ईसाई मिशनरी भारतीय शिक्षा में परिवर्तन की माँग कर रहे थे। इस हेतु ईसाई मिशनरियों ने इंग्लैंड में 'जनरल काउन्सिल आफ एजुकेशन इन इन्डिया' संस्था का गठन भी किया गया था उसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार पर भारत की शिक्षा नीति में परिवर्तन करने के लिए बराबर दबाव डाल रहे थे। क्योंकि वुड डिस्पेच में घोषित शिक्षा नीति, 1854 के तहत भारतीय शिक्षा में ईसाई मिशनरियों का प्रभुत्व समाप्त हो गया था। 1880 में लार्ड रिपन (Lord Rippan) भारत के नए गवर्नर जनरल और वायसराय नियुक्त हुए। अनुकूल अवसर पाकर जनरल काउन्सिल आफ एजुकेशन इन इन्डिया के एक प्रतिनिधि मंडल ने लार्ड रिपन से भेट की उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया और भारतीय शिक्षा नीति में परिवर्तन करने का निवेदन किया। लार्ड रिपन ने उन्हें भारतीय शिक्षा नीति पर पुनर्विचार करने का आश्वासन दिया, अतः लार्ड रिपन ने 3 जनवरी 1882 को भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया। इस आयोग में 20 सदस्य रखे गये थे जिनमें छः सदस्य भारतीय थे गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी सभा का सुयोग्य सदस्य सर विलियम हन्टर (Sir William Hunter) इस आयोग के अध्यक्ष थे। इसलिए इस आयोग को हन्टर आयोग (Hunter Commission) भी कहा जाता है।

अध्यक्ष - सर विलियम हन्टर

सदस्य नाम

1. सैयद महमूद हासी गुलाम
2. भूदेव मुकर्जी
3. आनन्द मोहन बोस
4. के.टी भला
5. परिगानन्द मुदालियर
6. महाराज जितेन्द्र टैगोर

मैसूर के शिक्षा संचालक बी.एल.राइस को इस आयोग का मन्त्री नियुक्त किया गया था।

7.2 उद्देश्य Objectives

- i. हण्टर कमीशन की शिक्षा नाम नीति को समझना।
- ii. हण्टर कमीशन के उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्र को जानना।
- iii. हण्टर कमीशन के शिक्षा के सम्बन्ध में दिए सुझावों को समझना।
- iv. हण्टर कमीशन के प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में दिये गए सुझावों को समझना। हण्टर कमीशन के आदिवासी व स्त्री शिक्षा के सम्बन्ध में दिये गये सुधारों को समझना।

7.3 हण्टर कमीशन का उद्देश्य तथा कार्य क्षेत्र Aims and Field of Hunter Commission

हण्टर कमीशन का उद्देश्य तथा कार्य क्षेत्र निम्नलिखित है।

7.3.1 आयोग के उद्देश्य (Objectives of the Commission)

लार्ड रिपन यद्यपि शिक्षा की जाँच के प्रस्ताव से सहमत था पर उसमें कोई आमूल परिवर्तन नहीं चाहता है। उसने आते ही स्पष्ट कह दिया था कि 1854 ई० के आज्ञापत्र ने भारतीय शिक्षा नीति को काफी प्रभावशाली सुनिश्चित कर दिया है। और मैं भी उसी के अनुसार चलना चाहता हूँ। अतः भारतीय कमीशन के कार्य का क्षेत्र अधिक व्यापक नहीं रहा। केवल प्रारम्भिक शिक्षा की जाँच विशेष रूप से करने का उससे कहा गया। 1880 ई० में इंग्लैंड में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा (Elementary Education Act) पास हो चुका था। अतः भारत में भी ब्रिटिश सरकार का उसकी ओर ध्यान गया।

आयोग के प्रस्ताव (Resolution) में उसके उद्देश्यों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। "कमीशन का कर्तव्य होगा विशेष रूप से इस बात की जाँच करना कि 1854 के घोषणा पत्र के सिद्धान्तों को किस प्रकार क्रियान्वित किया गया है और ऐसे उपायों का सुझाव देना जो उस घोषणा पत्र में निर्धारित रीति को क्रियान्वित करने के लिए कमीशन के मतानुसार बाछनीय प्रतीत होते हैं।"

7.3.2 आयोग का कार्यक्षेत्र (Terms of Reference of Commission)

कमीशन को निम्नलिखित विषयों की जाँच करने के निर्देश दिये गये थे।

- i. प्राथमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति क्या है और उसके विकास के लिए क्या उपाय अपनाये जाने चाहिए।
- ii. क्या सरकार ने उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा के प्रति अधिक ध्यान देकर प्राथमिक शिक्षा की अवेहना की है।
- iii. वुड डिस्पेच द्वारा घोषित शिक्षा नीति 1854 का पालन किस सीमा तक हुआ है और उस नीति में तथा परिवर्तन आवश्यक है।
- iv. भारत की शिक्षा व्यवस्था में राजकीय स्कूलों की क्या भूमिका है इस सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति होनी चाहिए।
- v. भारत की शिक्षा व्यवस्था में मिशन स्कूलों की क्या भूमिका है।
- vi. भारत में शिक्षा के प्रसार में व्यक्तिगत प्रयासों की क्या भूमिका है इस सम्बन्ध से सरकार की क्या नीति होनी चाहिए।

7.3.3 आयोग का प्रतिवेदन

आयोग ने 7 सप्ताह तक कलकत्ता में शिक्षा सम्बन्धि पूर्व सरकारी दस्तावेजों, विशेषकर वुड डिस्पेच का गहराई से अध्ययन किया। इसके बाद सदस्यों ने भारत के विभिन्न भागों का भ्रमण किया और तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था का समग्र रूप से अध्ययन किया लगभग 10 माह तक उक्त क्षेत्रों की जाँच करने के उपरान्त मार्च 1883 में 600 पन्नों की एक विस्तृत रिपोर्ट सरकार के समुख प्रस्तुत की जिसमें 220 प्रस्ताव थे।

7.4 आयोग की सिफारिशें और सुझाव (Recommendation and Suggestion of the Commission)

आयोग ने सामान्यतः वुड डिस्पेच घोषित शिक्षा नीति 1854 का समर्थन किया उसने यह अनुभव किया कि इस नीति का क्रियान्वयन निष्ठा के साथ नहीं किया गया था साथ ही उसने इस नीति में परिवर्तन हेतु कुछ सुझाव भी दिए। इसमें मुख्य सुझाव निम्न है।

1. सरकार प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व स्थानीय निकायों (नगर पालिका और जिला परिषदों) पर छोड़ दे और माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा का उत्तरदायित्व व्यक्तिगत संस्थाओं और सगठनों पर छोड़ दें।
2. सरकार सहायता अनुदान के नियमों को अधिक उदार बनाकर, शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत प्रयासों को प्रोत्साहन दे।

- i. सहायता अनुदान के नियम सरल एवं उदार बनाया जाए।
- ii. सहायता अनुदान के नियमों का प्रान्तीय आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया जाए।
- iii. सहायता अनुदान के नियमों को अलग-अलग मदों के लिए अलग-अलग बनाएं जायें।
- iv. सहायता अनुदान के सभी नियमों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत सभी व्यक्तियों, विशेषकर प्रधानाचार्यों को अवगत कराया जाय तथा इन नियमों का प्रकाशन कराया जायें।
- v. किसी विद्यालय के किसी भी पद हेतु प्राप्त सहायता अनुदान प्रार्थना पत्र पर निर्णय लेने से पूर्व विद्यालय का निरीक्षण किया जायें।
- vi. विद्यालयों को सहायता अनुदान स्वीकृत करने में किसी प्रकार का भेदभाव न बरता जाए।
- vii. विद्यालयों को सहायता अनुदान की धनराशी समय से पहुँचाई जाए।
- viii. किसी विद्यालय को सहायता अनुदान देना अकारण बन्द न किया जाय।
- ix. विद्यालयों के अध्यापकों के वेतन और छात्रों की छात्रवृत्तियों के साथ-साथ विद्यालयों के भवन निर्माण, प्रयोगशाला और पुस्तकालय आदि के लिए भी अनुदान दिया जायें।

7.4.1 प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में सुझाव (Suggestion for Primary Education)

आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य, प्रशासन, वित्तव्यवस्था, पाठ्यक्रम शिक्षा स्तर के उन्नयन और सरकार की नीति के सम्बन्ध में निम्न सुझाव दिए।

प्राथमिक शिक्षा- उद्देश्य व प्रसार (Primary Education Objective and Expansion)

प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य जनसाधारण में शिक्षा का विस्तार करना होना चाहिए। आदिवासियों और पिछड़ी हुई जातियों इस शिक्षा का प्रसार करने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए।

2. प्राथमिक शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त (Administration and Finance of Primary Education)

उस समय इंग्लैंड में 1876 शिक्षा अधिनियम (Education Act) के अनुसार शिक्षा का उत्तरदायित्व काउन्टी कौन्सिल (County Council) को दे दिया गया था। उसका अनुकरण कर प्राथमिक शिक्षा के प्रशासन और वित्त का भार जिला परिषदों तथा नगर पालिकाओं को सौंपने का सुझाव दिया और स्पष्ट किया कि ये सस्थाएं अपने-अपने क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करेगी, उनमें अध्यापकों की नियुक्ति करेगी और अन्य सब व्यय वहन करेगी। आयोग ने इन स्थानिय निकायों की शिक्षा हेतु वित्त व्यवस्था के सम्बन्ध में सुझाव दिया कि ये अलग से प्राथमिक शिक्षा का निर्माण करेगी और इस कोष को केवल प्राथमिक शिक्षा पर व्यय करेगी। प्रान्तीय सरकारें उन्हें कुल व्यय का 1/2 अथवा 1/3 भाग अनुदान के रूप में देगी।

3. प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य (Aims of Primary Education)

आयो ने प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में दो मुख्य उद्देश्य बताए हैं।

- i. जन शिक्षा का प्रसार।
- ii. व्यावहारिक जीवन की शिक्षा।

4. प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम (Curriculum of Primary Education)

आयोग ने सभी प्रान्तों को पाठ्यक्रम के निर्माण के सम्बन्ध में स्वतन्त्रता दे दी तथा उनको इस बात के लिए निर्देश दिया कि अपने यहाँ का पाठ्यक्रम स्वयं बना दे। लेकिन उनमें भौतिक विज्ञान कृषि, चिकित्सा, वहीखाता, क्षेत्रमिति, पशुपालन, कताई बुनाई आदि कुछ जीवनोपयोगी विषयों को पाठ्यक्रम में आवश्यक सम्मिलित करने की सिफारिश की है।

5. प्राथमिक शिक्षा का माध्यम (Medium of Primary Education)

आयोग ने सुझाव दिया कि प्राथमिक शिक्षा का माध्यम देशी भाषाएं (प्रान्तीय भाषाएं) होनी चाहिए। उसने यह भी सुझाव दिया कि सरकार को इन भाषाओं के विकास के लिए प्रयत्न करना चाहिए।

6. शिक्षकों का प्रशिक्षण (Teacher's Training)

प्राथमिक शिक्षा में सुधार हेतु प्राथमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति पर बल दिया और प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों (नार्मल स्कूलों) की संख्या बढ़ाने पर बल दिया।

आयोग की समिति में प्रत्येक विद्यालय निरीक्षक के क्षेत्र में कम से कम एक शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय अवश्य होना चाहिए।

7. प्राथमिक देशी पाठशालाओं को प्रोत्साहन (Encouragement to Primary Indigenous School)

हन्टर कमीशन ने देशी पाठशालाओं के महत्व को खूब अच्छी तरह समझा था इनमें देश के करोड़ों बालक, बालिकाएँ, पीड़ित और मौलवियों द्वारा शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में आयोग ने लिखा है कि ये अत्यधिक संघर्ष होने पर भी जीवित हैं। इस प्रकार इन्होंने सिद्ध कर दिया है कि इनमें शक्ति एवं लोकप्रियता दोनों हैं। यदि देशी विद्यालयों को मान्यता और सहायता दे दी जाये तो यह आशा की जा सकती है कि वे अपनी शिक्षण विधि में सुधार कर लेंगे और राष्ट्रीय शिक्षा की राज प्रणाली में लाभप्रद स्थान ग्रहण करेंगे।

7.4.2 सुझाव:-

- i. समस्त देशी पाठशालो को सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाये।
- ii. इनके संचालन का उत्तरदायित्व नगर पालिकाओं तथा जिला बोर्ड को सौंपा जाए।
- iii. इनमें शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों पर कोई प्रतिबन्ध न लगाया जाये।
- iv. इनमें अध्ययन करने वाले निर्धन विद्यार्थियों को छात्रवृत्तिया दी जाये।
- v. इनके पाठ्यक्रम में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जाये। पाठ्यक्रम में लाभपूर्ण विषयों का समावेश करने के लिए सरकार द्वारा विशेष आर्थिक सहायता दी जाये।
- vi. इन पाठशालो के अध्यापको के प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था की जाये।

7.4.3 माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में सुझाव (Suggestion for Secondary Education)

आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में निम्न सुझाव दिये हैं।

1. माध्यमिक शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त (Administration and finance of Secondary Education)
आयोग ने सुझाव दिया कि माध्यमिक शिक्षा का भार कुशल एवं धनी व्यक्तियों को सौंप दिया जाए। पर जिन क्षेत्रों में व्यक्तिगत प्रयासों से माध्यमिक स्कूल न खोले जा सकें उनमें सरकार स्वयं माध्यमिक स्कूल खोले पर ऐसा स्कूल किसी भी जिले में एक से अधिक न खोला जाए। साथ ही यह भी सुझाव दिया कि व्यक्तिगत प्रयासों से चलाए जा रहे माध्यमिक स्कूलों को सहायता अनुदान देने में उदारता बरती जाय और किसी प्रकार का भेद भाव न किया जाए।

2. माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य (Aims of Secondary Education) - आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में दो उद्देश्य बताये हैं।

- i. सामान्य जीवन की तैयारी
- ii. उच्च शिक्षा में प्रवेश की तैयारी

3. माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम (Curriculum of Secondary Education) - आयोग ने माध्यमिक स्तर पर दो पाठ्यक्रम चलाने का सुझाव दिया अ. पाठ्यक्रम (A-Course) और ब पाठ्यक्रम (B-Course)

अ. पाठ्यक्रम (A-Course) - यह पाठ्यक्रम उन बच्चों के लिए होगा जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। इस पाठ्यक्रम में साहित्यिक विषयों को स्थान दिया जायेगा और अंग्रेजी का अध्ययन अनिवार्य होगा।

ब पाठ्यक्रम (B-Course) - यह पाठ्यक्रम जीवनोपयोगी पाठ्यक्रम होगा। यह पाठ्यक्रम उन बच्चों के लिए होगा जो माध्यमिक शिक्षा के बाद जीवन में प्रवेश करना चाहेंगे अपनी रोजी रोटी कमाना चाहेंगे, इस पाठ्यक्रम में व्यावसायिक विषयों को स्थान दिया जायेगा और अंग्रेजी का अध्ययन अनिवार्य होगा।

4. माध्यमिक शिक्षा का माध्यम (Medium of Secondary Education)- आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के माध्यम के सम्बन्ध में अपना कोई सुझाव नहीं दिया इसका अर्थ है कि उसने वुड डिस्पेच में घोषित अंग्रेजी को माध्यम बनाए रखने का सुझाव दिया।

5. माध्यमिक शिक्षकों का प्रशिक्षण (Training of Secondary Education) - आयोग ने माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्त करने पर बल दिया और प्रशिक्षित शिक्षकों की पूर्ति के लिए शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय खोलने की सिफारिश की।

7.4.4 उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में आयोग के सुझाव (Commission's Suggestion About Higher Education)

यद्यपि प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग का कार्यक्षेत्र माध्यमिक शिक्षा तक ही सीमित था पर उसने उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में भी कुछ सुझाव दिये हैं।

1. उच्च शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त (Administration and Finance of Higher Education)- आयोग के सुझाव दिया कि सरकार को उच्च शिक्षा का भार भारतीय जनता पर छोड़ देना चाहिए। राजकीय महाविद्यालयों केवल उन्हीं स्थानों पर खोले जाएँ जहाँ कि जनता इन्हें खोलने में असमर्थ हो और जहाँ इनकी माँग हो। गैर सरकारी महाविद्यालयों को सरकारी सभी पदों के लिए उदारतापूर्वक अनुदान दे यह अनुदान महाविद्यालयों में शिक्षकों और शिक्षार्थियों की संख्या और उनकी आवश्यकताओं के आधार पर दिया जाए। आवश्यकता पड़ने पर कालेजों को भवन निर्माण, फर्नीचर, पुस्तकालय और शिक्षण सामग्री के लिए अलग से सहायता अनुदान दिया जाए।

2. उच्च शिक्षा के उद्देश्य (Objectives of higher education) - आयोग की सम्मति में उच्च शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य होने चाहिए।

- i. शिक्षार्थियों को उच्च ज्ञान की प्राप्ति कराना।
- ii. शिक्षार्थियों को नैतिक उत्थान, प्रकृति धर्म और मानव धर्म का ज्ञान कराना।
- iii. शिक्षार्थियों को नागरिकों के कर्तव्यों का ज्ञान कराना।
- iv. विशेषज्ञों का निर्माण।

3. उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम (Curriculum of Higher Education) - आयोग ने उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम को व्यापक बनाने का सुझाव दिया जिससे छात्र अपनी रुचि के विषयों का चुनाव कर सकें।

दूसरा सुझाव नैतिक शिक्षा को अनिवार्य करने का दिया और इसके लिए विशेष प्रकार की पुस्तकें तैयार करने का सुझाव दिया जिनमें प्रकृति धर्म और मानव धर्म के सिद्धान्तों का प्रतिपादन हो।

4. उच्च शिक्षा का माध्यम (Medium of Higher Education) - उच्च शिक्षा का माध्यम के विषय में आयोग ने कोई सुझाव नहीं दिया। इसका अर्थ यही माना गया कि उसने उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाए रखना उचित समझा।

5. प्राध्यापको की नियुक्ति (Appointment of Lecturer) - आयोग ने सुझाव दिया कि महाविद्यालयों में प्राध्यापको की नियुक्ति करते समय यूरोपीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त भारतीयों को प्राथमिकता दी जाए।

7.5 सहायता अनुदान प्रणाली (Grant in Aid System)

बुड के घोषणा पत्र के अनुसार जो सहायता अनुदान प्रणाली प्रचलित थी। परन्तु प्रत्येक प्रान्त में इसका अलग रूप था।

- i. मद्रास में वेतन अनुदान प्रणाली (Salary Grant System)
- ii. बंबई में परीक्षाफल वेतन प्रणाली (Payment by Result System)
- iii. मध्यप्रान्त, पश्चिमोत्तर प्रान्त और पंजाब में नियत कालीन प्रणाली (Fixed Period system)

शिक्षा आयोग ने इन तीनों प्रणालियों के गुण दोषों की विवेचना कर निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किये गये।

- i- परीक्षाफल वेतन प्रणाली को उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए प्रयोग न किया जाये बल्कि प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रयोग किया जाए। अन्य प्रणालियों का अनुकरण करने की प्रान्तों को स्वतन्त्रता दी जाए।
- ii- सहायता अनुदान सम्बन्धि नियमों में संशोधन करते समय गैर सरकारी विद्यालयों के प्रबन्धकों की राय ली जाए।
- iii- प्रान्त के सभी विद्यालयों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सहायता अनुदान सम्बन्धि नियमों में संशोधन किय जाये।
- iv- सहायता अनुदान के नियमों का हिन्दी में अनुवाद कराया जाए और इन्हे गैर सरकारी स्कूलों के पास सूचनार्थ भेज दिया जाये।
- v- सहायता अनुदान के नियमों को समाचार पत्रों में प्रकशित किया जाए जिससे कि सभी लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके।
- vi- सहायता अनुदान देने में किसी प्रकार का पक्षपात न किया जाए।
- vii- पिछड़े क्षेत्रों वाले विद्यालयों या कम आय के साधनों वाले विद्यालयों को अधिक सहायता प्रदान की जाये।

-
- viii- भवन निर्माण, फर्नीचर, पुस्तकालय, वाचनालय, प्रयोगशाला, शिक्षण सामग्री आदि के लिए विद्यालयों के सहायता अनुदान के नियमों को समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाये।
 - ix- सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं की आन्तरिक व्यवस्था में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जाए।
 - x- विद्यालयों को विशेष आर्थिक सहायता देकर विशेष प्रकार के विषयों के शिक्षण की व्यवस्था की जाए।
 - xi- प्रान्त द्वारा दिये गये पुरस्कार और छात्रवृत्तियाँ सभी शिक्षण संस्थाओं को समान रूप से दिये जाए।
 - xii- सहायता अनुदान प्राप्त विद्यालयों के प्रबन्धों को परामर्श देने के लिए विशेष प्रकार के शिक्षा अधिकारी नियुक्त किये जाने चाहिए।

7.5.1 स्त्री शिक्षा के सम्बन्ध में सुझाव (Suggestion About Women Education)

आयोग ने तत्कालीन स्त्री शिक्षा की दयनीय दशा पर अपने विचार व्यक्त करते हुए सुझाव दिये हैं।

- i. स्थानीय सस्थाओं और प्रान्तीय सरकारों के पास जो भी सर्वजनिक कोष हो वह बालक बालिकाओं के स्कूलों को समान अनुपात में धन मिलना चाहिए।
- ii. बालिका विद्यालयों को अनुदान देने के नियम सरल बनाए जाएँ। उन्हें उदारता पूर्वक अनुदान दिया जाए।
- iii. बालिकाओं की शिक्षा निःशुल्क हो।
- iv. निर्धन छात्राओं को छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाए।
- v. बालिकाओं के लिए छात्रावासों का प्रबन्ध होना चाहिए।
- vi. बालिका विद्यालयों में यथा सम्भव महिला शिक्षिकाओं की नियुक्ति होनी चाहिए। इसके लिए अलग से महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय खोले जायें।
- vii. बालिका विद्यालयों का प्रबन्ध स्थानीय संस्थाओं को हस्तान्तरित कर देना चाहिए।
- viii. उस समय देश में पर्दा प्रथा बहुत जोर पकड़े हुए थी प्रायः पर्दा करने वाली स्त्रियाँ अपने घरों से बाहर नहीं निकलती थीं। ऐसी स्त्रियों की शिक्षा के लिए आयोग का विचार है कि ऐसी अध्यापिकाएँ नियुक्त की जाएँ जो उनके घरों में जाकर अध्ययन कार्य करें।
- ix. महिलाओं के पाठ्यक्रम में प्रायोगिक विषयों को प्रधानता दी जानी चाहिए।

7.5.2 मुसलमानों की शिक्षा के सम्बन्ध में सुझाव (Suggestion about the Education of Muslim)

- i- मुस्लिम शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए स्थानीय संस्थाओं और प्रान्तों के कोषों से सहायता ली जाये।
- ii- मुसलमान बच्चों के लिए पृथक विद्यालय खोले जायें।
- iii- मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों के स्कूलों में हिन्दुस्तानी के साथ फारसी की शिक्षा का माध्यम बनाया जाय।

-
- iv- मुसलमान बच्चों को विशेष छात्रवृत्तिया दी जाय।
 - v- मुस्लिम प्राथमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम में लौकिक विषयों को स्थान दिया जाये।
 - vi- मुसलमानों को आर्थिक सहायता देकर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाय।
 - vii- मुस्लिम शिक्षा के लिए निश्चित रकम खर्च की जाय।
 - viii- मुस्लिम अध्यापकों के प्रशिक्षण की विशेष रूप से व्यवस्था की जाये।
 - ix- शिक्षा की वार्षिक रिपोर्ट में मुसलमान बच्चों की शिक्षा की प्रगति को अलग से दर्शाया जाए, जिससे तत्काल तदनुकूल कदम उठाया जा सके।
 - x- शिक्षित मुसलमानों एवं अन्य जातियों के पढ़े लिखे व्यक्तियों को राजकीय पदों को प्रदान करने में मुसलमानों के उचित अनुपात का ध्यान रखा जाये।

7.5.3 अनुसूचित और पिछड़ी जातियों की शिक्षा सम्बन्ध में सुझाव (Suggestion for schedule Cast and Backward Cast Education)

- i- अनुसूचित जाति और पिछड़ी जातियों के बालकों के लिए राजकीय विद्यालयों में प्रवेश की कोई रूकावट न हो और इस बात पर पूर्ण ध्यान दिया जाये कि उनके साथ समानता का व्यवहार हो।
- ii- सरकारी नगर महापालिकाओं तथा स्थानीय संस्थाओं द्वारा संचालित सभी विद्यालयों के द्वारा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जातियों के लिए खोल दिये जाये
- iii- जाति और भेद की समस्या को समाप्त करने के लिए अध्यापकों व छात्रों को आगे बढ़ना चाहिए।
- iv- इन जातियों के लिए सरकार द्वारा नये विद्यालय खोले जाने चाहिए।
- v- निःशुल्क शिक्षा व छात्रवृत्ति की सुविधा प्रदान की जाय।

7.5.4 आदिवासियों और पहाड़ी जातियों की शिक्षा (Education and Aboriginal and hill Tribes)

हन्टर कमीशन ने आदिवासियों एवं पिछड़ी जातियों की शिक्षा के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये हैं।

- i- सरकार आदिवासियों एवं पर्वतीय जातियों की शिक्षा के लिए विद्यालयों की स्थापना करें।
- ii- उन क्षेत्रों में शिक्षा की व्यवस्था करने वाले को प्रोत्साहित किया जाये।
- iii- उन क्षेत्रों के स्कूलों में क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा दी जाए।
- iv- इन क्षेत्रों में सभी स्तरों की शिक्षा निःशुल्क हो।
- v- इन क्षेत्रों में छात्रों को विशेष छात्रवृत्तिया दी जाए।
- vi- इन्हीं जातियों के अध्यापकों को प्रोत्साहित व प्रशिक्षित किया जाए।

7.5.5. धार्मिक शिक्षा के सम्बन्ध में सुझाव (Suggestion about Religious Education)

धार्मिक शिक्षा के सम्बन्ध में निम्न सुझाव दिये हैं।

- i- सरकारी स्कूलों में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा न दी जाए।
- ii- धार्मिक शिक्षा देने वाले विद्यालयों को अनुदान देते समय उनकी शैक्षिक उपलब्धियों को दृष्टिगत रखा जाए।
- iii- गैर सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा प्रदान की जा सकती है।

7.5.6 भारतीय शिक्षा में ईसाई मिशनरियों की भूमिका के सम्बन्ध में सुझाव (Suggestion about the Role of Christian Missionaries in Indian Education)

ईसाई मिशनरी भारतीय शिक्षा पर नियन्त्रण चाहते थे इस सम्बन्ध में आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिये।

- i- रिपन ने कहा भारतीय की शिक्षा का भार ईसाई मिशनरियों पर कदापि न छोड़ा जाए।
- ii- ईसाई मिशनरियों द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों और भारतीयों द्वारा चलाये जा रहे स्कूलों में कोई भेदभाव न बरता जाए।
- iii- इन सभी स्कूलों के लिए सहायता अनुदान की शर्तें एक समान हो।
- iv- भारत में शिक्षा का प्रसार तभी सम्भव है जब भारतीयों को इस कार्य के लिए आगे को प्रोत्साहन करना हो तो भारतीयों को दिया जाए।

अपनी उन्नती जानिय Check your progress

प्रश्न1 मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में विश्वविद्यालयों का शिलान्यास किया गया।

प्रश्न2 हन्टर कमीशन में कितने सदस्य होते हैं।

प्रश्न3 इंग्लैंड में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम पास हुआ।

प्रश्न4 हन्टर कमीशन की रिपोर्ट में कितने प्रस्ताव थे।

7.6 सारांश Summary

वुड डिस्पेच में घोषित शिक्षा नीति, 1854 के तहत भारतीय शिक्षा में ईसाई मिशनरियों का प्रभुत्व समाप्त हो गया था। 1880 में लार्ड रिपन (Lord Rippan) भारत के नए गवर्नर जनरल और वायसराय नियुक्त हुए। अनुकूल अवसर पाकर जनरल काउन्सिल आफ एजुकेशन इन इन्डिया के एक प्रतिनिधि मंडल ने लार्ड रिपन से भेट की

उन्हे अपनी समस्याओ से अवगत कराया और भारतीय शिक्षा नीति में परिवर्तन करने का निवेदन किया। लार्ड रिपन ने उन्हे भारतीय शिक्षा नीति पर पुनर्विचार करने का आश्वासन दिया। सहायता अनुदान के नियम सरल एवं उदार बनाया गए व सहायता अनुदान के नियमो को प्रान्तीय आवश्यकताओ के अनुकूल बनाया गया। सहायता अनुदान के नियमो को अलग-अलग मदो के लिए अलग-अलग बनाएं जाये। सहायता अनुदान के सभी नियम से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत सभी व्यक्तियो, विशेषकर प्रधानाचार्या को अवगत कराया जाय तथा इन नियमो का प्रकाशन कराया जाये। किसी विद्यालय के किसी भी पद हेतु प्राप्त सहायता अनुदान प्रार्थना पत्र पर निर्णय लेने से पूर्व विद्यालय का निरीक्षण किया जाये। विद्यालयो को सहायता अनुदान स्वीकृत करने में किसी प्रकार का भेदभाव न बरता जाए। विद्यालयों को सहायता अनुदान की धनराशी समय से पहुँचाई जाए।

7.7 शब्दावली Glossary

सहायता अनुदान प्रणाली (Grant in Aid System)- वुड के घोषणा पत्र के अनुसार जो सहायता अनुदान प्रणाली प्रचलित थी। परन्तु प्रत्येक प्रान्त में इसका अलग रूप था।

I मद्रास में वेतन अनुदान प्रणाली (Salary Grant System)

Ii बंबई में परीक्षाफल वेतन प्रणाली (Payment by Result System)

Iii मध्यप्रान्त, पश्चिमोत्तर प्रान्त और पंजाब में नियत कालीन प्रणाली (Fixed Period system) .

माध्यमिक शिक्षको का प्रशिक्षण (Training of Secondary Education) - आयोग ने माध्यमिक विद्यालयो में प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्त करने पर बल दिया और प्रशिक्षित शिक्षको की पूर्ति के लिए शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय खोलने की सिफारिश की।

7.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर Answer of practice Question.

उत्तर 1 1857

उत्तर 2 20 सदस्य

उत्तर 3 1880

उत्तर 4 220 प्रस्ताव

7.9 सन्दर्भ Reference:-

- i. लाल (डॉ) रमन बिहारी, भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएं, राज प्रिंटर्स, मेरठा
- ii. जे. (डॉ) एस. वालिया (2009) भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास, अहमपाल पब्लिशर्स, मेरठा

-
- iii. शुक्ला (डॉ) सी. एस. (2008) उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक, इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस, मेरठा
- iv. शर्मा, रामनाथ व शर्मा, राजेन्द्र कुमार (2006) शैक्षिक समाजशास्त्र, एटलांटिक पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स।
- v. शीलू मैरी (डॉ) (2008) शिक्षक के सामाजिक एवं दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, रजत प्रकाशन नई दिल्ली।
-

7.10 दीर्घ उत्तरी प्रश्न Long answer types Question

प्रश्न हन्टर कमीशन के उद्देश्य तथा कार्यक्षेत्र को विस्तार से लिखिये।

प्रश्न हन्टर कमीशन की सिफारिशों और सुझावों का विस्तार से वर्णन कीजिये।

प्रश्न हन्टर कमीशन ने प्राथमिक व उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में क्या सुझाव दिये हैं।

प्रश्न अनुसूचित जाति व मुसलमानों की शिक्षा के सम्बन्ध में हन्टर कमीशन ने क्या सुझाव दिये हैं।

**इकाई 8 भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902-1904 (Indian University
Commission 1902-1904)**

- 8.1 प्रस्तावना-(Introduction)
- 8.2 उद्देश्य Objectives
- 8.3 भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 Indian University Commission 1902
- 8.3.1 जाँच के विषय- (Subjects of Inquiry) –
- 8.3.2 आयोग के सुझाव और सिफारिशें (Suggestion and Recommendation of Commission)
- 8.3.3 विश्वविद्यालय के संगठन व प्रशासन सम्बन्धी सुझाव (Suggestion about the Organization and administration of University) -
- 8.3.4 विश्वविद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था सम्बन्धी सुझाव (Suggestion about the organization and Administration of University) -
- 8.3.5 महाविद्यालयों के प्रबन्ध सम्बन्धी सुझाव- (Suggestion about Management in Degree College)-
- 8.3.6 महाविद्यालयों की शिक्षण सम्बन्धी सुझाव (Suggestion about Education in Degree College)
- 8.3.7 भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 का मूल्यांकन (Evaluation of Indian Universities Commission 1902) –
- 8.4 भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1904 Indian University Act 1904
- 8.4.1 भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 का मूल्यांकन Evaluation of Indian University Act 1904
- 8.4.2 लॉर्ड कर्जन के अनुसार तत्कालीन शिक्षा नीति के प्रमुख दोष (Main defects of on temporary Education Policy according to Lord Curzon)
- 8.4.3 प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी सुझाव (Suggestion Concerned with Primary Education)-
- 8.4.4 माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी सुझाव (Suggestion Regarding Intermediate Education)-
- 8.4.5 उच्च शिक्षा सम्बन्धी सुझाव (Suggestion Regarding Higher Education)-
- अपनी उन्नति जानिय Check Your progress
- 8.5 शिक्षा नीति 1904 का मूल्यांकन (Evaluation of Education Policy 1904)-
- 8.5.1 लॉर्ड कर्जन के अन्य शैक्षिक कार्य - (Other Educative Function of Lord Curzon)
- अपनी उन्नति जानिय Check Your progress
- 8.6 लॉर्ड कर्जन के शिक्षा सम्बन्धी कार्यों का मूल्यांकन (Evaluation of Lord Curzon's Education Work)
- 8.7 शब्दावली Glossary

8.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर Answer of Practice Questions

8.9 सन्दर्भ Reference

8.10 निबन्धात्मक प्रश्न Essay Type Questions

8.1 प्रस्तावना- (Introduction)

सन् 1899 में लॉर्ड कर्जन ब्रिटिश भारत के नये गवर्नर जनरल और वायसराय नियुक्त हुये। वे उच्च कोटि के विद्वान और कुशल प्रशासक पाश्चात्य संस्कृति एवं सभ्यता के पुजारी थे। उनमें कुछ महत्वपूर्ण एवं असाधारण कार्य करने की प्रबल इच्छा थी उन्होंने यहाँ कार्य भार सम्भालते ही क्षेत्र में सुधार के प्रयत्न शुरू किये। शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने देखा की ब्रिटिश शासन के चालीस वर्ष लम्बे कार्य काल में भी यहाँ की शिक्षा में न तो संख्यात्मक वृद्धि हो पायी है और न उतनी गुणात्मक उन्नति हो पायी है जितनी होनी चाहिये थी।

शिमला शिक्षा सम्मेलन- 1901

लार्ड कर्जन ने सितम्बर 1901 में शिमला में एक शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया जिसे शिमला शिक्षा सम्मेलन कहते है इस सम्मेलन में सभी प्रान्तों के जन शिक्षा निदेशकों और मुख्य इसाई मिश्ररियो के कुछ प्रतिनिधियों को आमन्त्रित किया गया था यह सम्मेलन 15 दिन तक चला था इसकी अध्यक्षता स्वयं लॉर्ड कर्जन ने की थी। यहाँ पर भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के बारे में विस्तार से अध्ययन कर सकेगे।

8.2 उद्देश्य Objectives

- भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 के कारणों को जान सकेगे।
- भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902के गुणों व अवगुणों को जान सकगे।
- भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 को समझ सकेगे।
- भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1904 के गुणों व अवगुणों को जान सकगे।
- लार्ड कर्जन के शिक्षा सम्बन्धी कार्यों का मूल्यांकन कर सकेगे।

8.3 भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 Indian University Commission 1902

नियुक्ति के कारण - (Reason for Appointment) भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति के चार प्रमुख कारण थे।

1. विश्वविद्यालयों से सम्बन्ध कॉलेजों की संख्या में तीव्र वृद्धि होने के कारण विश्वविद्यालयों पर इतना कार्यभार हो गया था। कि वे अपने कर्तव्यों का कुशलतापूर्वक पालन करने में असमर्थ थे। फलस्वरूप कॉलेजों का शिक्षण स्तर निम्न हो गया था।
2. सीनेट का संगठन दोषपूर्ण था-(क) प्रथम उसके सदस्यों की संख्या आवश्यकता से अधिक थी। (ख) द्वितीय उनमें विश्वविद्यालय के शिक्षकों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं था
3. विश्वविद्यालय केवल परीक्षा लेने और मान्यता देने का कार्य करते थे उनमें शिक्षण का जो उनका मुख्य कार्य था कि कोई व्यवस्था नहीं थी।
4. शिक्षकों की संख्या छात्रों की संख्या अनुपात में कम थी।

8.3.1 जॉच के विषय- (Subjects of Inquiry) –

आयोग को जॉच करने के लिये तीन विषय दिये गये थे-

- (1) ब्रिटिश भारत में विश्वविद्यालयों की वर्तमान दशा और उनकी भावी उन्नति की सम्भावना पर विचार करना।
- (2) विश्वविद्यालयों के विधान और उनकी कार्यप्रणाली में सुधार करने के लिये उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत करना।
- (3) विश्वविद्यालयों के शिक्षण स्तर को उन्नत करने और विद्या की उन्नति करने के लिये उपयुक्त विधियों का सुझाव देना।
- (4) विश्वविद्यालयों में छात्रों की संख्या अनुपात को व्यवस्थित करना।

8.3.2 आयोग के सुझाव और सिफारिशें (Suggestion and Recommendation of Commission)

आयोग ने ब्रिटिश भारत के सब विश्वविद्यालयों की सूक्ष्म छानबीन करके लगभग 6 माह के उपरान्त सरकार के समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उस प्रतिवेदन में आयोग ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सुधार करने हेतु जिन सुझावों और सिफारिशों को लेखाबद्ध किया, उनमें से निम्नांकित महत्वपूर्ण है-

8.3.3 विश्वविद्यालय के संगठन व प्रशासन सम्बन्धी सुझाव (Suggestion about the Organization and administration of University) -

- (1) विश्वविद्यालयों में सीनेट के सदस्यों की संख्या घटा दी जाये व इसके अतिरिक्त उनके कार्यकाल की अवधि पाँच वर्ष कर दी जाय।

(2) प्रत्येक वर्ष 20 प्रतिशत नये सीनेट सदस्यों का निर्वाचन किया जाये। इनमें शिक्षाविदों कॉलेज प्राध्यापकों और सरकारी कर्मचारियों सभी को प्रतिनिधित्व मिले।

(3) विश्वविद्यालयों में सिंडीकेट के सदस्यों की संख्या 9 से बढ़ाकर 15 कर दी जाये। इनको सीनेट के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित किया जाए।

(4) प्रत्येक विश्वविद्यालयों की सीमा निश्चित की जाए।

8.3.4 विश्वविद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था सम्बन्धी सुझाव (Suggestion about the organization and Administration of University) -

(1) विश्वविद्यालयों को शिक्षण का उत्तरदायित्व भी सौंपा जाए। इनमें शोध कार्य करने की उपयुक्त व्यवस्था की जाए।

(2) विश्वविद्यालयों में शिक्षण कार्य हेतु उच्च योग्यता प्राप्त प्राध्यापकों की नियुक्ति की जाए।

(3) विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में सुधार लाया जाए।

(4) विश्वविद्यालयों की परीक्षा प्रणाली और मूल्यांकन कार्य में सुधार लाया जाए।

8.3.5 महाविद्यालयों के प्रबन्ध सम्बन्धी सुझाव- (Suggestion about Management in Degree College)-

(1) प्रत्येक महाविद्यालय के प्रबन्ध के लिए एक सुसंगठित प्रबन्धकारिणी समिति गठित हो।

(2) महाविद्यालयों की प्रबन्ध समितियों पर महाविद्यालयों के उचित प्रबन्ध के लिए उत्तरदायित्व हो।

(3) महाविद्यालयों में लिए जाने वाले शिक्षण शुल्क का निश्चय सिंडीकेट को महाविद्यालयों की परिस्थितिनुसार करना चाहिये।

(4) प्रत्येक महाविद्यालयों में पर्याप्त भवन प्रध्यापक पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं का उचित प्रबन्ध किया जाये।

8.3.6 महाविद्यालयों की शिक्षण सम्बन्धी सुझाव (Suggestion about Education in Degree College) –

(1) महाविद्यालयों की सम्बन्धता के नियम कठोर हो। मान्यता देने के बाद उनके शैक्षिक स्तर की देखभाल विश्वविद्यालय सिंडीकेट द्वारा की जाए।

(2) निम्न स्तर के महाविद्यालयों को पूर्णतय बन्द कर दिया जाये।

- (3) सम्बद्ध महाविद्यालयों का निरीक्षण नियमित रूप से किया जाये।
- (4) महाविद्यालयों के पाठ्क्रमों में उपयुक्त सुधार किया जाए।
- (5) महाविद्यालयों में प्रध्यापकों की नियुक्ति ने विश्वविद्यालयों में निष्पक्ष हो।
- (6) महाविद्यालयों में केवल स्नातक स्तर तक का शिक्षण का प्रावधान हो।
- (7) मैट्रीकुलेशन (हाईस्कूल) का स्तर ऊँचा किया जाये। इंटरमीडियट कक्षाये समाप्त की जाये। स्नातक पाठ्क्रम तीन वर्ष का किया जाये।
- (8) विश्वविद्यालयों द्वारा सम्पादित परीक्षाओं और मूल्यांकन प्रणाली में आवश्यक सुधार किये जाये।

8.3.7 भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 का मूल्यांकन (Evaluation of Indian Universities Commission 1902) –

भारत में विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में यह सबसे पहला आयोग था। इसके अधिकतर सदस्य अंग्रेज थे केवल दो सदस्य ही भारतीय थे। अतएव इनसे जो भी सुझाव दिये वे ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली पर आधारित थे।

गुण (Merits)- आयोग के द्वारा दिये गये प्रमुख अच्छे सुझाव निम्न प्रकार थे-

- (1) विश्वविद्यालयों में सीनेट के सदस्यों की बड़ी संख्या को सीमित करना उनके कार्यकाल को पाँच वर्ष तक सीमित करना और उनमें शिक्षा विदों और महाविद्यालय प्रध्यापकों को उपयुक्त प्रतिनिधित्व प्रदान करना।
- (2) विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को साधन सम्पन्न करना उनमें योग्य प्रध्यापकों की नियुक्ति करना। प्रध्यापकों के चयन का भार विश्वविद्यालयों को दिया जाना।
- (3) विश्वविद्यालयों में शिक्षण कार्य और शोध कार्य की व्यवस्था करना।
- (4) महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के पाठ्क्रमों परीक्षा प्रणाली और मूल्यांकन विधियों में उपयुक्त सुधार करना।

अवगुण (Demerits)- आयोग के कुछ सुझाव दोषपूर्ण थे। उनमें कुछ सुझाव निम्न प्रकार थे-

- (1) विश्वविद्यालयों के आन्तरिक मामलों में सरकारी हस्तक्षेप रहना।
- (2) महाविद्यालयों की सम्बन्धता के कठोर नियम होना।

लॉर्ड कर्जन ने आयोग के अधिकतर सुझावों से सहमत होकर इन सुझावों को विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के रूप में पारित कराकर तद्गुल कार्यवाही प्रारम्भ की। प्रारम्भिक प्रयास की दृष्टि से यह प्रशंसनीय कदम था।

8.4 भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1904 Indian University Act 1904

भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात लॉर्ड कर्जन ने उसकी अधिकतर सिफारिशों का समावेश करते हुए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम का प्रारूप तैयार कर 1903 में उसे केन्द्रीय धारा सभा (Imperial legislative Council) में प्रस्तुत किया। यह विधेयक पारित हो गया और 21 मार्च 1904 को उसे कानून के रूप में प्रकाशित कर दिया गया। इस अधिनियम की मुख्य धाराओं का वर्णन निम्न प्रकार है।

- (1) किसी भी विश्वविद्यालय की सीनेट में कम से कम 50 और अधिक से अधिक 100 सदस्य होंगे सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होगा।
- (2) सीनेट के सदस्यों को निर्वाचित करने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया। मद्रास, बम्बई और कलकता विश्वविद्यालयों की सीनेटों के निर्वाचित सदस्यों की 20 एवं अन्य विश्वविद्यालयों की सीनेट के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 15 निश्चित की गई।
- (3) विश्वविद्यालयों से मान्यता प्राप्त करने के इच्छुक कॉलेजों के लिये नियम कठोर कर दिये गये। सिडिकेटों को इन कॉलेजों का नियामित रूप से निरीक्षण करने का अधिकार प्रदान दिया गया।
- (4) सरकार को सीनेट द्वारा निर्मित किये जाने वाले नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन एवं परिवर्तन करने या स्वीकृति देने और उसके द्वारा उचित समय पर नियम न बनाये जाने पर स्वयं नियम निर्माण करने का अधिकार मिल गया।
- (5) विश्वविद्यालयों के कार्य-क्षेत्रों में विस्तार कर दिया गया। उनको परीक्षा लेने के अतिरिक्त शिक्षण और अनुसंधान-कार्य करने का भी अधिकार प्रदान किया गया।

8.4.1 भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 का मूल्यांकन Evaluation of Indian University Act 1904

इस अधिनियम के लागू होने के कुछ अच्छे और कुछ घातक परिणाम प्रकार हुये।

अच्छे परिणाम (Good Consequence)- प्रमुख अच्छे परिणाम निम्न प्रकार हुये।

- (1) सीनेट में भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला शिक्षाविदों और प्राध्यापकों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ।
- (2) विश्वविद्यालयों के प्रशासन में सुधार हुआ।
- (3) कुछ विश्वविद्यालयों में शिक्षण कार्य प्रारम्भ हुआ।

(4) महाविद्यालयों को सम्बद्धता प्रदान करने में नियमों का कड़ाई से पालन होने लगा इससे शिक्षा का स्तर उठा।

(5) सम्बद्ध कॉलिजो का नियामित रूप से निरीक्षण होने लगा। अक्षम महाविद्यालय स्वतः बन्द हो गया।

घातक परिणाम (Harmful Consequence) - इस अधिनियम के लागू होने के प्रमुख घातक परिणाम निम्न प्रकार थे।

(1) विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियन्त्रण अधिक हो गया उनकी स्वायत्तता कम हुई।

(2) अधिनियम में नए विश्वविद्यालय खोलने की कोई व्यवस्था न होने के कारण कोई नया विश्वविद्यालय नहीं खोला जा सका।

(3) महाविद्यालय की सम्बद्धता के नियम कठोर होने के कारण नए महाविद्यालय कम स्थापित हुए उच्च शिक्षा का प्रसार कम हुआ।

(4) अधिनियम में परीक्षा प्रणाली में सुधार पर बल न होने के कारण उसमें कोई सुधार नहीं हुआ।

8.4.2 लॉर्ड कर्जन के अनुसार तत्कालीन शिक्षा नीति के प्रमुख दोष (Main defects of on temporary Education Policy according to Lord Curzon)

लॉर्ड कर्जन ने शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 में पारित प्रस्तावों के आधार पर एक शिक्षा नीति तैयार कर 11 मार्च 1904 को एक सरकारी प्रस्ताव के रूप में प्रकाशित किया।

लॉर्ड कर्जन ने 11 मार्च 1904 को अपनी शिक्षा नीति को एक सरकारी पस्ताव के रूप में अंकित करके प्रकाशित किया। इस प्रस्ताव में उसने तत्कालीन शिक्षा के दोषों को भारतीय जनता के समक्ष प्रस्तुत कर अपनी शिक्षा-नीति की उद्घोषणा की यथा-

(1) संख्यात्मक दोष (Quantitative Defects) - संख्यात्मक दृष्टि से तत्कालीन भारतीय शिक्षा-प्रणाली के दोषों के विषय में प्रस्ताव में लिखा गया -“संख्यात्मक दृष्टि से वर्तमान शिक्षा-प्रणाली के दोष सर्वविदित है। पाँच में से चार ग्रामों में कोई विद्यालय नहीं है चार में से तीन बालकों को शिक्षा प्राप्त नहीं होती है और चालीस में से केवल एक बालिका किसी प्रकार से विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करती है।

(2) गुणात्मक दोष (Qualitative Defects) - गुणात्मक दृष्टि से तत्कालीन भारतीय शिक्षा-प्रणाली में अनेक दोष पाये गये।

8.4.3 प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी सुझाव (Suggestion Concerned with Primary Education)-

प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी प्रमुख सुझाव निम्न प्रकार थे-

(1) प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गये हैं। उसका प्रसार करना सरकार का मुख्य कर्तव्य है।

(2) स्थानीय निकाय प्राथमिक शिक्षा कोष को केवल प्राथमिक शिक्षा पर ही व्यय करें। प्रान्तीय सरकारें इन्हे आवश्यकतानुसार अनुदान दें, जो परीक्षाफल पर आधारित न होकर क्षेत्रीय आवश्यकताओं के आधार पर दिया जाए। प्रान्तीय सरकारें प्राथमिक शिक्षा पर किए जाने वाले व्यय का 50 प्रतिशत स्वयं वहन करें।

(3) प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया जाए। इसमें अंग्रेजी को हटाकर भारतीय भाषाओं को मुख्य स्थान दिया जाए। इसके अतिरिक्त, शारीरिक व्यायाम अनिवार्य किया जाए और कुछ उपयोगी विषयों को सम्मिलित किया जाए।

(4) प्राथमिक स्तर की शिक्षण विधियों में सुधार किया जाए। किण्डर गार्टन प्रणाली का प्रयोग उपयुक्त है।

8.4.4 माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी सुझाव (Suggestion Regarding Intermediate Education)-

माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी सुझाव निम्न प्रकार थे-

1. गैर सरकारी (अनुदान प्राप्त अथवा अप्राप्त) अभी माध्यमिक विद्यालयों को सरकार के शिक्षा विभाग से मान्यता की प्राप्ति आवश्यक होगी।
2. माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षण स्तर को उच्चतर करने के लिए उन्हें मान्यता प्रदान करने और सहायता अनुदान स्वीकृत करने के नियम कठोर किए जायेंगे।
3. माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रमों में व्यावसायिक विषयों को स्थान दिया जाएगा।
4. सभी माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी।
5. राजकीय माध्यमिक विद्यालय गैरसरकारी माध्यमिक विद्यालयों के लिए आर्दश विद्यालयों की भूमिका निभायेंगे।

8.4.5 उच्च शिक्षा सम्बन्धी सुझाव (Suggestion Regarding Higher Education)-

उच्च शिक्षा सम्बन्धी प्रमुख सुझाव निम्न प्रकार थे-

1. उच्च शिक्षा के विस्तार और उन्नयन के लिए आवश्यक धनराशि में वृद्धि की जाएगी।
2. महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों की शिक्षा के स्तर को उन्नत करने के लिए आवश्यक प्रयास किए जायेंगे।
3. उच्च शिक्षा में बाह्य परीक्षाओं के महत्व में कमी की जायेगी।

अपनी उन्नति जानिय Check your Progress

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. विश्वविद्यालय आयोग 1902 की दो सिफारिशों को लिखिये।

Describe the recommendation of University Commission 1902.

2. लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति 1904 के मुख्य दो तत्वों को लिखिये।

Discuss the main elements of lord Curzon's Education Policy 1904.

3. भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम की दो मुख्य धाराओं को लिखिये।

Describe the main provision of Indian university Act.

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये।

Write short note on the following:-

4. शिमला शिक्षा सम्मेलन (शिमला एकार्ड) 1901. (Shimla Accord) 1902

5. भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 Indian university Commission.

6. भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 Indian University Act 1904.

8.5 शिक्षा नीति 1904 का मूल्यांकन (Evaluation of Education Policy 1904)-

लॉर्ड कर्जन द्वारा घोषित इस शिक्षा नीति के पीछे उनका इरादा भारतीय शिक्षा में संख्यात्मक प्रसार और गुणात्मक उन्नयन था। तथपि सन्देह के घेरे में घिरे रहने के कारण उनके प्रयासों का विरोध किया गया। उनकी शिक्षा नीति का मूल्यांकन निम्न प्रकार है-

गुण (Merits)- इस नीति के निम्न गुण निम्न प्रकार हैं-

1. इस नीति के प्रारम्भ में तत्कालीन भारतीय शिक्षा की वास्तविक स्थिति प्रस्तुत की गई।

2. प्राथमिक शिक्षा के संख्यात्मक प्रसार और गुणात्मक उन्नयन के लिए दिए गये, सुझाव सर्वथा उपयुक्त थे।

3. माध्यमिक विद्यालयों को मान्यता देने के कठोर नियम, उनके पाठ्यक्रमों में व्यावसायिक विषयों का समावेश और उनमें प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति का सुझाव उपयुक्त था।

4. उच्च शिक्षा के प्रसार और उन्नयन के लिए अधिक धनराशि की स्वीकृति उत्तम निर्णय था।

अवगुण (Demerits)-इस नीति के निम्न प्रतिकूल प्रभाव पड़े-

1. माध्यमिक विद्यालयों को मान्यता देने और सहायता अनुदान स्वीकृति करने के नियम कठोर बनाने से माध्यमिक शिक्षा का प्रसार अवरूद्ध हुआ।

2. सरकारी अंकुश से लाल फीताशाही में वृद्धि हुई।

8.5.1 लॉर्ड कर्जन के अन्य शैक्षिक कार्य (Other Educative Function of Lord Curzon)

लॉर्ड कर्जन भारत में 7 वर्ष (1899 से 1906 तक) रहे। उन्होंने उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त शिक्षा के क्षेत्र में निम्न कार्य भी किए-

1. केन्द्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना (Foundation of Central Education Department)- लॉर्ड कर्जन ने केन्द्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना की। इसमें 'डॉयरेक्टर जनरल ऑफ एजुकेशन' के पद का सृजन किया गया। इससे प्रथम, तो शिक्षा की व्यवस्था करना केन्द्रीय सरकार का उत्तरदायित्व हो गया और द्वितीय, केन्द्र द्वारा निश्चित शिक्षा नीतियों को पूरे राज्य में लागू करना सम्भव हो गया।

2. कला महाविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में सुधार (Reform in the Curriculum of Art Culture)- अब तक कला महाविद्यालयों (Art Colleges) में केवल साहित्यिक विषय पढ़ाये जाते थे। लॉर्ड कर्जन ने इनमें जीविकोपार्जन सम्बन्धी पाठ्यक्रम शुरू कराए।

3. कृषि शिक्षा में सुधार (Reform in Agriculture Education)- लॉर्ड कर्जन ने भारत में कृषि शिक्षा की आवश्यकता और महत्त्व समझकर प्रत्येक प्रान्त में कृषि विभाग की स्थापना की और प्रान्त में एक कृषि महाविद्यालय स्थापित करने की योजना बनाई। बिहार में 'केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान' (Central Agriculture Research) की स्थापना की गयी।

4. नैतिक शिक्षा पर बल (Emphasis on Moral Education)- भारत में बहुत पहले से धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा के सम्बन्ध में चले आ रहे विवाद का अन्त 'धार्मिक' शब्द हटाकर किया। उन्होंने कहा कि सभी शिक्षण संस्थाओं में नैतिक शिक्षा दी जाए, पर यह शिक्षा पुस्तकों के मध्यम से नहीं दी जा सकती। इसके लिए शिक्षकों का सच्चरित्र एवं कर्तव्यनिष्ठ होना आवश्यक है और शिक्षण संस्थाओं का पर्यावरण उच्च होना आवश्यक है।

अपनी उन्नति जानिय Check Your progress

रिक्त स्थानों की पूर्ति करें

प्रश्न 1 शिमला शिक्षा सम्मेलन में प्रस्ताव पारित किये गये।

प्रश्न 2. सन् 1898 में विश्वविद्यालय का पुनर्संगठन हो जाने पर भारतीय विश्वविद्यालयों को उसके अनुरूप परिवर्तन किया जाना आवश्यक था।

प्रश्न 3 तत्कालीन विश्वविद्यालयों केवल लेने व देने का कार्य करते थे। शिक्षण कार्य नहीं।

प्रश्न 4. भारतीय 1902 का सुझाव था कि प्रत्येक वर्ष प्रतिशत नए सीनेट सदस्यों का निर्वाचन किया जाए।

सत्य/असत्य प्रश्न

5. भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 का सुझाव था कि विश्वविद्यालय में सिडिकेट के सदस्यों की संख्या 9 से बढ़कर 15 कर दी जाए।

6. लॉर्ड कर्जन ने कला महाविद्यालयों में जीविकोपार्जन सम्बन्धी पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये।

7. धार्मिक व नैतिक शिक्षा के सम्बन्ध में चले आ रहे विवाद की समाप्ति धार्मिक शब्द हटाकर की गयी।

8. लॉर्ड कर्जन ने भारत में कृषि शिक्षा को अपना केन्द्र बिन्दू बनाया।

बहुविकल्पीय प्रश्न -

सही उत्तर का चयन कीजियें।

9. शिमला शिक्षा सम्मलेन 1901 कितने दिन तक चला था।

(1) 5 (2) 10

(3) 15 (4) 20।

10. भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 में भारतीय सदस्य कितने थे।

(1) 2 (2) 4

(3) 6 (4) 8

11. भारत में केन्द्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना किसने की थी।

(1) चार्ल्स वुड (2) लॉर्ड कैनिंग

(3) लॉर्ड रिपन (4) लॉर्ड कर्जन।

12. लॉर्ड कर्जन ने केन्द्रीय कृषि अनुसन्धान संस्थान की स्थापना कहाँ की थी ?

- | | |
|---------------------|------------|
| (1) संयुक्त प्रान्त | (2) बिहार |
| (3) बंगाल | (4) मद्रास |

8.6 लॉर्ड कर्जन के शिक्षा सम्बन्धी कार्यों का मूल्यांकन (Evaluation of Lord Curzon's Education Work)

लॉर्ड कर्जन ने भारत में गवर्नर और वायसराय का कार्यभार सम्भालते ही हर क्षेत्र में सुधार करने प्रारम्भ किए। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हेतु उन्होंने सर्वप्रथम 1901 में शिमला में एक शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया।

तत्पश्चात लॉर्ड कर्जन ने उच्च शिक्षा में सुधार हेतु सुझाव देने के लिए 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की। प्रारम्भ में इसमें भी कोई भारतीय सदस्य नहीं था और बाद में भी केवल दो भारतीय सदस्य रखे गये थे। इसलिए भारतीय इस आयोग के प्रति भी संश्लिष्ट रहे। इसका परिणाम यह हुआ कि आयोग की सिफारिशों के आधार पर लॉर्ड कर्जन ने जो शिक्षा नीति 1904 और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1904 की घोषणा की, उन्हें भी सन्देह की दृष्टि से देखा गया। पर जब कर्जन ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने शुरू किए तो कुछ व्यक्तियों का उनमें विश्वास जागृत हुआ।

लॉर्ड कर्जन की देन- लॉर्ड कर्जन की भारतीय शिक्षा को जो मुख्य देन है उनका वर्णन निम्न प्रकार है-

- (1) केन्द्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना से शिक्षा की नीति को लागू करना और शिक्षा की व्यवस्था सुव्यवस्थित ढंग से करना सम्भव हुआ।
- (2) प्राथमिक शिक्षा में संख्यात्मक वृद्धि और गुणात्मक उन्नयन के लिए आर्थिक सहायता की धनराशि के बढ़ाए जाने से प्राथमिक शिक्षा में संख्यात्मक वृद्धि हुई और उसका गुणात्मक उन्नयन हुआ।
- (3) माध्यमिक शिक्षा के विस्तार और उन्नयन के लिए आर्थिक सहायता की धनराशि में वृद्धि के कारण उसका प्रसार हुआ।
- (4) लॉर्ड कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पास किया और उसे लागू किया। परिणामतः विश्वविद्यालयों के प्रशासन में सुधार हुआ, उनमें शैक्षिक गतिविधियाँ बढ़ी, महाविद्यालयों के स्तर में सुधार हुआ और इस प्रकार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हुआ।
- (5) लॉर्ड कर्जन ने शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा के विवाद को धार्मिक शब्द हटाकर हल किया। उन्होंने केवल नैतिक शिक्षा पर बल दिया।

8.7 शब्दावली Glossary

संख्यात्मक दोष (Quantitative Defects) - संख्यात्मक दृष्टि से तत्कालीन भारतीय शिक्षा-प्रणाली के दोषों के विषय में प्रस्ताव में लिखा गया -“संख्यात्मक दृष्टि से वर्तमान शिक्षा-प्रणाली के दोष सर्वविदित है। पाँच में से चार ग्रामों में कोई विद्यालय नहीं है चार में से तीन बालकों को शिक्षा प्राप्त नहीं होती है और चालीस में से केवल एक बालिका किसी प्रकार से विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करती है।

8.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर Answer of Practice Question

उत्तर 1 150, उत्तर 2 लन्दन, 3. परीक्षा , मान्यता 4. 20

उत्तर 5. सत्य, 6. सत्य, 7. सत्य, 8. सत्या

उत्तर (9) 15 (10) 2 (11) लॉर्ड कर्जन (12) बिहार।

8.9 सन्दर्भ Reference

1. लाल (डॉ) रमन बिहारी, भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएं, राज प्रिंटर्स, मेरठ।
2. जे. (डॉ) एस. वालिया (2009) भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास, अहमपाल पब्लिशर्स, मेरठ।
3. शुक्ला (डॉ) सी. एस. (2008) उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक, इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस, मेरठ।
4. शर्मा, रामनाथ व शर्मा, राजेन्द्र कुमार (2006) शैक्षिक समाजशास्त्र, एटलांटिक पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स।
5. शीलू मैरी (डॉ) (2008) शिक्षक के सामाजिक एवं दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, रजत प्रकाशन नई दिल्ली।

8.10 निबन्धात्मक प्रश्न Essay Type Questions

प्रश्न 1. विश्वविद्यालय आयोग 1902 की सिफारिशों और भारतीय उच्च शिक्षा के विकास में उसके योगदान में उसके योगदान की विवेचना कीजिये।

Discuss the suggestion of university commission 1902 and its contribution of the development of Indian Higher Education.

प्रश्न 2 लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति 1904 के मुख्य तत्वों का उल्लेख कीजिये।

Discuss the main elements of policy 1904.

प्रश्न 3 भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 की मुख्य धाराओं का वर्णन कीजिये और यह बताइये कि इससे भारतीय उच्च शिक्षा के विकास पर क्या प्रभाव पड़ा।

Describe the main provisions of Indian University Act 1904 and mention of effect on the development of Indian higher Education.

प्रश्न 4 भारतीय शिक्षा में लॉर्ड कर्जन के योगदान का मूल्यांकन कीजिये।

Evaluate the contribution of lord Curzon to Indian Education.

प्रश्न 5 लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति का वर्णन कीजिये ।

Discuss the lord Curzon's Policy.

प्रश्न 6. विश्वविद्यालय आयोग 1902 की सिफारिशों का उल्लेख कीजिये ।

Discuss the recommendation of university commission 1902.

प्रश्न 7. लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति 1904 के मुख्य तत्वों का उल्लेख कीजिये

Discuss the main elements of lord Curzon 's Education policy 1904.

प्रश्न 8. भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 की मुख्य धाराओं का वर्णन कीजिये और वह बताइये कि इससे भारतीय उच्च शिक्षा के विकास पर क्या प्रभाव पड़ा।

Describe the main provisions of Indian University Act 1904 and mention its effect on the development of Indian Higher Education.

प्रश्न 9. भारतीय शिक्षा में लॉर्ड कर्जन के योगदान का मूल्यांकन कीजिये ।

Evaluate the contribution lord Curzon's Indian Education.

**इकाई 9 कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग (सैडलर कमीशन) 1917-19 Calcutta
University Commission (Sadler Commission) 1917-19**

- 9.1 प्रस्तावना Introduction
- 9.2 उद्देश्य Objectives
- 9.3 आयोग की नियुक्ति (Appointment of the Commission)
 - 9.3.1 आयोग का कार्यक्षेत्र Terms of Reference of the Commission
 - 9.3.2 आयोग का प्रतिवेदन Report of the Commission
- 9.4 कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग कि सिफारिशें (सैडलर आयोग) Suggestion of Calcutta University Commission(Sadler Commission)
 - 9.4.1 माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी सुझाव Reference of Secondary Education Suggestion
 - 9.4.2 भारतीय विश्वविद्यालयों सम्बन्धी सुझाव Suggestion for Indian university
- 9.5 कलकत्ता विश्वविद्यालय सम्बन्धी विशेष सुझाव Special Suggestion for Calcutta University
 - 9.5.1 मुस्लिम व स्त्रीयो के सम्बन्ध में शिक्षा अन्य समस्याओं सम्बन्धी सुझाव
 - 9.5.2 शिक्षको के प्रशिक्षण सम्बन्धी सिफारिशें (Recommendations about Training of Teachers)
 - 9.5.3 कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का मूल्याकन एवं गुण-दोष विवेचन (Merits and Demerits & Evaluation Calcutta University Council)
 - 9.5.4 आयोग का प्रभाव (Effect of Commission)
- अपनी उन्नति जानिय Check Your Progress
- 9.6 सारांश Summary
- 9.7 शब्दावली Glossary
- 9.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर Answer of Practice Question
- 9.9 सन्दर्भ Reference
- 9.10 निबन्धात्क प्रश्न Essay Type Question

9.1 प्रस्तावना Introduction

भारत में शिक्षा के सुधार हेतु समय-समय पर अनेक आयोगों की नियुक्ति की गयी जिनका मूल उद्देश्य भारतीय शिक्षा पद्धति में सख्यात्मक व गुणात्मक सुधार करना था। जिसका लाभ भारत के लोगों को प्राप्त हो सका। भारतीयों ने शिक्षा प्राप्त कर सरकारी नौकारियों में अपनी भागीदारी बढ़ाकर भारत के विकास में अपना योगदान

दिया। शिक्षा के विकास हेतु सन 1882 में लॉर्ड रिपन ने भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया था। यूँ इस आयोग का गठन प्राथमिक शिक्षा के सन्दर्भ में किया था, परन्तु इसने समस्त स्तरों की शिक्षा का अध्ययन किया था और उनके सुधार के लिए सुझाव दिए थे, उच्च शिक्षा के प्रसार व उन्नयन के लिए भी। उसके बाद लॉर्ड कर्जन ने 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया और इसकी सिफारिशों के आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 -पारित कर प्रकाशित किया। इस अधिनियम के लागू होने से भारतीय विश्वविद्यालय के प्रशासनिक ढाँचे का पुनर्गठन हुआ और कुछ विश्वविद्यालयों में शिक्षण कार्य आरम्भ हुआ। सुधार के इसी क्रम में सरकार ने 1913 में शिक्षा नीति सम्बन्धी नया प्रस्ताव प्रकाशित किया। इस प्रस्ताव में उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में अनेक निर्णय लिए गए थे। अभी इन सुझावों पर अमल शुरू ही हुआ था कि 1914 में प्रथम विश्वयुद्ध शुरू हो गया। तब सरकार का ध्यान उस ओर जाना स्वाभाविक था। इस युद्ध की समाप्ति के बाद भारत सरकार ने शिक्षा की ओर ध्यान दिया।

9.2 उद्देश्य Objectives

- i. कलकत्ता विश्वविद्यालय' आयोग की नियुक्तियों के कारणों को जान सकेगे।
- ii. सैडलर आयोग का कार्यक्षेत्र व कार्य-प्रक्रिया को समझ सकेगे।
- iii. कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग कि सिफारिशो (सैडलर आयोग) को समझ सकेगे।
- iv. माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी सुझाव व भारतीय विश्वविद्यालयों सम्बन्धी सुझाव को समझ सकेगे।
- v. शिक्षको के प्रशिक्षण सम्बन्धी सिफारिशो का आज के संदर्भ में समझ सकेगे।
- vi. कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का मूल्यांकन एवं गुण-दोषो को समझ सकेगे।

9.3 आयोग की नियुक्ति (Appointment of the Commission)

सरकार शिक्षा, विशेषकर उच्च शिक्षा में सुधार की बात से ही रही थी कि तभी 1916 में बंगाल प्रान्त के शिक्षा संचालक सर आशुतोष मुकर्जी ने सरकार को कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं से अवगत कराया। उस समय कलकत्ता विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या बहुत अधिक हो गई थी, उसमें कुछ विषयों में स्नातक कक्षाएँ शुरू करने की बात भी सोची जा रही थी, उससे समबद्ध महाविद्यालयों पर उनकी पकड़ भी ढीली होती जा रही थी और उनका स्तर भी गिरता जा रहा था। अतः 14 सितम्बर, 1917 को कलकत्ता विश्वविद्यालय की इन सब समस्याओं का अध्ययन सरकार और उनके सम्बन्ध में अपने सुझाव देने के लिए लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति माइकेल सैडलर (**Dr. Michael Sadler**) की अध्यक्षता में सात सदस्य कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग' की नियुक्ति की। साथ ही इस आयोग से यह अपेक्षा की कि वह अन्य भारतीय विश्वविद्यालयों का भी अध्ययन करे और उनके समग्र रूप में सुधार के लिए सुझाव दे। चूँकि इस आयोग के अध्यक्ष डॉ० सैडलर (Dr. Sadler) थे, अतः कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग को उनके नाम पर सैडलर आयोग (**Sadler Commission**) भी कहते हैं।

9.3.1 आयोग का कार्यक्षेत्र Terms of Reference of the Commission

- i. कलकत्ता विश्वविद्यालय की तत्कालीन स्थिति और समस्याओं का अध्ययन करना, इसकी आवश्यकताओं और सम्भावनाओं का पता लगाना और सुधार के लिए सुझाव देना।
- ii. कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रशासनिक समस्याओं व संगठनात्मक ढाँचे का समाधान करना।
- iii. कलकत्ता विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या व अध्यापक अनुपात, परीक्षा व्यवस्था की जांच करना।
- iv. अन्य भारतीय विश्वविद्यालयों का अध्ययन करना और उसके आधार पर समस्त भारतीय विश्वविद्यालयों में सुधार के लिए सुझाव देना।

9.3.2 आयोग का प्रतिवेदन Report of the Commission

आयोग ने अनुभव किया कि विश्वविद्यालयी शिक्षा में सुधार के लिए उससे पूर्व की माध्यमिक शिक्षा में सुधार होना पहली आवश्यकता है। अतः उसने पूरे भारत का भ्रमण कर तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन किया और समस्त विश्वविद्यालयों की समस्याओं का अध्ययन किया और इसके बाद इन समस्याओं के निदान पर विचार किया। आयोग ने 17 माह के निरन्तर परिश्रम के बाद मई, 1919 में अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रेषित किया। यह प्रतिवेदन एक विस्तृत अभिलेख है जो 17 भागों में विभाजित है। इसमें माध्यमिक और विश्वविद्यालयी शिक्षा के साथ-साथ स्त्री शिक्षा, औद्योगिक शिक्षा और शिक्षक आदि के विषय में भी सुझाव दिए गए हैं।

9.4 कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग कि सिफारिशें (सैडलर आयोग) Suggestion of Calcutta University Commission (Sadler Commission)

कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का गठन मूलरूप से कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन करने और उनके समाधान हेतु सुझाव देने के उद्देश्य से किया गया था, परन्तु साथ ही उससे यह अपेक्षा भी की गई थी कि वह समस्त भारतीय विश्वविद्यालयों का निरीक्षण कर उनके प्रशासनिक ढाँचे और शैक्षिक कार्यविधि में सुधार के लिए सुझाव दे। उसने ये दोनों कार्य किए। क्योंकि दूसरे कार्य सम्बन्धी सुझाव कलकत्ता विश्वविद्यालय पर भी लागू होते हैं इसलिए हम सवप्रथम भारतीय विश्वविद्यालयों सम्बन्धी सुझावों का वर्णन करेंगे और उसके बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय सम्बन्धी विशेष सुझावों का। आयोग ने विश्वविद्यालयी शिक्षा में सुधार हेतु उससे पूर्व की माध्यमिक शिक्षा में सुधार करना पहली आवश्यकता बताया और उसमें सुधार के लिए भी अपने सुझाव दिए इसलिए इन सुझावों का वर्णन हम सबसे पहले करना चाहेंगे। आयोग ने मुसलमानों की शिक्षा और पर्दानसीन महिलाओं की शिक्षा आदि समस्याओं के सम्बन्ध में भी अपने सुझाव दिए थे। इनका वर्णन हम चौथे और अन्तिम पायदान पर करना उचित समझते हैं।

9.4.1 माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी सुझाव Reference of Secondary Education Suggestion

आयोग की दृष्टि से उच्च शिक्षा की प्रगति और उसमें गुणात्मक सुधार लाने के लिए उसके पूर्व की माध्यमिक शिक्षा में सुधार करना पहली आवश्यकता है। आयोग ने अपने अध्ययन में देखा कि उस समय माध्यमिक शिक्षा में कुछ प्रसार तो हुआ था परन्तु उसके स्तर में बड़ी गिरावट आ गई थी। माध्यमिक विद्यालयों और उसके शिक्षकों की दशा भी ठीक नहीं थी। इस सबके सुधार के लिए अग्रलिखित सुझाव दिए-

- (1) माध्यमिक स्कूलों में अंग्रेजी और गणित को छोड़कर अन्य सभी विषय मातृभाषाओं के माध्यम से पढ़ाए जाएँ।
- (2) इण्टरमीडिएट कक्षाओं को विश्वविद्यालयों से अलग कर दिया जाए।
- (3) इण्टर कॉलिज या तो अलग से खोले जाएँ या कक्षाओं को हाई स्कूलों में जोड़ दिया जाए।
- (4) इण्टर कक्षाओं में कला, वाणिज्य, विज्ञान और व्यावसायिक चिकित्सा, इंजीनियरिंग, कृषि आदि की शिक्षा प्रदान की जाए।
- (5) प्रत्येक प्रान्त में 'माध्यमिक शिक्षा बोर्ड' 'Secondary Education Board' की स्थापना की जाए। इन बोर्डों में सरकार, हाई स्कूल, इण्टर कॉलिज और विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि हों। इन्हें माध्यमिक स्कूलों को मान्यता देने, उनका निरीक्षण करने और उन पर नियन्त्रण रखने का भार सौंपा जाए।
- (6) माध्यमिक शिक्षा के कुशलतापूर्वक संचालन के लिए आर्थिक सहायता का उचित प्रबंध किया जाना चाहिये।
- (7) इण्टरमीडिएट की कक्षाएँ छोटी होनी चाहिये ताकि शिक्षक और बालक एक दूसरे के निकट संपर्क में आ सकें।

9.4.2 भारतीय विश्वविद्यालयों सम्बन्धी सुझाव Suggestion for Indian university

आयोग ने अनुभव किया कि उस समय विश्वविद्यालय सीधे सरकार के नियन्त्रण में थे, वे न स्वयं कुछ निर्णय ले सकते थे और न कुछ परिवर्तन कर सकते थे। इससे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कोई सुधार नहीं हो पा रहा था। आयोग ने कलकत्ता विश्वविद्यालय सहित समस्त भारतीय विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में निम्नलिखित सुझाव दिए-

- (1) विश्वविद्यालयों को सरकारी नियन्त्रण से मुक्त किया जाए, उन्हें हर क्षेत्र में स्वायत्तता प्रदान की जाए।
- (2) विश्वविद्यालयों को माध्यमिक शिक्षा के उत्तरदायित्व से मुक्त किया जाए, उनका कार्यभार कम किया जाए।
- (3) विश्वविद्यालयों के प्रशासन सम्बन्धी नियम सरल और स्पष्ट किए जाएँ।
- (4) विश्वविद्यालयों के आन्तरिक प्रशासन के लिए सीनेट के स्थान पर कोर्ट (Court) और सिन्डीकेट के स्थान पर कार्यकारिणी परिषद (Executive Council) का गठन किया जाए।

-
- (5) विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम निर्माण और परीक्षा सम्बन्धी निर्णय लेने के लिए अध्ययन बोर्ड (Board of Studies) और विद्वत् परिषदों (Academic Councils) का गठन किया जाए।
- (6) विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का पद वैतनिक किया जाए।
- (7) विश्वविद्यालयों में विभागों की स्थापना की जाए, और प्रत्येक विभाग में एक प्रोफेसर एवं अध्यक्ष की नियुक्ति की जाए।
- (8) विश्वविद्यालयों में प्राध्यापकों, रीडरों और प्रोफेसरों की नियुक्ति के लिए चयन समितियाँ बनाई जाएँ, इनमें विश्वविद्यालय से बाहर के सदस्य भी रखे जाएँ।
- (9) विश्वविद्यालयों में इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश दिया जाए और स्नातक पाठ्यक्रम (Degree Course) 3 वर्ष का किया जाए।
- (10) विश्वविद्यालयों में योग्य छात्रों के लिए तीन वर्षीय डिग्री कोर्स के साथ ऑनर्स कोर्स शुरू किए जाएँ।
- (11) विश्वविद्यालयों में भिन्न-भिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम शुरू किए जाएँ और भारतीय भाषाओं को महत्त्व दिया जाए।
- (12) विश्वविद्यालयों में व्यावसायिक विषयों-कानून, चिकित्सा और इंजीनियरिंग के अध्ययन की व्यवस्था की जाए।
- (13) विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर शिक्षण और शोध कार्य की उचित व्यवस्था की जाए।
- (14) मुस्लिम समुदाय शिक्षा में पिछड़ा हुआ है। इसलिये मुस्लिम शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
- (15) छात्रों के शारीरिक विकास एवं खेल-कूद की व्यवस्था के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक शारीरिक शिक्षा संचालक (Director of Physical Education) नियुक्त किया जाए।

9.5 कलकत्ता विश्वविद्यालय सम्बन्धी विशेष सुझाव Special Suggestion for Calcutta University

आयोग ने देखा कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की कुछ अपनी समस्याएँ थी, उसमें छात्र संख्या बढ़ती जा रही थी, उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों की संख्या बढ़ती जा रही थी और इस सबके कारण उसका स्तर गिरता जा रहा था। इन समस्याओं के समाधान के लिए आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए-

(1) ढाका (वर्तमान बांग्लादेश) में शीघ्र ही आवासीय शिक्षण विश्वविद्यालय (Residential Teaching University) की स्थापना की जाए जिससे कलकत्ता विश्वविद्यालय का भार कम हो। उस समय ढाका भारत के बंगाल प्रान्त का ही एक भाग था।

(2) कलकत्ता नगर में स्थित सभी महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय से इस प्रकार जोड़ा जाए कि वे विश्वविद्यालय के शिक्षण कॉलिज के रूप में कार्य करें। इससे उनके स्तर में सुधार होगा।

(3) कलकत्ता विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कलकत्ता नगर से बाहर के महाविद्यालयों को इस प्रकार विकसित किया जाए कि भविष्य में उन्हें नए विश्वविद्यालयों का रूप दिया जा सके।

(4) कलकत्ता विश्वविद्यालय में पर्दानसीन युवतियों की शिक्षा की व्यवस्था की जाए जिससे महिलाएँ उच्च शिक्षा के अधिकार से वंचित न हों।

9.5.1 मुस्लिम व स्त्रीयो के सम्बन्ध में शिक्षा अन्य समस्याओं सम्बन्धी सुझाव

(1) आयोग ने देखा कि उस समय किसी भी स्तर की शिक्षण संस्थाओं में मुसलमान बच्चों की संख्या अपेक्षाकृत बहुत कम थी इसलिए उसने सुझाव दिया कि देश में मुसलमान बच्चों और युवकों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए।

(2) आयोग ने देखा कि उस समय पढ़ने वाले बच्चों में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की संख्या बहुत अधिक कम थी। आयोग ने महिला शिक्षा की उचित व्यवस्था हेतु स्त्री शिक्षा का विशिष्ट बोर्ड (Special Board of women Education) की स्थापना का सुझाव दिया।

(3) आयोग ने यह भी देखा कि देश में पर्दानसीन युवतियों की शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। उसने माध्यमिक स्तर पर 'पर्दा स्कूल' खोलने का सुझाव दिया। साथ ही उच्च शिक्षा संस्थाओं में पर्दानसीन युवतियों के लिए अलग से व्यवस्था करने का सुझाव दिया।

9.5.2 शिक्षको के प्रशिक्षण सम्बन्धी सिफारिशें (Recommendations about Training of Teachers)

(1) आयोग ने देश में शिक्षक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में शिक्षाशास्त्र (Education) विषय को सम्मिलित करने का सुझाव दिया।

(2) कलकत्ता और ढाका के विश्वविद्यालयों में शिक्षा के विभागों को स्थापित किया जाना चाहिये।

(3) प्रशिक्षित शिक्षको की संख्या में वृद्धि की जाए।

9.5.3 कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का मूल्यांकन एवं गुण-दोष विवेचन (Merits and Demerits & Evaluation Calcutta University Council)

कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने माध्यमिक शिक्षा और विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक ढाँचे में आमूलचूक परिवर्तन करने के सुझाव दिए। इसी के साथ उनके शैक्षिक स्तर को उठाने के सम्बन्ध में भी अनेक सुझाव दिए। उसके अधिकतर सुझाव बहुत अच्छे साबित हुए, उन्हें हम उसकी विशेषताएँ अथवा गुण कहते हैं। यहाँ इस आयोग के गुण-दोष प्रस्तुत हैं।

आयोग के गुण (Merits and Demerits of Commission)

- (1) प्रत्येक प्रान्त में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का निर्माण।
- (2) माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी व गणित को छोड़कर अन्य सभी विषयों को शिक्षण मातृभाषाओं के माध्यम से करना।
- (3) विश्वविद्यालयों में अध्ययन बोर्ड और विद्वत् परिषदों का निर्माण।
- (4) विश्वविद्यालयों में कोर्ट और कार्यकारिणी परिषदों का निर्माण और उनमें प्राध्यापकों का उचित प्रतिनिधित्व।
- (5) विश्वविद्यालयों की सरकारी नियन्त्रण से मुक्त कराकर स्वायत्तता प्रदान करना।
- (6) विश्वविद्यालयों में विभागों की स्थापना।
- (7) विश्वविद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों- कृषि, विधि, चिकित्सा, इंजीनियरिंग और शिक्षक प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था।
- (8) विश्वविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा विभागों की स्थापना और शारीरिक शिक्षा सचालकों की नियुक्ति।

आयोग के दोष (Demerits of Commission)

माध्यमिक स्तर व विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में जो सुझाव दिए गए उनके द्वारा शिक्षा का चतुर्मुखी विकास हुआ लेकिन उसमें परन्तु कुछ कमियाँ भी दिखाई दे रही हैं।

(1) विश्वविद्यालयों में पर्दानसीन युवतियों की शिक्षा की व्यवस्था केवल 2-3 विश्वविद्यालयों में ही की जा सकी और यदि यह उस समय सभी विश्वविद्यालयों में कर दी गई होती तो मुसलमान महिलाएँ सभी क्षेत्र में आगे बढ़ पातीं, और वे ऊँचे-ऊँचे पदों पर आसीन हो गयी होतीं।

(2) माध्यमिक स्तर पर पर्दा स्कूलों की स्थापना की बात तो की गयी। लेकिन ऐसा किया ही नहीं गया यदि किया गया होता तो मुसलमानों में शिक्षा का विकास हो सकता था स्त्री शिक्षा बढ़ जाती पर वे इतनी जागरूक नहीं हो पातीं।

(3) कुछ विद्वान इस आयोग की यह भी आलोचना करते हैं कि उसने भारतीय विश्वविद्यालयों को लन्दन विश्वविद्यालय के आधार पर विकसित करने का सुझाव दिया। तो क्या वह इन्हें तक्षशिला और नालन्दा विश्वविद्यालयों के आधार पर विकसित करने का सुझाव देता ! सच बात यह है कि आज हम जो कुछ भी हैं इस शिक्षा प्रणाली के कारण ही हैं।

(4) कुछ विद्वान यह भी कहते हैं कि इस आयोग ने मुसलमानों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने का सुझाव देकर साम्प्रदायिकता को बढ़ावा दिया। तो फिर आज ऐसा क्यों किया जा रहा है, पिछड़ों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाएगा तो देश से पिछड़ापन कैसे हटाया जा सकेगा।

9.5.4 आयोग का प्रभाव (Effect of Commission)

आयोग के द्वारा माध्यमिक शिक्षा के प्रशासनिक ढाँचे में परिवर्तन करने से उसके प्रशासन में सुधार हुआ। माध्यमिक स्तर की शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को बनाने से भारतीय बच्चों की एक बड़ी समस्या का हल हुआ और माध्यमिक शिक्षा का प्रसार हुआ। विश्वविद्यालयों को सरकारी नियन्त्रण से मुक्त कर उन्हें स्वायत्तता प्रदान करने से विश्वविद्यालयों की कार्य प्रणाली में सुधार हुआ। विश्वविद्यालयों में बोर्ड और विद्वत् परिषदों के निर्माण से विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में परिवर्तन हुए, उनमें विकास हुआ और साथ ही परीक्षा प्रणाली आदि में सुधार के लिए प्रयत्न शुरू हुए। विश्वविद्यालयों में विभागों की स्थापना से स्नातकोत्तर कक्षाएँ खोलने और शोध कार्य की व्यवस्था करने में होड़ सी लग गई, ये दोनों कार्य तेजी से शुरू हुए। साथ ही विश्वविद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम-विधि, चिकित्सा और इंजीनियरिंग आदि शुरू किए गए। शारीरिक शिक्षा विभाग खोलने से खेल-कूद की उत्तम व्यवस्था शुरू हुई।

अपनी उन्नति जानिए Check Your Progress

सही उत्तर का चयन कीजिए-

प्रश्न (1) भारतीय विश्वविद्यालय के आन्तरिक प्रशासन हेतु कार्यकारिणी परिषद् के गठन का सुझाव किस आयोग ने दिया था?

- (a) भारतीय शिक्षा आयोग (b) भारतीय विश्वविद्यालय आयोग
(c) कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग (d) विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग

प्रश्न (2) भारत में माध्यमिक शिक्षा बोर्डों की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था ?

- (a) भारतीय शिक्षा आयोग (b) भारतीय विश्वविद्यालय आयोग
(c) कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग (d) माध्यमिक आयोग

प्रश्न (3) विश्वविद्यालयों में अध्ययन बोर्डों के गठन का सुझाव किस आयोग ने दिया था ?

- (a) भारतीय शिक्षा आयोग (b) कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग
(c) भारतीय विश्वविद्यालय आयोग (d) विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग

प्रश्न (4) विश्वविद्यालयों में विद्वत् परिषदों के गठन का सुझाव किस आयोग में दिया था ?

- (a) भारतीय शिक्षा आयोग (b) भारतीय विश्वविद्यालय आयोग
(c) विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (d) कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग

9.6 सारांश Summary

सैडलर आयोग की नियुक्ति मुख्य रूप से कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं में हस्तक्षेप करने के लिए की गयी थी लेकिन इसने जो सिफारिशें की वे वास्तव में उच्च शिक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण थीं। आयोग की सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकार किया गया और भारतीयों विश्वविद्यालयों में सुधारों और परिवर्तनों का आरम्भ किया गया। इन परिवर्तनों के होने से विश्वविद्यालय केवल परीक्षा लेने वाले संगठन नहीं रह गये थे। वे अब शिक्षण और शोध के केंद्र बन गये। आयोग ने प्रशासनिक संघटनो का निर्माण किये जाने का सुझाव दिया और ये नये विश्वविद्यालयों के लिए आदर्श थे और इन्होंने विद्यमान विद्यालयों को भी नई दिशा दी अतः यह कहा जा सकता है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिशें तब भी समीचीन थीं और आज भी हमारी मार्गदर्शक हैं और उच्च शिक्षा के लिए प्रेरणा स्रोत रही है।

9.7 शब्दावली Vocabulary

पर्दानसीन युवतियों:- देश में पर्दानसीन युवतियों की शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। उसने माध्यमिक स्तर पर 'पर्दा स्कूल' खोलने का सुझाव दिया। साथ ही उच्च शिक्षा संस्थाओं में पर्दानसीन युवतियों के लिए अलग से व्यवस्था करने का सुझाव दिया।

सीनेट व सिन्डीकेट:- विश्वविद्यालयों के आन्तरिक प्रशासन के लिए सीनेट के स्थान पर कोर्ट (Court) और सिन्डीकेट के स्थान पर कार्यकारिणी परिषद (Executive Council) का गठन किया जाए।

9.8 संदर्भ Reference

- i. लाल (डॉ) रमन बिहारी, भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएं, राज प्रिंटर्स, मेरठा
- ii. जे. (डॉ) एस. वालिया (2009) भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास, अहमपाल पब्लिशर्स, मेरठा
- iii. शुक्ला (डॉ) सी. एस. (2008) उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक, इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस, मेरठा
- iv. शर्मा, रामनाथ व शर्मा, राजेन्द्र कुमार (2006) शैक्षिक समाजशास्त्र, एटलांटिक पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स
- v. शीलू मैरी (डॉ) (2008) शिक्षक के सामाजिक एवं दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, रजत प्रकाशन नई दिल्ली।

9.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर Answer of practice Question

उत्तर 1 (C) कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग उत्तर 2 (C) कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग

उत्तर 3 (B) कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग उत्तर 1 (C) कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग

9.10 निबन्धात्मक प्रश्न Essay Type Question

प्रश्न 1. कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने विश्वविद्यालयों के प्रशासन, संगठन और शैक्षिक कार्यक्रमों के संबंधों की विस्तृत विवेचना कीजिए।

प्रश्न 2. कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग (सैडलर कमीशन) की मुख्य सिफारिशों का उल्लेख कीजिए। इन सिफारिशों के क्रियान्वयन से भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुए ?

प्रश्न 3. कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के भारतीय उच्च शिक्षा के योगदान का मूल्यांकन कीजिए।

प्रश्न 4. कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग (सैडलर कमीशन) की मुख्य सिफारिशों का विस्तृत वर्णन कीजिए।

प्रश्न 5. सैडलर कमीशन के माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी सुझावों व विश्वविद्यालयी शिक्षा सम्बन्धी सुझावों का विस्तृत वर्णन कीजिए।

प्रश्न 6. सैडलर कमीशन के सुझावों का भारतीय विश्वविद्यालयी शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा विस्तृत वर्णन कीजिए।

इकाई 10 वर्धा शिक्षा योजना अथवा बेसिक शिक्षा – 1937 Wardha Scheme of Education or Basic Education

10.1 प्रस्तावना Introduction

10.2 उद्देश्य Objectives

10.3 तत्कालीन परिस्थितियां (Contemporary Circumstance)

10.3.1 अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन, वर्धा (All India National Educational Conference, wardha)

10.3.2 डा० जाकिर हुसैन समिति 1937 (Dr. Jakir Hussain Committee 1937)

10.4 बेसिक शिक्षा (Basic Education)

10.4.1 बेसिक शिक्षा के आधारभूत सिद्धान्त (Fundamental Principles of Basic Education)

10.4.2 बेसिक शिक्षा के उद्देश्य Objective of Basic Education

10.4.3 बेसिक शिक्षा की पाठ्यचर्या (Curriculum of Basic Education)

10.5 बेसिक शिक्षा प्रणाली की शिक्षण विधि Teaching Methods of Basic System of Education

10.5.1 बेसिक शिक्षा में शिक्षक (Teacher's in Basic Education)

10.5.2 शिक्षक प्रशिक्षण (Teacher's Training)

10.5.3 बेसिक शिक्षा के गुण या विशेषताये (Merits of Characteristics of Basic Education) –

10.5.4 बेसिक शिक्षा के दोष Demerits of Basic Education

अपनी उन्नति जानिय Check your progress

10.6 सारांश Summary

10.7 शब्दावली Glossary

10.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर Answer of practice Question

10.9 संदर्भ Reference

10.10. लघु उत्तरीय प्रश्न Long Answer Type Question

10.1 प्रस्तावना Introduction

प्रत्येक देश की शिक्षा उसकी कुछ सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक माँगों को पूरा करती है तथा दूसरी ओर वह स्वयं बालक के वैयक्तिक विकास में सहायक होती है। बालक का बौद्धिक व भावात्मक तथा भौतिक विकास करती है। इस प्रकार व्यक्ति तथा समाज प्रत्येक देश की शिक्षा धारा के दो किनारे हैं जिनके बीच वह सदैव बहती

है। दोनों के बीच से होकर बहती हुई वह व्यक्ति तथा समाज दोनों का ही विकास उसका उद्देश्य है। शिक्षा बालको में कई प्रकार की क्षमता लाती है। वह उनका शारीरिक विकास करती है उनमें समुचित मानसिक स्थितियाँ उत्पन्न करती है। शिक्षा बालको को इस योग्य बनाती है कि वे अपने वातावरण को भली प्रकार जान सकें और समझ सकें। उसके द्वारा बालको में ऐसी विशिष्ट रुचियाँ उत्पन्न होती हैं जो उनका मानसिक सन्तुलन बना रहता है। तथा जो उसके भावी विकास में सहायक होती है। शिक्षा बालको में सही ढंग से अपने बाह्य वातावरण का निरीक्षण करने तथा उस पर आलोचनात्मक दृष्टिकोण से विचार करने की क्षमता उत्पन्न करती है। शिक्षा के माध्यम से बालक ऐसे कौशल, चार्तुथ तथा संस्कार प्राप्त करता है जो उनके घर, समाज, स्कूल, व्यवसाय तथा मनोरंजन कार्यों के लिए अनिवार्य है। शिक्षा द्वारा बालको में सामूहिक लगाव तथा सामाजिक सम्बन्धों महत्व की चेतना जागृत होती है। तथा जनतन्त्र के आदर्शों के प्रति उनमें श्रद्धा की भावना उत्पन्न होती है।

10.2 उद्देश्य Objectives

- I. अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मलेन वर्धा का ज्ञान कराया।
- II. डॉ. जाकीर हुसैन समिति 1937 का ज्ञान कराना।
- III. बेसिक शिक्षा के आधारभूत सिद्धांतों का ज्ञान।
- IV. बेसिक शिक्षा की शिक्षण प्रशिक्षण प्रक्रिया को समझना।
- V. बेसिक शिक्षा के गुण व दोष को समझना।

10.3 तत्कालीन परिस्थितियाँ (Contemporary Circumstance)

भारतीयों में निरन्तर बढ़ते असन्तोष तथा ब्रिटिश सरकार पर सतत दवाब से बाध्य होकर ब्रिटिश संसद ने 1935 में भारत सरकार अधिनियम (Government of India Act 1935) पास किया। यह अधिनियम 1937 में लागू किया गया। इस अधिनियम से भारत में द्वैध शासन की समाप्ति हुई और प्रान्तों में स्वशासन स्थापित हुआ। उस समय भारत 11 प्रान्तों में विभाजित था। इन 11 प्रान्तों में से 7 प्रान्तों में कांग्रेस मन्त्री मंडल बने और एक नए युग की शुरुवात हुई।

आधुनिक भारत में शिक्षा क्षेत्र में होने वाली सभी हलचलों में बेसिक शिक्षा का प्रादुर्भाव एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना है। गाँधी जी ने 11 अगस्त, 1937 के अखबार में प्रान्तीय सरकारों को 7 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का भार अपने ऊपर लेने का सुझाव दिया। उसके बाद उन्होंने 2 अक्टूबर, 1937 के हरिजन में लिखा कि प्राथमिक शिक्षा 7 वर्ष या इससे अधिक समय की हो और इसमें अंग्रेजी को छोड़कर वे सब विषय पढ़ाए जाएं, जिन्हें मैट्रिकुलेशन (हाईस्कूल) परीक्षा के लिए पढ़ाया जाता है। साथ ही किसी हस्तशिल्प अथवा उद्योग को अनिवार्य रूप से पढ़ाया-सिखाया जाए। गाँधी जी के इन विचारों से देश में एक नई शैक्षिक क्रान्ति का शुभारम्भ हुआ।

10.3.1 अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन, वर्धा (All India National Educational Conference, Wardha)

2 अक्टूबर 1937 को गाँधी जी ने हरिजन में एक लेख लिखा, 22-23 अक्टूबर 1937 वर्धा के मारवाडी शिक्षा मंडल की रजत जयन्ती मनाई जाने वाली थी। श्री मन्नारायण अग्रवाल उसके आयोजक थे। गाँधी जी उन्हें इस अवसर पर एक शिक्षा सम्मेलन का आयोजन करने का सुझाव दिया। अग्रवाल साहब ने इस अवसर पर भारत के सातों कांग्रेस मन्त्रिमंडलों के शिक्षा मन्त्रियों और देश के चोटी के शिक्षाशास्त्रियों विचारको और राष्ट्रीय नेताओं को आमन्त्रित किया। इसे वर्धा शिक्षा सम्मेलन भी कहा जाता है। इस सम्मेलन का सभापति स्वयं गाँधी जी ने किया था। सभापति पद से बोलते हुए गाँधी जी ने अपने शैक्षिक विचार प्रस्तुत किए। सम्मेलन में उपस्थित व्यक्तियों के समक्ष 'बेसिक शिक्षा' की अपनी नवीन योजना प्रस्तुत करते हुए कहा, देश की वर्तमान शिक्षा पद्धति किसी भी तरह देश की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती है। इस शिक्षा द्वारा जो भी लाभ होता है, उससे देश का कर देने वाला प्रमुख वर्ग वंचित रह जाता है। अतः प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम कम से कम सात साल का हो, जिसके द्वारा मैट्रिक तक का ज्ञान दिया जा सके, पर इसमें अंग्रेजी के स्थान पर कोई अच्छा उद्योग जोड़ दिया जाये। सर्वतोमुखी विकास के उद्देश्य से सारी शिक्षा जहाँ तक हो सके, किसी उद्योग द्वारा दी जाए, जिससे पढ़ाई का खर्च भी अदा हो सके। जरूरी यह हो कि सरकार उन बनाई हुई चीजों को राज्य द्वारा निश्चित की गई कीमत पर खरीद ले।

उन्होंने तत्कालीन शिक्षा को अपव्यय पूर्ण और हानिप्रद बताया। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में निम्न 7 मूलभूत बातें कही।

1. देश में 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो।
2. प्राथमिक शिक्षा सभी के लिए समान हो।
3. यह शिक्षा देश ग्रामीण जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप हो।
4. इसमें भाषा, गणित आदि की शिक्षा के साथ-साथ बच्चों को सफाई, स्वास्थ्य, रक्षा भोजन के नियम और माता-पिता के कार्यों में हाथ बटाने की शिक्षा दी जाए।
5. शिक्षा का माध्यम मात्र भाषा हो।
6. इसमें कृषि और भारतीय हस्त कौशल की शिक्षा दी जाए।
7. समस्त शिक्षा हस्त कौशल के माध्यम से दी जाए और शिक्षा के स्वावलम्बी बनाया जाये।

10.3.2 डा0 जाकिर हुसैन समिति 1937 (Dr. Jakir Hussain Committee s1937)

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन, वर्धा में प्रस्तावित राष्ट्रीय शिक्षा योजना के अंतिम रूप देने के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के तत्काली कुलपति डा0 जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति कहा जाता है। इनके अतिरिक्त इसमें 99 सदस्य और भी थे। समिति ने अपनी रिपोर्ट दो भागों में प्रस्तुत की। समिति ने पहली रिपोर्ट दिसम्बर 1937 और दूसरी रिपोर्ट अप्रैल 1938 में प्रस्तुत की।

1. प्रथम रिपोर्ट में समिति ने तत्कालीन शिक्षा पद्धति के दोषों, वर्धा शिक्षा योजना के सिद्धान्तों, उद्देश्यों, अध्यापकों, शिक्षक प्रशिक्षण, विद्यालयों के संगठन, प्रशासन, निरीक्षण एवं परीक्षा नियमों और कताई बुनाई को मुख्य हस्तशिल्प मानकर उसके पाठ्यक्रम का सविस्तार वर्णन किया।
2. द्वितीय, प्रतिवेदन में समिति ने कृषि, मिट्टी का काम, लकड़ी का काम आदि कुछ अन्य हस्तशिल्पों को पाठ्यक्रम में स्थान दिया एवं इन शिल्पों और अध्ययन के समस्त पाठ्यविषयों का वर्णन किया। उसने यह मत प्रकट किया कि हस्तशिल्पों का अन्य विषयों से सह सम्बन्ध (Corelation) होने पर।
3. सम्पूर्ण शिक्षा किसी आधारभूत शिल्प अथवा उद्योग पर आधारित होनी चाहिए।
4. शिल्प का चुनाव बच्चों की योग्यता और क्षेत्रीय आवश्यकताओं के आधार पर होनी चाहिए।
5. बच्चों द्वारा निर्मित वस्तुओं का उपयोग होना चाहिए उनसे आर्थिक लाभ किया जाय। तथा स्कूलों का व्यय पूरा किया जाए।
6. शिल्प को बालकों की योग्यता और स्थान की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर चुना जाए।
7. शिल्प की शिक्षा इस प्रकार दी जाए कि वह बालकों की अच्छा शिल्पी बनाकर उनको स्वावलम्बी बना दे।
8. शिल्प की शिक्षा इस प्रकार प्रदान की जाए कि बालक उसके सामाजिक और वैज्ञानिक महत्व से भली-भाँति परिचित हो।
9. शारीरिक श्रम पर बल दिया जाए ताकि बालक सीखे हुए शिल्प के द्वारा अपनी जीविका का उपार्जन कर सके।
10. शिक्षा का बालक के जीवन, गृह एवं ग्राम से और उसके ग्राम के उद्योगों, हस्तशिल्पों और व्यवसायों से घनिष्ठ सम्बन्ध है।
11. बालकों द्वारा बनाई जाने वाली वस्तुएँ ऐसी हो, जिनका प्रयोग किया जा सके या जिनको बेचकर विद्यालय का कुछ व्यय चलाया जा सके।

10.4 बेसिक शिक्षा (Basic Education)

बेसिक शिक्षा का अर्थ- 'बेसिक' शब्द का हिन्दी रूपान्तर 'आधार भूत' है। इस प्रकार बुनियादी से अभिप्राय भी 'आधार भूत' ही है इस नवीन शिक्षा को भारत की राष्ट्रीय सभ्यता एवं संस्कृति का आधार बनाया गया और यह प्रयत्न किया गया कि शिक्षा ऐसी हो जो बालक की आधारभूत आवश्यकताओं व रुचियों में घनिष्ठ सम्बन्ध रखे और उसके सर्वांगीण विकास में सहायक हो तथा उसके जीवन की समस्याओं को सुलझाने में सहायक हो। यह बेसिक शिक्षा हस्तकला के माध्यम से दी जाये ताकि इस शिक्षा का व्यक्ति अपने जीवन में प्रयोग कर सके।

10.4.1 बेसिक शिक्षा के आधारभूत सिद्धान्त (Fundamental Principles of Basic Education)

बेसिक शिक्षा निम्नलिखित आधारभूत सिद्धान्तों पर विकसित की गई थी।

1 शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने का सिद्धान्त (Principle of Making Education Compulsory and free of Cost) - गाँधीजी शिक्षा को मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं उन्होंने स्पष्ट घोषणा की कि किसी भी बच्चे को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखना उसके अधिकार का हनन है। यह कार्य असत्य है और मानवीय कसौटी पर हिंसा है उन्होंने सर्वप्रथम इस बात पर ही बल दिया कि राज्य को 7 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का व्यवस्था करनी चाहिए।

2. शिक्षा को आत्मनिर्भर बनाने का सिद्धान्त (Principle of Making Education Self Supporting) - गाँधीजी के सामने सार्वभौमिक, अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का प्रश्न था और उस समय राज्य के पास इसकी व्यवस्था करने के साधन नहीं थे। अतः उन्होंने स्कूलों में हस्तशिल्पों की शिक्षा को अनिवार्य करने पर बल दिया। उनका अनुमान था कि बच्चों द्वारा उत्पादित वस्तुओं से स्कूलों का व्यय निकल सकेगा।

3. जनसाधारण की शिक्षा (Education of the Masses) - भारत की अधिकांश साधारण जनता अज्ञानता के अन्धकार से आवृत है। यही कारण है कि बुनियादी शिक्षा का सर्वप्रथम सिद्धान्त जनसाधारण को शिक्षित बनाना निर्धारित किया गया है। इस प्रकार गाँधीजी के निर्मांकित कथन के अनुसार कार्य किया जा रहा है जनसाधारण की अशिक्षा भारत का पाप और कलंक है। अतः अन्त किया जाना अनिवार्य है।

4. सत्य अहिंसा और सर्वादय का सिद्धान्त (Principle of Truth, Non Violence and Sarvodaya) - गाँधीजी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे वे समाज में होने वाले किसी भी प्रकार के शोषण को हिंसा मानते थे। उस समय अंग्रेजी शिक्षा, प्रान्त व्यक्ति सामान्य व्यक्तियों का शोषण कर रहे थे। अतः गाँधी जी सबके लिए समान शिक्षा के सिद्धान्त को स्वीकार किया। उसके परिणामस्वरूप छोटे बड़े का भेद नहीं होगा, कोई किसी का शोषण नहीं करेगा, सभी व्यक्तियों को अपने उत्थान के समान अवसर प्राप्त होंगे।

5. शिक्षा को वास्तविक जीवन से जोड़ने का सिद्धान्त (Theory of Linking Education with Life)- तत्कालीन अंग्रेजी शिक्षा का भारतीयों के वास्तविक जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं था। इस दोष का निवारण करने

हेतु गाँधीजी ने शिक्षा को बच्चों के वास्तविक जीवन, उनके प्राकृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण और घरेलू एवं उद्योग धन्धों पर आधारित कर उसे उनके वास्तविक जीवन से जोड़ने पर बल दिया।

6. शिक्षा का माध्यम मात्रभाषा बनाने का सिद्धान्त (Theory of Making Mother Language the medium of Education)- अपने देश की मात्रभाषा पर बच्चों का स्वाभाविक अधिकार होता है। उसी के माध्यम से जनशिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है। यही कारण है कि बेसिक शिक्षा में अभिव्यक्ति के आधारभूत माध्यम मात्रभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना सिद्धान्त स्वीकार किया गया।

7. शिक्षा को हस्तकौशल पर केन्द्रित करने का सिद्धान्त (Theory of Concentrating Education of Centralization) - शिक्षा को किसी हस्तकौशल अथवा उद्योग पर केन्द्रित करने के पीछे गाँधी जी के कई विचार थे जो निम्नलिखित हैं।

- I. वे बच्चों को श्रम का महत्व बताना चाहते हैं।
- II. वे बच्चों को स्वावलम्बी बनाना चाहते थे, उन्हें जीविकोपार्जन करने योग्य बनाना चाहते थे।
- III. वे सबका उदय करना चाहते थे।
- IV. वे शिक्षा को गाँवों के जीवन से जोड़ना चाहते थे।
- V. वे शिक्षा को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे स्कूलों में होने वाले उत्पादन से स्कूलों का व्यय निकालना चाहते थे।

डा० जाकिर हुसैन ने इस सम्बन्ध में लिखा है कि नवीन शिक्षा या बेसिक शिक्षा भारत के भावी नागरिकों में आत्म सम्मान, आत्मनिर्भरता, आत्मशक्ति, एवं सामाजिक सेवा की भावना उत्पन्न करेगी।

10.4.2 बेसिक शिक्षा के उद्देश्य Objective of Basic Education

बेसिक शिक्षा का अर्थ है- बच्चों को आधारभूत ज्ञान एवं कौशल प्रदान करना, उन्हें सामान्य जीवन के लिए तैयार करना। इस हेतु बेसिक शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य निश्चित किए।

1. शारीरिक एवं मानसिक विकास (Physical and Mental Development) - गाँधीजी इस तथ्य से अवगत थे कि मनुष्य एक मनो शारीरिक प्राणी है इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम उसके शारीरिक एवं मानसिक विकास पर बल दिया और वातानुकूल शिक्षा की पाठ्यचर्चा का निर्माण करने पर बल दिया।

2. सर्वोदय समाज की स्थापना (Establishment of Sarvodaya Samaj) - मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है शिक्षा द्वारा मनुष्य का सामाजिक विकास होना चाहिए। पर गाँधीजी का सामाजिक विकास से एक विशिष्ट अर्थ था। वे एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते थे जिसमें कोई किसी का शोषण नहीं करेगा, सब एक दूसरे से प्रेम करेंगे, सब एक दूसरे का सहयोग करेंगे, सब एक-दूसरे की उन्नति में सहायक बनेंगे सबका उदय होगा।

3. सांस्कृतिक विकास (Cultural Development)- गाँधीजी ने यह देखा कि तत्कालीन उच्च वर्ग के भारतीय पाश्चात्य संस्कृति के प्रशंसक होते जा रहे थे। तब गाँधीजी ने बड़े बलपूर्वक लिखा था कि यदि किसी स्थिति में पहुँचकर कोई पीढ़ी अपने पूर्वजों के प्रयासों से पूर्णतया अनभिज्ञ हो जाती है या उसे अपनी संस्कृति पर लज्जा आने लगती है तो वह नष्ट हो जाती है। इसलिए उन्होंने अपनी भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए बेसिक शिक्षा का विधान किया था।

4. चारित्रिक एवं नैतिक विकास (Character of Moral Development)- गाँधीजी चरित्र के महत्व को जानते थे उनके साथियों ने भी शिक्षा द्वारा बच्चों के चरित्र निर्माण पर बल दिया। यह बेसिक शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है।

5. आर्थिक उद्देश्य (Economic Aims) - शिक्षा के आर्थिक उद्देश्य से दो अभिप्राय हैं।

- I. बालकों द्वारा बनाई जाने वाली वस्तुओं को बेचकर विद्यालय के व्यय की आंशिक पूर्ति करना।
- II. बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् बालकों का किसी उद्योग के द्वारा धन का अर्जन करना।
- III. गाँधीजी ने लिखा है, " प्रत्येक बालक और बालिका का विद्यालय छोड़ने के पश्चात् किसी व्यवसाय में लगाकर स्वावलम्बी बनाना चाहिए"।

6. व्यावसायिक विकास (Vocational Education) - गाँधीजी ने इस सम्बन्ध में दो बातें कही।

- I. प्रथम, बच्चों को जो भी हस्तकौशल सिखाए जाएं उनसे स्कूलों में इतना उत्पादन हो कि उसके विक्रय लाभ से स्कूलों का व्यय निकाला जा सके।
- II. द्वितीय, इन हस्तकौशलों अथवा उद्योगों को सीखने के बाद बच्चे अपनी जीविका कमा सकें। गाँधीजी ने आर्थिक अभावों से मुक्ति पाने के लिए इसे सबसे अधिक महत्व दिया।

किसी भी शिक्षा प्रणाली का यह प्रमुख उद्देश्य होता है, बेसिक शिक्षा एक राष्ट्रीय शिक्षा योजना है।

7. आध्यात्मिक विकास (Spiritual Development)- गाँधीजी ने अपने शब्दों में- शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण और सर्वोत्कृष्ट विकास भी करना चाहते थे। पर इसके लिए वे किसी धर्म की शिक्षा दिये जाने के पक्ष में नहीं थे, वे सर्वधर्म समभाव द्वारा इसकी प्राप्ति पर बल देते हैं।

8. शारीरिक श्रम (Physical Labour) - बेसिक शिक्षा में हस्तशिल्प के माध्यम से शारीरिक श्रम को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। इससे निम्नलिखित लाभ हैं।

- I. बालकों को किसी व्यवसाय का प्रशिक्षण प्राप्त हो जाता है।
- II. उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न होता है और उनमें शारीरिक श्रम के प्रति धृष्टता नहीं रह जाती है।

- III. बालक के शरीर के अंगों का विवेकपूर्ण प्रयोग उसके मस्तिष्क को विकसित करने की सर्वोत्तम और शीघ्रतम विधि है।

10.4.3 बेसिक शिक्षा की पाठ्यचर्या (Curriculum of Basic Education)

बेसिक शिक्षा के उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निम्नांकित क्रियाप्रधान पाठ्यचर्या का निर्माण किया गया।

1. हस्तकौशल एवं उद्योग - इसके अन्तर्गत कताई, बुनाई, बागवानी, कृषि, काष्ठकला, चर्मकार्य, पुस्तक कला, मिट्टी कार्य और मछली पालन आदि आते हैं।

2. मात्रभाषा पर बल

3. हिन्दुस्तानी (हिन्दी) - हिन्दुस्तानी (हिन्दी) का प्रयोग उन लोगों के लिए जिनकी भाषा हिन्दी नहीं है।

4. व्यावहारिक गणित

इसमें नापतौल, अंकगणित, बीजगणित, और रेखागणित समाहित है।

5. सामाजिक विषय- इनमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं सामाजिक अध्ययन समाहित है।

6. सामान्य विज्ञान - इसमें प्रकृति निरीक्षण, बागवानी, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, और गृहविज्ञान समाहित है।

7. संगीत

8. चित्रकला

9. स्वास्थ्य विज्ञान- इनमें सफाई व्यायाम एवं खेलकूद समाहित है।

बुनियादी विद्यालयों की समय सारणी

यह सम्पूर्ण पाठ्यक्रम लड़के और लड़कियों के लिए समान बनाया गया है। इस छटी और सातवी कक्षाओं में लड़को का सामान्य विज्ञान पढाया जाता है लड़कियों को नहीं। इसके स्थान पर लड़किया को सहविज्ञान की कला पढाई जाती है।

विषय	समय
1. आधारभूत शिल्प (हस्तकला)	3 घन्टे 20 मिनट
2. संगीत ड्राइंग तथा अंकगणित	40 मिनट

3.	मातृभाषा	40 मिनट
4.	सामाजिक अध्ययन और सामान्य विज्ञान	30 मिनट
5.	शारीरिक शिक्षा	10 मिनट
6.	अवकाश	10 मिनट
	कुल समय	5 घन्टे 30 मिनट

टिप्पणी - प्रत्येक बुनियादी विद्यालय से एक वर्ष में 288 दिन कार्य करने की आशा की जाती है।

10.5 बेसिक शिक्षा प्रणाली की शिक्षण विधि Teaching Methods of Basic System of Education

बेसिक शिक्षा की शिक्षण विधि अन्य शिक्षण विधियों से काफी भिन्न है। इसमें विभिन्न विषय हस्तकार्य के प्रयोग करके पढाये जाते हैं। इनकी शिक्षण विधि निम्न प्रकार है।

1. विषयों को हस्तकला पर केन्द्रित करके पढाना- बेसिक शिक्षा स्कूलों में स्थानीय कलाओं में से कोई कला चुनी जाती है। समय अधिक बचे तो उसी कला से सम्बन्धित कार्य करते हैं। शेष विषयों में भी जो विषय पढाये जाते हैं वे सभी उस दिन की कला से सम्बन्धित होते हैं। इस प्रकार इस पद्धति में सारे विषय हस्तकला पर केन्द्रित करे पढाये जाते हैं।
2. क्रिया द्वारा सीखना - इस पद्धति में बालक मात्र एक निष्क्रिय नहीं होता बल्कि अपने से स्वयं करके सीखता है इसलिए वह अपने ज्ञान का जीवन में सदुपयोग करता है।
3. स्वाभाविक क्रमानुसार शिक्षा- इसमें सम्पूर्ण बेसिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के प्रत्येक विषय को सात भागों में बाँट दिया जाता है ज्यो-ज्यो कक्षा पढ़ते जाते हैं। उन्हें आगे का अर्थात् अगली कक्षा का भाग पढाया जाता है।
4. भाषण द्वारा शिक्षा- बेसिक शिक्षा के कुछ विषयों का ज्ञान भाषण द्वारा भी दिया जाता है।

10.5.1 बेसिक शिक्षा में शिक्षक (Teacher's in Basic Education)

डा० जाकिर हुसैन समिति ने इस बात पर बल दिया कि प्राथमिक स्तर पर पुरुष शिक्षकों के स्थान पर महिला शिक्षिकाओं को वरीयता दी जाए। प्राथमिक शिक्षक कम से कम मैट्रिक पास हो और शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त हो।

10.5.2 शिक्षक प्रशिक्षण (Teacher's Training)

बेसिक शिक्षा विद्यालयों की सफलता प्रशिक्षित शिक्षकों पर निर्भर है। अतः इन विद्यालयों में यथा सम्भव प्रशिक्षित अध्यापकों की ही नियुक्ति की जाती है। बेसिक शिक्षा योजना को सम्पूर्ण देश में शीघ्रातिशीघ्र क्रियन्वित करने के विचार से अध्यापकों के लिए निम्नलिखित दो प्रकार की व्यवस्था है।

1. दीर्घ कालीन प्रशिक्षण (Long Term Training)- इस प्रशिक्षण की अवधि 3 वर्ष की है। इसे शिक्षण कार्य का अनुभव रखने वाले या न रखने वाले दोनों प्रकार के व्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं।
2. अल्पकालीन प्रशिक्षण (Short Term Training) - इस प्रशिक्षण की अवधि 1 वर्ष की है। यह केवल शिक्षण-कार्य का अनुभव रखने वाले व्यक्ति ही प्राप्त कर सकते हैं।

प्रशिक्षण काल के दौरान छात्राध्यापकों को बेसिक शिक्षा विद्यालयों के सभी विषयों की शिक्षण विधियों का पूर्ण ज्ञान प्रदान किया जाता है। उनको सहित्यिक विषयों के अतिरिक्त हस्तशिल्पों की शिक्षण विधियों से भी परिचित कराया जाता है।

प्रशिक्षण विद्यालयों में केवल निम्न व्यक्तियों को प्रवेश किया जाता है।

1. जो हाईस्कूल परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हों।
2. फाइनल परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात कम से कम दो वर्ष तक किसी विद्यालय में शिक्षण कार्य कर चुके हों।

10.5.3 बेसिक शिक्षा के गुण या विशेषताएँ (Merits of Characteristics of Basic Education) –

वही शिक्षण प्रणाली सबसे उत्तम मानी जाती है जो बालक के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करे। इस दृष्टिकोण से इसमें निम्नलिखित गुण या विशेषताएँ हैं।

1. मनोविज्ञानिकता- इस प्रणाली में बालक को हस्तकला के माध्यम से स्वयं क्रिया करके ज्ञानार्जन का अवसर प्राप्त होता है इससे विकास होता है। कार्य करने से उनकी ज्ञानन्द्रियों का भी समुचित विकास होता है। उस प्रकार यह प्रणाली सफल एवं पूर्ण मनोवैज्ञानिक है।
2. बालक प्रधान शिक्षा (Child Centred Education) - बेसिक शिक्षा बालक प्रधान है। इसमें बालक को शिक्षा का 'ग्राहक' समझकर उसकी आवश्यकताओं का अध्ययन किया जाता है और उनको पूर्ण करने का प्रयत्न किया जाता है। डा० एस.एन.मुकर्जी के शब्दों में " नई तालीम बाल केन्द्रित शिक्षा है और बालक क्रिया द्वारा ज्ञान का अर्जन करता है।

3. मनुष्य के सर्वांगीण विकास पर बल - बेसिक शिक्षा में मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक एवं चारित्रिक, व्यावसायिक और आध्यात्मिक विकास पर बल दिया गया है। यह बात दूसरी है कि हम इसके द्वारा इन सब उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर सके।

4. वास्तविक जीवन की तैयारी - हमारा देश ग्रामों का देश है। बेसिक शिक्षा में बच्चों को ग्रामीण उद्योग- कृषि एवं पशुपालन आदि और ग्रामीण हस्त कौशल कटाई एवं बुनाई आदि की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाने की व्यवस्था की गई थी और यह आशा की गई थी कि इसे प्राप्त करने के बाद वे अपनी जीविका कमा सकेंगे। सिद्धान्त यह बात बहुत अच्छी है। यह बात दूसरी है कि हम बेसिक शिक्षा द्वारा ऐसा नहीं कर सके।

5. भारत के लिए आधारभूत पाठ्यचार्या- बेसिक शिक्षा भारतीयों के वास्तविक जीवन से सम्बन्धित है इसमें मनुष्य सर्वांगीण विकास के लिए समस्त आवश्यक विषयों और सामाजिक क्रियाओं को स्थान दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें हिन्दुस्तानी (हिन्दी) को पूरे देश के बच्चों के लिए अनिवार्य किया गया है। काश हम ऐसा कर सके होते तो पूरा देश एक सूत्र में वहाँ गया होता।

6. वर्ग भेद की समाप्ति - हमारे देश में जाति, धर्म और श्रम आदि आधारों पर अनेक प्रकार के वर्ग हैं। बेसिक शिक्षा में सबके लिए समान शिक्षा और सबके लिए समान सेवा कार्य की व्यवस्था की गई है। इस सबसे वर्ग भेद यदि समाप्त नहीं कम तो किया जा सकता है।

7. शारीरिक एवं मानसिक श्रम के अन्तर की समाप्ति- उस समय अंग्रेज हमें थोड़ी सी अंग्रेजी सिखा कर बाबू बना देते थे, हमारा ओहदा ऊँचा कर देते थे। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि मानसिक श्रम करने वाले शारीरिक श्रम करने वालों को हेय समझने लगे। बेसिक शिक्षा में सभी बच्चों के लिए हस्तकौशल अथवा उद्योग की शिक्षा और समाज सेवा कार्य अनिवार्य किए गए। जब सब श्रम करेंगे तो श्रम करने वालों को हेय कौन समझेगा। इससे वर्ग भेद की समाप्ति होनी चाहिए थी। यह बात दूसरी है कि ऐसा कुछ नहीं हो पाया।

8. शिक्षा का माध्यम मातृभाषा - यूँ उस समय तक अंग्रेजों ने भी प्राथमिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा (क्षेत्रीय भाषाओं) को ही बना दिया था, पर इसके साथ अंग्रेजी माध्यम के प्राथमिक स्कूल भी चल रहे थे। गाँधी जी ने केवल मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने पर बल दिया। तभी तो समानता आ सकती है।

10.5.4 बेसिक शिक्षा के दोष Demerits of Basic Education

सैद्धान्तिक दृष्टि से बेसिक शिक्षा के चाहे जितने गुण गिनाए जाएँ और चाहे जितनी उसकी प्रशंसा की जाएँ, पर व्यावहारिक रूप में यह एकदम असफल रही है। इसमें निम्नलिखित दोष हैं।

1. अपूर्ण योजना - यूँ तो इसे राष्ट्रीय शिक्षा योजना कहा जाता है परन्तु वास्तव में यह केवल अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की योजना ही है। फिर इसमें केवल ग्रामीण बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखा गया है, नगरीय बच्चों की आवश्यकताओं का नहीं।

2. उच्च शिक्षा से सम्बन्ध का अभाव - बेसिक शिक्षा 7 से 14 आयुवर्ग के बच्चों की शिक्षा है। इसकी पाठ्यचर्या केवल इसी आयु वर्ग के बच्चों की और वह भी ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चोंको आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसका निर्माण करते समय इसका माध्यमिक और उच्च शिक्षा की पाठ्यचर्या से सम्बन्ध नहीं जोड़ा गया उसे उच्च शिक्षा का सही आधार नहीं बनाया गया। ऐसा लगता है कि इसके बाद बच्चें पढ़ेंगे ही नहीं। शिक्षा तो क्रमबद्ध रूप से चलनी चाहिए।

3. नगरीय क्षेत्रों के लिए अनुपयुक्त - यह माना कि भारत ग्रामो का देश है, परन्तु प्राथमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या को केवल ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति तक सीमित करना उपयुक्त नहीं है। नगरीय बच्चों के जीवन से इसका कोई सम्बन्ध न होना, इसका एक बड़ा दोष है। ऐसा लगता है कि बेसिक शिक्षा केवल भारत की निर्धन जनता के लिए ही बनाई गई है।

4. हस्तकौशल पर अत्यधिक बल - बेसिक शिक्षा में सबसे अधिक बल हस्तकौशल की शिक्षा पर दिया गया है। इसे पाठ्यचर्या का केन्द्रीय विषय बनाया गया है और इसके माध्यम से अन्य सब विषयों एवं क्रियाओं की शिक्षा देने पर बल दिया गया है। जाकिर हुसैन समिति ने तो इसके लिए स्कूली समय के 5 घण्टे 30 मिनट में से 3 घण्टे 20 मिनट निर्धारित किए थे। ऐसा लगता है कि बेसिक शिक्षा के निर्माता भारत को हस्तकौशलों का देश बनाना चाहते थे फिर स्कूली शिक्षा में किसी विषय अथवा क्रिया को आवश्यकता से अधिक महत्व देने का अर्थ है दूसरे विषयों एवं क्रियाओं को कम महत्व देना। उस स्थिति में बच्चों का सर्वांगीण विकास कैसे किया जा सकता है।

5. कच्चे माल की बरबादी - छोटे-छोटे बच्चों से उत्पादन की आशा करना कोरी कल्पना का विषय है। जो कुछ भी बच्चे स्कूलों में बनाते हैं, वह उपयोग करने योग्य नहीं होता, उसे बाजार में नहीं बेचा जा सकता। इस योजना में कच्चे माल की बरबादी के अतिरिक्त कुछ हाथ नहीं लगा।

6. समय और शक्ति का अपव्यय - प्राथमिक स्तर पर बच्चों को हस्तकौशल में दक्षता प्रदान करना सम्भव नहीं। बेसिक शिक्षा में न तो बच्चों को किसी हस्तकौशल में दक्ष किया जा सका और न उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं से स्कूलों का व्यय निकाला जा सका। इसमें कच्चे माल की बरबादी के साथ-साथ बच्चों के समय और शक्ति का अपव्यय भी होता है।

7. धार्मिक शिक्षा का अभाव - बेसिक शिक्षा को भारत की आधारभूत शिक्षा कहा जाता है और आश्चर्य की बात यह है कि इसमें भारतीय समाज के आधारभूत धर्म की शिक्षा को कोई स्थान नहीं दिया गया है, केवल नैतिक शिक्षा की स्थान दिया गया है। गॉंधी जी को भय था कि धार्मिक शिक्षा के नाम पर कहीं द्वेष न फैल जाए। क्या कोई धर्म द्वेष की शिक्षा देता है।

अपनी उन्नति जानिय Check your progress

प्रश्न 1 वर्धा में मारवाडी शिक्षा मंडल की रजत जयन्ती कब मनाई गयी।

प्रश्न 2 डा0 जाकिर हुसैन समिति ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष व कितने भागों में प्रस्तुत की।

प्रश्न 3 गाँधीजी का आध्यात्मिक विकास से क्या तात्पर्य है।

प्रश्न 4 दीर्घ कालीन प्रशिक्षण की अवधि कितने वर्ष की है।

प्रश्न 5 अल्पकालीन प्रशिक्षण की अवधि कितने वर्ष की है।

10.6 सारांश Summary

भारत में बेसिक शिक्षा की स्थापना करने के पश्चात् उसे सफल बनाने हेतु उसे प्रचुर मात्रा में व्यय भी किया गया। उसके अतिरिक्त उसमें सुधार के लिए युद्ध स्तर पर प्रयत्न किये गये। परन्तु परिणाम सुखद न रहा। यह योजना आज भी लागू है पर वास्तविकत निम्न प्रकार है।

1. स्कूलो और विभागीय कार्यालयों में केवल बेसिक शब्द का प्रयोग हो रहा है।
2. बेसिक क्राफ्टो के शिक्षण की व्यवस्था नहीं हैं।
3. जो बच्चें बेसिक विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करते है। वे अन्य स्कूलो में पढ़ने वाले बच्चो के सामने अपने को ही समझते है।
4. बेसिक स्कूल और चमक-धमक के पब्लिक स्कूल के मध्य आधारभूत अन्तर है।
5. श्रम का महत्व नहीं बढ़ा है।
6. मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा का विकास तेजी से हुआ है।

कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि बेसिक शिक्षा सिद्धान्ततः तो बड़ी उपयुक्त लगती है परन्तु प्रयोग रूप में एकदम असफल रही है। गाँधी जी ने सोचा था कि हस्तकौशलों एवं उद्योगों की शिक्षा से शिक्षा आत्मनिर्भर होगी और इसे प्राप्त करने के बाद बच्चे जीविकोपार्जन कर सकेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, केवल कच्चे माल की बरबादी हुई और शक्ति और धन का अपव्यय हुआ। गाँधी जी ने सोचा था कि इससे वर्ग भेद समाप्त होगा, पर वर्ग भेद और बढ़ गया। गाँधी जी ने सोचा था कि श्रम का महत्व बढ़ेगा पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर इस शिक्षा की कुछ बातें बड़ी उपयोगी है, जैसे - मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा और क्रिया द्वारा शिक्षा, ये तो किसी भी देश की शिक्षा के लिए उपयोगी है, हमारे देश की शिक्षा के लिए भी।

10.7 शब्दावली Glossary

जनसाधारण की शिक्षा (Education of the Masses) - भारत की अधिकांश साधारण जनता अज्ञानता के अन्धकार से आवृत है। यही कारण है कि बुनियादी शिक्षा का सर्वप्रथम सिद्धान्त जनसाधारण को शिक्षित बनाना निर्धारित किया गया है। इस प्रकार गाँधीजी के निम्नांकित कथन के अनुसार कार्य किया जा रहा है जनसाधारण की अशिक्षा भारत का पाप और कलंक है। अतः अन्त किया जाना अनिवार्य है।

बालक प्रधान शिक्षा (Child Centred Education) - बेसिक शिक्षा बालक प्रधान है। इसमें बालक को शिक्षा का 'ग्राहक' समझकर उसकी आवश्यकताओं का अध्ययन किया जाता है और उनको पूर्ण करने का प्रयत्न किया जाता है। डा० एस.एन.मुकर्जी के शब्दों में " नई तालीम बाल केन्द्रित शिक्षा है और बालक क्रिया द्वारा ज्ञान का अर्जन करता है।

10.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर Answer of practice Question

उत्तर 1 22-23 अक्टूबर 1937

उत्तर 2 डा० जाकिर हुसैन समिति 1937 समिति ने अपनी रिपोर्ट दो भागों में प्रस्तुत की समिति ने पहली रिपोर्ट दिसम्बर 1937 और दूसरी रिपोर्ट अप्रैल 1938 में प्रस्तुत की।

उत्तर 3 गाँधीजी का आध्यात्मिक विकास से तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण और सर्वोत्कृष्ट विकास भी करना चाहते थे।

उत्तर 4 दीर्घ कालीन प्रशिक्षण की अवधि 3 वर्ष की है।

उत्तर 5 अल्पकालीन प्रशिक्षण की अवधि 1 वर्ष की है। यह केवल शिक्षण-कार्य का अनुभव रखने वाले व्यक्ति ही प्राप्त कर सकते हैं।

10.9 संदर्भ Reference

- i. लाल (डॉ) रमन बिहारी, भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएं, राज प्रिंटर्स, मेरठा
- ii. जे. (डॉ) एस. वालिया (2009) भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास, अहमपाल पब्लिशर्स, मेरठा
- iii. शुक्ला (डॉ) सी. एस. (2008) उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक, इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस, मेरठा
- iv. शर्मा, रामनाथ व शर्मा, राजेन्द्र कुमार (2006) शैक्षिक समाजशास्त्र, एटलांटिक पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स
- v. शीलू मैरी (डॉ) (2008) शिक्षक के सामाजिक एवं दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, रजत प्रकाशन नई दिल्ली।

10.10. लघु उत्तरीय प्रश्न Long Answer Type Question

प्रश्न 1 वर्धा शिक्षा से आप क्या समझते हो, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा वर्धा की प्रमुख उपलब्धियों का वर्णन किजीय?

प्रश्न 2 बेसिक शिक्षा का अर्थ बताते हुए बेसिक शिक्षा के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन किजीय?

प्रश्न 3 बेसिक शिक्षा के प्रमुख गुणों का विस्तार से वर्णन किजीय?

प्रश्न 4 बेसिक शिक्षा के प्रमुख दोषों का विस्तार से वर्णन किजीय?

**इकाई 11 विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 University Education
commission / Dr. Radhakrishhan Commisson 1948-49**

- 11.1 प्रस्तावना Introduction
- 11.2 उद्देश्य Objectives
 - 1.1.3 विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के सदस्य Member of University Education Commission
 - 11.3.1 आयोग के उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्र (Aims and Working field of Commission)
 - 11.3.2 राधाकृष्णन कमीशन की सिफारिशें (Recommendation of Radhaa Krishan Commission)
 - 11.3.3 विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त Administration and Finance of University Education
 - 11.3.4 विश्वविद्यालय शिक्षा का संगठन और ढाँचा (Organisation and structure of University Education)
- 11.4 उच्च शिक्षा के उद्देश्य (Aims of Higher Education)
 - 11.4.1 पाठ्यक्रम Curriculum -
 - 11.4.2 स्नातकोत्तर प्रशिक्षण व अनुसंधान का महत्व व सुझाव Importance and Suggestion of Post Graduate Training & Research.
 - 11.4.3 उच्च शिक्षा का माध्यम
 - 11.4.4 शिक्षकों के सम्बन्ध में सुझाव
 - 11.4.5 शिक्षण स्तर Teaching Level
 - 11.4.6 विश्वविद्यालयों में शिक्षार्थी (Students in University)
- 11.5 व्यावसायिक एवं तकनीकी उच्च शिक्षा (Vocational and Higher Technical Education)
 - 11.5.1 शिक्षक प्रशिक्षण (Teacher Training)
 - 11.5.2 इंजीनियरी एवं तकनीकी शिक्षा (Engineering and Technical Education)
 - 11.5.3 विधि शिक्षा (Education of law)- विधि शिक्षा के सम्बन्ध में आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिये।
 - 11.5.4 स्त्री शिक्षा (Women Education)- नारी शिक्षा का महत्व प्रति पादित करते हुए आयोग ने अग्रान्कित तथ्य व्यक्त किये।
 - 11.5.5 विश्वविद्यालय शिक्षा का संगठन और ढाँचा (Higher Rural Education & Rural University)
- 11.6 सारांश Summary
- 11.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर Answer of Practice Question
- 11.8 शब्दावली Glossary
- 11.9 संदर्भ Refence
- 11.10 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों Long Answer Type Question

11.1 प्रस्तावना Introduction

एक लम्बे संघर्ष व कुर्बानी के उपरान्त 15 अगस्त 1947 को भारत विदेशी दासता से मुक्त हुआ बहुत से नये विश्वविद्यालय खुले और उनमें विद्यार्थियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात तो विश्वविद्यालय शिक्षा का और भी अधिक विकास हुआ। देश के विभाजन के पश्चात भारत में 19 विश्वविद्यालय रह गये थे। परन्तु उसके पश्चात 14 विश्वविद्यालय और खुले। पंजाब विश्वविद्यालय, गोहाटी, कश्मीर, रूड़की इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय, पूना, बडौदा, बिहार, आदि विश्वविद्यालयों का जन्म 1947 के बाद ही हुआ।

1951 ई० में विश्वभारती विश्वविद्यालय को भी भारत सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। 1951 ई० में आंध्रप्रदेश में बैकटेश्वर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई साथ ही पूर्व स्थापित विश्वविद्यालय में नये नये विभाग भी खोले गये। पर फिर भी जिस ढंग की शिक्षा इन विश्वविद्यालयों में दी जा रही थी उससे जनता संतुष्ट नहीं है क्योंकि शिक्षा का एक मात्र उद्देश्य छात्रों को परीक्षाओं के लिए तैयार करना ही था। इसलिए शिक्षा को देश व वातावरण की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने की माँग की जाने लगी। अतः अन्तर्विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद (Inter university Board of Education) और केन्द्रीय शिक्षा सलहाकार परिषद (Central Advisory Board of Education) ने भारत सरकार को एक अखिल भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति करने का सुझाव दिया जो कि देश की आवश्यकताओं एवं परम्पराओं के अनुरूप विश्वविद्यालय शिक्षा के पुनर्गठन के लिए समुचित सुझाव दे। डा. सर्वपल्ली को उसका अध्यक्ष बनाया। अतः उनके नाम पर यह आयोग राधाकृष्णन कमीशन भी कहलाता

है।

11.2 उद्देश्य Objectives

- I. डॉ राधाकृष्णन आयोग की शिक्षा सम्बन्धी नीतियों को समझ सकगे।
- II. विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की उच्च शिक्षा के उद्देश्यों को समझ सकगे।
- III. विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा शिक्षकों के प्रशिक्षण व सुधारों के सम्बन्ध में दिये गए सुधारों को समझ सकगे।
- IV. विश्वविद्यालय शिक्षा का संगठन और ढाँचा को समझ सकगे।
- V. उच्च ग्रामीण शिक्षा, तकनीक शिक्षा, विधि शिक्षा व शोध को समझ सकगे।

1.1.3 विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के सदस्य Member of University Education Commission

इस कमीशन के कुल दस सदस्य थे जिनके नाम इस प्रकार हैं।

1. President – Dr. Sarvpalli Radhakrishnan- Purvi dharm and Niti Shastra Oxford University.

2. Dr. Tarachand - M.A., Dipul, Seretary and Educational adviser to the Government of India.
3. Dr. James F. Duff – MA, Med, L.L.O, Vice Chancellor, University of Duran.
4. Dr. Zakir Husian – MA, Phd, D.litt, Jamia Millia Islimia Delhi.
5. Dr. Arthur E. Morgan – D.SC, D.Eng, L.L.D, D.C.L. Former President, Antioes College.
6. Dr. A Lakshmana Swami Mudaliar – D.SC, L.L.D, D.CL, Vice Chancellor, University of Madras.
7. Dr. Meghna Shaha – D.SC, F.R.S, Palet Professor of Physics, University of Calcutta.
8. Dr.Karm Narayan Bahl - D.SC, D.Phil, professor of Zoology, University of Lucknow.
9. Dr. Johan J. Tigret – MA, L.L.D, Med, D.Litt Formerly Commissioner of Education of United States
10. Shree Nirmal Kumar Sidhant – Professor English Dehard and Art Lucknow University.

11.3.1 आयोग के उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्र (Aims and Working field of Commission)-

आयोग की नियुक्ति का उद्देश्य भारतीय विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रस्तुत करना था और देश की तात्कालीन एव भावी आवश्यकताओं के उपयुक्त उच्च शिक्षा के निर्माण एवं विस्तार के सम्बन्ध में सुझाव देना था।

आयोग का कार्यक्षेत्र भी भारतीय विश्वविद्लयों की तत्कालीन स्थिति का अध्ययन करना और उच्च शिक्षा के स्तर को उठाने हेतु सुझाव देना था उसे सक्षेप में इस प्रकार क्रमबद्ध किया जा सकता है।

1. तत्कालीन भारतीय विश्वविद्यालयों का अध्ययन कर उनके दोषों का पता लगाना।
2. इनके प्रशासन एव वित के सम्बन्ध में सुझाव देना।
3. उच्च शिक्षा के पुर्नगठन के सम्बन्ध में सुझाव देना।
4. उच्च शिक्षा के उद्देश्य निश्चित करना।

5. उच्च शिक्षा की पाठ्यचर्या में सुधार हेतु सुझाव देना।
6. उच्च शिक्षा के शिक्षण स्तर को उठाने के लिए उपाय करना।
7. भारत में विश्वविद्यालयों शिक्षा तथा अनुबन्धन शिक्षा के उद्देश्य व समस्या पर अपनी सम्मति देना।
8. उच्च शिक्षा के प्राध्यापकों की नियुक्ति वेतनमान और सेवा शर्तों मौखिक शोध के सम्बन्ध में सुझाव देना।
9. छात्रों के कल्याण के लिए योजना स्थापित करना।
10. विश्वविद्यालयों में मानवशास्त्र, विज्ञान, एवं शुद्ध विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण के पाठ्यक्रमों की अवधि निश्चित करना।
11. छात्रों के अनुशासन, छात्रावासों और ट्यूटोरियल कार्य की व्यवस्था तथा कोई दूसरी बात जिसे भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा और अनुसंधान के सब पहलुओं की पूर्ण और व्यापक जाँच के लिए आवश्यक समझा जाये।

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जिसे उसके अध्यक्ष के नाम राधाकृष्ण कमीशन भी कहा जाता है ने विश्वविद्यालय शिक्षा के सम्बन्ध में प्रश्नावली तथा साक्षात्कार के द्वारा सूचनाएं संकलित की तथा उच्च शिक्षा से जुड़े लगभग एक हजार व्यक्तियों के पास भेजा इनमें से 600 ने प्रश्नावली भर कर भेजी। तथा इनका विश्लेषण करके 25 अगस्त 1949 को अठारह भाग व 747 पृष्ठों का अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस आयोग ने उच्च शिक्षा के विभिन्न पक्षों जैसे उच्च शिक्षा के उद्देश्य अध्यापकों की सेवाशर्तों, शिक्षा के स्तर, पाठ्यक्रम, व्यावसायिक शिक्षा, परीक्षा प्रणाली, छात्रकल्याण, अर्थव्यवस्था आदि के सम्बन्ध में अनेक बहुमूल्य सुझाव दिये।

11.3.2 राधाकृष्णन कमीशन की सिफारिशें (Recommendation of Radhaa Krishan Commission)

डा० राधाकृष्णन आयोग में उच्च शिक्षा से सम्बंधित तथ्यों पर अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। इस सम्बन्ध में आयोग का कथन है। "हमारी सिफारिशें उन महत्वपूर्ण प्रमाणों और रचनात्मक सुझावों पर आधारित हैं जो हमको मिले हैं, हमने विश्वविद्यालयों के पुरुषों और स्त्रियों की आशाओं और आकांक्षाओं की व्याख्या करने का प्रयास किया है एवं उनकी अभिलाषाओं और आदर्शों को निश्चित रूप देने का प्रयत्न किया है, आयोग की उच्च शिक्षा में मुख्य सुझाव इस प्रकार हैं।

11.3.3 विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त Administration and Finance of University Education

विश्वविद्यालयी शिक्षा के प्रशासन एवं वित्त के सम्बन्ध में आयोग ने 6 मुख्य सुझाव दिए।

1. उच्च शिक्षा समवर्ती सूची में रखी जाएं। इसकी व्यवस्था करना केन्द्र एवं प्रान्तीय सरकारों का संयुक्त उत्तरदायित्व हो। उच्च शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति का निर्धारण केन्द्र सरकार करे, प्रान्तीय सरकारें उस नीति के अनुसार अपने क्षेत्र में उच्च शिक्षा की व्यवस्था करे।
2. विश्वविद्यालय के आन्तरिक प्रशासन के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय में विभिन्न समितियों का गठन नियमित रूप से किया जाए, उनके अधिकार एवं कर्तव्य क्षेत्र सुनिश्चित हो।
3. सम्बन्धित महाविद्यालयों के प्रशासन का उत्तरदायित्व उनकी प्रबन्धकारिणी समितियों का हो।
4. उच्च शिक्षा का वित्तिय भार केन्द्र और प्रान्तीय सरकारें संयुक्त रूप से वहन करें।
5. विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को विभिन्न नये मदो-भवन निर्माण और प्रयोगशाला, पुस्तकालय, वाचनालय एवं खेलकूद आदि की व्यवस्था के लिए अनुदान दिया जाए।
6. विश्वविद्यालयों के कार्यों में एकरूपता लाने और विश्वविद्यालय एवं उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों को अनुदान देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान समिति (University Grant Commission) के स्थान पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grant Commission) का गठन किया जाए।

11.3.4 विश्वविद्यालय शिक्षा का संगठन और ढाँचा (Organisation and structure of University Education)

1. उच्च शिक्षा तीन भागों संगठित हो, स्नातक, परास्नातक, एवं शोध। स्नातक वर्ष 3, परास्नातक 2 वर्ष, शोध कार्य 2 वर्ष हैं।
2. उच्च शिक्षा के तीन वर्ग- आर्ट/साइन्स, व्यवसायिक और तकनीकी शिक्षा।
3. व्यवसायिक और तकनीकी शिक्षा को 6 भागों में विभाजन किया जाये जैसे कृषि, कार्मस, प्रौद्योगिकी और तकनीकी, मेडिकल, कानून और अध्यापक प्रशिक्षण।
4. स्वतन्त्र सम्बन्धित कॉलेजों की स्थापना की जाए जो कृषि, कार्मस, पौद्योगिकी और तकनीकी मेडिकल और अध्यापक प्रशिक्षण विषयों का संचालन करे।
5. कृषि में उच्च शिक्षा व शोध हेतु कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किए जाये।
6. ग्रामीणों के उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु ग्रामीण विश्वविद्यालयों व सम्बद्ध कॉलेजों की स्थापना हो।

प्रत्येक विश्वविद्यालय में निम्नलिखित अधिकारियों को महत्व दिया जाये।

1. विजिटर (Visitor) - इस पद पर देश का राष्ट्रपति होगा।

2. कुलपति (Chancellor) - सामान्यतः राज्य का गवर्नर, विश्वविद्यालय का कुलपति होगा। केन्द्र शासित विश्वविद्यालयों का कुलपति गवर्नर नहीं होगा।
3. उपकुलपति (Vice-Chancellor) - उपकुलपति का पद पूर्ण कालीन होगा और उसे वेतन दिया जायेगा। उपकुलपति की नियुक्ति कार्यकारिणी की सिफरिश पर कुलपति करेगा।
4. सीनेट (Senate) - एकात्मक और संघात्मक विश्वविद्यालयों की सीनेट में 100 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। सदस्यों के कुल संख्या के आधे सदस्य विश्वविद्यालय से बाहर के व्यक्ति होंगे। शिक्षण और सम्बद्धक विश्वविद्यालयों (Teaching & Affiliating Universities) की सीनेट में 120 से अधिक शिक्षक, 40 सम्बद्ध कालेजों के शिक्षक और 40 बाह्य सदस्य होंगे।
5. कार्य-कारिणी परिषद (Executive Council) - एकात्मक और संघात्मक विश्वविद्यालयों की कार्यकारिणी परिषद में अधिक से अधिक 20 और शिक्षण तथा सम्बद्धक विश्वविद्यालयों की परिषद में अधिक से अधिक 25 सदस्य होंगे।
6. शैक्षणिक समिति (Academic Council) - एकात्मक विश्वविद्यालय की शैक्षणिक समिति में अधिक से अधिक 40, और संघात्मक तथा शिक्षण और सम्बद्धक विश्वविद्यालयों को शैक्षणिक समिति में अधिक से अधिक 45 सदस्य होंगे।
7. विभाग (Faculties)
8. अध्ययन समितियां (Board of Studies)
9. वित्त समिति (Finance Committee)
10. चयन समिति (Selection Committee)

11.4 उच्च शिक्षा के उद्देश्य (Aims of Higher Education)

आयोग ने विश्वविद्यालय की शिक्षा के उद्देश्यों को स्पष्ट किया हो तथा समाज व्यवस्था के संगठन तथा विकास पर बल देते हुए उद्देश्य निर्धारित किये।

1. व्यक्तित्व निर्माण - स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत की राजनैतिक सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में भारी परिवर्तन के विश्वविद्यालयों के कार्य और उत्तरदायित्व बढ़ गये हैं। उन्हें ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना चाहिए - जो राजनीति, प्रशासन व्यवसाय उद्योग और वाणिज्य के क्षेत्रों में नेतृत्व कर सकें।

2. समाज सुधार - विश्वविद्यालय समाज सुधार में महान योग दे सकते हैं इसलिए उनका उद्देश्य ऐसे नेताओं का निर्माण करना होना चाहिए जो दूरदर्शी, बुद्धिमान और बौद्धिक साहसी हों।
3. विवेकी व्यक्तियों का निर्माण-विश्वविद्यालयों को ऐसे विवेकी व्यक्तियों का निर्माण करना चाहिए, जो प्रजातन्त्र को सफल बनाने के लिए शिक्षा का प्रसार कर सकें, ज्ञान की सदैव खोज कर सकें, मानव जीवन का अर्थ और सार जान सकें। रोजगारों का प्रबन्ध और देश तथा समाज के लिए विभिन्न भौतिक अभावों की पूर्ति के लिए साधनों को जुटा सकें।
4. ज्ञान का समन्वय - शिक्षा का उद्देश्य जीवन और ज्ञान विभिन्न शाखाओं में समन्वय करना है इसलिए यह आवश्यक है कि विश्वविद्यालयों में जो विषय पढ़ाये जायें वे पाठ्यक्रम के अभिन्न अंग होने चाहिए, जिससे कि छात्रों के मस्तिष्क में विभिन्न तत्वों का संग्रह न हो। वरन् सब तत्वों का एक सॉचे में समावेश हो जाय।
5. नेतृत्व का निर्माण (Leadership Making) - स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् देश की आर्थिक, सामाजिक, और राजनीतिक परिस्थितियों में परिवर्तन ने हमारे विश्वविद्यालयों के कार्यों एवं उत्तरदायित्वों में वृद्धि कर दी है। अतः राजनीतिक, व्यावसायिक, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों में नेतृत्व ग्रहण कर सकने वाले व्यक्तियों का निर्माण करना चाहिए।
6. राष्ट्रीय विरासत - विश्वविद्यालयों को आधुनिक प्रगति के लिए वशीभूत होकर अपनी सांस्कृतिक विरासत को नहीं भूलना चाहिए यदि उन्होंने ऐसा किया, तो वे अपने दायित्वों को पूर्ण नहीं कर सकेंगे। उनका एक महत्वपूर्ण दायित्व यह है कि वे ऐसे युवक तैयार करें, जो अपनी राष्ट्रीय विरासत को अपनाकर अपनी सर्वोत्तम योग्यता के अनुसार योगदान दें।

11.4.1 पाठ्यक्रम Curriculum –

पाठ्यक्रम की सहायता से छात्रों को न केवल विभिन्न क्षेत्रों का ज्ञान व अनुभव प्राप्त होता है। अपितु विद्यार्थियों की स्वतन्त्रता, विचार, शक्ति व रचनात्मक कार्य क्षमता भी विकसित होती है। अतः कमीशन ने पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में निम्न सुझाव दिये हैं।

1. विश्वविद्यालयों और माध्यमिक में कला और विज्ञान की शिक्षा के साथ-साथ सामान्य शिक्षण का भी प्रबन्ध होना चाहिए जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों का तथ्यों व सिद्धान्तों से सम्बन्धित बुद्धियुक्तपूर्ण चुनी गई सूचनाएं प्राप्त करना हो।
2. माध्यमिक कक्षाओं में निम्नलिखित विषय रखे जा सकते हैं।

(1) मात्र भाषा	(2) संधीय भाषा या जिनकी मातृभाषा संधीय भाषा है।
(3) अंग्रेजी	(4) प्रारम्भिक गणित

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| (5) सामान्य विज्ञान | (6) सामाजिक अध्ययन |
| (7) संगीत | (8) शिल्पकला |
| (9) चित्रकला | (10) गृह विज्ञान |
| (11) कृषि | (12) बुक कीपिंग और लेखा |
| (13) वाणिज्य | |

3. स्नातक पाठ्यक्रम तीन वर्ष, स्नातकोत्तर उपधि स्नातक के बाद 2 वर्ष व आनर्स के बाद 1 वर्ष होनी चाहिए।
4. स्नातक स्तर अंग्रेजी भाषा और राष्ट्रभाषा हिन्दी की शिक्षा अनिवार्य है।
5. व्यावसायिक और तकनीकी वर्ग का पाठ्यक्रम, क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं के अनुसार विशेषणों द्वारा तैयार कराया जाए, पर पूरे देश के स्नातक व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में समरूपता होनी चाहिए।

11.4.2 स्नातकोत्तर प्रशिक्षण व अनुसंधान का महत्व व सुझाव Importance and Suggestion of Post Graduate Training & Research.

आयोग ने स्नातकोत्तर प्रशिक्षण और अनुसंधान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा "मानव सभ्यता ने उन विशेषज्ञों के कार्यों से बहुत अधिक लाभ उठाया है, जिन्होंने प्रकृति के रहस्यों और मनुष्य के वैयक्तिक तथा सामाजिक व्यवहारों में गहराई तक प्रवेश किया है। वर्तमान जीवन बहुत बड़ी सीमा तक अन्वेषण और अनुसंधान का परिणाम है। आयोग के अनुसार स्नातकोत्तर प्रशिक्षण और अनुसंधान विश्वविद्यालयों का प्रमुख कर्तव्य है। अतः इस बात की आवश्यकता है कि हमारे विश्वविद्यालयों में वैज्ञानिक अन्वेषण को प्राथमिकता दी जाए। केवल तभी हमारे देश में ऐसे प्रशिक्षित अन्वेषक उत्पन्न होंगे, जो बौद्धिक जीवन के उच्च स्तरों को स्थापित करेंगे और देश की नैतिक एवं भौतिक प्रगति में योग देगे। वस्तुतः श्री आशुतोष मुकर्जी ने ही पहली बार कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर कक्षाओं की व्यवस्था कर शोधकार्य को मर्यादित करने की प्रेरणा दी थी। अतः इस सम्बन्ध में भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिये थे।

1. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में एक विशिष्ट विषय का उच्च अध्ययन व शोध की नवीनतम रीतियों का समावेश रहना चाहिए।
2. इन उपधियों के लिए शिक्षण की व्यवस्था नियमित व्याख्यानो, गोष्ठियों (Seminar) और प्रयोगशाला कार्य के द्वारा दी जाये।
3. परीक्षा लिखित और मौखिक दोनों प्रकार की हो तथा वैज्ञानिक विषयों में प्रयोगात्मक परीक्षा की भी व्यवस्था की जाये।

4. उन्ही विद्यार्थियों को उपाधियाँ दी जाये जिन्होंने उचित मात्रा में विद्वता प्रदर्शित की हो।
5. शोधकार्य के लिए विद्यार्थियों को अखिल भारतीय स्तर पर निर्वाचित किया जाये उनका चुनाव करते समय उनका यह आशय देख लिया जाय कि उनमें मस्तिष्क की सहज मौलिकता है या नहीं।
6. शोधकार्य के लिए विद्यार्थियों को वही विषय चुनना चाहिए जिसका वह पहले ही सफलतापूर्वक अध्ययन कर चुका हो।
7. शोध कार्य की अवधि दो वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
8. पी.एच.डी. की परीक्षा में थीसिस के साथ-साथ मौखिक परीक्षा को भी सम्मिलित किया जाय।
9. प्रत्येक विश्वविद्यालय में उतने ही शोध विभाग स्थापित करने चाहिए जितनी कि उनकी क्षमता हो।
10. पी.एच.डी. व अन्य शोधनीय करने वाले छात्रों के लिये शोध छात्रवृत्तियों Research Fellowship और अन्य प्रबन्ध किया जाय।
11. शोध कार्य चक्र शोध प्रबन्ध के रूप में प्रस्तुत किया जाये और दो बाहरी व एक आन्तरिक परीक्षक उनकी जाँच करे तथा साथ ही मौखिक परीक्षा का भी आयोजन हो।

11.4.3 उच्च शिक्षा का माध्यम-

आयोग ने उच्च शिक्षा के माध्यम हेतु निम्न लिखित सुझाव दिये हैं।

1. उच्च शिक्षा का माध्यम स्वीकृत क्षेत्रीय भाषाएँ होनी चाहिए, इसके लिए प्रयास अभी से शुरू किये जाए।
2. विज्ञान और व्यवसायिक एवं तकनीकी वर्गों के विषयों की शिक्षा अभी संधीय भाषाओं के माध्यम से सम्भव नहीं है इसलिए उनकी शिक्षा अभी अंग्रेजी के माध्यम से ही दी जाय।
3. कला वर्ग के कुछ विषयों की शिक्षा इन भाषाओं के माध्यम से दी जाने की व्यवस्था तुरन्त की जाय।
4. उच्च माध्यमिक तथा उच्चशिक्षा के स्तर पर प्रत्येक विद्यार्थियों को तीन भाषायें पढ़नी चाहिये।

क्षेत्रीय भाषा (Regional Language)

राष्ट्र भाषा (National Language)

अंग्रेजी ((English Language)

5. अन्तर्राष्ट्रीय और वैज्ञानिक परिभाषिक शब्दों को स्वीकार किया जाय। सभी संधीय भाषाओं को देवनागरी लिपि में लिखा जाए और इनके लिये देवनागरी लिपि में आवश्यक सुधार किये जाय।

11.4.4 शिक्षको के सम्बन्ध में सुझाव –

आयोग की सम्मति में शिक्षा की किसी भी योजना की सफलता शिक्षकों को योग्यता कर्तव्यनिष्ठा पर आधारित होती है। साथ ही उसने यह मत भी प्रकट किया कि योग्य एवं कर्तव्यनिष्ठा व्यक्तियों को शिक्षण कार्य की ओर आकर्षित करने के लिए शिक्षको के वेतनमान और सेवाशर्तों में सुधार किया जाना चाहिए।

विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों शिक्षको की योग्यता एवं सेवाशर्तों के सम्बन्ध में आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए।

I शिक्षको की नियुक्ति (Appointment of Teachers)- विश्वविद्यालयों और सम्बन्धित महाविद्यालयों में शिक्षको की नियुक्ति करते समय उनकी शैक्षिक योग्यता के साथ उनकी शिक्षण योग्यता और नेतृत्व क्षमता को भी देखना चाहिए।

Ii शिक्षको की पदोन्नति (Promotion of the Teacher)- विश्वविद्यालयों में शिक्षको को पदोन्नति केवल ज्येष्ठता (Seniority) के आधार पर की जाय साथ ही उनकी विद्वता, शिक्षण कुशलता और शोध कार्यों को भी उसका आधार बनाया जाय।

Iii शिक्षको के वेतनमान (pay Scale of Teacher)- आयोग ने विश्वविद्यालयी शिक्षको को पाँच श्रेणियों में बांटा है तथा उन सभी के लिये निम्नलिखित वेतनमान की सिफारिस की है।

(क) प्राध्यापक (professor) (ख) प्रवाचक (Reader) (ग) व्याख्याता (Lecturer)

(घ) शिक्षक (Instructor) (ण) शोधकर्ता (Research Fellow)

विश्वविद्यालय

(i) प्राध्यापक (Professor) 900-50-1350 रूपया

(ii) प्रवाचक (Reader) 600- 30-900 रूपया

(iii) व्याख्याता (Lecturer) 300-25-600 रूपया

(iv) शिक्षक (Instructor) 250-25-500 रूपया

(v) शोधकर्ता (Research Fellow) 250-25-500 रूपया

सम्बन्धित स्नातक कालेज (जहाँ कि उत्तर स्नातक अर्थात् बी0ए से ऊपर की कक्षाये नहीं हैं)

- (i) व्याख्याता (Lecturer) 250-15-320-20-400
(ii) श्रेष्ठ पर (सीनियर पोस्ट (प्रत्येक कालेज मे एक) 400-25-600
(iii) प्रिंसिपल (Principal) 600-40-800

सम्बन्धित स्नातकोत्तर कालेज-

- (i) व्याख्याता (स्मबजनतमत) 200-15-320-20-400-25-500
(ii) श्रेष्ठ पर (सीनियर पोस्ट(प्रत्येक कालेज मे एक)) 500-25-800
(iii) प्रिंसिपल 800-50-1000

iv शिक्षको की सेवाशर्ते (Service Condition of Teacher) -

1. विश्वविद्यालयों और सम्बद्ध महाविद्यालयो शिक्षको को अध्ययन अवकाश जो कि एक बार में अधिक से अधिक 1 वर्ष और पूरे सेवाकाल में अधिक से अधिक 3 वर्ष ही दिया जाये।
2. शिक्षकों को सरकारी कर्मचारियो की भाँति प्रोविडेंट फण्ड की सुविधा दी जाय।
3. शिक्षको की सेवा निवृत्त होने की आयु 60 वर्ष हो।
4. यदि उनका स्वास्थ्य अच्छा हो तो उनका सेवाकाल 64 वर्ष की आयु तक बढ़ाया जा सके।
5. शिक्षको का कार्यभार (Working load of Teacher)- विश्वविद्यालयो और महाविद्यालयों शिक्षकों को एक सप्ताह में 18 धण्टे (Periods) का कार्यभार सौपा जाय।
6. शिक्षको को आवास सुविधा (Residence Facilities for Teacher) - विश्वविद्यालयों के शिक्षको को उनके विश्वविद्यालय के यथासम्भव निकट कम किराया पर आवास सुविधा प्रदान की जाए।

11.4.5 शिक्षण स्तर Teaching Level

आयोग ने विश्वविद्यालयों के शिक्षण मानदण्ड को उच्चतम बनाने की दृष्टि से निम्नलिखित सुझाव दिये है।

1. विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या 18 वर्ष की परिपक्व अवस्था में प्रवेश मिलना चाहिए अर्थात् छात्र का मस्तिष्क उच्च शिक्षा ग्रहण करने योग्य हो जाये।
2. इन्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ही विद्यार्थियों को विश्वविद्यालयों में प्रवेश मिलना चाहिए।

3. शोधकार्य के अवसर स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण केवल योग्य और सक्षम छात्रों को दिये जाए। इस स्तर पर भी प्रवेश अखिल भारतीय स्तर पर किए जाये।
4. शिक्षण विश्वविद्यालयों में छात्रों की संख्या अधिक से अधिक 3000 हो और सम्बद्ध महाविद्यालयों में 1500 हो।
5. शिक्षण विश्वविद्यालयों और सम्बद्ध महाविद्यालयों का शिक्षण सत्र परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त कम से कम 180 कार्य दिवसों का है।

11.4.6 विश्वविद्यालयों में शिक्षार्थी (Students in University)

आयोग ने इस बात पर बल दिया कि विश्वविद्यालयों और सम्बद्ध महाविद्यालयों छात्रों की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों के विकास के लिए हर सम्भव प्रयास करने चाहिए। इस दिशा में निम्नलिखित सुझाव दिये।

1. प्रत्येक विश्वविद्यालय में 'छात्र कल्याण सलाहकार बोर्ड (Advisory Board of Student Welfare) की स्थापना की जाए जो छात्र कल्याण सम्बन्धी योजनाएँ बनाएँ और उनका क्रियान्वयन करे।
2. प्रत्येक विश्वविद्यालय में छात्र अधिष्ठाता (Dean of Student) की नियुक्ति की जाए। एक छात्र के लिए दूसरे छात्रों के लिए ये अधिष्ठाता छात्रों की समस्याओं के लिए उत्तरदायी हो।
3. प्रत्येक विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में एक शारीरिक शिक्षा निदेशक (Director of Physical education) की नियुक्ति की जाए जो स्वास्थ्य शिक्षा और खेलकूद व्यवस्था के लिए उत्तरदायी हो।
4. विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में एन.सी.सी की व्यवस्था की जाए और छात्र छात्राओं को इसकी ओर आकर्षित किया जाए।
5. विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों छात्र संघों (Student union) का गठन किया जाए, छात्र-छात्राओं को सामूहिक कार्यों द्वारा स्वशासन की शिक्षा दी जाए छात्र संघों को राजनीति से दूर रखा जाए।
6. विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में प्रोक्टोरियल बोर्ड (Proctorial Board) बनाए जाएं, छात्रों को प्रशासन कार्यों में प्रशिक्षित किया जाए।
7. निर्धन छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की जाए।

11.5 व्यावसायिक एवं तकनीकी उच्च शिक्षा (Vocational and Higher Technical Education)

आयोग के विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए उसके विभिन्न अंगों के सम्बन्ध में सुझाव दिये हैं।

कृषि - कृषि शिक्षा के सम्बन्ध में कमीशन ने निम्नलिखित सुझाव दिये हैं।

1. स्नातक स्तर पर कृषि शिक्षा का पाठ्यक्रम सामान्यतः 3 वर्ष का हो किन्तु पशुपालन के आथ चार वर्ष का हो।

2. प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा में कृषि की शिक्षा को प्रमुख स्थान दिया जाए।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में नये कृषि महाविद्यालय खोले जाए और इन्हे यथा सम्भव ग्रामीण विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध किया जाये।
4. कृषि एवं ग्रामीण विश्वविद्यालयों में कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान की व्यवस्था की जाए।
5. कृषि शिक्षा , कृषि शोध और कृषि नीति का निर्माण उन्ही व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा होना चाहिए जिन्हे कृषि जीवन का प्रत्यक्ष अनुभव हो।
6. केन्द्रीय व राज्य सरकारों द्वारा प्रयोगात्मक कार्य प्रारम्भ किये जाये तथा प्रयोग कार्य अनिवार्य होना चाहिए। सभी क्षेत्रीय यात्राए (थपमसक ज्तपचे) भी सम्मिलित की जाए।

11.5.1 शिक्षक प्रशिक्षण (Teacher Training)

शिक्षक प्रशिक्षण के सम्बन्ध में आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिये हैं।

1. प्रशिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रमों में सुधार किया जाय और पुस्तकीय ज्ञान के बजाय विद्यालयों में अध्ययन के अभ्यास पर अधिक बल दिया जाय।
2. माध्यमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए विश्वविद्यालयों में शिक्षक प्रशिक्षण विभाग खोले जाये और साथ ही सम्बद्ध विश्वविद्यालय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों की व्यवस्था की जाय।
3. छात्र अध्यापन के अभ्यास के लिए केवल उन्ही स्कूलों को चुना जाय, जिनमें पर्याप्त और उपयुक्त शिक्षण सामग्री हो।
4. प्रशिक्षण संस्थाओं में अधिकांश अध्यापक वे रखे जाये, जो विद्यालयों में पढाने का काफी अनुभव प्राप्त कर चुके हो।
5. शिक्षक प्रशिक्षण में सैद्धान्तिक ज्ञान और प्रायोगिक कार्य, दोनों पर समान बल दिया जाय। प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी के लिए 12 सप्ताह का शिक्षण अभ्यास अनिवार्य हो।
6. एम.एड. की उपाधि के लिए उन्ही अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाय जो बी.एड परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद कुछ वर्ष शिक्षण कार्य कर चुके हो।
7. ट्रेनिंग कॉलेजों के पाठ्यक्रम का पुनसंगठन किया जाना चाहिये तथा क्रियात्मक शिक्षा को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए।

11.5.2 इंजीनियरी एवं तकनीकी शिक्षा (Engineering and Technical Education)

इन तथ्यों के सम्बन्ध में कमीशन ने इन तथ्यों को प्रस्तुत किया है।

1. आधुनिक इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की संस्थाओं को देश की राष्ट्रीय सम्पत्ति मानकर उसकी उपयोगिता में वृद्धि करने की ओर ध्यान दिया जाय।
2. इंजीनियरिंग और तकनीकी कालिज प्रशासन के नियन्त्रण में हो।
3. क्रियात्मक तथा प्रयोगात्मक शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए।
4. इंजीनियरिंग कालेजों को शासन के अधिन न रखकर विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध कर देना चाहिए।
5. व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा में स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा और अनुसन्धान की व्यवस्था की जाए।

11.5.3 विधि शिक्षा (Education of law)-

विधि शिक्षा के सम्बन्ध में आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिये।

1. विधि शिक्षा में एकरूपता हो और सभी महाविद्यालयों का पूर्ण रूप से पुर्नगठन किया जाय।
2. सम्पूर्ण देश में उच्च श्रेणी के विधि- महाविद्यालयों स्थापित होने चाहिए।
3. विधि विभागों के अध्यापको नियुक्ति भी अन्य विभागों के अध्यापको की भाँति विश्वविद्यालय द्वारा की जाए।
4. विधि का स्नातक पाठ्यक्रम तीन वर्ष का हो इसके अतिम वर्ष में व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाए।
5. विधि के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में विधि की उच्च शिक्षा के अतिरिक्त छात्रों की रुचि के अनुसार सविधान, अन्तर्राष्ट्रीय प्रशासन विधिशास्त्र तथा हिन्दू और मुस्लिम लॉ की शिक्षा प्रदान की जाए।

11.5.4 स्त्री शिक्षा (Women Education)-

नारी शिक्षा का महत्व प्रति पादित करते हुए आयोग ने अग्रांकित तथ्य व्यक्त किये।

1. यद्यपि अनेक बातों में स्त्री और पुरुष समान ही होते हैं परन्तु दोनों का कार्य क्षेत्र भिन्न होता है अतः शिक्षा स्त्रीयों के अनुरूप हो और उन्हें ऐसे शिक्षा दी जाये जिसके किंवद सभाता सुगृहणी बन सके।
2. महिलाओं को अधिक से अधिक शिक्षा सम्बन्धि सुविधा दी जायें
3. गृह अर्थशास्त्र (Home Economic) और गृह प्रबन्ध (Home management) की शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्त्रीयों को अधिककाधिक प्रेरित व प्रोत्साहित किया जाए।

4. महिला अध्यापकों को समान कार्य के लिए उतना ही वेतन मिलना चाहिए जितना की पुरुष अध्यापकों को मिलता है।
5. जिन विद्यालय में सह शिक्षा प्रचलित है वहां महिलाओं को जीवन की सामान्य सुविधाएं व शिष्टाचार आदि पर विशेष बल दिया जाये।

11.5.5 विश्वविद्यालय शिक्षा का संगठन और ढाँचा (Higher Rural Education & Rural University)

ग्रामीण शिक्षा के सम्बन्ध में आयोग ने निम्न सुझाव दिये हैं।

1. केन्द्र में अखिल ग्रामीण शिक्षा परिषद (All India Rural Education Council) व प्रत्येक प्रान्त ने ग्रामीण शिक्षा परिषद (Rural Education Council) की स्थापना की जानी चाहिए। ये परिषदे ग्रामीण शिक्षा से सम्बन्धि नीतियों का निर्माण व व्यवस्था करेगी।
2. ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में करने के साथ इनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों की स्थापना की जाये।
3. ग्रामीण विश्वविद्यालयों में अधिकतम 300 छात्र व सभी सम्बद्ध महाविद्यालयों में अधिकतम 2500 छात्र होने चाहिए। जिन्हें ग्रामीण क्षेत्रों की समस्या से अवगत करते हुए समस्याओं के समाधान हेतु शिक्षा दी जानी चाहिए। इनको ग्रामीण प्रशासन, ग्रामीण समाजशास्त्र, समाजिक इंजीनियरिंग, ग्रामीण चिकित्सा, ग्रामीण व्यवसाय आदि विषय पाठ्यक्रम में सामिल किये जाये।
4. ग्रामीण विश्वविद्यालय व ग्रामीण महाविद्यालयों में ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बन्धित उच्च कोटी के शोध कार्य करने वाले शिक्षकों को वरियता दी जाये।
5. केन्द्र व प्रान्त दोनों मिलकर शिक्षा का व्यय उठाए।

अपनी उन्नति जानिए *Check Your Progress*

- प्रश्न 1 देश के विभाजन के पश्चात भारत में कितने विश्वविधालाय थे?
- प्रश्न 2 विश्वविधालाय शिक्षा आयोग की स्थापना कब हुई?
- प्रश्न 3 विश्वविधालाय शिक्षा आयोग ने शिक्षा को किस सूची में रखा था?
- प्रश्न 4 विश्वविधालाय शिक्षा आयोग ने शोध कार्यो के कितना समय बताया था?
- प्रश्न 5 विश्वविधालाय शिक्षा आयोग ने ग्रामीण विश्वविधालायो में कितने छात्र होने चाहिए?
- प्रश्न 6 विश्वविधालाय शिक्षा आयोग ने चिकित्सा महाविधालाय मे छात्रों कि संख्या होनी चाहिए?

11.6 सारांश (Summary) –

हमारा देश सन् 1947 को आजाद हुआ डा0 राधाकृष्णन कमिशन स्वतन्त्र देश का प्रथम कमिशन था जिसमें भारतीयों के प्रत्येक स्तर पर स्वतन्त्रता पूर्वक विचार करते हुए शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण, विधि शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा आदि विषयों के सम्बन्ध में अपने सुझाव दिये हैं जिससे भारतीयों का चर्तुमुखी विकास हुआ है।

11.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर Answer of practice question.

उत्तर 1 (19)	उत्तर 2 (4नवम्बर 1948)	उत्तर 3 (समवर्ती)
उत्तर 4 (दो वर्षों से अधिक)	उत्तर 5 छात्र (300छात्र)	उत्तर 6 (100 छात्र)

11.8 शब्दावली Glossary

उपकुलपति (Vice-Chancellor) - उपकुलपति का पद पूर्ण कालीन होगा और उसे वेतन दिया जायेगा।

उपकुलपति की नियुक्ति कार्यकारिणी की सिफरिश पर कुलपति करेगा।

सीनेट (Senate) - एकात्मक और संघात्मक विश्वविद्यालयों की सीनेट में 100 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। सदस्यों के कुल संख्या के आधे सदस्य विश्वविद्यालय से बाहर के व्यक्ति होंगे। शिक्षण और सम्बद्ध विश्वविद्यालयों (Teaching & Affiliating Universities) की सीनेट में 120 से अधिक शिक्षक, 40 सम्बद्ध कालेजों के शिक्षक और 40 बाह्य सदस्य हो।

कार्य-कारिणी परिषद (Executive Council) - एकात्मक और संघात्मक विश्वविद्यालयों की कार्यकारिणी परिषद में अधिक से अधिक 20 और शिक्षण तथा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों की परिषद में अधिक से अधिक 25 सदस्य होंगे।

11.9 सन्दर्भ Reference

- लाल (डॉ) रमन बिहारी, भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएं, राज प्रिंटर्स, मेरठा
 जे. (डॉ) एस. वालिया (2009) भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास, अहमपाल पब्लिशर्स, मेरठा
 शुक्ला (डॉ) सी. एस. (2008) उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक, इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस, मेरठा
 शर्मा, रामनाथ व शर्मा, राजेन्द्र कुमार (2006) शैक्षिक समाजशास्त्र, एटलांटिक पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स
 शीलू मैरी (डॉ) (2008) शिक्षक के सामाजिक एवं दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, रजत प्रकाशन नई दिल्ली।

11.10 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न Long Answer Types Question

प्रश्न 1 विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्र का वर्णन किजीय?

प्रश्न 2 राधाकृष्णन कमीशन की प्रमुख सिफारिशों का विस्तार से वर्णन किजीय?

प्रश्न 3 राधाकृष्णन कमीशन ने उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में क्या सुझाव दिया है उनका विस्तार से वर्णन किजीय?

प्रश्न 4 राधाकृष्णन कमीशन ने विश्वविद्यालय शिक्षा का संगठन और ढाँचा किस प्रकार का वर्णन किया?

प्रश्न 5 विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग विधि शिक्षा व कृषि शिक्षा के सम्बन्ध में क्या सुझाव दिये हैं?

इकाई 12 माध्यमिक शिक्षा आयोग (मुदालियर कमीशन) 1952-53 Secondary

Education commission 1952-53

- 12.1 प्रस्तावना Introduction
- 12.2 उद्देश्य Objectives
- 12.3. आयोग के सदस्य (Members of the Commission)
 - 12.3.1 आयोग की नियुक्ति के उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र Objectives and Areas of Commission
 - 12.3.2 आयोग का प्रतिवेदन Reports of Commission
 - 12.3.3 माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार माध्यमिक शिक्षा में दोष
- 12.4 माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन एवं वित्त सम्बन्धी सुझाव Suggestion's for Administration and Finance of Secondary Education
 - 12.4.1 माध्यमिक शिक्षा के संगठन सम्बन्धी सुझाव Suggestion for Organisation of Secondary Education
 - 12.4.2 पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धान्त (Principles of Curriculum Construction)
 - 12.4.3 माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या सम्बन्धी सुझाव Suggestion's for Curriculum of Secondary Education
 - 12.4.4 शिक्षण विधियों सम्बन्धी सिफारिशें अथवा सुझाव (Recommendations or Suggestions on Methods of Teaching)-
 - 12.4.5 माध्यमिक शिक्षकों के सम्बन्ध में सुझाव Suggestion's for Secondary Teachers
- 12.5 माध्यमिक स्तर की व्यावसायिक शिक्षा सम्बन्धी सुझाव Suggestion's for Vocational Education Secondary Education
 - 12.5.1 स्त्री शिक्षा के सम्बन्ध में सुझाव Suggestion's for womens Education
 - 12.5.2 माध्यमिक शिक्षा आयोग का मूल्यांकन एवं गुण-दोष विवेचन Evaluation and Merits & Demerits of Secondary Education Commission
- अपनी उन्नति जानिये Check Your Progress
- 12.7 शब्दावली Glossary
- 12.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर Answer of Practice Question
- 12.9 सन्दर्भ पुस्तके Reference Book
- 12.10 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न Long Answer Type Questions

12.1 प्रस्तावना Introduction

सन् 1948 में भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा करने और उसका स्तर ऊँचा उठाने के लिए सुझाव देने हेतु ताराचन्द समिति (Tarachand Committee) का गठन किया था। इस समिति ने भी अपनी रिपोर्ट 1949 में प्रस्तुत की थी। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने इन सुझावों का अध्ययन किया। उसकी सम्मति में ये सुझाव अधूरे और अस्पष्ट थे। अतः उसने 1951 में केन्द्रीय सरकार के सामने माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति का प्रस्ताव रखा। सरकार ने 23 सितम्बर, 1952 को मद्रास विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति डॉ० लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया। इस आयोग को अध्यक्ष के नाम मुदालियर आयोग (Mudaliar commission) भी कहते हैं।

12.2 उद्देश्य Objectives

- i. आयोग की नियुक्ति के उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र के बारे में जान सकेगे
- ii. माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार माध्यमिक शिक्षा में तत्कालीन दोषों को जान सकेगे।
- iii. माध्यमिक शिक्षा के संगठन, प्रशासन एवं वित्त सम्बन्धी सुझाव को समझ सकेगे।
- iv. माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धान्त को समझ सकेगे।
- v. माध्यमिक शिक्षकों व शिक्षण विधियों के सम्बन्ध में सिफारिशें अथवा सुझावों को समझ सकेगे।
- vi. माध्यमिक स्तर की व्यावसायिक शिक्षा व स्त्री शिक्षा के सम्बन्ध में सुझावों को समझ सकेगे।

12.3. आयोग के सदस्य (Members of the Commission)

1. डॉ० लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, मद्रास विश्वविद्यालय के उप-कुलपति, आयोग के अध्यक्ष।
2. डॉ० ए० एन० बसु, प्रधानाध्यापक केन्द्रीय शिक्षा संस्थान दिल्ली, आयोग के सचिव।
3. डॉ० चारी, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय में एक अधिकारी, आयोग के सहायक सचिव के रूप में भी इन्होंने काम किया।
4. श्रीमती हंसा मेहता, उप-कुलपति, बड़ौदा विश्वविद्यालय।
5. प्रो० जॉन क्रिस्टी, प्रधानाध्यापक, जेसुइट महाविद्यालय, ऑक्सफोर्ड।
6. डॉ० केनेथ रास्ट-विलियम्स, सहायक निदेशक, दक्षिणी प्रादेशिक शिक्षा बोर्ड, एटलान्टा- अमरीका।
7. श्री के० जी० सैय्यदेन,
8. श्री एम० टी० व्यास

9. श्री जे0 ए0 तारापोरवाला।

12.3.1 आयोग की नियुक्ति के उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र Objectives and Areas of Commission

इस आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य भारत की तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन कर उसके सम्बन्ध में सुझाव देना।

इस उद्देश्य की दृष्टि से आयोग का कार्यक्षेत्र अति विस्तृत हो गया-

- (1) भारत के सभी प्रान्तों की माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन एवं संगठन का अध्ययन करना और उनमें सुधार हेतु सुझाव देना।
- (2) भारत के सभी प्रान्तों की माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम और शिक्षण स्तर का अध्ययन करना और उनमें सुधार हेतु सुझाव देना।
- (3) भारत के सभी प्रान्तों में माध्यमिक स्तर पर छात्र अनुशासन की समीक्षा करना और उसमें सुधार के लिए सुझाव देना।
- (4) भारत के सभी प्रान्तों में माध्यमिक शिक्षकों के वेतनमान और सेवाशर्तों आदि का अध्ययन करना और उनमें सुधार के लिए सुझाव देना।
- (5) भारत के सभी प्रान्तों के माध्यमिक विद्यालयों की स्थिति का अध्ययन करना और उनमें सुधार के लिए सुझाव देना।
- (6) भारत के सभी प्रान्तों में माध्यमिक स्तर की परीक्षा प्रणालियों का अध्ययन करना और उनमें सुधार के लिए सुझाव देना।
- (7) भारत के सभी प्रान्तों में माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करना और उन्हें दूर करने के उपाय खोजना।

12.3.2 आयोग का प्रतिवेदन Reports of Commission

आयोग ने भारत के विभिन्न प्रान्तों की तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा का अध्ययन करने और उसमें सुधार के लिए सुझाव देने के लिए दो अध्ययन प्रणालियों को अपनाया- एक प्रश्नावली और दूसरी साक्षात्कार। उसने माध्यमिक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित एक विस्तृत प्रश्नावली (Questionnaire) तैयार की और उसकी प्रतियों को देश के विभिन्न भागों के कुछ माध्यमिक शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों और कुछ उच्च शिक्षा शिक्षकों एवं शिक्षाविदों के पास भेजा। उसने प्राप्त प्रश्नावलियों के मतों और सुझावों का सांख्यिकीय विवरण तैयार किया। दूसरी विधि में उसने सम्पूर्ण देश का भ्रमण किया कुछ माध्यमिक स्कूलों का निरीक्षण किया, उनके शिक्षकों और

प्रधानाचार्यों से भेंट की और जहाँ सम्भव हुआ कुछ शिक्षाविदों से भेंट की, उनके विचारों को जाना, और इस सबको लेखबद्ध किया। इसके बाद इन दोनों अध्ययनों के आधार पर विचार-विमर्श किया और अन्त में अपनी रिपोर्ट तैयार कर उसे 29 अगस्त, 1953 को भारत सरकार को प्रेषित कर दिया। यह प्रतिवेदन 250 पृष्ठों का एक बड़ा दस्तावेज है जिसमें माध्यमिक शिक्षा के समस्त पहलुओं पर 15 प्रकरणों के अन्तर्गत प्रकाश डाला गया है।

12.3.3 माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार माध्यमिक शिक्षा में दोष (Defects in Secondary Education according to Secondary Education Commission Report)

सैकण्डरी शिक्षा आयोग ने वर्तमान सैकण्डरी शिक्षा प्रणाली में निम्नलिखित दोषों का उल्लेख किया है-

1. संकीर्ण एवं एक पक्षीय (**Narrow and one-sided**)- कई शताब्दियों (Decades) तक यह शिक्षा-प्रणाली विद्यार्थियों को कुछ विषयों का ही शिक्षण प्रदान करती रही और उन्हें लिखने और पढ़ने का कौशल ही प्रदान करती रही है। परन्तु विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के क्रियात्मक पक्ष, व्यावहारिक दृष्टिकोण, भावनाओं, उनकी रुचियों आदि-की अवहेलना करती रही है। अभी कुछ समय पहले खेलों, शिल्पों तथा विभिन्न प्रकार की सामाजिक क्रियाओं को स्कूल-कार्यक्रमों में स्थान अवश्य दिया गया है, परन्तु अभी इन्हें पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग नहीं बनाया गया। सम्पूर्ण रूप से आज भी हमारी शिक्षा-प्रणाली विद्यार्थी के व्यक्तित्व के एक अंश को ही प्रभावित करती है।
2. जीवन से अलग (**Isolated from life**)- हमारे स्कूलों में दी जा रही शिक्षा जीवन से अलग-थलग है। इससे विद्यार्थियों को अपने दैनिक जीवन में अन्तर्दृष्टि प्राप्त नहीं होती। जब वे स्कूल छोड़ते हैं तो अपने आप को कु-आयोजित अनुभव करते हैं और समाज में विश्वास पूर्ण स्थान प्राप्त करने की क्षमता नहीं रखते। जब तक स्वयं स्कूल को एक समूह के रूप में गठित नहीं किया जाता और बाह्य-सामूहिक जीवन के साथ उसका सम्पर्क स्थापित नहीं किया जाता तब तक स्थिति नहीं सुधर सकती।
3. अंग्रेजी-शिक्षा माध्यम (**Narrow and one-sided**)- अभी कुछ समय पहले अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम भी थी और अनिवार्य विषय भी। उन विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई में अत्यधिक बाधा महसूस होती थी जिनमें अंग्रेजी भाषा की विशेष योग्यता नहीं होती थी।
4. कक्षाओं में विद्यार्थियों की भीड़ (**Over-crowded classes**)- कक्षाओं में अत्यधिक भीड़ के कारण अध्यापक और विद्यार्थियों का परस्पर सम्बन्ध कम हो जाता है। इससे चरित्र प्रशिक्षण और उचित अनुशासन को बहुत हानि पहुँची है। अध्यापकों की औसत कुशलता का हास हुआ है, उनकी कुशलता के विकास में ठोस कदम नहीं उठाए जाते, उन्हें सन्तुष्ट नहीं किया जाता, उन्हें अपनी उपयोगिता अनुभव नहीं कराई जाती तब तक वे अपने कार्य में पूर्ण रूचि नहीं ले सकते।

5. दोषपूर्ण-शिक्षण-विधियाँ (**Defective methods of teaching**)- स्कूलों में सामान्य रूप से अपनाई जाने वाली शिक्षण-विधियाँ न तो विद्यार्थियों में स्वतन्त्र-चिन्तन विकसित करती हैं और न ही उन्हें अपने आप काम करने के लिए उत्साहित करती हैं। यह आम शिकायत है कि विद्यार्थियों को यान्त्रिक रूप से सूचनाएं प्रदान की जाती हैं जिन्हें विद्यार्थी प्रसन्नतापूर्वक याद करने को तैयार नहीं होते।

6. दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली (**Defective system of examination**)- परीक्षाओं के निर्जीव बोझ के कारण अध्यापक स्वतन्त्रतापूर्वक कुछ भी नहीं कर सकते, पाठ्यक्रम निर्जीव एवं घिसा-पिटा चला आ रहा है, शिक्षण-विधियाँ यान्त्रिक और निर्जीव है और प्रयोगात्मकता की भावना को हतोत्साहित किया जाता है तथा गलत एवं महत्वहीन वस्तुओं पर अत्यधिक बल दिया जाता है।

12.4 माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन एवं वित्त सम्बन्धी सुझाव Suggestion's for Administration and Finance of Secondary Education

आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन एवं वित्त के सम्बन्ध में जो सुझाव दिए उन्हें चार उपशीर्षकों में विभाजित किया जा सकता है-

A. प्रशासनिक ढाँचा- प्रशासनिक ढाँचे के सम्बन्ध में आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए-

(1) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की तरह प्रत्येक प्रान्त में प्रान्तीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (Provincial Advisory Board of Education) की स्थापना की जाए जो समय-समय पर प्रान्तीय शिक्षा की व्यवस्था के सम्बन्ध में अपने सुझाव दे।

(2) जिन प्रान्तों में अभी तक माध्यमिक शिक्षा बोर्डों (Board of Secondary Education) का गठन नहीं किया गया है उनमें इनका गठन किया जाए। प्रान्त का शिक्षा निदेशक इसका पदेन अध्यक्ष होगा। यह बोर्ड माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम बनाने, माध्यमिक स्कूलों को मान्यता देने, उनका निरीक्षण कराने, माध्यमिक शिक्षा के अन्तिम वर्ष में परीक्षा लेने और उत्तीर्ण छात्रों को प्रमाणपत्र देने का कार्य करेगा।

(3) शिक्षा निदेशक का कार्य शिक्षा मन्त्री को शिक्षा के सम्बन्ध में सलाह देना है इसलिए इसका पद कम से कम ज्वाइंट सैक्रेटरी के समकक्ष होना चाहिए।

(4) व्यक्तिगत विद्यालयों का प्रबन्ध कम्पनीज अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत प्रबन्ध समितियों द्वारा ही हो। ये समितियाँ शिक्षकों की नियुक्ति में सरकार द्वारा बनाए नियमों का पालन करेंगी और विद्यालयों के आन्तरिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगी।

(5) तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था के लिए प्रत्येक प्रान्त में तकनीकी शिक्षा बोर्ड (Board of Technical Education) स्थापित किया जाए जो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (All India Council for Technical Education) के निर्देशन में कार्य करे।

B. वित्त व्यवस्था- माध्यमिक शिक्षा की वित्त व्यवस्था के सम्बन्ध में आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए-

(1) माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रान्तीय सरकारों पर है फिर भी केन्द्रीय सरकार को उसके विकास एवं उन्नयन के लिए प्रान्तीय सरकारों को आर्थिक सहायता देनी चाहिए।

(2) माध्यमिक स्कूलों को दिए जाने वाला दान आयकर से मुक्त होना चाहिए।

(3) सरकार माध्यमिक स्कूलों के लिए भूमि की व्यवस्था यथा सम्भव निःशुल्क करे।

(4) माध्यमिक स्तर पर तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था के लिए उद्योगों पर कर लगाया जाए।

C. विद्यालयों का निरीक्षण- आयोग ने सरकारी और मान्यता प्राप्त व्यक्तिगत माध्यमिक स्कूलों के नियमित निरीक्षण पर बहुत जोर दिया और इस सम्बन्ध में चार सुझाव दिए-

(1) विद्यालयों के निरीक्षण हेतु पर्याप्त मात्रा में निरीक्षक नियुक्त किए जाएँ।

(2) निरीक्षण मण्डल में विद्यालय निरीक्षकों के अतिरिक्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य और शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के अनुभवी प्राध्यापक रखे जाएँ।

(3) प्रत्येक विद्यालय का एक निश्चित समय के अन्तर से निरीक्षण कराया जाए।

(4) निरीक्षण मण्डल विद्यालयों के गुण-दोषों को उजागर करे और उनमें पाई गई कमियों को दूर करने के लिए सुझाव दे।

12.4.1 माध्यमिक शिक्षा के संगठन सम्बन्धी सुझाव Suggestion for Organisation of Secondary Education

(1) माध्यमिक शिक्षा प्राथमिक (जूनियर बेसिक) शिक्षा के बाद शुरू हो।

(2) यह शिक्षा 11 से 17 आयुवर्ग के बच्चों के लिए हो और इसकी अवधि 7 वर्ष हो।

(3) यह दो भागों में विभाजित हो- 3 वर्षीय माध्यमिक (सीनियर बेसिक) और 4 वर्षीय उच्च माध्यमिक।

(4) वर्तमान इण्टरमीडिएट कक्षा को समाप्त कर उसकी 11वीं कक्षा को माध्यमिक शिक्षा में और 12वीं कक्षा को डिग्री कोर्स में जोड़ दिया जाए। इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा कक्षा 11 तक की होगी और डिग्री कोर्स 3 वर्ष का होगा।

(5) विश्वविद्यालयों के जिन पाठ्यक्रमों (कृषि, इंजीनियरिंग और मेडिकल आदि) में न्यूनतम प्रवेश योग्यता इण्टरमीडिएट है उनमें प्रवेश के लिए उच्चतर माध्यमिक के बाद एक वर्ष का पूर्व व्यावहारिक पाठ्यक्रम शुरू किया जाए।

(8) ग्रामीण क्षेत्रों के माध्यमिक स्कूलों में कृषि शिक्षा की विशेष व्यवस्था की जाए। इनमें कृषि के साथ-साथ बागवानी, पशुपालन और कुटीर उद्योगधन्धों की शिक्षा का भी प्रबन्ध किया जाए। कृषि के वैज्ञानिक पक्ष पर विशेष बल दिया जाए।

(9) बड़े शहरों में पॉलिटैक्निक कॉलेज (Polytechnic Colleges) खोले जाएँ जो आस-पास के उद्योगों को कुशल कर्मकारों की पूर्ति करें।

(10) आवासीय माध्यमिक विद्यालयों को बड़ी संख्या में खोला जाए, विशेषकर उन क्षेत्रों के बच्चों के लिए जिन क्षेत्रों में माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं है।

(11) विकलांग बच्चों के लिए विशिष्ट विद्यालय खोले जाएँ।

(12) बालिकाओं के लिए अलग से बालिका विद्यालय खोले जाएँ और जिन क्षेत्रों में ऐसा करना सम्भव न हो उन क्षेत्रों के सामान्य माध्यमिक विद्यालयों में सहशिक्षा की व्यवस्था की जाए।

12.4.2 पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धान्त (Principles of Curriculum Construction)

सैकण्डरी शिक्षा आयोग ने पाठ्यक्रम निर्माण के निम्नलिखित नियमों की चर्चा की है-

1. समूह-केन्द्रीयता का सिद्धान्त (**Principle of community-centredness**)- पाठ्यक्रम सशक्त रूप से सामूहिक जीवन के साथ सम्बन्धित होना चाहिए। इसमें समाज के महत्वपूर्ण तत्त्वों की व्याख्या होनी चाहिए और विद्यार्थियों को इसकी महत्वपूर्ण क्रियाओं के सम्पर्क में ले आना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि पाठ्यक्रम में उत्पादक कार्य को महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए। इसके अतिरिक्त पूर्ण स्कूल प्रणाली के लिए शिक्षा विभाग द्वारा बनाये गये सामान्य पाठ्यक्रम में इतनी योग्यता होनी चाहिए कि उसे स्थानीय आवश्यकताओं और स्थितियों के अनुसार ढाला जा सके।

2. विविधता एवं लचीलेपन का सिद्धान्त (**Principle of variety and elasticity**)- व्यक्तिगत विभिन्नताओं तथा व्यक्तिगत आवश्यकताओं एवं रुचियों के अनुकूल पाठ्यक्रम में विविधता एवं लचीलापन होना चाहिए। विद्यार्थियों के ज्ञान एवं कौशल के व्यापक क्षेत्रों के साथ सम्पर्क स्थापित होना चाहिए। विषयों का क्षेत्र न्यूनतम

रखा जाना चाहिए और वह विद्यार्थियों की शक्तियों एवं योग्यता से परे न हो। दूसरे शब्दों में, हम यों कह सकते हैं कि सभी विद्यार्थियों के लिए उपलब्धि का एक ही स्तर स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए।

3. अनुभव की पूर्णता का सिद्धान्त (**Principle of totality of experience**)- पाठ्यक्रम केवल परमपराओं से पढ़ाये जाने वाले शैक्षणिक विषयों तक ही सीमित नहीं होता बल्कि इसमें वे सभी अनुभव सम्मिलित होते हैं जिसे बच्चा स्कूल की बहुमुखी क्रियाओं (स्कूल में, कक्षा में, पुस्तकालय में, प्रयोगशाला में, खेल के मैदान में, अध्यापक एवं विद्यार्थियों के अनौपचारिक सम्बन्धों द्वारा) में प्राप्त करता है। इस दृष्टिकोण से पाठ्यक्रम को जीवन के प्रत्येक पक्ष को स्पर्श करना चाहिए और विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के सन्तुलित विकास में सहायता देनी चाहिए।

4. समवाय का सिद्धान्त (**Principle of correlation**)- पाठ्यक्रम में निश्चित किए गए विषय परस्पर अन्तर्सम्बन्धित होने चाहिए। उनकी पाठ्य-सामग्री व्यापक इकाइयों के साथ सम्बन्धित होनी चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि पाठ्यक्रम को अलग-अलग, असम्बन्धित और संकीर्ण विषयों में विभाजित नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम जीवन के साथ भी सम्बन्धित होना चाहिए।

5. अवकाश का सिद्धान्त (**Principle of leisure**)- पाठ्यक्रम की रचना इस प्रकार की जानी चाहिए जिससे विद्यार्थियों को केवल काम के लिए ही नहीं बल्कि अवकाश के लिए भी प्रशिक्षण मिले। सामाजिक, सौन्दर्यात्मक और खेल सम्बन्धी विविध क्रियाओं को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए। इससे विद्यार्थी के लिए केवल स्कूल का जीवन ही आनन्दपूर्ण और सार्थक नहीं बनेगा बल्कि उसमें अवकाश के समय के लिए विभिन्न रुचियों का निर्माण भी होगा।

12.4.3 माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या सम्बन्धी सुझाव Suggestion's for Curriculum of Secondary Education

1. निम्न माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या:- आयोग ने सुझाव दिया कि सीनियर बेसिक पाठ्यचर्या और माध्यमिक स्कूलों की निम्न माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या में समानता होनी चाहिए और यह पूरे देश के लिए समान होनी चाहिए। उसने इस स्तर की पाठ्यचर्या में निम्नलिखित विषयों को रखने का सुझाव दिया-

(i) मातृभाषा (ii) राष्ट्रभाषा हिन्दी (जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं है) अथवा कोई अन्य संघीय भाषा (जिनकी मातृभाषा हिन्दी है) (iii) अंग्रेजी (iv) सामाजिक विज्ञान (v) सामान्य विज्ञान (vi) गणित (vii) कला तथा संगीत (viii) हस्तशिल्प और (ix) शारीरिक शिक्षा।

2. उच्च माध्यमिक स्तर की पाठ्यचर्या:- आयोग ने उच्च माध्यमिक शिक्षा को 7 वर्गों में विभाजित किया और सातों वर्गों के लिए अलग-अलग पाठ्यचर्या निश्चित की। इनमें कुछ विषयों एवं क्रियाओं को सभी वर्गों में समान एवं अनिवार्य रूप से रखा और कुछ को अलग-अलग एवं ऐच्छिक रूप से रखा।

सभी वर्गों के लिए अनिवार्य विषय निम्नलिखित रखे गए-

(i) मातृभाषा (ii) हिन्दी (अहिन्दी भाषा-भाषियों के लिए) अथवा प्रारम्भिक अंग्रेजी (उनके लिए जिन्होंने निम्न माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी नहीं पढ़ी है) अथवा उच्च अंग्रेजी अथवा कोई अन्य आधुनिक संघीय भाषा अथवा अंग्रेजी के अतिरिक्त कोई अन्य विदेशी भाषा अथवा कोई शास्त्रीय भाषा (iii) समाज विज्ञान (केवल प्रथम दो वर्ष हेतु) (iv) गणित तथा सामान्य विज्ञान (केवल प्रथम दो वर्ष हेतु) और (v) कोष्ठक में दिए गए शिल्पों में से कोई एक शिल्प (कताई-बुनाई, काष्ठकला, धातु का काम, बागवानी, सिलाई-कढ़ाई, मुद्रण, मॉडल बनाने का काम और दस्तकारी)।

12.4.4 शिक्षण विधियों सम्बन्धी सिफारिशें अथवा सुझाव (Recommendations or Suggestions on Methods of Teaching)

आयोग के अनुसार शिक्षण विधियां वैज्ञानिक एवं प्रगतिशील होनी चाहिए। आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिये हैं-

1. ज्ञान के व्यावहारिक प्रयोग के अवसर (**Opportunities for practical application of knowledge**)- शिक्षण विधियों द्वारा विद्यार्थियों को विभिन्न समस्याओं के समाधान में प्राप्त ज्ञान का व्यावहारिक प्रयोग करने की योग्यता प्रदान करनी चाहिए। अतः विभिन्न प्रकार के अनुभव कार्य को स्कूल-विषयों का अभिन्न अंग बनाना चाहिए।
2. व्यक्ति-केन्द्रित विधियां (**Individual-centred methods**)- शिक्षण विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार आयोजित करना चाहिए ताकि मन्द-बुद्धि, औसत तथा प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी-अपनी गति के अनुसार शिक्षा प्राप्त कर सकें। इसका अर्थ है कि शिक्षण विधियां बौद्धिक स्तर के अनुकूल आयोजित की जानी चाहिए। अतः विद्यार्थियों में स्वतन्त्रतापूर्वक काम करने की आदत का निर्माण करने के लिये आयोग ने व्यक्ति-केन्द्रित शिक्षण का सुझाव दिया है।
3. वांछित मूल्यों एवं दृष्टिकोणों का निर्माण करना (**Inculcating desirable values and attitudes**) - स्कूल में अपनाई जाने वाली शिक्षण-विधियों का उद्देश्य केवल कुशलतापूर्वक सूचना प्रदान करना ही नहीं होना चाहिए बल्कि इनके द्वारा विद्यार्थियों में उचित दृष्टिकोण तथा उपयुक्त मूल्यों का भी निर्माण होना चाहिए।
4. स्पष्ट चिन्तन तथा स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिये अवसर (**Opportunities for clear thinking and clear expression**)- शिक्षण विधियों द्वारा विद्यार्थियों को स्पष्ट चिन्तन तथा लेखन एवं भाषण द्वारा स्पष्ट अभिव्यक्ति के पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने चाहिए। केवल तभी विद्यार्थियों को विकासशील लोकतन्त्र का उत्तरदायित्वपूर्ण नागरिक बनाया जा सकता है।

5. पाठ्य-सहायक क्रियाओं को शिक्षा का अंग बनाना (**Co-curricular activities as part of education**)- पाठ्य-सहायक क्रियाओं को शिक्षा का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। स्काउटिंग, एन0 सी0सी0, प्रथम सहायता (**First Aid**) आदि क्रियाओं के प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करना चाहिए।

6. उद्देश्यपूर्ण एवं वास्तविक स्थिति पर बल (**Emphasis on purposeful and realistic situation**)- शिक्षण-विधियों में मौखिक बातों तथा रटन्त-प्रवृत्ति पर जोर देने की बजाय उद्देश्यपूर्ण एवं वास्तविक स्थिति पर बल दिया जाना चाहिए। इसके लिए क्रिया-विधि ' (**Activity Method**) तथा प्रोजेक्ट विधि (**Project Method**) का प्रयोग करना उपयोगी होगा।

12.4.5 माध्यमिक शिक्षकों के सम्बन्ध में सुझाव Suggestion's for Secondary Teachers

आयोग ने माध्यमिक शिक्षकों के सम्बन्ध में जो सुझाव दिए हैं उन्हें हम तीन वर्गों में विभाजित कर सकते हैं- प्रशिक्षण सम्बन्धी सुझाव, नियुक्ति सम्बन्धी सुझाव और वेतनमान एवं सेवाशर्तों सम्बन्धी सुझाव।

A. शिक्षक प्रशिक्षण सम्बन्धी सुझाव- माध्यमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए-

(1) निम्न माध्यमिक शिक्षकों के लिए शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय राज्य के शिक्षा विभाग से सम्बद्ध होने चाहिए और इनमें प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता हायर सैकैण्डरी होनी चाहिए। ये विद्यालय शिक्षक और शिक्षिकाओं के लिए अलग-अलग होने चाहिए और इनका प्रशिक्षण काल 2 वर्ष का होना चाहिए।

(2) माध्यमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण महाविद्यालय विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध होने चाहिए। इनमें प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता स्नातक होनी चाहिए और इनका प्रशिक्षण काल अभी तो एक वर्ष रखा जाए परन्तु आगे चलकर इसे भी दो वर्ष कर दिया जाए।

(3) शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों और महाविद्यालयों में प्रशिक्षणार्थियों से किसी प्रकार का शुल्क न लिया जाए और उन्हें राज्य सरकार की ओर से छात्रवृत्तियाँ दी जाएँ। और जो शिक्षक किसी विद्यालय में कार्यरत हों उन्हें प्रशिक्षण हेतु पूर्ण वेतन पर अवकाश दिया जाए।

(4) शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों और महाविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में सिद्धान्त और प्रायोगिक प्रशिक्षण को बराबर का महत्त्व दिया जाए।

(5) शिक्षकों को दो पाठ्य विषयों के शिक्षण और कम से कम दो सहपाठ्यचारी क्रियाओं के आयोजन में प्रशिक्षित किया जाए।

(6) शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों और महाविद्यालयों में प्रायोगिक प्रशिक्षण और शोध कार्य हेतु डिमोन्स्ट्रेशन स्कूल संलग्न हों।

(7) प्रशिक्षित शिक्षकों की पूर्ति के लिए अंशकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी चलाए जाएँ।

(8) शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों और महाविद्यालयों में समय-समय पर अभिनव पाठ्यक्रम Refresher courses की व्यवस्था भी की जाए।

B. शिक्षकों की नियुक्ति सम्बन्धी सुझाव-

शिक्षकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए-

- (i) शिक्षकों के चयन सम्बन्धी सामान्य नियम बनाए जाएँ।
- (ii) प्रत्येक गैरसरकारी स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु चयन समिति का गठन किया जाए जिसमें विद्यालय का प्राधानाचार्य पदेन सदस्य हो।
- (iii) प्रथम नियुक्त शिक्षकों का परीक्षण काल (Probation Period) साधारणतः एक वर्ष हो जो एक वर्ष और बढ़ाया जा सकता है।

C. शिक्षकों के वेतनमान एवं सेवाशर्तों सम्बन्धी सुझाव-

आयोग ने शिक्षकों की दशा सुधारने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए-

- i. शिक्षकों के वेतनमान निश्चित करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया जाए जो समय-समय पर महंगाई को ध्यान में रखकर विभिन्न स्तर के शिक्षकों के वेतनमान निश्चित करे।
- ii. समान योग्यता और समान कार्य करने वाले शिक्षकों के वेतनमान समान हों, चाहे वे किसी भी प्रकार के विद्यालय में कार्यरत हों।
- iii. प्रत्येक प्रान्त में शिक्षकों को प्रोविडेंट फण्ड, बीमा और पेंशन की सुविधाएँ प्रदान की जाएँ।
- iv. शिक्षकों को पूर्णकालीन प्रशिक्षण, रिक्रेशर कोर्स और शैक्षिक संगोष्ठियों में भाग लेने के लिए पूर्ण वेतन पर अवकाश दिया जाए।
- v. शिक्षकों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दी जाए।
- vi. शिक्षकों की कठिनाइयों का निपटारा करने के लिए आर्बिट्रेशन बोर्ड बनाए जाएँ।
- vii. शिक्षकों को प्राइवेट ट्यूशन करने की स्वीकृति न दी जाए।

12.5 माध्यमिक स्तर की व्यावसायिक शिक्षा सम्बन्धी सुझाव Suggestion's for Vocational Education Secondary Education

- i. माध्यमिक स्कूलों में किसी एक हस्तकार्य की शिक्षा अनिवार्य की जाए।

-
- ii. माध्यमिक स्कूलों में तकनीकी, वाणिज्य और कृषि वर्ग के पाठ्यक्रम व्यवसाय एवं तकनीकी शिक्षा प्रधान हों।
 - iii. बड़े शहरों में पॉलिटेक्निक कॉलेज (Polytechnic Colleges) स्थापित किए जाएँ जो आस-पास के उद्योगों को कुशल कर्मकार और कनिष्ठ अधिकारियों की पूर्ति करें।
 - iv. माध्यमिक स्कूलों को बहुउद्देशीय स्कूलों में बदला जाए जिनमें विभिन्न हस्तकौशलों की शिक्षा की व्यवस्था हो।
 - v. इन तकनीकी स्कूलों औरस्थानीय उद्योगों में निकट का सम्बन्ध होना चाहिए और इन्हें एक-दूसरे का सहयोग करना चाहिए।

12.5.1 स्त्री शिक्षा के सम्बन्ध में सुझाव Suggestion's for womens Education

- i. बालकों की तरह बालिकाओं को भी किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार हो।
- ii. बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान के अध्ययन की व्यवस्था की जाए।
- iii. माध्यमिक स्तर पर गृह विज्ञान वर्ग की अलग से व्यवस्था की जाए।
- iv. आवश्यकतानुसार बालिका विद्यालय खोले जाएँ।
- v. जहाँ बालिका विद्यालय खोलना सम्भव न हो वहाँ सहशिक्षा की स्वीकृति दी जाए।

12.5.2 माध्यमिक शिक्षा आयोग का मूल्यांकन एवं गुण-दोष विवेचन Evaluation and Merits & Demerits of Secondary Education Commission

(A) माध्यमिक शिक्षा आयोग के गुण Merits of Secondary Education Commission

- i. व्यवस्थित प्रशासनिक ढाँचा- आयोग ने माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था में केन्द्र सरकार की भागीदारी पर बल दिया, केन्द्र की भाँति प्रान्तों में भी प्रान्तीय शिक्षा सलाहकार बोर्डों की स्थापना का सुझाव दिया, प्रत्येक प्रान्त में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के गठन का सुझाव दिया और विद्यालयों के नियमित निरीक्षण पर बल दिया। उसके ये सभी सुझाव अच्छे हैं। इन सुझावों को जिस प्रान्त में जिस सीमा तक लागू किया गया उस प्रान्त में उसी सीमा में लाभ हुआ।
- ii. शिक्षा के उपयुक्त उद्देश्य- इस आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के जो उद्देश्य निश्चित किए हैं वे अति व्यापक हैं। छात्रों के व्यक्तित्व विकास से उसका तात्पर्य छात्रों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक और चारित्रिक विकास से है। शिक्षा द्वारा लोकतन्त्रीय नागरिकता के विकास से उसका तात्पर्य छात्रों को लोकतन्त्रीय सिद्धान्तों के ज्ञान और लोकतन्त्रीय जीवन शैली में प्रशिक्षित करने से है। नेतृत्व शक्ति और व्यावसायिक कुशलता का विकास तो लोकतन्त्र की सफलता का आधार है।

- iii. पाठ्यचर्या निर्माण के उपयुक्त सिद्धान्त- आयोग ने माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या को चार आधारों- वास्तविकता, व्यापकता, उपयोगिता और सहसम्बन्ध पर विकसित करने का सुझाव दिया। ये आज पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धान्त माने जाते हैं। आयोग ने माध्यमिक स्तर की पाठ्यचर्या में सहपाठ्यचारी क्रियाओं को अनिवार्य करने का सुझाव भी दिया। सहपाठ्यचारी क्रियाओं के महत्त्व को आज सभी शिक्षाशास्त्री स्वीकार करते हैं।
- iv. शिक्षा का माध्यम मातृभाषा- आयोग ने माध्यमिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को बनाने पर बल दिया। यह किसी भी स्वतन्त्र देश के लिए हितकर है, हमारे देश भारत के लिए भी।
- v. स्त्री शिक्षा के सम्बन्ध में ठोस सुझाव- आयोग ने बालक-बालिकाओं की शिक्षा में किसी प्रकार का भेद न करने की सिफारिश की। आयोग की दृष्टि से बालिकाओं को बालकों की भाँति किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। उसने बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान वर्ग की अतिरिक्त व्यवस्था करने की सिफारिश भी की। जिन क्षेत्रों में अलग से बालिका विद्यालय नहीं हैं उन क्षेत्रों में सहशिक्षा की स्वीकृति दी जाए।
- vi. चरित्र निर्माण और अनुशासन पर बल - आयोग ने चरित्र निर्माण और अनुशासन पर विशेष बल दिया और इनकी प्राप्ति के लिए ठोस सुझाव दिए। हमारे आज के भारत में चरित्र निर्माण और अनुशासन की बड़ी आवश्यकता है। इनके अभाव में हम क्या, कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता।
- vii. शिक्षकों की दशा में सुधार- आयोग ने सर्वप्रथम शिक्षकों के प्रशिक्षण पर बल दिया और शिक्षक प्रशिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए ठोस सुझाव दिए। उसने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नियम बनाने पर भी बल दिया। पर साथ ही उनके वेतनमान बढ़ाने और उनकी सेवाशर्तों में सुधार करने की सिफारिश भी की। इससे योग्य व्यक्तियों का अध्यापन कार्य की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक है।

(B) माध्यमिक शिक्षा आयोग के दोष Demerits of Secondary Education Commission

आयोग के सभी सुझाव अपने में उपयुक्त थे। आज की दृष्टि से उसके कुछ सुझाव तो एकदम अनुपयुक्त थे। उन्हें ही हम उसके दोष कहते हैं।

- i. बोझिल पाठ्यचर्या- माध्यमिक स्तर पर तीन भाषाएँ और कुल मिलाकर आठ विषयों का अध्ययन, लगता है आयोग बच्चों को माध्यमिक स्तर पर ही सबकुछ पढ़ा-लिखा देना चाहता था।
- ii. व्ययसाध्य बहुउद्देशीय स्कूल- आयोग ने माध्यमिक विद्यालयों को बहुउद्देशीय माध्यमिक विद्यालयों में बदलने का सुझाव दिया, सभी स्कूलों में एक साथ अनेक हस्तकौशल और व्यवसायों की शिक्षा की

- व्यवस्था का सुझाव दिया। आयोग ने सम्भवतः इस पर होने वाले व्यय का अनुमान नहीं लगाया था। यदि वह व्यय और लाभ का अनुमान लगाता तो शायद यह सुझाव नहीं देता।
- iii. गैरसरकारी स्कूलों के सन्दर्भ में हवाई सुझाव- आयोग ने गैरसरकारी माध्यमिक स्कूलों में सुधार के लिए जो सुझाव दिए हैं वे अपने में उपयुक्त होते हुए भी हवाई सुझाव हैं। जिस देश की राजधानी में तम्बुओं में विद्यालय चल रहे हों और ग्रामों में खुले आकाश के नीचे चल रहे हों, उस देश के विद्यालयों में बिना सरकारी सहायता के सब सुविधाएँ उपलब्ध कराना हवाई सुझाव नहीं तो और क्या है।
- iv. विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम- आयोग ने माध्यमिक स्तर पर 7 वर्गों का निर्माण किया और सातों वर्गों के लिए कुछ विषय समान रखे और भिन्न-भिन्न वर्गों के लिए भिन्न-भिन्न रखे। कुछ ऐच्छिक विषयों को दो या दो से अधिक वर्गों में भी रखा गया। इस सबके पीछे कोई ठोस तर्क नहीं था। अब जब पूरे देश में 10+2+3 शिक्षा संरचना लागू हो गई है, यह वर्ग विभाजन अर्थहीन हो गया है।
- v. अंग्रेजी के बारे में अस्पष्ट सुझाव- आयोग ने अंग्रेजी के अध्ययन के विषय में कुछ उलझे हुए सुझाव दिए हैं। एक ओर उसे अनिवार्य विषयों की सूची में रखा है और वह भी विभिन्न रूपों में।
- vi. धार्मिक और नैतिक शिक्षा के सम्बन्ध में अनुपयुक्त सुझाव- आयोग का यह सुझाव की हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसमें धर्म विशेष की शिक्षा की नहीं, धार्मिक सहिष्णुता की शिक्षा देने की आवश्यकता है और उसे अनिवार्य रूप से देने की आवश्यकता है, तभी हमारे देश में साम्प्रदायिकता की भावना समाप्त की जा सकती है।

अपनी उन्नति जानिये Check Your Progress

वस्तुनिष्ठ प्रश्न: सही उत्तर का चयन कीजिए-

प्रश्न 1 मुदालियर कमीशन का कार्य क्षेत्र क्या था?

- (a) प्राथमिक शिक्षा (b) माध्यमिक शिक्षा
(c) उच्च शिक्षा (d) सम्पूर्ण शिक्षा

प्रश्न 2 मुदालियर कमीशन ने माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम को कितने वर्गों में विभाजित किया था?

- (a) 5 (b) 6
(c) 7 (d) 8

प्रश्न 3 बहुउद्देश्यीय विद्यालय खेलने का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था?

- (a) ताराचन्द समिति (1948-49) (b) आ.न. दे. समिति (1952-53)
(c) मुदालियर कमीशन (1952-53) (d) कोठारी कमीशन (1964-66)

प्रश्न 4 मुदालियर कमीशन ने माध्यमिक स्तर की पाठ्यचर्या में कितने विषय रखे थे?

- (a) 5 (b) 6
(3) 7 (4) 8

12.6 सारांश (Summary)

कुछ विशेष दोषों के बावजूद माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के सुधारों के लिए असंख्य व्यावहारिक और उपयोगी सुझाव दिए थे (जैसे कि उद्देश्य, पुनर्गठन, पाठ्यक्रम, पाठ्य-पुस्तके, शिक्षण की विधियां, निर्देशन एवं परामर्श, पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण प्रशासन, छात्रों का शारीरिक कल्याण, परीक्षा, अध्यापक शिक्षा, सार्वजनिक विद्यालयों का भविष्य, भाषा समस्या, नैतिक एवं धार्मिक शिक्षा, सह-शिक्षा, व्यावसायिक (तकनीकी शिक्षा))। स्वतन्त्र भारत की माध्यमिक शिक्षा के इतिहास में आयोग की सिफारिशों का सर्वोच्च महत्त्व है क्योंकि शिक्षा की प्रकृति में परिवर्तन पर उनका बहुत बड़ा प्रभाव है। स्वतन्त्र भारत में माध्यमिक शिक्षा के इतिहास में आयोग यकीनन एक बड़ी ऐतिहासिक घटना है। माध्यमिक शिक्षा आयोग की रिपोर्ट को शिक्षकों के लिए बाइबल' ('Bible for Teacher') कहा जाता है। माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धित प्रत्येक व्यक्ति को इस रिपोर्ट को पढ़ना चाहिए और लाभों से आनन्द प्राप्त करना चाहिए।

12.7 शब्दावली Glossary:-

अवकाश का सिद्धान्त (Principle of leisure)- पाठ्यक्रम की रचना इस प्रकार की जानी चाहिए जिससे विद्यार्थियों को केवल काम के लिए ही नहीं बल्कि अवकाश के लिए भी प्रशिक्षण मिले। सामाजिक, सौन्दर्यात्मक और खेल सम्बन्धी विविध क्रियाओं को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए। इससे विद्यार्थी के लिए केवल स्कूल का जीवन ही आनन्दपूर्ण और सार्थक नहीं बनेगा बल्कि उसमें अवकाश के समय के लिए विभिन्न रुचियों का निर्माण भी होगा। अवकाश के लिए यह प्रशिक्षण उसके बाद के जीवन के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा।

12.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर Answer of Practice Questions

- उत्तर 1. (b) माध्यमिक शिक्षा उत्तर 2. (c) 7
उत्तर 3. (c) ताराचन्द समिति (1948-49) उत्तर 4. (d) 8

12.10 निबन्धात्मक प्रश्न Essay Types Question

प्रश्न 1. माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952-53) के उद्देश्यों और कार्य-क्षेत्र का उल्लेख कीजिए। माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा दिये गये माध्यमिक शिक्षा के दोषों का उल्लेख कीजिए।

प्रश्न 2. माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं? माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन के सम्बन्ध में माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिशों बताएं।

प्रश्न 3. माध्यमिक शिक्षा आयोग के गुण ओर दोष क्या हैं? अथवा माध्यमिक शिक्षा आयोग की रिपोर्ट का मूल्यांकन कीजिए।

प्रश्न 4. मुदालियर आयोग का आधुनिक भारतीय शिक्षा के निर्माण एवं विकास में क्या योगदान है? संक्षेप में वर्णन कीजिए।

प्रश्न 5. मुदालियर आयोग ने शिक्षा स्त्री तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के सम्बन्ध में क्या सुझाव दिए थे?

इकाई 13 राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 (कोठारी कमीशन) National Education Commission (1964-66)

13.1 प्रस्तावना Introduction

13.2 उद्देश्य Objectives

13.3 आयोग के सदस्य (Member of The Commission)

13.3.1 आयोग की नियुक्ति के कारण व प्रयोजन (Reasons and purposes for settling up the commission)

13.3.2 आयोग का प्रतिवेदन Report of the commission

-
- 13.3.3 राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के मुख्य सुझाव:-
 - 13.3.4 शिक्षा के प्रशासन, वित्त एवं नियोजन सम्बन्धी सुझाव
 - 13.4.1 शिक्षा और राष्ट्रीय लक्ष्य (Education and National Objective)
 - 13.4.2 अध्यापको की स्थिति (Status of Teachers)
 - 13.4.3 अध्यापक शिक्षा (Teacher's Education)
 - 13.4.4 अध्यापक शिक्षा के दोष (Defects of Teacher's Education)
 - 13.4.5 प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार (Expansion of Training Facilities)
 - 13.5 प्राथमिक शिक्षा का विस्तार (Broad of Primary Education)
 - 13.5.1 माध्यमिक शिक्षा का विस्तार Expansion of Secondary Education)-
 - 13.6 सारांश Summary
 - 13.7 शब्दावली Glossary
 - 13.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर Answer of practice Questions
 - 13.9 सन्दर्भ पुस्तके Reference Book
 - 13.10 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न Long Answer Types Question

13.1 प्रस्तावना Introduction

भारत काफी समय ब्रिटिश शासन के अधीन रहा है यहाँ पर ब्रिटिश शासन की नीतिया ही लागू रही है जो भारतीयों के हित में न होकर ब्रिटिश के प्रति ज्यादा झुकी हुयी थी स्वतन्त्र भारत में शिक्षा की विभिन्न समस्याओं पर विचार करने हेतु 1948 में विश्वविद्यालय आयोग (राधाकृष्णनन कमीशन) की नियुक्ति की गयी। इस आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रशासन संगठन और उसके स्तर को उचाँ उठाने सम्बन्धी अनेक ठोस सुझाव दिये। उसके कुछ सुझावों का क्रियान्वयन भी किया गया उससे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कुछ सुधार भी हुआ परन्तु वह सब हाथ नहीं लगा जिसे हम प्राप्त करना चाहते थे शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार का दूसरा बड़ा कदम था माध्यमिक शिक्षा आयोग (मुदालियर कमीशन) की नियुक्ति इस आयोग ने तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा के दोषो को उजागर किया और उसके पुनर्गठन हेतु ठोस सुझाव दिए, कुछ प्रान्तीय सरकारों ने उसके सुझावों के अनुसार माध्यमिक शिक्षा में परिवर्तन किया परन्तु यह परिवर्तन हमारे उद्देश्यो को पूर्ण नहीं कर सका अतः भारत सरकार ने शिक्षा के पुनर्गठन पर समग्र रुप से सोचने समझने और देश भर के लिए समान शिक्षा निति का निर्माण करने के उद्देश्य से 14 जुलाई 1964 को डा. डी. एस. कोठारी (तत्कालीन अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया इस आयोग को इसके अध्यक्ष के नाम पर कोठारी आयोग (Kothari Commission) भी कहते है।आयोग का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1964 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन मे हुआ।

13.2 उद्देश्य Objectives

- i. कोठारी कमिशन के सदस्यों के बारे में जान सकेगे।
- ii. आयोग की नियुक्ति के कारण व प्रयोजन को जान सकेगे।
- iii. राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के मुख्य सुझाव को जान सकेगे।
- iv. शिक्षा के प्रशासन, वित्त एवं नियोजन सम्बन्धी सुझाव को जान सकेगे।
- v. तत्कालीन शिक्षा और राष्ट्रीय उद्देश्यों को समझ सकेगे।
- vi. अध्यापक शिक्षा व अध्यापको की स्थिति को समझ सकेगे।

13.3 आयोग के सदस्य (Member of The Commission)

शिक्षा आयोग में कुल 17 सदस्य थे। जिनमें 6 अन्य देशों के शिक्षा विशेषज्ञ थे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का संगठन निम्न प्रकार है

अध्यक्ष - प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग।

सदस्य

1. श्री ए. आर. दाऊद - भूतपूर्व स्थानापन्न संचालन माध्यमिक शिक्षा प्रसार योजना निदेशालय नई दिल्ली।
2. श्री एच. एल. एलविन संचालक शिक्षा संस्थान, लन्दन विश्वविद्यालय लन्दन।
3. श्री आर. एस. गोपालस्वामी संचालक जनरल अनुसन्धान संस्थान नई दिल्ली।
4. प्रो. संतोषी इहारा- विज्ञान एवं अभियन्त्रण विद्यालय वसदा विश्वविद्यालय टोकियो।
5. डा. बी. एस. झा भूतपूर्व संचालक कामनवेल्थ शिक्षा सम्पर्क इकाई लन्दन।
6. श्री पी. एन. कृपाल शैक्षिक परामर्शदाता एवं सचिव भारत सरकार शिक्षा मन्त्रालय, नई दिल्ली।
7. प्रो. एम. पी. माथूर प्राध्यापक अर्थशास्त्र एवं सार्वजनिक प्रशासन राजस्थान विश्वविद्यालय (बाद में उपकुलपति राजस्थान विश्वविद्यालय)।
8. डा. वी. पी. पाल संचालक भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान नई दिल्ली।
9. कु0 एस. पनान्दीकर अध्यक्ष शिक्षा विभाग कर्नाटक विश्वविद्यालय।

10. प्रो रोगर रेवेल डाइरेक्टर, सेन्टर फॉर पापुलेषन स्टेडीज हावर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्प, हावर्ड विश्वविद्यालय कॅम्ब्रिज (अमेरिका)।
11. डॉ. के. जी. सैयदेन, उपकुलपति, जादवपुर विश्वविद्यालय कलकत्ता।
12. डा. त्रिगुण सेन, उपकुलपति जादवपुर विश्वविद्यालय कलकत्ता।
13. प्रो एस. ए. षमोवस्की, प्राध्यापक भौतिक शास्त्र मास्को विश्वविद्यालय, मास्को।
14. श्री एम जीन थामस, शिक्षा महानिरीक्षक फ्रांस।
15. सचिव श्री जे. पी. नायक अध्यक्ष, शैक्षिक योजना प्रशासन एवं अर्थ विभाग गोखले राजनीतिक एवं अर्थशास्त्र संस्थान पूना।
16. संयुक्त सचिव श्री जे. एफ. मैक्डूगल, उप संचालक विद्यालय एवं उच्च शिक्षा विभाग, यूनस्को, पेरिस। इस प्रकार 17 व्यक्तियों को इस कमीशन में लिया गया इस कमीशन ने अक्टूबर 1964 से देश भर का दौरा किया कमीशन ने सभी राज्यो व केन्द्रशासित प्रदेशो में भ्रमण किया भ्रमण के दौरान कमीशन ने 9000 व्यक्तियों के इन्टरव्यू लिये इन व्यक्तियों में समाज के हर वर्ग के व्यक्ति थे। कमीशन ने अपने कार्य का संचालन करने के लिए 22 कार्य टोलियाँ और अध्ययन दल नियुक्त किए। इस कमीशन को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में दो वर्ष लगे।

13.3.1 आयोग की नियुक्ति के कारण व प्रयोजन (Reasons and purposes for settling up the commission)

भारत सरकार ने अपने 14 जुलाई 1964 के प्रस्ताव में नियुक्ति के कारण एवं प्रयोजनों को निम्नलिखित शब्दों में प्रकाशित किया

1. शिक्षा, विज्ञान और तकनीकी में अनुसन्धान - शिक्षा के द्वारा ही चतुर्मुखी विकास होता है। यह विकास तभी संभव है जब विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सभी साधनों का प्रयोग करते हुए शोधकार्य किया जाये। शिक्षा और विज्ञान पर अधिक से अधिक धन अनुसन्धान करने में लगाया जाएगा।
2. राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास:- राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करना भारत सरकार की प्रमुख आवश्यकता थी शिक्षा के द्वारा ही लोकतन्त्रीय समाज का निर्माण तथा राष्ट्रीय एकता सम्भव है शिक्षा से ही सन्तुलित एवं संगठित राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास होगा।
3. धर्म निरपेक्ष लोकतन्त्र की शिक्षा - परम्परागत शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाकर एक धर्मनिरपेक्ष प्रजातन्त्र के लिए नए लक्ष्य निर्धारित करना होना चाहिये जैसे निर्धनता का अन्त, कृषि का आधुनिकीकरण, उद्योगों का

विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रयोग, समाजवादी समाज की रचना, शिक्षा रोजगार और सांस्कृतिक प्रगति के लिए समान अवसर आदि।

4. शिक्षा में गुणात्मक विकास - स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात शिक्षा में बहुत तेजी से विकास हुआ है परन्तु उतना विकास नहीं हुआ जितना की आवश्यकता थी शिक्षा का स्तर निम्न था संख्यात्मक वृद्धि तो हुई है लेकिन गुणात्मक वृद्धि कम ही हुई।

5. शिक्षा स्तरों का विकास- शैक्षिक विकास के लिए सम्पूर्ण क्षेत्र का विकास करना आवश्यक है। क्योंकि शिक्षा प्रणाली के विभिन्न अंग एक दूसरे पर प्रबल प्रतिक्रिया करते हैं प्राथमिक शिक्षा यदि अच्छी होगी तो माध्यमिक शिक्षा भी अच्छी होगी माध्यमिक शिक्षा उत्तम है तो उच्च शिक्षा भी उत्तम होगी अतः शिक्षा स्तरों का उन्नयन करने के लिए शिक्षा के सम्पूर्ण क्षेत्र की जाँच करना आवश्यक है।

13.3.2 आयोग का प्रतिवेदन Report of the commission

आयोग ने इस बड़े कार्य को सम्पन्न करने के लिए दो विधियों का अनुसरण किया पहली निरीक्षण एवं साक्षात्कार और दूसरी प्रश्नावली इनका विवरण निम्न प्रकार है

निरीक्षण एवं साक्षात्कार विधि (Observation and Interview method) - निरीक्षण एवं साक्षात्कार के लिए आयोग ने कार्यकारी दल (Working Groups) बनाए। इन दलों ने देश के विभिन्न प्रान्तों का दौरा किया, उनके अनेक विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों को देखा और उनके छात्रों शिक्षकों और प्रशासकों से साक्षात्कार किया अनेक शिक्षाविदों से भेंट कर उनसे विचार विमर्श किया और मुख्य तथ्यों को लेखबद्ध किया।

प्रश्नावली विधि (Questionnaire Method) - आयोग ने शिक्षा की विभिन्न समस्याओं से सम्बन्धित एक लम्बी प्रश्नावली (Questionnaire) तैयार की और उसे शिक्षा से जुड़े विभिन्न वर्ग के लगभग 5000 व्यक्तियों के पास भेजा इनमें से 2400 व्यक्तियों ने इसे भरकर लौटाया आयोग ने इस प्रश्नावली का सांख्यिकीय विवरण तैयार किया इसके बाद आयोग ने इन दोनों विधियों से प्राप्त सुझावों पर विचार विमर्श किया अन्त में 29 जून 1966 को अपना प्रतिवेदन शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति (Education and national Development) भारत सरकार को प्रेषित किया

प्रतिवेदन (Report) शिक्षा आयोग ने अपना प्रतिवेदन 29 जून 1966 को भारत सरकार के तत्कालीन शिक्षा मंत्री एम. सी. छागला के समक्ष प्रस्तुत किया लगभग 700 प्रश्नों का यह प्रतिवेदन 3 भागों में विभाजित है और इसका नाम है

13.3.3 राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के मुख्य सुझाव Suggestion of National Education

Commission (Kothari Commission) :-

राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने तत्कालीन भारतीय शिक्षा का समग्ररूप से अध्ययन किया और उसके सम्बन्ध में अपने सुझाव दिए। आयोग की मूलधारणा है कि शिक्षा राष्ट्र के विकास का मूल आधार है। उसने अपने प्रतिवेदन का शुभारम्भ ही इस वाक्य से किया है 'देश का उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है।' आयोग के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में दूसरा मुख्य तथ्य यह है कि भविष्य इसमें शिक्षा की कुछ समस्याओं का विवेचन तो समग्र रूप से किया गया है जैसे शिक्षा के राष्ट्रीय लक्ष्य, शिक्षा की संरचना, शिक्षकों की स्थिति, शैक्षिक अवसरों की समाप्तता कृषि शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा और कुछ समस्याओं का विवेचन स्तर विशेष की शिक्षा के सन्दर्भ में किया गया है; जैसे विद्यालयी शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियाँ आदि और उच्च शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियाँ आदि में सुधार के रूप में देख सकते हैं।

13.4 शिक्षा के प्रशासन, वित्त एवं नियोजन सम्बन्धी सुझाव Suggestion for Administration of education, Finance and Planning

आयोग ने इन तीनों के सम्बन्ध में निम्नलिखित रचनात्मक सुझाव दिए।

शिक्षा के प्रशासन सम्बन्धी सुझाव-

- i. राष्ट्रीय शिक्षा अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT) को अखिल भारतीय स्तर पर विद्यालयी शिक्षा का भार सौंपा जाए।
- ii. केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (CABE) को और अधिक अधिकार दिए जाएँ।
- iii. शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय माना जाए और उसकी राष्ट्रीय नीति घोषित की जाए इसके लिए यदि आवश्यक हो तो केन्द्र सरकार 'नेशनल एजुकेशन एक्ट' बनाए और प्रान्तीय सरकारें 'स्टेट एजुकेशन एक्ट' बनाएँ।
- iv. भारतीय शिक्षा सेवा में उन व्यक्तियों का चयन किया जाए जिन्हें शिक्षण कार्य का अनुभव हो।
- v. केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय में शिक्षा सलाहकार और शिक्षा सचिव के पदों पर सरकारी, गैरसरकारी, भारतीय शिक्षा सेवा और विश्वविद्यालयों में से योग्यतम व्यक्तियों का चयन किया जाए।
- vi. शिक्षा प्रशासकों और शिक्षकों के बीच स्थानान्तरण की व्यवस्था की जाए।

शिक्षा के वित्त सम्बन्धि सुझाव:-

आयोग ने स्पष्ट किया कि 1965-66 की अपेक्षा 1985-86 में छात्रों की संख्या कम से कम दो गुनी हो जायेगी और प्रति छात्र व्यय 12 रु के स्थान पर 54 रु हो जाएगा इसलिए शिक्षा बजट में प्रति वर्ष वृद्धि करना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में उसने अग्रलिखित सुझाव दिये।

- i. केन्द्र सरकार अपने बजट में शिक्षा के लिए कम से कम 6 प्रतिशत का प्रावधान करे।
- ii. राज्य सरकारें भी अपने बजटों में शिक्षा के लिए कम से कम 6 प्रतिशत का प्रावधान करें
- iii. राज्यों में स्थानीय संस्थाओं (ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं) को उनके क्षेत्र की प्राथमिक शिक्षा संस्थाओं का विभिन्न भार सौंपा जाए।
- iv. व्यक्तिगत स्रोतों से अधिक से अधिक धन प्राप्त किया जाए।
- v. शिक्षा हेतु आप के स्रोत बढ़ाने के उपायों की खोज की जाए, इस क्षेत्र में अनुसंधान किए जाएं।

शिक्षा के नियोजन सम्बन्धी सुझाव

1951 में हमारे देश में पंच वर्षीय योजनाओं का श्री गणेश हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में भी पंचवर्षीय नियोजन प्रारम्भ हुआ इस नियोजन में अनेक खामियाँ थीं। आयोग ने इसमें सुधार हेतु निम्नलिखित सुझाव दिए

- i. शैक्षिक नियोजन केन्द्रीय और प्रान्तीय स्तर पर अलग अलग किया जाए
- ii. विद्यालय शिक्षा का नियोजन स्थानीय निकाएँ और राज्य सरकारें मिलकर करें और उच्च शिक्षा का नियोजन प्रान्तीय और केन्द्रीय सरकारें मिलकर करें।
- iii. शैक्षिक नियोजन वर्तमान और भविष्य की माँगों के आधार पर किया जाए राष्ट्रीय प्रान्तीय और उसके बाद स्थानीय आधार प्राथमिकताओं का वर्गीकरण किया जाए और उनके आधार पर सभी कार्यक्रम नियोजित किए जाएं।
- iv. शैक्षिक नियोजन में अपव्यय एवं अवरोधन को रोकने के लिए विशेष प्रावधान किया जाए।
- v. शैक्षिक नियोजन में शिक्षा के प्रसार के साथ साथ उसमें गुणात्मक सुधार के लिए व्यवसाय किया जाए।

13.4.1 शिक्षा और राष्ट्रीय लक्ष्य (Education and National Objective)

शिक्षा द्वारा उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आयोग ने निम्नांकित पंचमुखी कार्यक्रम का विचार प्रकट किया है

(1) शिक्षा व उत्पादन- आयोग ने शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि करने के लिए निम्नांकित सुझाव दिए हैं.-

-
- i. विद्यालयों तथा महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम में विज्ञान को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाये
 - ii. कार्य- अनुभव को समस्त शिक्षा का अविभाज्य अंग स्वीकार किया जाए।
 - iii. कृषि कार्य के विकास में तथा उत्पादन को बढ़ाने में विज्ञान से सहायता लेनी जाये
 - iv. माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक स्वरूप प्रदान किया जाये
 - v. विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा में कृषि तथा औद्योगिक शिक्षा को भी स्थान दिया जाये।

(2) समाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों का विकास (Development of social, Moral and Spiritual Values) इस सम्बन्ध में आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिये हैं

- i. समस्त शिक्षण संस्थाओं में नैतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा दी जाये।
- ii. प्राथमिक स्तर पर इन मूल्यों की शिक्षा रोचक कहानियों द्वारा दी जाए।
- iii. माध्यमिक स्तर पर इन मूल्यों के सम्बन्ध में अध्यापक तथा विद्यार्थी मिलकर विचार विमर्श करें।
- iv. विद्यालयों का वातावरण इन मूल्यों से ओत-प्रोत रखना चाहिए।

(3) शिक्षा और लोकतन्त्र की सुदृढ़ता (Education and Consolidation of Democracy) आयोग ने शिक्षा द्वारा प्रजातन्त्र को सुदृढ़ बनाने के लिए निम्नांकित सुझाव दिये हैं

- i. 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाये
- ii. बिना भेदभाव के सभी बालकों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान किये जायें
- iii. वयस्क शिक्षा के कार्यक्रम आयोजित किये जायें
- iv. माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय शिक्षा का विकास करके सुयोग्य तथा कुशल नेतृत्व का प्रशिक्षण दिया जाये

(4) शिक्षा और आधुनिकीकरण (Education and Modernisations) - आयोग ने भारत के आधुनिकीकरण के लिए निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए हैं

- i. आधुनिकीकरण की दृष्टि से औद्योगिकी सहायता ली जाये
- ii. आधुनिकीकरण करने के लिए शिक्षा को एक साधन के रूप में स्वीकार किया जाये
- iii. सामान्य व्यक्ति के शिक्षा स्तर को ऊँचा किया जाये
- iv. शिक्षा के द्वारा उचित मूल्यों और दृष्टिकोण का विकास हो।

13.4.2 अध्यापको की स्थिति (Status of Teachers)

आयोग ने शिक्षक की स्थिति में सुधार करने हेतु निम्न विचार व्यक्त किये हैं

1. वेतन (Remuneration) आयोग ने शिक्षकों के वेतन के विषय में अधोलिखित विचार प्रकट किये हैं।
 - i. भारत सरकार विद्यालयों के शिक्षकों के न्यूनतम वेतनक्रम निश्चित करे।
 - ii. राजकीय तथा अराजकीय विद्यालयों के शिक्षकों के वेतनक्रमों में समानता के सिद्धान्त का पालन किया जाए
 - iii. विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बन्धित कॉलेजों के अध्यापकों के वेतनक्रम में पर्याप्त वृद्धि की जाए
2. वेतन क्रम सम्बन्धी सुझाव (Suggestions Regarding Pay Scales) आयोग ने शिक्षकों के वेतन क्रम के विषय में अधोलिखित सुझाव दिये
 - i. वेतन क्रमों को क्रियान्वित करने के साथ साथ शिक्षकों की योग्यताओं एवं नियुक्ति की विधियों में सुधार किया जाए
 - ii. शिक्षकों को सरकारी कर्मचारियों के समान महँगी भत्ता दिया जाए
 - iii. शिक्षकों के वेतन क्रम प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात् दोहराये जायें
 - iv. शिक्षकों के वेतन क्रम के विषय में दिए सुझाव तत्काल क्रियान्वित हों।
3. नियुक्ति एवं पदोन्नति सम्बन्धी सुझाव (Suggestions Regarding Appointment and Promotion) –
 - i. किसी भी स्तर के शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता बढ़ाई जाए और उनके चयन की विधियों को सुधारा जायें
 - ii. शिक्षकों के पदों पर योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति की जाए इस हेतु अति योग्य व्यक्तियों को अग्रिम वेतन वृद्धि और अतिरिक्त प्रतिभा के व्यक्तियों को उच्च वेतनमान भी दिए जा सकते हैं
 - iii. सभी स्तरों पर महिला शिक्षकों की नियुक्ति प्रोत्साहित की जाए
 - iv. अपने पदों पर कार्यकुशलता का परिचय देने वालों को अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान की जाए
 - v. पदोन्नति का आधार वरीयता के स्थान पर योग्यता एवं कुशलता हो।
4. कार्य व सेवा की दशाये (Conditions of work and Service)- आयोग ने शिक्षकों के कार्य एवं सेवा की दशाओं में सुधार हेतु निम्न सुझाव दिये
 - i. सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों की सेवा दशाओं में समानता स्थापित की जाए।

-
- ii. शिक्षा संस्थाओं में शिक्षकों के कुशलतापूर्वक कार्य करने हेतु न्यूनतम सुविधायें प्रदान की जाए
 - iii. शिक्षक को अपनी व्यावसायिक उन्नति करने हेतु उपयुक्त सुविधायें प्रदान की जायें
 - iv. शिक्षकों के अध्यापन कार्य के घण्टों को निश्चित करते समय उसके द्वारा किए जाने वाले अन्य कार्यों को दृष्टि गत रखा जाए
 - v. शिक्षकों को 5 वर्ष में कम से कम एक बार, देश के किसी स्थान में भ्रमण करने हेतु उनके वेतन के अनुसार रियायती दर पर रेल के टिकट दिए जायें
 - vi. सभी सरकारी एवं सहायता प्राप्त गैर सरकारी शिक्षकों के लिए त्रिमुखी लाभ योजना (जी. पी.एफ. बीमा और पेंशन) लागू होनी चाहिए
 - vii. ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाले शिक्षकों को आवास सुविधा दी जाए और शिक्षिकाओं को आवास सुविधा के साथ साथ विशेष भत्ता भी दिया जाय।

13.4.3 अध्यापक शिक्षा (Teacher's Education)

आयोग ने अध्यापकों की व्यावसायिक शिक्षा के महत्व के सम्बन्ध में कहा है, शिक्षा की गुणात्मक उन्नति के लिए अध्यापकों की व्यावसायिक शिक्षा का ठोस कार्यक्रम अनिवार्य है

अध्यापक शिक्षा के उपर्युक्त महत्त्व के दृष्टि गत आयोग ने सर्वप्रथम अध्यापक शिक्षा के दोषों का उल्लेख किया और तत्पश्चात् इस शिक्षा के सुधार के सम्बन्ध में अपने विचारों को लेखबद्ध किया गया

13.4.4 अध्यापक शिक्षा के दोष (Defects of Teacher's Education)

अध्यापक शिक्षा के दोष निम्न प्रकार पाये

- i. प्रशिक्षण संस्थाओं का कार्य निम्न या साधारण कोटि का है।
- ii. प्रशिक्षण संस्थाओं में योग्य अध्यापक नहीं है
- iii. प्रशिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में नवीनता, सजीवता एवं वास्तविकता नहीं है
- iv. प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा दिया जाने वाली प्रशिक्षण परम्परागत तथा अल्प उपयोगिता वाला है
- v. प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षण देने वाली संस्थायें इन विद्यालयों की दैनिक समस्याओं से कोई सम्बन्ध नहीं रखती है

अध्यापक शिक्षा के उपरोक्त दोषों का निराकरण करने के लिए आयोग ने निम्नांकित महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं

(1) अध्यापक शिक्षा की पृथक्ता का अन्त (Removal of Isolation of Teacher Education) आयोग के अनुसार अध्यापकों की व्यावसायिक शिक्षा को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए उसे एक ओर विश्वविद्यालयों के

साहित्यिक जीवन के और दूसरी ओर विद्यालय जीवन एवं शिक्षा सम्बन्धी नवीनतम विचारों के सम्पर्क में लाया जाना परम् आवश्यक है इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु आयोग ने निम्न सुझाव प्रस्तुत किये हैं

- कुछ विशिष्ट विश्वविद्यालयों में अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रमों के विकास, अध्ययन एवं अनुसंधान हेतु शिक्षा विभाग (Department of Education) को स्थापित किया जाए।
- शिक्षा विषय को विषय विद्यालयों के बी.ए. एवं एम. ए. के पाठ्यक्रमों में सम्मिलित किया जाए।
- प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रसार सेवा विभाग (Extension Service Department) को स्थापित किया जाए।
- सब राज्यों में कॉम्प्रीहेन्सिव कॉलिजों (Comprehensive Colleges) को स्थापित कर उसमें शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
- प्रत्येक राज्य में अध्यापक शिक्षा की राज्य परिषद् (State Board of Teacher Education) स्थापित की जाए जिस पर सब क्षेत्रों एवं स्तरों के प्रशिक्षण का उत्तरदायित्व हो।
- विभिन्न प्रकार की शिक्षण संस्थाओं की पृथकता का अन्त करने के लिए सबको ट्रेनिंग कॉलिजों की संज्ञा दी जाए तथा उनको अपने क्षेत्रों के विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किया जाए।

(2) व्यावसायिक शिक्षा की उन्नति (Improvement in Professional Education) आयोग ने अध्यापकों की व्यावसायिक शिक्षा की गुणात्मक उन्नति करने के लिए निम्नांकित सिफारिशें की हैं।

- शिक्षण के अभ्यास में गुणात्मक उन्नति करने के प्रयास किये जायें।
- छात्राध्यापकों के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों एवं पाठ्यक्रमों का निर्माण किया जाए।
- अध्यापक-शिक्षा के सब स्तरों पर कार्यक्रमों एवं पाठ्यक्रमों को उन आधारभूत उद्देश्यों के दृष्टिगत दोहराया जाए, जिनके लिए छात्राध्यापकों को तैयार किया जा रहा है।
- सब प्रशिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों की शिक्षा एवं विषय सामाग्री में इस प्रकार रूपान्तर किया जाए जिससे छात्राध्यापकों को विद्यालयों में पढ़ाये जाने वाले विषयों के उद्देश्यों प्रयोजन एवं जटिलताओं का समुचित ज्ञान प्राप्त हो।

(3) प्रशिक्षण की अवधि (Period of Training) आयोग के विभिन्न प्रशिक्षण स्तरों की अवधि के विषय में निम्न विचार व्यक्त किए हैं।

- प्राथमिक विद्यालयों के उन अध्यापकों के लिए, जिन्होंने सेकेंडरी स्कूल कोर्स पास किया है, प्रशिक्षण की अवधि 2 वर्ष की हो।

- b. माध्यमिक विद्यालयों के उन अध्यापकों के लिए जो स्नातक है, प्रशिक्षण की अवधि अभी तो 1 वर्ष की हो पर कुछ समय के पश्चात् 2 वर्ष की कर दी जाए।
- c. शिक्षा में स्नातकोत्तर (M.Ed) पाठ्यक्रम की अवधि 1) वर्ष की हो।

(4) प्रशिक्षण संस्थाओं की उन्नति (Improvement in Training Institutions)- आयोग ने प्रशिक्षण संस्थाओं की गुणात्मक उन्नति हेतु निम्न सिफारिशें की है

- a. ट्रेनिंग कॉलिजों के अध्यापकों के पास शिक्षा की उपाधि (Degree in Education) के अतिरिक्त दो स्नातकोत्तर उपाधियाँ (Post-Graduate Degrees) हो
- b. ट्रेनिंग कॉलिजों के अध्यापकों में डॉक्टर (Doctorate) की उपाधियाँ वाले शिक्षकों की संख्या उचित अनुपात में हो
- c. गणित, विज्ञान, मनोविज्ञान एवं समाजशास्त्र आदि विषयों को शिक्षा देने के लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाए, चाहे उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त न किया हो
- d. प्रत्येक प्रशिक्षण संस्थाओं से एक प्रयोगात्मक (Experimental) विद्यालय संलग्न हो।
- e. प्रशिक्षण संस्थाओं में छात्राध्यापकों से किसी प्रकार का शुल्क न लिया जाए और उनको ऋण एवं छात्रवृत्तियों के रूप में आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था की जाए
- f. विद्यालयों में कार्य करने वाले अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण देने हेतु केन्द्रीय स्थानों पर ग्रीष्मकालीन संस्थाओं (Summer Institutes) की योजना आरम्भ की जाए।

13.4.5 प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार (Expansion of Training Facilities)

आयोग ने प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार करने हेतु निम्नांकित विचार व्यक्त किये

- a. प्रशिक्षण संस्थाओं के आकार में एक निश्चित योजना के अनुसार पर्याप्त विस्तार किया जाए
- b. पत्र व्यवहार द्वारा शिक्षा एवं अल्पकालीन प्रशिक्षण की सुविधाओं में विस्तार किया जाए
- c. विद्यालय शिक्षकों को अध्यापन कार्य करते हुए शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्राप्त करने कि सुविधायें प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालयों तथा प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन कराया जाए

आयोग के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में दो मुख्य प्रकार की व्यापक असमानतायें हैं

- (1) शिक्षा के सब पक्षों एवं स्तरों पर बालको एवं बालिकाओं की शिक्षा में व्यापक असमानता विद्यमान है
- (2) उन्नत वर्गों, पिछड़े वर्गों अछूत जातियों एवं आदिवासियों की शिक्षा में व्यापक असमानता विद्यमान है।
उपर्युक्त दोनों प्रकार की असमानताओं को दूर करने के लिए आयोग ने निम्न चार सुझाव दिये हैं।

- a. निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए।
- b. शिक्षा के खर्चों में कमी की जाए
- c. छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की जाए
- d. छात्रवृत्तियों की योजना हो

1. निःशुल्क शिक्षा (Free Education) आयोग ने निःशुल्क शिक्षा के सम्बन्ध में निम्न विचार व्यक्त किये हैं

- a. चौथी पंच वर्षीय योजना के अन्त से प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क किया जाए।
- b. पाँचवी पंचर्शीय योजना के अन्त तक या उससे पूर्व निम्न माध्यमिक शिक्षा को निःशुल्क किया जाए
- c. पाँचवी पंचर्शीय योजना के अन्त से 10 वर्ष की अवधि में उच्चतर माध्यमिक एवं विश्वविद्यालय शिक्षा का योग्य एवं निर्धन छात्रों के लिए निःशुल्क किया जाए।

2. शिक्षा के व्यय में कमी (Reduction in the Cost of Education) शिक्षा के खर्चों में निम्न प्रकार कमी की जाए

- a. प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों को पाठ्य पुस्तकें एवं लेखन सामग्री निःशुल्क प्रदान की जाए
- b. माध्यमिक विद्यालयों कॉलिजों एवं विश्वविद्यालयों में पुस्तक गृहों (Book Bank) की व्यवस्था की जाए जहाँ से छात्रों को पाठ्य पुस्तकें दी जायें
- c. छात्रों के प्रयोग हेतु माध्यमिक विद्यालयों एवं उच्च शिक्षा की संस्थाओं के पुस्तकालयों में पाठ्य पुस्तकें प्राप्त संख्या में हो
- d. योग्य छात्रों को पाठ्य पुस्तकों एवं अन्य आवश्यक पुस्तकों को खरीदने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाए

3. छात्रवृत्तियों की व्यवस्था (Provision for Scholarships)- छात्रवृत्तियों के सम्बन्ध में निम्नांकित व्यवस्था की जाए

- i. निम्न प्राथमिक स्तर के उपरान्त शिक्षा के सभी स्तरों पर छात्रवृत्तियों के कार्यक्रम को संगठित किया जाए

-
- ii. छात्र के शिक्षा के एक स्तर से दूसरे स्तर पर पहुँचने पर इस बात का पूर्ण ध्यान रखा जाए कि कोई निर्धन पर योग्य विद्यार्थी छात्रवृत्ति न मिल सकने के कारण अपनी भावी शिक्षा से वंचित न रह ज
 - iii. छात्रावासों में रहकर कॉलेज या विश्वविद्यालय में अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों के रूप में इतना धन दिया जाए, जिससे शिक्षा से सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष व्यय की पूर्ति हो जाए।
 - iv. अपने घरों पर रहकर अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए केवल इतनी आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए, जिससे अधिकांश प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष व्यय की पूर्ति हो जाए

4 छात्रवृत्तियों की योजनायें (Schemes of Scholarships) छात्रवृत्तियों की निम्न प्रकार की योजनाओं को लागू किया जाए

- i. राष्ट्रीय छात्रवृत्तियों की योजना की पूर्ति हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय छात्रवृत्तियों (University Scholarships) की योजना आरम्भ की जाए
- ii. व्यावसायिक शिक्षा (Vocational Education) ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति व्यवस्था इस प्रकार हो(विद्यालय स्तर पर 30 प्रतिशत को, कॉलेज स्तर पर 50 प्रतिशत को)
- iii. ऋण छात्रवृत्तियों (Loan Scholarships) की योजना को कुछ सीमा तक सामान्य शिक्षा प्राप्त करने वाले योग्य छात्रों के लिए क्रियान्वित किया जाए
- iv. असाधारण प्रतिभा के विद्यार्थियों को विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु प्रतिवर्ष 500 छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जानी चाहिए।
- v. कुछ छात्रों, विशेषकर विज्ञान एवं तकनीकी के छात्रों को ऋण छात्रवृत्तियाँ दी जायें, जो वे आगे चलकर अपने वेतन में कटौती द्वारा लौटाये।
- vi. माध्यमिक स्तर की छात्रवृत्तियों का वित्तीय भार राज्य सरकारों पर हो और उच्च स्तर के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों का वित्तीय भार केन्द्र सरकार पर हो।

13.5 विद्यालय-शिक्षा का विस्तार (Expansion of School –Education)

आयोग ने विद्यालय शिक्षा के विभिन्न अंगों के विस्तार के विषय में अपने सुझाव निम्न प्रकार दिये हैं।

1 पूर्वप्राथमिक शिक्षा का विस्तार (Expansion of pre-Primary Education)-

पूर्व प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिए निम्नांकित सुझाव हैं

- i. प्रत्येक राज्य के राज्य शिक्षा संस्थान (State Institute of Education) में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के विस्तार हेतु राज्य स्तर पर केन्द्र की स्थापना की जाए।
- ii. व्यक्तिगत प्रबन्धकों को उदार आर्थिक सहायता देकर, पूर्व प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना एवं संचालन करने हेतु प्रेरित किया जाए।
- iii. पूर्व प्राथमिक शिक्षा में परीक्षण कार्यद्ध (Experimentation) को प्रोत्साहित किया जाए ताकि इस शिक्षा के विस्तार के लिए कम खर्चीले उपायों की खोज की जा सके।
- iv. पूर्व प्राथमिक शिशुओं के खेल केन्द्रों (Sensorial Education) को प्राथमिक विद्यालयों से सम्बद्ध किया जाए।

13.5.1 प्राथमिक शिक्षा का विस्तार (Broad of Primary Education)

आयोग के प्राथमिक शिक्षा के विस्तार हेतु सुझाव निम्न प्रकार है

- a. सन् 1975-76 तक देश के सब बच्चों के लिए 5 वर्ष की उत्तम प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था हो।
- b. सन् 1985-86 तक देश के सब बच्चों के लिए 7 वर्ष की उत्तम प्राथमिक शिक्षा का योजना पूर्ण की जाए।
- c. अपव्यय व अवरोधन (Wasteage and Stagnation) को अधिक से अधिक कम करने के लिए प्रयास किये जाने चाहिए।
- d. जो बालक कक्षा 7 पास करने के समय 14 वर्ष के न हों और अपनी सामान्य शिक्षा के क्रम को जारी रखने के इच्छुक न हों उनको इस आयु तक उनकी रुचि के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए।
- e. प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करने हेतु प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना इस प्रकार की जाए, कि लोअर प्राइमरी स्कूल किभी बालक से घर से क्रमश 1 और 3 मील से अधिक दूर न हों।
- f. पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के लिए प्राथमिक विद्यालय खोले जायें।
- g. मन्द बुद्धि और विकलांग बच्चों के लिए अलग से स्कूल खाले जायें।

13.5.1 माध्यमिक शिक्षा का विस्तार Expansion of Secondary Education)-

धनाभाव के कारण कुछ अंशो तक माध्यमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाया जाना सम्भव नहीं है अतः माध्यमिक शिक्षा का विस्तार निम्न उपायों एवं सिद्धान्तों के दृष्टि गत किया जाना चाहिए।

- माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या शिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता के अनुसार निश्चित की जाए।
- माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण (Vocationalization) इस प्रकार किया जाए कि निम्न माध्यमिक स्तर पर 20 प्रतिशत छात्रों को एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 50 प्रतिशत छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जा सके।
- माध्यमिक शिक्षा के अवसरों की समानता स्थापित की जाए।
- माध्यमिक स्तर पर होने वाले अपव्यय और अवरोधन को रोकने के उपाय किये जायें।

अपनी उन्नति जानिय Check Your Progress

प्रश्न 1 कोठारी कमिशन का गठन कब हुआ?

प्रश्न 2 राष्ट्रीय शिक्षा आयोग में कुल कितने सदस्य थे ?

प्रश्न 3 भारत में पंच वर्षीय योजना का श्री गणेश कब हुआ ?

प्रश्न 4 अध्यापक शिक्षा के दो दोष लिखिय?

प्रश्न 5 कोठारी कमीशन ने मंद वृद्धि बालको के लिय क्या सुझाव दिया था?

13.6 शारांश Summary

भारत सरकार ने शिक्षा के पुनर्गठन पर समग्र रूप से सोचने समझने और देश भर के लिए समान शिक्षा निति का निर्माण करने के उद्देश्य से 14 जुलाई 1964 को डा. डी. एस. कोठारी (तत्कालीन अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया। आयोग ने इस बड़े कार्य को सम्पन्न करने के लिए दो विधियों का अनुसरण किया पहली निरीक्षण एवं साक्षात्कार और दूसरी प्रश्नावली, निरीक्षण एवं साक्षात्कार विधि (Observation and Interview method) निरीक्षण एवं साक्षात्कार के लिए आयोग ने कार्यकारी दल (Working Groups) बनाए। इन दलों ने देश के विभिन्न प्रान्तों का दौरा किया, उनके अनेक विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों को देखा और उनके छात्रों शिक्षकों और प्रशासकों से साक्षात्कार किया अनेक शिक्षाविदों से भेंट कर उनसे विचार विमर्श किया और मुख्य तथ्यों को लेखबद्ध किया। शिक्षा के राष्ट्रीय लक्ष्य, शिक्षा की संरचना, शिक्षकों की स्थिति, शैक्षिक अवसरों की समातनता कृषि शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा और कुछ समस्याओं का विवेचन स्तर विशेष की शिक्षा के सन्दर्भ में किया।

प्रश्न 4 अध्यापक शिक्षा के सम्बन्ध में कोठारी आयोग के सुझावों का हमारी शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा? What are the effect of our education's suggestion of Kothari Commission in the reference of Teacher Education.

इकाई 14: राष्ट्रीय ज्ञान आयोग National Knowledge Commission

- 14.1 प्रस्तावना (Introduction)
- 14.2 उद्देश्य (Objectives)
- 14.3 राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (National Knowledge Commission)
 - 14.3.1 एनकेसी परामर्श
 - 14.3.2 विचाराणीय विषय
 - 14.3.3 राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के उद्देश्य
- 14.4 उच्च शिक्षा (Higher Education)
 - 14.4.1 उच्च शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशें
- 14.5 मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशें
- 14.6 सारांश (Summary)
- 14.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answer of Practice Questions)
- 14.8 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची (Reference Books)
- 14.9 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

14.1 प्रस्तावना

शिक्षा मानव जीवन को उसके लक्ष्य हासिल करने का मार्ग प्रस्त करती है जिसके आधार पर व्यक्ति बड़े से बड़ा पद प्राप्त करता है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने उच्च शिक्षा के विकास हेतु अनेक सुझाव दिए हैं जिनके आधार पर भारत की उच्च शिक्षा को श्रेष्ठ बनाया जा सकता है और छात्रों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जा सकती है। आज उच्च शिक्षा में शोध कार्यों को अधिक से अधिक किये जाने की आवश्यकता है ताकि शिक्षा के द्वारा छात्र व समाज का चतुर्मुखी विकास किया जा सकता है।

14.2 उद्देश्य

1. प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के बाद आप-
2. राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के स्वरूप, आधार, व उद्देश्य के बारे में बता पायेंगे।
3. राष्ट्रीय ज्ञान आयोग द्वारा उच्च शिक्षा और मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली हेतु दी गयी सिफारिशों के बारे में जान जायेंगे।
4. राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के कार्यों और भूमिका से अवगत हो पायेंगे

14.3 राष्ट्रीय ज्ञान आयोग

कोई भी राष्ट्र अपनी ज्ञान की पूंजी कैसे बनाता है और उसका कैसे उपयोग करता है उसके आधार पर यह तय होता है कि वह मानवीय क्षमताओं को बढ़ाने में अपने नागरिकों को सशक्त और समर्थ बनाने में कितना सक्षम है। अगले कुछ दशकों में दुनिया में युवाओं की सबसे बड़ी आबादी भारत में होगी। विकास की ज्ञान आधारित रणनीति अपनाने से इस युवा ऊर्जा का लाभ उठाने में मदद मिलेगी। भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के शब्दों में अब समय आ गया है कि संस्थाओं के निर्माण का दूसरा दौर शुरू किया जाए और शिक्षा अनुसंधान और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल की जाए ताकि हम 21वीं शताब्दी के लिए अधिक ढंग से तैयार हो सकें।

इसी विशाल कार्य को ध्यान में रखते हुए 13 जून 2005 को 2 अक्टूबर 2005 से 2 अक्टूबर 2008 तक तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किया गया। भारत के प्रधानमंत्री की उच्चस्तरीय सलाहकार संस्था के रूप में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को नीतिगत मार्गदर्शन तथा सुधारों के निर्देशन का अधिकार सौंपा गया है। उसे शिक्षा, विज्ञान और टेक्नोलॉजी, कृषि-उद्योग, ई.प्रशासन जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करना है। ज्ञान की सहज सुलभता, ज्ञान प्रणालियों की रचना और संरक्षण, ज्ञान का प्रसार और बेहतर ज्ञान सेवाओं का विकास आयोग के मुख्य सरोकार हैं।

14.3.1 एनकेसी परामर्श

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग जो भी सिफारिशें दे रहा है उनके लिए अधिक से अधिक लोगों की राय शामिल करने के लिए आयोग विविध विध्वानों और हितधारकों से व्यापक विचार-विमर्श करता है। उसके लिए आयोग ने कार्यदल और समितियों का गठन किया है। अनेक कार्यशालाएँ और गोष्ठियाँ आयोजित की हैं और सर्वेक्षण कराए हैं। कार्यदल ऐसे क्षेत्रों में गठित किए गए हैं जिनमें उच्च स्तर पर विशेषज्ञों की लम्बे समय तक भागीदारी अपेक्षित है। गोष्ठियों, कार्यशालाओं और चर्चाओं में व्यापक स्तर पर विचार-विमर्श करने में मदद मिलती है। सर्वेक्षणों के माध्यम से आयोग देश भर में अपना दायरा बढ़ाना चाहता है।

14.3.2 विचाराणीय विषय

13 जून को जारी सरकारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के विचाराणीय विषय इस प्रकार हैं।

- शिक्षा व्यवस्था में उत्कृष्टता लाना ताकि वह 21वीं शताब्दी में ज्ञान की चुनौतियों का सामना कर सके और ज्ञान के क्षेत्रों में भारत की स्पर्धा लेने की क्षमता बढ़ा सके।
- विज्ञान और टेक्नोलॉजी प्रयोगशालाओं में ज्ञान की रचना को बढ़ावा देना।
- बौद्धिक संपदा अधिकारों से जुड़े संस्थाओं का प्रबंधन सुधारना।
- खेती और उद्योग में ज्ञान के उपयोग को बढ़ावा देना।

- सरकार को नागरिकों के लिए असरदार ए पारदर्शी और जवाबदेह सेवा प्रदान करने वाली संस्था का रूप देने में ज्ञान क्षमताओं के उपयोग को बढ़ावा देना और लोगों को अधिक से अधिक लाभ पहुँचाने के लिए ज्ञान के व्यापक प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देना।

14.3.3 राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के उद्देश्य

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का पहला उद्देश्य भारत को एक जोशीला ज्ञान आधारित समाज बनाना है। इसके लिए ज्ञान की मौजूदा प्रणालियों में बड़े पैमाने पर सुधार करने के साथ-साथ नए प्रकार के ज्ञान की रचना के लिए रास्ते तैयार करने होंगे। ज्ञान की रचना में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी बढ़ाना और ज्ञान को सबके लिए समान रूप से सुलभ बनाना भी इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण है।

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग उपयुक्त संस्थागत ढाँचा विकसित करना चाहता है जिससे

- शिक्षा व्यवस्था को मज़बूती मिले देश के भीतर अनुसंधान और अभिनव प्रयासों को बढ़ावा मिले तथा स्वास्थ्य, खेती और उद्योग जैसे क्षेत्रों में इस ज्ञान का आसानी से उपयोग किया जा सके।
- प्रशासन और संपर्क यानि कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सूचना और संचार तकनीकों का इस्तेमाल किया जाए।
- दुनिया भर में ज्ञान प्रणालियों के बीच सम्पर्क और आदान-प्रदान का तंत्र स्थापित हो सके।

अभ्यास प्रश्न

रिक्त स्थान भरिये.

1. राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन..... को किया गया था।
2. सर्वेक्षणों के माध्यम से आयोग देश भर में अपना दायरा..... चाहता है।
3. राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का पहला उद्देश्य भारत को एक जोशीला समाज बनाना है।

14.4 उच्च शिक्षा

भारत में उच्च शिक्षा का मतलब सेकेंडरी स्कूल से आगे की पढ़ाई है। उच्च शिक्षा के बारे में मध्यकालिक व्यापक उद्देश्य सकल भर्ती अनुपात को 2015 तक कम से कम 15 प्रतिशत तक बढ़ाना होगा। इसका अर्थ यह है कि अगले पाँच वर्ष के भीतर उच्च शिक्षा का दायरा दुगुने से भी अधिक फैलाना होगा। क्वालिटी को कमजोर किए बिना यह दायरा बढ़ाना होगा और शिक्षा का स्तर उठाना होगा तथा उच्च शिक्षा को ज्ञानवान समाज के

आवश्यकताओं और अवसरों के लिए अधिक उपयोगी बनाना होगा। इस बात को भी व्यापक मान्यता मिल रही है कि उच्च शिक्षा को समाज के सभी वर्गों के लिए अधिक सुलभ बनाना ज़रूरी है।

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग निम्नलिखित विषयों पर विचार कर रहा है।

- उच्च शिक्षा की मात्रा और क्वालिटी से जुड़े व्यवस्था संबंधी मुद्दे
- नियामक ढाँचा
- उच्च शिक्षा की सुलभता
- उच्च शिक्षा के लिए धन की व्यवस्था
- विश्वविद्यालयों का संस्थागत ढाँचा
- संचालन और प्रशासन
- पाठ्यक्रम और परीक्षा आदि का तंत्र

14.4.1 उच्च शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशें

उच्च शिक्षा ने स्वतंत्र भारत के आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और राजनीति लोकतंत्र को आगे बढ़ाने में उल्लेखनीय योगदान किया है। लेकिन इस समय चिंता का एक गंभीर कारण है। उच्च शिक्षा में प्रवेश करने वाले आयु वर्ग का हमारी जनसंख्या में अनुपात लगभग 7 प्रतिशत है। हमारे आबादी के बहुत बड़े हिस्से को उच्च शिक्षा की कोई सुविधा सुलभ नहीं है। इतना ही नहीं हमारे अधिकतर विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा का स्तर अपेक्षा से बहुत कम है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने इस बारे में उच्च शिक्षा से जुड़े विभिन्न व्यक्तियों के साथ औपचारिक और अनौपचारिक विचार-विमर्श किया है। इसके अलावा इसने संसद, सरकार, समाज और उद्योग में संबद्ध व्यक्तियों के साथ भी परामर्श किया है। उच्च शिक्षा व्यवस्था को लेकर सब चिंतित हैं। सबका एक मत से यह स्पष्ट मानना है कि उच्च शिक्षा में आमूलचूल बदलाव की ज़रूरत है ताकि हम शिक्षा का स्तर गिराए बिना कहीं अधिक संख्या में विद्यार्थियों को शिक्षा दे सकें। ऐसा करना विशेष रूप से आवश्यक है, क्योंकि 21वीं शताब्दी में अर्थव्यवस्था और समाज का बदलाव काफी हद तक हमारे लोगों में शिक्षा के क्षेत्र में उसकी क्वालिटी, खासकर उच्च शिक्षा के प्रसार और उसकी क्वालिटी पर निर्भर करता है। सबको समाहित करने वाला समाज ही एक ज्ञानवान समाज की बुनियाद की व्यवस्था कर सकता है।

क. विस्तार-

अधिक विश्वविद्यालयों की स्थापना करना:- उच्च शिक्षा व्यवस्था में अवसरों को बड़े पैमाने पर बढ़ाना ज़रूरी है। देश भर में करीब 1500 विश्वविद्यालय होने चाहिए, तभी भारत सन् 2015 तक कम-से-कम 15 प्रतिशत का सकल भर्ती अनुपात हासिल कर सकेगा। उच्च शिक्षा के लिए विनियमन का ढाँचा बदलना:- उच्च शिक्षा के बारे

में वर्तमान विनियमन व्यवस्था में कुछ महत्वपूर्ण कमियाँ हैं। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग समझता है कि उच्च शिक्षा के लिए एक स्वतंत्र विनियमन प्राधिकरण (आईआरएचई) की स्थापना बेहद आवश्यक है। यह प्राधिकरण सरकार से एकदम अलग होना चाहिए और सरकार के संबंधित मंत्रालयों सहित सभी हितधारकों के प्रभाव से मुक्त होना चाहिए:

सार्वजनिक खर्च बढ़ाना और वित्त के स्रोतों में विविधता लाना:- उच्च शिक्षा की हमारी व्यवस्था का विस्तार तब तक कि संभव नहीं है, जब तक उसके लिए धन की व्यवस्था का स्तर न बढ़ाया जाए। धन की व्यवस्था सार्वजनिक और निजी दोनों स्रोतों से होने चाहिए। शिक्षा के अवसर बढ़ाने के साधन के रूप में शिक्षा में निजी निवेश बढ़ाना बहुत आवश्यक है।

50 राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना करना:- राष्ट्रीय ज्ञान आयोग उच्चतम स्तर की शिक्षा दे सकने वाले 50 राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की सिफारिश करता है। इन विश्वविद्यालयों को बाकी देश के लिए मिसाल बनना चाहिए। इनमें विद्यार्थियों को मानविकी, समाज विज्ञान, मूल विज्ञानों, वाणिज्य और पेशेवर विषयों सहित विभिन्न विषयों में स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों स्तरों पर प्रशिक्षण देना चाहिए। 50 का यह आँकड़ा दीर्घकालिक लक्ष्य है। अगले तीन वर्ष में कम-से-कम दस ऐसे विश्वविद्यालय स्थापित करना महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय विश्वविद्यालय दो तरीके से स्थापित किए जा सकते हैं। उन्हें या तो सरकार स्थापित करे या फिर कोई निजी प्रायोजक संस्था कोई सोसाइटी, परोपकारी ट्रस्ट या धारा-25 के अंतर्गत कंपनी बनाकर यह काम कर सकती है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का प्रस्ताव है कि राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की भर्ती अखिल भारतीय स्तर पर की जाए। वे आवश्यकता से बंधे दाखिले का सिद्धांत अपनाएँगे। इसके लिए ज़रूरतमंद बच्चों की मदद के लिए छात्रवृत्तियों की व्यापक व्यवस्था की ज़रूरत होगी। राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में तीन वर्ष के कार्यक्रम के अंतर्गत अवर स्नातक डिग्री विभिन्न पाठ्यक्रमों में अपेक्षित संख्या में प्राप्त अंकों के बाद दी जानी चाहिए। अतः शिक्षा वर्ष में सेमिस्टर की व्यवस्था होगी और हर कोर्स के अंत में शिक्षक ही अपने विद्यार्थियों का मूल्यांकन करेंगे। एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से दूसरे राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को अंकों का हस्तांतरण करना संभव हो सकेगा। इन राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की क्षमता को अधिकतम स्तर पर लाने के लिए नियुक्ति और प्रोत्साहनों की उपयुक्त व्यवस्था की आवश्यकता है। शिक्षण और अनुसंधान, विश्वविद्यालयों और उद्योग तथा विश्वविद्यालयों और अनुसंधान प्रयोगशालाओं के बीच मज़बूत संबंध स्थापित किये जाने चाहिए। राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में अलग-अलग विभाग होंगे, लेकिन वे किसी कॉलेज को मान्यता नहीं देंगे।

ख. उत्कृष्टता

मौजूदा विश्वविद्यालयों में सुधार:- उच्च शिक्षा में बदलाव लाने के प्रयासों के अंतर्गत मौजूदा संस्थानों में सुधार करना ज़रूरी है। कुछ आवश्यक कदम हैं-

-विश्वविद्यालयों को कम-से-कम 3 वर्ष में एक बार अपने पाठ्यक्रम में संशोधन और फेर-बदल करना ज़रूरी होना चाहिए।

-विश्वविद्यालयों में एक बार फिर अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि एक-दूसरे की पूर्ति करने वाले शिक्षण और अनुसंधान प्रयासों के बीच सामंजस्य हो सके। इसके लिए नीतिगत उपायों के साथ-साथ संसाधनों के आवंटन, पुरस्कार प्रणाली और सोच में भी बदलाव आवश्यक है।

-सिखाने, सीखने की प्रक्रिया के लिए आवश्यक सुविधाओं, जैसे, पुस्तकालय, प्रयोगशाला और कनेक्टिविटी की लगातार निगरानी करना और उसमें सुधार करना आवश्यक है।

- विश्वविद्यालयों के प्रबंध के मौजूदा ढाँचे में सुधार की बहुत अधिक आवश्यकता है, क्योंकि यह ढाँचा न तो स्वायत्ता की रक्षा करता है और न ही जवाबदेही को बढ़ावा देता है। बहुत कुछ कियाजाना बाकी है, लेकिन दो महत्वपूर्ण बातों का जिक्र करना उचित होगा। सरकार को कुलपतियों की नियुक्तियों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दखल देना बंदकर देना चाहिए। यह काम तलाश की प्रक्रियाओं और उच्च कोटि के निर्णय पर आधारित होना चाहिए। यूनिवर्सिटी कोर्ट्स, विद्वत् परिषदों औरकार्यकारी परिषदों के आकार और संरचना पर सबसे पहले फिर से गौर किया जाना चाहिए, क्योंकि इनके कारण निर्णय लेने की प्रक्रिया धीमी होती है और कभी-कभी यह बदलाव में रूकावट बन जाते हैं।

क्वालिटी सुधारने को बढ़ावा देना:- उच्च शिक्षा व्यवस्था को समाज के प्रति और स्वयं अपने प्रति जवाबदेह होना

चाहिए। जवाबदेही बढ़ाने में ऐसी उच्च शिक्षा व्यवस्था के विस्तार की मुख्य भूमिका होगी, जो विद्यार्थियों को विकल्प दे और संस्थाओं के बीच स्पर्धा पैदा करे।

- सभी शिक्षा संस्थाओं के लिए यह अनिवार्य किया जाना चाहिए कि वे अपनी वित्तीय स्थिति, भौतिक संपत्तियों, प्रवेश के नियमों, शिक्षकों के पदों, शैक्षिक पाठ्यक्रम की सूचना के अलावा अपने प्रमाणीकरण के स्रोत और स्तर के बारे में पूरी जानकारी दें।

- विद्यार्थियों द्वारा पाठ्यक्रमों और शिक्षकों के मूल्यांकन के साथ-साथ शिक्षकों द्वारा शिक्षकों के मूल्यांकन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

- उच्च शिक्षा व्यवस्था में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि उच्च शिक्षा की किसी भी व्यवस्था में विविधता और बहुलता तो होती ही है, इसलिए सब पर एक समान नीति लागू करने से बचना चाहिए। इस तरह की विविधता और अंतर की उपेक्षा करने या उससे बचने की बजाय बहुलता की भावना को समझना चाहिए।

ग. सबको शामिल करना

सभी योग्य विद्यार्थियों को शिक्षा सुलभ कराना:- अधिक अवसरों की रचना के माध्यम से शिक्षा समाज में सबको शामिल करने के लिए एक बुनियादी तंत्र है। अतः यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि किसी भी विद्यार्थी को वित्तीय कठिनाई के कारण उच्च शिक्षा पाने के अवसरों से वंचित न रहना पड़े। इसके लिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग निम्नलिखित उपायों का प्रस्ताव करता है:-

- उच्च शिक्षा संस्थानों को आवश्यकता से बंधी प्रवेश नीति अपनाने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। ऐसी नीति के अंतर्गत किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश देने या न देने का निर्णय लेते समय उसकी वित्तीयस्थिति को ध्यान में रखना शिक्षा संस्थान के लिए गैर-कानूनी होगा। आर्थिक रूप से कम साधन संपन्न विद्यार्थियों और ऐतिहासिक तथा सामाजिक दृष्टि से वंचित समूहों के विद्यार्थियों के लिए विस्तारित राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना होनी चाहिए और उसके लिए धन की कमी नहीं रहनी चाहिए।

ठोस कार्रवाई:- उच्च शिक्षा व्यवस्था का एक मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से कम साधन संपन्न विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की सुलभता और अधिक कारगर ढंग से बहुत ज्यादा बढ़ाई जाए।

शिक्षा की उपलब्धियों में विसंगतियाँ जाति और सामाजिक समूहों से तो संबद्ध हैं ही, लेकिन वे आमदनी, लिंग, क्षेत्र और निवास स्थान जैसे अन्य संकेतकों से भी गहराई से जुड़ी हुई हैं। ऐसा सार्थक और व्यापक ढाँचा विकसित करना जरूरी है जो मौजूदा भिन्नताओं के विविध आयामों का समाधान करे। उदाहरण के लिए विद्यार्थियों को अधिक अंक देने के लिए वंचना सूचकांक का इस्तेमाल किया जा सकता है और स्कूल परीक्षा में किसी विद्यार्थी के अंकों के पूरक के रूप में संचित अंकों का उपयोग किया जा सकता है।

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशों पर अमल के लिए तीन विभिन्न स्तरों पर कार्रवाई करनी होगी: मौजूदा व्यवस्थाओं के भीतर सुधार, नीतियों में बदलाव और मौजूदा कानूनों या विधानों में संशोधन या नए कानून बनाना। प्रस्तावित परिवर्तनों को भी तीन अलग-अलग स्तरों पर लागू करना होगा: विश्वविद्यालय, राज्य सरकारें और केन्द्र सरकार।

अभ्यास प्रश्न

रिक्त स्थान भरिये.

1. राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का उद्देश्य सकल भर्ती अनुपात को ३३ कम से कम 15 प्रतिशत तक बढ़ाना है।
2. राष्ट्रीय ज्ञान आयोग उच्चतम स्तर की शिक्षा दे सकने वाले स्थापित करने की सिफारिश करता है।
3. उच्च शिक्षा व्यवस्था को समाज के प्रति और स्वयं अपने प्रति होना चाहिए।

14.5 मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशें

दूरस्थ शिक्षा को साधारणतया, शिक्षा की उस प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें शिक्षार्थी को दूर स्थान से शिक्षा प्रदान की जाती है। इसमें दो मूल तत्व निहित हैं- शिक्षक और शिक्षार्थी की शारीरिक रूप से दूरी और शिक्षक की परिवर्तित भूमिका।

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (एनकेसी) ऐसा मानता है कि उच्चतर शिक्षा में विस्तार, समावेशन और उत्कृष्टता के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओडीई) की प्रणाली में जबरदस्त बदलाव लाए जाने जरूरी हैं। ओडीई केवल उन्हीं लोगों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध नहीं कराती, जिन्होंने आर्थिक अथवा सामाजिक दबावों के कारण औपचारिक शिक्षा आधी कर बीच में छोड़ दी थी बल्कि स्कूली शिक्षा छोड़ने वाले ऐसे युवकों को भी शैक्षिक अवसर प्रदान करती है जोकि विश्वविद्यालयों की औपचारिक धारा में दाखिला पाने में असमर्थ हैं। ओडीई के स्तर में सुधार लाने तथा इसे समाज की जरूरतों के लिए और अधिक उपयुक्त बनाए जाने की सुस्पष्ट आवश्यकता मौजूद है। ओडीई में प्रौद्योगिकी के प्रयोग के माध्यम से उच्चतर शिक्षा में अवसरों का विस्तार करना समान रूप से महत्वपूर्ण है। ओडीई के विशाल स्तर पर विस्तार के बिना 2015 तक 15 प्रतिशत का सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करना संभव नहीं होगा। इस प्रयास में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ओडीई को परंपरागत क्लासरूम अधिगम की तुलना में घटिया माना जाता है। इस तरह की मान्यता और वस्तुस्थिति-दोनों में बदलाव लाए जाने की जरूरत है। हमें यह जरूर महसूस करना होगा कि ओडीई केवल शैक्षिक आपूर्ति का एक माध्यम नहीं है, बल्कि ज्ञान के सृजन में प्रवृत्त एक एकीकृत विषयक्षेत्र है।

उपर्युक्त स्थिति के प्रकाश में आयोग ने इग्नू के पूर्व उप-कुलपति प्रोफेसर राम तकवले की अध्यक्षता में इस क्षेत्र में लब्धप्रतिष्ठ विशेषज्ञों से युक्त एक कार्यदल का गठन किया। इस कार्यदल द्वारा प्रदत्त इन्पुटों और हितधारकों के साथ परामर्श के आधार पर आयोग ने निम्नानुसार सिफारिशें की-

1. ओडीई संस्थानों के नेटवर्क निर्माण के लिए राष्ट्रीय आईसीटी आधारीक-तंत्र का सृजन करे- सभी ओडीई संस्थानों के नेटवर्क निर्माण के लिए सरकारी सहायता के माध्यम से एक राष्ट्रीय सूचना और संचारप्रौद्योगिकी (आईसीटी) आधारीक-तंत्र अवश्य स्थापित किया जाना चाहिए। इस संबंध में हम यह सिफारिश करते हैं कि एनकेसी द्वारा प्रस्तावित डिजिटल ब्राडबैंड ज्ञान नेटवर्क में प्रमुख ओडीई संस्थानों को तथा पहले चरण में ही उनके अध्ययन केन्द्रों को परस्पर जोड़ने के लिए प्रावधान होना चाहिए। अंततः 2 एमबीपीएस की न्यूनतम संयोज्यता का विस्तार सभी ओडीई संस्थानों के अध्ययन केन्द्रों तक किया जाना जरूरी है। एक राष्ट्रीय आईसीटी अवलंब, ओडीई में सुलभता और ई-अभिशासन का संवर्द्धन करेगा और सभी विधियों के बीच अर्थात मुद्रित, श्रव्य-दृश्य और इंटरनेट-आधारित मल्टीमीडिया में ज्ञान का प्रसार करा सकेगा।

2. वेब-आधारित सामान्य मुक्त संसाधन विकसित करने के लिए एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रतिष्ठान की स्थापना करें- उच्च स्तरीय शैक्षिक संसाधनों का एक वेब-आधारित कोष विकसित करने के लिए समुचित निधियों की

एकबारगी उपलब्धता सहित एक राष्ट्रीय शैक्षिक प्रतिष्ठान अवश्य स्थापित किया जाना चाहिए। यह जरूरी है कि एक सहयोगात्मक प्रक्रिया, उच्चतर शिक्षा के सभी प्रमुख संस्थानों के प्रयासों और विशेषज्ञता को संचित करने के माध्यम से मुक्त शैक्षिक संसाधन (आईईआर) का आनलाइन सृजन अवश्य किया जाना चाहिए। ओईआर कोष ओडीई के माध्यम से चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के लिए शिक्षाशास्त्रीय साटवेयर की आपूर्ति करेगा और वह सभी ओडीई संस्थानों द्वारा प्रयोग के लिए उपलब्ध रहेगा। इस प्रयोजन के लिए एक ऐसा समर्थनकारी विधिक तंत्र, जो कि बौद्धिक कर्तव्य के साथ कोई समझौता किए बिना निर्बाध सुलभता उपलब्ध कराएगा, अवश्य स्थापित किया जाना चाहिए।

3. पाठ्यक्रम क्रेडिट प्रणाली में अंतरण प्रभावित करने के लिए एक क्रेडिट कोष स्थापित करें-

छात्रों को सभी ओडीई संस्थानों और विषयक्षेत्रों में भाग लेने योग्य बनाने के लिए एक पाठ्यक्रम क्रेडिट प्रणाली में अंतरण जरूरी है। इस प्रक्रिया के एक अंग के रूप में प्रत्येक छात्र द्वारा अर्जित क्रेडिटों के भंडारण और पूर्ति के वास्ते एक स्वायत्त क्रेडिट बैंक अवश्य स्थापित किया जाना चाहिए।

4. ओडीई छात्रों का आकलन करने के लिए एक राष्ट्रीय शिक्षा परीक्षण सेवा स्थापित करें-

कानून के माध्यम से एक स्वायत्त राष्ट्रीय शिक्षा परीक्षण सेवा (एनईटीएस) अवश्य स्थापित की जानी चाहिए और उसे ओडीई में सभी संभावित स्नातकों का आकलन करने के लिए कार्यात्मक अधिकार तथा जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। यह एकीकृत परीक्षा प्रणाली बौद्धिक और प्रायोगिक कार्य करने में छात्रों की योग्यता जांच सकेगी। ओडीई के माध्यम से चलाए जा रहे सभी पाठ्यक्रम, डिग्रियां और क्रियाकलाप इस प्रणाली के माध्यम से प्रमाणित किए जाने चाहिए।

5. परंपरागत विश्वविद्यालयों के साथ अभिसरण को सुविधापूर्ण बनाएं-

मुक्त विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित कार्यक्रमों तथा परंपरागत शैक्षिक संस्थानों के दूरस्थ शिक्षा स्कंधों द्वारा आयोजित पत्राचार पाठ्यक्रमों के बीच अभिसरण की कमी एक बड़ी चिंता का कारण है। मुक्त विश्वविद्यालयों को एक-दूसरे के प्रतिकूल समानांतर प्रणालियों के रूप में काम करने की बजाय एकसमान लक्ष्यों और कार्यनीतियों के प्रति लक्षित परंपरागत विश्वविद्यालयों के साथ संगठनात्मक तालमेल स्थापित करना चाहिए। परंपरागत विश्वविद्यालयों के भीतर कार्यरत दूरस्थ शिक्षा विभागों को आकलन के प्रयोजन के लिए, पत्राचार पाठ्यक्रमों को नेट्स के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके साथ-साथ विश्वविद्यालयों को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके दूरस्थ कार्यक्रम अलग-थलग नहीं हैं बल्कि उन्हें संबंधित विषयक्षेत्रों में विश्वविद्यालय विभागों के साथ वैचारिक आदान-प्रदान से लाभान्वित होना चाहिए। इस तरह के अभिसरण का लक्ष्य अंततः यह होना चाहिए कि छात्रों को मुक्त रूप से एक प्रणाली से दूसरी प्रणाली में जाने के योग्य बनाया जा सके।

6. ओडीई में अनुसंधान क्रियाकलापों के समर्थन के लिए एक अनुसंधान प्रतिष्ठान की स्थापना करें-

ओडीई में एक बहु आयामी और बहुविषयक्षेत्रीय अनुसन्धान शुरू करे और उसे सुविधापूर्ण बनाने के लिए एक स्वायत्त तथा सुसमृद्ध अनुसन्धान प्रतिष्ठान स्थापित किया जाना चाहिए। इसके अलावा पुस्तकालय, डिजिटल डाटाबेसों और आनलाइन पत्रिकाओं जैसे आधारीक-तंत्र स्थापित करके, नियमित कार्यशालाएं और संगोष्ठियां आयोजित करके अनुसन्धान के लिए विश्राम छुट्टी मजूर करके, शोधकर्ताओं के लिए प्रकाशन के लिये मंच उपलब्ध कराने के प्रयोजन से एक समकक्ष समीक्षित पत्रिका स्थापित करके तथा अन्य ऐसे उपायों के माध्यम से अनुसन्धान के लिए एक अनुकूल वातावरण का सृजन अवश्य किया जाना चाहिए।

7. प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का कायाकल्प करें-

प्रशिक्षण और दिशा-अनुकूलन कार्यक्रमों की अवधारणा ऐसे बनाई जानी चाहिए कि प्रशिक्षक और प्रशासक, छात्रों की बहुविध रुचियों की पूर्ति करने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रभावी प्रयोग करने की स्थिति में हो सकें। प्रशिक्षण माड्यूलों की अंतर्वस्तु को, स्व-अधिगम के सिद्धांतों और परिपाटियों से साथ घनिष्ठता को प्रोत्साहित करना चाहिए। उनकी आपूर्ति वेब-समर्थित, श्रुत्य-दृश्य और विशेषज्ञों, व्यावसायिकों तथा समकक्षों के साथ नियमित आधार पर आमने-सामने के वैचारिक आदान-प्रदान सहित विभिन्न माध्यमों से की जानी चाहिए।

8. विशेष जरूरतों वाले छात्रों के लिए सुलभता बढ़ाएं-

विकलांग छात्रों और वरिष्ठ नागरिकों की जरूरतों की ओर ध्यान देने के लिए सभी ओडीई संस्थानों में विशेष शिक्षा समितियां गठित की जानी चाहिए। इन समितियों को ऐसे तंत्र तैयार करने चाहिए जिनसे उनकी सहभागिता सुनिश्चित हो सके और मानीटरन, नीतियों के मूल्यांकन तथा फीडबैक के संग्रह के लिए प्रभावी तंत्र उपलब्ध कराए जा सकें। दाखिला मानदंड और समय तालिकाएं अनिवार्यतः इतनी नमनशील होनी चाहिए कि विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं वाले छात्रों और वरिष्ठ नागरिकों की कार्यक्रम अपेक्षाओं की पूर्ति करने के लिए बहुविध विकल्प उपलब्ध रहें। मुक्त शैक्षिक संसाधनों से प्राप्त शिक्षाशास्त्रीय साधन और घटक विशेष अधिगम जरूरतों के लिए वैकल्पिक फोरमेटों के अनुकूलन योग्य होने जरूरी हैं। उदाहरण के लिए इसमें दृष्टि विकलांग छात्रोंके लिए ब्रेल, वर्णवैषम्य पाठ्य सामग्री और ध्वनि रिकार्डिंग उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

9. ओडीई के विनियमन के लिए स्थायी समिति का सृजन करें

संप्रति, इन्डू के अधीन दूरस्थ शिक्षा परिषद (डीईसी) समूचे देश के भीतर ओडीई संस्थानों के लिए मानक निर्धारित करती है और निधियों का संवितरण करती है। एनकेसी का ऐसा मानना है कि यह व्यवस्था उपयुक्त और समुचित विनियमन उपलब्ध नहीं करा सकती। आयोग द्वारा प्रस्तावित उच्चतर शिक्षा के लिए स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण (आईआरएएचई) के तहत मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पर एक स्थायी समिति का गठन करके एक नया विनियामक तंत्र अवश्य स्थापित किया जाना चाहिए। यह सांविधिक निकाय प्रत्यायन के लिए स्थूल मानदंड

विकसित करने और साथ ही गुणवत्ता आश्वासन के लिए मानक निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार होगा। यह निकाय सभी स्तरों पर पणधारियों और आईआरएचई के प्रति जवाबदेह होगा और इसमें शिक्षा और विकास क्षेत्रों के साथ जुड़े हुए सरकारी, निजी और सामाजिक संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इनमें ये शामिल हैं केन्द्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, निजी मुक्त विश्वविद्यालय, परंपरागत शिक्षा संस्थान और साथ ही ओडीई की आधारीक जरूरतों का अध्ययन करने के लिए स्थापित विशेषज्ञतापूर्ण निकायों के अध्यक्ष।

इसके अलावा स्थायी समिति के तत्वावधान के अधीन दो विशेषज्ञतापूर्ण निकाय स्थापित किए जाने चाहिए:-

- i. दिशा-निर्देश देने, नमनशीलता सुनिश्चित करने तथा अनुप्रयोग में अद्यतन घटनाक्रम की खोज लेने के लिए आईटी क्षेत्र, दूरसंचार, अंतरिक्ष तथा उद्योग के प्रतिनिधियों से युक्त एक तकनीकी सलाहकार समूह स्थापित किया जाना चाहिए। सबसे अधिक महत्वपूर्ण काम विभिन्न एजेंसियों द्वारा विकसित अधिगम सामग्री का वर्गीकरण करने के लिए सामान्य मानक तैयार करना होगा जिससे कि सूचक बनाने, भंडारण, खोज तथा बहुविध कोषों के बीच बहुविध साधनों के माध्यम से सामग्री की पुनःप्राप्ति को समर्थन मिल सके।
- ii. पाठ्यक्रम सामग्री पर मार्गनिर्देश उपलब्ध कराने और कोषों के विकास, सामग्री के आदान-प्रदान, छात्रों के लिए सुलभता तथा ऐसे ही अन्य मुद्दों के बारे में एक शिक्षाशास्त्रीय अंतर्वस्तु प्रबंध पर एक सलाहकार समूह का गठन किया जाना चाहिए। साथ ही मुक्त और दूरस्थ शिक्षा संबंधी स्थायी समिति मुक्त शैक्षिक संसाधनों पर राष्ट्रीय शैक्षिक प्रतिष्ठान, राष्ट्रीय शिक्षा परीक्षण सेवा (नेट्स) तथा क्रेडिट बैंक के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में भी काम करेगी।

10. गुणवत्ता आकलन के लिए एक प्रणाली विकसित करें-

बाजारचालित अर्थव्यवस्था की स्थिति में नियोक्ताओं, छात्रों तथा अन्य पणधारियों द्वारा विश्वसनीय बाह्य मूल्यांकन को महत्व दिया जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ओडीई प्रदान करने वाले सभी संस्थानों के स्तर का आकलन करने के लिए एक क्रम-निर्धारण प्रणाली अवश्य तैयार की जानी चाहिए और वह सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होनी चाहिए। स्थायी समिति क्रम-निर्धारण मानदंड निर्धारित करेगी तथा यह कार्य करने के लिए आईआरएचई द्वारा स्वतंत्र क्रम-निर्धारण एजेंसियों को लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा यह सिफारिश की जाती है कि प्रत्येक ओडीई संस्थान को यह सुनिश्चित करने के लिए कि सांविधिक गुणवत्ता अनुपालन की नियमित पूर्ति की जा रही है, एक आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन सेल रखना चाहिए।

अभ्यास प्रश्न

रिक्त स्थान भरिये.

1. ओडीई केवल शैक्षिक आपूर्ति का एक माध्यम नहीं है, बल्कि ज्ञान के एक एकीकृत विषयक्षेत्र है।
2. एनकेसी द्वारा प्रस्तावित में प्रमुख ओडीई संस्थानों को तथा पहले चरण में ही उनके अध्ययन केन्द्रों को परस्पर जोड़ने के लिए प्रावधान होना चाहिए।
3. दूरस्थ शिक्षा परिषद (डीईसी) समूचे देश के भीतर ओडीई संस्थानों के लिए निर्धारित करती है

14.6 सारांश

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आप राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के स्वरूप, आधार, उद्देश्य और कार्यों के बारे में जान चुके होंगे। उच्च शिक्षाएँ मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में इसकी भूमिकाएँ अनुशासनाएँ परामर्श के बारे में समझ गये होंगे। शिक्षण संस्थानों में सुधारण गुणवत्तापूर्ण शिक्षणएँ उत्कृष्ट अध्यापनएँ तकनीकियों का अभिनव प्रयोगएँ भवन निर्माणएँ नएँ विश्वविद्यालयों का निर्माणएँ विशेष छात्रों के लिए शिक्षण की उपलब्धताएँ शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण इत्यादि आवश्यकताओं से परिचित हो गए होंगे।

14.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

भाग -1 (1) 13 जून 2005 (2) बढ़ाना (3) ज्ञान आधारित

भाग-2 (1) 2015 तक (2) 50 राष्ट्रीय विश्वविद्यालय (3) जवाबदेह

भाग -3 (1) सृजन में प्रवृत्त (2) डिजिटल ब्राडबैंड ज्ञान नेटवर्क (3) मानक

14.8 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- राष्ट्रीय ज्ञान आयोग पोर्टल

14.9 निबंधात्मक प्रश्न

1. राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के स्वरूप, उद्देश्य और कार्यों के बारे में आप क्या जानते हैं? समझाइये।
2. उच्च शिक्षा को उत्तम बनाने हेतु आयोग ने क्या परामर्श दिए हैं? बताईये।
3. मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए आयोग ने क्या सुझाव दिए हैं? बताईये।

इकाई 15 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 National Education Policy 1986

- 15.1 प्रस्तावना Introduction
- 15.2 उद्देश्य Objectives
- 15.3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 का दस्तावेज (Documents with regard to National Education policy)
- 15.4 कार्य योजना 1986 का दस्तावेज (Documents with regard to Plan of Action)
- 15.5 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के मूल तत्व Main Components of National Education Policy
 - 15.5.1 मुक्त विश्वविद्यालय तथा दूरस्थ शिक्षा Open University and Distance Learning
 - 15.5.2 ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना (Operation Black Board Plan)
- 15.6 सारांश Summary
- 15.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर Answer of Practice Question
- 15.8 शब्दावली Glossary
- 15.9 संदर्भ Reference
- 15.10 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों Long Answer Type Question

15.1 प्रस्तावना Introduction

भारत देश सदियों तक अधीन रहा है जिसके कारण भारत की शिक्षा व्यवस्था चरमरा गयी थी इस शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए स्वन्त्रता के बाद अनेक नीतियों का निर्माण किया गया लेकिन समय व सरकार बदलने के साथ आधारभूत नीतियों को लागू नहीं किया जा सका। परिणाम यह रहा कि सरकार बदलते ही नीतियों में भी परिवर्तन देखा गया। 1969 में केन्द्र की कांग्रेस सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की थी, कई प्रान्तों में 10+2+3 शिक्षा संरचना लागू हो गई थी, कई प्रान्तों ने अपने-अपने ढंग से त्रिभाषा सूत्र लागू कर दिया था, कई प्रान्तों में कृषि, व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा, विज्ञान शिक्षा और वैज्ञानिक शोधों के लिए विशेष प्रावधान किए जाने लगे थे, प्रायः सभी प्रान्तों में परीक्षा प्रणाली में सुधार की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, आधुनिकीकरण के नाम पर विज्ञान एवं गणित की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई थी और शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए कदम उठाये जाने लगे थे। परन्तु 1977 में केन्द्र में जनता दल सत्तारूढ़ हो गया और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई ने 10+2+3 शिक्षा संरचना के स्थान पर 8+4+3 शिक्षा संरचना का विचार प्रस्तुत किया। परिणाम यह हुआ कि तत्कालीन केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री श्री प्रताप चन्द्र चन्दर ने कुछ शिक्षाविदों और सांसदों के सहयोग से एक नई शिक्षा नीति तैयार की और 1979 में उसकी घोषणा कर डाली। इसे अभी लागू भी

नहीं किया जा सका था कि 1980 में केन्द्र में पुनः कांग्रेस सत्ता में आ गई और श्रीमती इन्दिरा गाँधी पुनः प्रधानमन्त्री बनीं। इन्दिरा गाँधी ने पुनः राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के अनुपालपर जोर दिया। इसी बीच इन्दिरा गाँधी की हत्या कर दी गई, उनके स्थान पर राजीव गाँधी को प्रधानमन्त्री बनाया गया।

युवा प्रधानमन्त्री राजीव गाँधी ने हर क्षेत्र में आन्दोलनकारी कदम उठाने शुरू किए, शिक्षा के क्षेत्र में भी। उन्होने कहा कि वर्तमान शिक्षा राष्ट्र की माँगों को पूरा करने में असमर्थ है, इनका पुननिरीक्षण होना चाहिए और पुनर्गठन होना चाहिए। पर इस बार न तो किसी आयोग का गठन किया गया और न ही किसी समिति का। सर्वप्रथम सरकार ने तत्कालीन शिक्षा का सर्वेक्षण कराया और उसे 'शिक्षा की चुनौती: नीति सम्बन्धी परिप्रेक्ष्य' (Challenge of Education: A Policy Perspective) नाम से अगस्त, 1983 में प्रकाशित किया। इस दस्तावेज में भारतीय शिक्षा की 1951 से 1983 तक की प्रगति यात्रा का सांख्यिकीय विवरण, उसकी उपलब्धियों एवं असफलताओं का यथार्थ चित्रण और उसके गुण-दोषों का सम्यक् विवेचन किया गया है। सरकार ने इस दस्तावेज को जनता के हाथों में पहुँचाया और इस पर देशव्यापी बहस शुरू की। सभी प्रान्तों के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से सुझाव प्राप्त हुए। केन्द्रीय सरकार ने इस सुझावों के आधार पर एक नई शिक्षा नीति तैयार की और उसे संसद के बजट अधिवेशन 1986 में प्रस्तुत किया। संसद के पास कराने के बाद इसे मई 1986 में प्रकाशित किया गया। इस शिक्षा नीति की घोषणा के कुछ माह बाद इसकी कार्य योजना ((Plan of Action) नामक दस्तावेज प्रकाशित किया गया। यह भारत की ऐसी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। इस नीति के बारे में कहा गया था कि यह आने वाले समय के लिय शिक्षा का महाधिकार-पत्र (Magna Chartaa) साबित होगी।

15.2 उद्देश्य Objectives

- i. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने शिक्षा में जो क्रांतिकारी परिवर्तन किये हैं उनको जान सकेगें।
- ii. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त कर सकेगें।
- iii. मिड दे मिल योजना के उद्देश्यों को जान सकेगें।
- iv. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के मूल तत्व को जान सकेगें।
- v. प्राथमिक शिक्षा को स्थिति को जान सकेगें।

15.3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 का दस्तावेज (Documents with Rregard to National Education policy)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 का दस्तावेज 12 भागों में विभाजित है। यहाँ उनका वर्णन संक्षेप में प्रस्तुत है-

प्रथम भाग- भूमिका (Introductory):- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का व्यापक प्रभाव पड़ा है सभी प्रान्तों में 10+2+3 शिक्षा संरचना स्वीकार कर ली गई है, प्राथमिक शिक्षा 90 प्रतिशत बच्चों को उपलब्ध है, माध्यमिक स्तर पर विज्ञान और गणित की शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है, उच्च शिक्षा के स्तर को उठाने

की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और देश की आवश्यकतानुसार जन शक्ति की पूर्ति हो रही है। पर साथ ही यह भी स्वीकार किया गया है कि उस नीति के अधिकांश सुझाव कार्य रूप में परिणित नहीं हो सके हैं। फिर इस बीच देश की परिस्थितियों में भारी परिवर्तन हुआ है। देश की जनसंख्या तेजी से बढ़ने पर लोकतन्त्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति में अनेक अड़चनें आ रही हैं। इनके अतिरिक्त हमें भविष्य में अनेक समस्याओं का सामना करना होगा, अतः आवश्यक है कि वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए सरकार शिक्षा की नई नीति तैयार करे और उसे क्रियान्वित करे।

द्वितीय भाग- शिक्षा का सार और उसकी भूमिका (The Essence and Role of Education) :- सबके लिए शिक्षा हमारे भौतिक एवं अध्यात्मिक विकास की बुनियादी आवश्यकता है। शिक्षा मनुष्य को सुसंस्कृत बनाती है और संवेदनशील बनाती है जिससे राष्ट्रीय एकता विकसित होती है। यह मनुष्य में स्वतन्त्र चिन्तन एवं सोच-समझ की क्षमता उत्पन्न करती है जिससे हम लोकतन्त्रीय लक्ष्य-स्वतन्त्रता, समानता, भ्रातृत्व, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और न्याय की प्राप्ति कर सकते हैं, आर्थिक विकास कर सकते हैं और अपने वर्तमान एवं भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। शिक्षा वास्तव में एक उत्तम निवेश (Investment) है। सभी अभिभावकों को आज की स्थिति को देखते हुए उत्तम विद्यालयों में शिक्षा दिलानी चाहिये।

तीसरे भाग- राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली (National Education System) :- राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में संविधान की मूल धारणा- 'एक निश्चित स्तर तक बिना किसी भेदभाव के सभी को समान शिक्षा उपलब्ध हो' को सर्वप्रथम वरीयता दी जानी चाहिए। साथ ही पूरे देश में समान शिक्षा संरचना 10+2+3 लागू होनी चाहिए। इसमें प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा की ऐसी आधारभूत पाठ्यचर्या (Core Curriculum) तैयार होनी चाहिए जिसके द्वारा राष्ट्रीय मूल्यों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो सके। साथ ही प्रत्येक स्तर की शिक्षा का न्यूनतम अधिगम स्तर (Minimum Level of Learning) निश्चित होना चाहिए और उसमें गुणात्मक सुधार होना चाहिए।

चौथे भाग- समानता के लिए शिक्षा (Education for Equality) :- सभी वर्गों को शिक्षा का समान अधिकार प्राप्त हो। शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त विषमताओं को दूर कर महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, विकलांगों और प्रौढ़ की शिक्षा के लिए विशेष प्रयत्न किए जाने चाहिए। क्योंकि शिक्षा के ही माध्यम से व्यक्ति अपने अधिकारों को प्राप्त जीवन कर सकता है अथवा न मिलने पर कानून का सहारा लेकर सम्मान से जीवित रह सकता है।

पाँचवें भाग- विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन-शिशुओं की देख-भाल और शिक्षा (Reorganization of Education at Different Stages-Early Childhood Care and Education) :- पूर्व प्राथमिक स्तर पर शिशुओं के पोषण, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की रुचिपूर्ण क्रियाओं, माध्यमिक स्तर पर गति निर्धारक विद्यालयों (Pace Setting Schools) की स्थापना और उच्च स्तर पर खुले विश्वविद्यालयों (Open Universities) की स्थापना पर बल दिया गया है। साथ ही यह घोषणा की गई है कि चुने हुए क्षेत्रों में रोजगार की उपाधि से विलग करने की शुरुआत की जाएगी।

छठे भाग- तकनीकी एवं प्रबन्ध शिक्षा (Technical and Management Education) :- इसमें तकनीकी और प्रबन्ध शिक्षा के महत्त्व को स्पष्ट किया गया है और इसकी समुचित व्यवस्था पर बल दिया गया है।

सातवें भाग- शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाना (Making the System Work) :- शिक्षा तब तक प्रभावशाली नहीं हो सकती जब तक शिक्षक शिक्षा के अन्दर शिक्षा के प्रति समर्पण न हो। प्रशासनिक तन्त्र को सक्रिय बनाने, शिक्षकों की जवाबदेही निश्चित करने और शिक्षार्थियों को कर्तव्य बोध कराने पर बल दिया गया है।

आठवें भाग- शिक्षा की विषयवस्तु और प्रक्रिया को नया मोड़ देना (Reorienting the Content and Process of Education) :- सांस्कृतिक मूल्यों और वैज्ञानिक सोच में समन्वय करने पर बल दिया गया है, मूल्यों की शिक्षा और भारतीय भाषाओं के विकास के साथ-साथ गणित और विज्ञान की शिक्षा पर बल दिया गया है और स्वास्थ्यवर्द्धक क्रियाओं-खेल-कूद आदि पर बल दिया गया है और अन्त में परीक्षा प्रणाली एवं मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार के लिए सुझाव दिए हैं।

नवें भाग- शिक्षक (The Teacher) :- शिक्षकों के वेतनमान बढ़ाने और सेवाशर्तों को आकर्षक बनाने की बात कही गई है और शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार के सुझाव दिए गए हैं। ताकि शिक्षा का विकास हो सके। व्यवसाय से संतुष्ट शिक्षक ही शिक्षण कार्यों में अधिक रूचि लेते हैं।

दसवें भाग- शिक्षा का प्रबन्ध (The Management of Education) :- शिक्षा में प्रशासन के विकेन्द्रीकरण पर बल दिया गया है, राष्ट्रीय स्तर पर 'भारतीय शिक्षा सेवा', राज्य स्तर पर 'प्रान्तीय शिक्षा सेवा' और जिले स्तर पर 'जिला शिक्षा परिषद' के गठन की बात कही गई है और शिक्षा प्रशासन को चुस्त करने की बात कही गई है। साथ ही शिक्षा पर राष्ट्रीय आय की 6 प्रतिशत धनराशि व्यय करने की घोषणा की गई है।

ग्यारहवें भाग- संसाधन तथा समीक्षा (Resources and Review) :- राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 को लागू करने के लिए एक बड़ी धनराशि की आवश्यकता होगी। अतः प्रत्येक प्रस्तावित कार्य के लिए अनुमानित धनराशि आवंटित करने की व्यवस्था की जाएगी। इस भाग में इस बात पर भी बल दिया गया है कि प्रत्येक पाँच वर्ष बाद नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन और उसके परिणामों की समीक्षा की जाए। ताकि शिक्षा सभी बच्चों को आसानी से सुलभ हो सके।

बारहवें और अन्तिम भाग- भविष्य (The Future) :- भारत सरकार ने सार्वभौमिक शिक्षा के उद्देश्य हेतु सभी के द्वार तक शिक्षा की अलख जगाने का प्रयास किया है यह विश्वास प्रकट किया गया है कि हम निकट भविष्य में शतप्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे और हमारे देश के उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति सर्वोत्तम स्तर के होंगे।

15.4 कार्य योजना 1986 का दस्तावेज (Documents with regard to Plan of Action)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा मई 1986 में की गई और नवम्बर 1986 में कार्य योजना (Plan of Action, POA) नामक दस्तावेज प्रकाशित किया गया। यह कार्य योजना 24 भागों में विभाजित है। यहाँ उसका वर्णन संक्षेप में प्रस्तुत है।

प्रथम भाग- पूर्व बाल्यावस्था परिचर्या एवं शिक्षा (Early Childhood Care and Education):- शिशुओं के जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु तक स्वास्थ्य की देखभाल एवं पूर्व प्राथमिक शिक्षा के प्रसार हेतु एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (Integrated Child Development Services) के पूर्व विद्यालय शिक्षा पक्ष को सुदृढ़ करने, पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा योजना में स्वास्थ्य एवं पोषण को जोड़ने, दिवस परिचर्या केन्द्रों को सुदृढ़ करने करके और इन सब कार्यों के लिए अलग से धनराशि की व्यवस्था करने की योजना की प्रस्तुत की गई है।

द्वितीय भाग- प्रारम्भिक शिक्षा और ब्लैक बोर्ड योजना (Elementary Education and Operation Black Board) :- प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए 1 किमी⁰ की दूरी के अन्दर प्राथमिक स्कूल और 3 किमी⁰ की दूरी के अन्दर उच्च प्राथमिक स्कूल और आवश्यकतानुसार निरौपचारिक शिक्षा केन्द्र खोलने की बात कही गई और प्राथमिक स्कूलों की दशा-सुधारने के लिए ब्लैक बोर्ड योजना प्रस्तुत की गई है। ब्लैक बोर्ड योजना के अन्तर्गत प्राथमिक विश्वविद्यालयों की न्यूनतम आवश्यकताओं (दो कमरों का भवन, फर्नीचर, शिक्षण सामग्री, पुस्तकालय सामग्री खेल सामग्री और कम से कम दो शिक्षकों) की पूर्ति करने और इन सबके लिए धनराशि जुटाने का संकल्प किया गया है।

तृतीय भाग- माध्यमिक शिक्षा तथा नवोदय विद्यालय (Secondary Education and Navodya Vidyalaya) :- माध्यमिक शिक्षा के प्रसार एवं उन्नयन के लिए आवश्यकतानुसार माध्यमिक स्कूल खोलने, सभी माध्यमिक स्कूलों की दशा सुधारने, माध्यमिक स्तर पर खुली शिक्षा की व्यवस्था करने और गति निर्धारक-नवोदय विद्यालयों की स्थापना की पूरी रूपरेखा प्रस्तुत की गई है।

चतुर्थ भाग- शिक्षा का व्यावसायीकरण (Vocationalization of Education) :- प्रारम्भ से ही कार्यानुभव पर बल देने, +2 के लिए विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक पाठ्यक्रम तैयार करने और उपेक्षित वर्गों के बच्चों के लिए अलग से विशेष व्यावसायिक संस्थान स्थापित करने पर बल दिया गया है।

पंचम भाग- उच्च शिक्षा (Higher Education) :- उच्च शिक्षा के उन्नयन हेतु छात्रों को प्रवेश परीक्षा द्वारा प्रवेश देने, पाठ्यक्रमों के पुनर्गठन करने, उच्च शिक्षा संस्थानों को संसाधन उपलब्ध कराने और उनके शिक्षकों के लिए पुनर्बोध कार्यक्रमों की व्यवस्था करने की बात कही गई है।

छठे भाग- मुक्त विश्वविद्यालय एवं संस्थान (Open University and Distance Education) :- इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों को विस्तार देने और नए मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना सावधानी से करने का कार्यक्रमों की व्यवस्था करने की बात कही गई है।

सातवें भाग-ग्रामीण विश्वविद्यालय एवं संस्थान (Rural Universities and Institutes) :- केन्द्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद (Central Council of Rural Institutes) का गठन करने, ग्रामीण विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं का पुनर्गठन करने और इन क्षेत्रों के कुछ संस्थानों को स्वायत्तता प्रदान करने की योजना प्रस्तुत की गई है।

आठवें भाग- तकनीकी एवं प्रबन्ध शिक्षा (Technical and Management Education) :- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) एवं राज्यों के तकनीकी शिक्षा बोर्डों को सुदृढ़ करने, कुछ अच्छे तकनीकी तथा प्रबन्ध शिक्षा संस्थाओं को स्वायत्तता प्रदान करने, तकनीकी शिक्षा संस्थाओं में अन्तर्सम्बन्ध बढ़ाने और इस क्षेत्र में सतत् शिक्षा की व्यवस्था करने की बात कही गई है।

नौवें भाग- प्रणाली को कार्यकारी बनाना (Making the System Work) :- संस्थाओं के प्रशासन तथा शिक्षकों के लिए मानक निर्धारित करने, शिक्षक तथा छात्रों की कार्य प्रणाली में सुधार करने और शिक्षा संस्थाओं का मूल्यांकन करने पर बल दिया गया है।

दसवें भाग- उपाधियों की रोजगार से विलगता एवं मानव शक्ति का नियोजन (Delinking Degrees from Jobs and Manpower Planning) :- राष्ट्रीय परीक्षण सेवा (National Test Service) शुरू करना निश्चित किया गया है। अब क्षेत्र विशेष के रोजगार प्राप्त करने के लिए क्षेत्र विशेष के राष्ट्रीय परीक्षण में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।

ग्यारहवें भाग- अनुसंधान तथा विकास (Research and Development) :- उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों को विकसित करने, अनुसंधान केन्द्रों की अधिसंरचना (Infrastructure) में सुधार करने, अनुसंधान हेतु प्रतिभाओं की खोज करने और कार्यरत शिक्षकों को अनुसंधान के अधिक अवसर सुलभ कराने की योजना प्रस्तुत की गई है।

बारहवें भाग- नारी समानता के लिए शिक्षा (Education for Women's Equality) :- बालिकाओं के लिए अलग से स्कूल व कॉलेज खोलने, बालिकाओं के लिए अधिक छात्रवृत्तियों की व्यवस्था करने और शिक्षकों की नियुक्ति में महिलाओं को वरीयता देने की योजना प्रस्तुत की गई है।

तेरहवें भाग- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग की शिक्षा (Education of SCs, STs and OBCs) :- इनके क्षेत्रों में विद्यालय खोलने को प्राथमिकता देने, इन वर्गों के बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों की दर बढ़ाने, इनके लिए छात्रावासों की व्यवस्था करने और इन जातियों के शिक्षकों की नियुक्ति करने की योजना प्रस्तुत की गई है।

चौदहवें भाग- अल्पसंख्यकों की शिक्षा (Education of Minorities) :- अल्पसंख्यकों के क्षेत्रों में स्कूल और पौलिटैक्निक कॉलिज खोलने, शिक्षकों को प्रशिक्षित करने, इनके लिए कोचिंग सेन्टर खोलने और इनकी बच्चियों की शिक्षा की व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने पर बल दिया गया है।

पन्द्रहवें भाग- विकलांगों की शिक्षा (Education of the Handicapped) :- जनपद स्तर पर विकलांगता जानकारी हेतु सेवाएँ शुरू करने और इनकी शिक्षा की उपयुक्त व्यवस्था करने की बात कही गई है।

सोलहवें भाग- प्रौढ़ शिक्षा (Adult Education) :- प्रौढ़ शिक्षा, सतत् शिक्षा को गति प्रदान करने के लिए ग्रामों में सतत् शिक्षा केन्द्र, पुस्तकालय एवं वाचनालय स्थापित करने पर बल दिया गया है।

सत्रहवें भाग- स्कूल शिक्षा की विषयवस्तु तथा प्रक्रिया (Content and Process of School Education) :- राष्ट्रीय कोर पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों में सुधार पर विशेष बल दिया गया है।

अठारहवें भाग- मूल्यांकन प्रक्रिया तथा परीक्षा सुधार (Evaluation Process and Examination Reforms) :- केवल 10 तथा 12 कक्षाओं के अन्त में सार्वजनिक परीक्षा करने सतत् मूल्यांकन करने और अक्षर ग्रेड प्रणाली अपनाने की बात कही गई है। और साथ ही राष्ट्रीय परीक्षण सेवा शुरू करने एवं नकल विरोधी कानून बनाने की बात कही गई है।

उन्नीसवें भाग - युवा तथा खेल (Youth and Sports) :- शारीरिक शिक्षा एवं खेलों को सम्मिलित करने पर बल दिया गया है।

बीसवें भाग- भाषा विकास (Language Development) :- आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास और हिन्दी को सर्म्पर्क भाषा के रूप में विकसित करने के लिए आर्थिक सहायता देने का वायदा किया गया है।

इक्कीसवें भाग- सांस्कृतिक परिपेक्ष्य (The Cultural Perspective) :- सांस्कृतिक कार्यक्रमों को पाठ्यचर्या का अंग स्वीकार किया गया है। ताकि व्यक्ति संस्कारवान बन सके।

बाईसवें भाग- संचार साधन तथा शैक्षिक तकनीकी (Media and Educational Technology):- शिक्षा में रेडियो, टेलीविजन, कम्प्यूटर एवं ओवर हैड प्रोजेक्टर आदि के प्रयोग की संस्तुति की गई है।

तेईसवें भाग- शिक्षक एवं उनका प्रशिक्षण (Teacher and their Training) :- शिक्षक शिक्षा मे सुधार हेतु प्रत्येक जिले में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIETs) स्थापित करने, कुछ अच्छे कॉलिजों को शिक्षक शिक्षा कॉलिजों (CTEs) में समुन्नत करने और कुछ बहुत अच्छे कॉलिजों को 'शिक्षा उच्च अध्ययन केन्द्रों (CASEs) में सम्मुनत करने की योजना प्रस्तुत की गई है और साथ ही 'राष्ट्रीय शिक्षा परिषद' (NCTE) को स्वायत्त दर्जा देने की बात कही है।

चौबीसवें एवं अन्तिम भाग- शिक्षा का प्रबन्ध (Management of Education) :- मानव संसाधन मन्त्रालय को सुदृढ़ करने, प्रशासन का विकेन्द्रीयकरण करने, भारतीय शिक्षा सेवा शुरू करने और जिला शिक्षा परिषदों का गठन करने की योजना प्रस्तुत की गई है।

15.5 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के मूल तत्व Main Components of National Education Policy

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और उसकी कार्य योजना से जो तत्व उजागर होते हैं, उन्हें निम्नलिखित रूप में क्रमबद्ध किया जा सकता है-

1. शिक्षा प्रशासन का विकेन्द्रीयकरण किया जाएगा :- इस शिक्षा नीति के दसवें भाग में शिक्षा प्रशासन के विकेन्द्रीयकरण पर बल दिया गया है और राष्ट्रीय स्तर पर 'भारतीय शिक्षा सेवा', प्रान्तीय स्तर पर 'प्रान्तीय शिक्षा सेवा' और जिला स्तर पर 'जिला शिक्षा परिषद' के गठन की घोषणा की गई है।
2. शिक्षा की व्यवस्था हेतु पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की जाएगी :- राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के तृतीय भाग में यह स्वीकार किया गया है कि शिक्षा मनुष्य का भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास करती है और यह हमारे सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकास, लोकतन्त्रीय मूल्यों (स्वतन्त्रता, समानता, भ्रातृत्व, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और न्याय) के विकास और राष्ट्रीय लक्ष्यों (जनसंख्या नियन्त्रण, पर्यावरण संरक्षण और आधुनिकीकरण) की प्राप्ति के लिए परम आवश्यक है। शिक्षा के आभाव में इन सबकी प्राप्ति नहीं की जा सकती। शिक्षा एक उत्तम निवेश है। इस शिक्षा नीति के ग्यारहवें भाग में इसे क्रियान्वित करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराना स्वीकार किया गया है और यह घोषणा की गई है कि केन्द्र अपने बजट में शिक्षा पर 6 प्रतिशत का प्रावधान करेगा। साथ ही प्रत्येक स्तर पर जन सहयोग को प्रोत्साहित करने का प्रयत्न किया जाएगा।
3. सम्पूर्ण देश में 10+2+3 शिक्षा संरचना लागू होगी :- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तृतीय भाग में सम्पूर्ण देश के लिए 10+2+3 शिक्षा संरचना स्वीकार की गई है। प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा पूरे देश के लिए समान होगी, इसके लिए एक आधारभूत पाठ्यचर्या (Core Curriculum) होगी। +2 पर प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं को विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए तैयार किया जाएगा और सामान्य छात्र-छात्राओं को विशेष की आवश्यकताओं और छात्र-छात्राओं की रुचि एवं योग्यतानुसार व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। +3 पर छात्रों को उच्च ज्ञान प्रदान किया जाएगा जो देश की सांस्कृतिक सुरक्षा और उसके आधुनिकीकरण में सहायक होगा, साथ ही चिकित्सा, न्याय, कृषि, विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी जिसके द्वारा समाज की मांगों की पूर्ति होगी।
4. विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन किया जाएगा :- इस शिक्षा नीति के पाँचवें भाग में शिक्षा के सभी स्तरों का पुनर्गठन करने पर बल दिया गया है। और पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा की पाठ्यचर्या में सुधार करने और उनके स्तर को उठाने पर बल दिया गया है। शिक्षा के सभी स्तरों पर एक तरफ

सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों की शिक्षा और दूसरी तरफ गणित, विज्ञान एवं कम्प्यूटर प्रयोग आदि की शिक्षा पर बल दिया गया है, सांस्कृतिक संरक्षण एवं आधुनिकीकरण में समन्वय पर बल दिया गया है।

5. पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी :- इस स्तर पर शिशुओं के शारीरिक एवं मानसिक विकास पर ध्यान दिया जाएगा; उनके भोजन, वस्त्र, सफाई और पर्यावरण पर ध्यान दिया जाएगा और उनके लिए खेल-कूद एवं व्यायाम की उचित व्यवस्था की जाएगी।

6. अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त किया जाएगा :- प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाया जाएगा। अभी 90 प्रतिशत बच्चों को 1 किमी० की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध हैं, शेष 10 प्रतिशत को 1990 तक उपलब्ध करा दिए जाएँगे। 1995 तक 11 से 14 आयु वर्ग के शत प्रतिशत बच्चों को भी उच्च प्राथमिक शिक्षा सुलभ करा दी जाएगी। प्राथमिक विद्यालयों की दशा में सुधार किया जाएगा।

7. माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन किया जाएगा:- इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पाँचवें भाग में यह घोषणा की गई है कि माध्यमिक शिक्षा सभी इच्छुक लड़के-लड़कियों को सुलभ कराई जाएगी। इस स्तर पर त्रिभाषा सूत्र लागू होगा और गणित, विज्ञान सामाजिक विज्ञान, मानविकी, इतिहास, राष्ट्रीयता, संवैधानिक दायित्व, नागरिक अधिकार एवं कर्तव्य, सांस्कृतिक संस्कार और कार्यानुभवको अनिवार्य किया जाएगा। प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय स्थापित किया जाएगा जो अन्य विद्यालयों के लिए आदर्श विद्यालय होगा। +2 पर सामान्य शिक्षा के साथ-साथ क्षेत्र विशेष की आवश्यकतानुसार व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी और यह प्रयत्न किया जाएगा कि 1995 तक इस व्यावसायिक वर्ग में 25 प्रतिशत छात्र-छात्राएँ शिक्षा ग्रहण करें।

8. उच्च शिक्षा का प्रसार एवं उन्नयन किया जाएगा :- इस शिक्षा नीति के पाँचवें भाग में यह स्पष्ट किया गया है कि उच्च शिक्षा द्वारा छात्रों में विशिष्ट ज्ञान एवं कुशलता का विकास किया जाएगा जिससे राष्ट्रका विकास होगा। इसके मौजूदा पाठ्यक्रमों में सुधार किया जाएगा और शिक्षण को चिन्तनपरक बनाया जाएगा। साथ ही शिक्षकों के कार्यों का मूल्यांकन किया जाएगा और उनकी पदोन्नति योग्यता के आधार पर की जाएगी। उच्च शिक्षा का स्तर मान बनाए रखने का उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का होगा। उच्च शिक्षा को सर्वसुलभ कराने के लिए खुले विश्वविद्यालयों (Open Universities) की स्थापना की जाएगी।

9. तकनीकी एवं प्रबन्ध शिक्षा में सुधार किया जाएगा :- इस शिक्षा नीति के छठे भाग में तकनीकी एवं प्रबन्ध शिक्षा के महत्त्व को स्वीकार करते हुए उसकी उचित व्यवस्था करने पर बल दिया गया है। यह घोषणा की गई है कि तकनीकी एवं प्रबन्ध शिक्षा को भविष्य की आवश्यकतानुसार नियोजित किया जाएगा और महिलाओं और समाज के कमजोर वर्ग के बच्चों को तकनीकीशिक्षा की पूरी-पूरी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँगी। इस शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए इनके पाठ्यक्रमों को अद्यतन बनाया जाएगा और सैद्धान्तिक ज्ञान की अपेक्षा प्रायोगिक दक्षता पर अधिक बल दिया जाएगा और साथ ही शोध कार्य पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस शिक्षा का स्तरमान निश्चित करने और इस प्रकार की शिक्षण संस्थाओं पर नियन्त्रण करने के लिए 'अखिल भारतीय

तकनीकी शिक्षा परिषद' (All India Council for Technical Education) को कानूनी अधिकार दिए जाएँगे। निम्न स्तर की तकनीकी संस्थाओं को बन्द किया जाएगा और इस क्षेत्र में उच्च स्तरीय कार्य करने वालों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

10. परीक्षा प्रणाली और मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार किया जाएगा :- राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के आठवें भाग के अन्त में तत्कालीन परीक्षा प्रणाली और मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार की चर्चा की गई है। यह घोषणा की गई है कि मूल्यांकन को एक सतत् प्रक्रिया बनाया जाएगा, बाह्य मूल्यांकन को अधिक महत्त्व दिया जाएगा, परीक्षाओं को वैध और विश्वसनीय बनाया जाएगा, प्रश्नपत्रों की रचना और उत्तर पुस्तकों के मूल्यांकन को वस्तुनिष्ठ बनाया जाएगा और श्रेणी के स्थान पर ग्रेड सिस्टम लागू किया जाएगा।

11. शिक्षकों के स्तर और शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार किया जाएगा :- शिक्षकों का चयन उनकी योग्यता के आधार पर किया जाएगा। उनके स्तर को उठाने के लिए उनके वेतनमान बढ़ाए जाएँगे और सेवाशर्तों को आकर्षक बनाया जाएगा। पूरे देश में समान कार्य के लिए समान वेतनमान के सिद्धान्त को लागू किया जाएगा, साथ ही सेवापूर्व और सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार किया जाएगा। प्रत्येक जिले में 'जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान' (District Institute of Education and Training, DIET) की स्थापना की जाएगी जिनमें प्राथमिक शिक्षकों और निरौपचारिक शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी और साथ ही अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएँगे और इस क्षेत्र में शोध कार्य कीये जाएंगे। घटिया किस्म के प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों को बन्द कर दिया जाएगा। कुछ चुने हुए उच्च स्तर के माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों का दर्जा बढ़ाया जाएगा, उन्हें 'शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय' (College of Teacher Education, CTE) में समोन्नत किया जाएगा जिनमें माध्यमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण और इस क्षेत्रमें शोध कार्य की व्यवस्था होगी।

12. प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों का विस्तार किया जाएगा :- प्रौढ़ शिक्षा को राष्ट्रीय लक्ष्यों से जोड़ा जाएगा और 15-35 आयु वर्ग के प्रौढ़ों को साक्षर बनाने के लिए सरकारी और गैरसरकारी संगठनों का उपयोग किया जाएगा। औद्योगिक एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों को उनमें कार्यरत निरक्षक प्रौढ़ों को साक्षर बनाने का उत्तरदायित्व सौंपा जाएगा। प्रौढ़ शिक्षा के दूसरे पक्ष-अद्यतन जानकारी हेतु सतत् शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सतत् शिक्षा केन्द्र खोले जाएँगे और पुस्तकालयों और वाचनालयों की व्यवस्था की जाएगी। प्रौढ़ शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार में जनसंचार के साधनों का प्रयोग किया जाएगा।

13. सतत् शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी :- युवा वर्ग, गृहणियों, किसानों, व्यापारियों और विभिन्न उद्योगों में कार्यरत व्यक्तियों को उनके क्षेत्र की अद्यतन जानकारी देने हेतु सतत् शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी और इसके लिए खुली शिक्षा और दूर शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी और जनसंचार के माध्यमों का प्रयोग किया जाएगा।

14. शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा :- किसी भी स्तर की किसी भी प्रकार की शिक्षा के लिए शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा। जन संचार के माध्यमों से शिक्षा को सर्वसुलभ बनाया जाएगा।

15. शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाया जाएगा :- राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के सातवें भाग में शिक्षा को कारगर बनाने के लिए शिक्षकों की जवाबदेही (Accountability) निश्चित करने और छात्रों को कर्तव्य बोध कराने पर बल दिया गया है इसके तीसरे भाग में शिक्षा के प्रत्येक स्तर के लिए न्यूनतम अधिगम स्तर (Minimum Level of Learning, MLL) निश्चित करने की बात कही गई है और उसमें गुणात्मक सुधार करने की बात कही गई है। इस दस्तावेज के दसवें भाग में प्रशासन तन्त्र को चुस्त करने पर बल दिया गया है।

16. शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए ठोस कदम उठाए जाएँगे :- इस शिक्षा नीति के चौथे भाग में स्पष्ट घोषणा की गई है कि शैक्षिक विषमताओं को दूर किया जाएगा और महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक और विकलांगों की शिक्षा की विशेष व्यवस्था की जाएगी और सभी को शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर सुलभ कराए जाएँगे।

17. महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा- इस हेतु निम्नलिखित कदम उठाए जाएँगे :-

स्त्री-पुरुषों की शिक्षा में भेद नहीं किया जाएगा, लिंग मूलक अन्तर को समाप्त किया जाएगा। महिलाओं की शिक्षा के विकास हेतु प्रारम्भ से ही प्रयत्न किए जाएँगे। महिलाओं को विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। महिलाओं को व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए विशेष सुविधाएँ दी जाएँगी।

18. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के बच्चों की शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाएगी :- इस क्षेत्र में निम्नलिखित कदम उठाए जाएँगे- नगरों, गाँवों और पहाड़ी तथा आदिवासी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए विद्यालयों की व्यवस्था की जाएगी। इन विद्यालयों में यथासम्भव इन्हीं वर्गों और इन्हीं क्षेत्रों के शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। दूर-दराज से आने वाले बच्चों के लिए छात्रावासों का निर्माण कराया जाएगा। इन वर्गों के बच्चों की आर्थिक सहायता की धनराशि बढ़ाई जाएगी।

19. पिछड़े वर्ग एवं पिछड़े क्षेत्रों के बच्चों की शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाएगी :- इस हेतु निम्नलिखित कदम उठाए जाएँगे- पिछड़े वर्ग एवं पिछड़े क्षेत्रों के बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। देश के रेगिस्तानी, पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में और अधिक स्कूल खोले जाएँगे। इन क्षेत्रों के स्कूलों में इन्हीं क्षेत्रों के शिक्षित युवकों को प्रशिक्षित कर शिक्षक नियुक्त करने का प्रयास किया जाएगा। पिछड़े वर्ग के बच्चों को आर्थिक सहायता जारी रहेगी, साथ ही उन्हें छात्रवृत्तियाँ दी जाएँगी।

20. अल्पसंख्यकों के बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा :- संविधान में अल्पसंख्यकों (मुसलमान एवं इसाई आदि) को अपनी भाषा, संस्कृति एवं धर्म की रक्षा करने का अधिकार दिया गया है। अतः- इन्हें अपनी

शिक्षा संस्थाएँ चलाने का अधिकार होगा, परन्तु इनका पाठ्यक्रम प्रान्तीय सरकारों द्वारा निश्चित पाठ्यक्रम ही होगा। इनके क्षेत्रों में स्कूलों की स्थापना की जाएगी।

21. विकलांग और मन्दबुद्धि बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी :- इनकी शिक्षा की व्यवस्था हेतु निम्नलिखित कदम उठाये जाएँगे- विकलांग और मन्दबुद्धि बालकों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और इनकी शिक्षा व्यवस्था हेतु स्वैच्छिक प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाएगा। मामूली विकलांग बच्चे सामान्य बच्चों के साथ पढ़ेंगे, गूँगे, बहरे, अन्धे और मन्दबुद्धि बालकों के लिए अलग-अलग स्कूल खोले जाएँगे। विकलांग बच्चों को कुटीर अद्योग-धन्धों की शिक्षा दी जाएगी और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। विकलांग और मन्दबुद्धि बालकों की शिक्षा हेतु विशेष प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।

15.5.1 मुक्त विश्वविद्यालय तथा दूरस्थ शिक्षा Open University and Distance Learning

उच्चतर शिक्षा के अवसरों को बढ़ाने के उद्देश्य से तथा शिक्षा को लोकतान्त्रिक बनाने वाले माध्यम के रूप में ओपन विश्वविद्यालय पद्धतिका आरम्भ किया गया। इन उद्देश्यों की पूर्ती के लिय सन 1985 में स्थापित 'इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (Indira Gandhi National open university) को मजबूत बनाया जायगा। दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से बढ़ावा देने के लिय भारत में आज 16 विश्वविद्यालय शिक्षा के विकास में अपना योगदान कर रहे है। उत्तराखंड में वर्ष 2005 में स्थापित उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी आज स्नातक व स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान करने के साथ पी०एच०डी० व शोध कार्य करके राष्ट्र के विकास में अपना योगदान कर रहा है। इसके माध्यम से उन लोगो के लिय शिक्षा के द्वार खुल गये है जिनको किसी कारण से अपनी शिक्षा बीच में छोडनी पडी। वे दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अपनी शिक्षा पूरी कर रहे है।

15.5.2 ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना (Operation Black Board Plan) :- ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अनुसार कम से कम दो कमरों, एक वराण्डे और दो शौचालयों के पक्के भवन, दो शिक्षक (जिनमें यथा सम्भव एक महिला शिक्षक होगी), पुस्तकालय सामग्री, शिक्षण-अधिगम सामग्री (ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर, नक्शे, विज्ञान किट), टाट-पट्टी खेल के पैदान और खेल सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसे बच्चे जो किसी कारण औपचारिक शिक्षा केन्द्रों पर नहीं जा पाते हैं उनके लिए निरौपचारिक शिक्षा केन्द्र (Non Formal Education Centre) खोले जाएँगे। आज शिक्षा में बढ़ावा देने के लिय बच्चों को पका भोजन प्रदान किया जा रहा है।

अपनी उन्नति जानिये Check your progress

प्रश्न 1 निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए-

- | | |
|------------------------|---------------------------------------|
| (1) ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड | (2) नवोदय विद्यालय |
| (3) खुले विश्वविद्यालय | (4) जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान |

प्रश्न 2 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में निम्नलिखित के सम्बन्ध में क्या प्रस्ताव किए गए हैं लिखिए-

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| (1) प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण | (2) माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण |
| (3) त्रिभाषा सूत्र | (4) शिक्षा योजना को कारगर बनाना |
| (5) शैक्षिक अवसरों की समानता | (6) परीक्षा एवं मूल्यांकन |

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

सही उत्तर का चयन कीजिए।

प्रश्न (प्रश्न 3) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में प्राथमिक शिक्षा (कक्षा 1 से 5) को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई थी ?

- | | |
|----------|----------|
| (a) 1990 | (c) 1995 |
| (c) 2000 | (d) 2002 |

प्रश्न (4) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में उच्च प्राथमिक शिक्षा (कक्षा 6से 8) को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई थी ?

- | | |
|----------|----------|
| (a) 1990 | (b) 1995 |
| (c) 2000 | (d) 2002 |

प्रश्न (5) प्रारम्भ में आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना किस स्तर के विद्यालयों के सुधार हेतु बनाई गई थी ?

- | | |
|-------------------|--------------------------------|
| (a) प्राथमिक | (b) प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक |
| (c) उच्च प्राथमिक | (d) माध्यमिक |

प्रश्न (6) राष्ट्रीय शिक्षा योजना, 1986 में 1995 तक कितने प्रतिशत छात्र/छात्राओं को व्यावसायिक धारा में लाने की घोषणा की गई थी ?

- | | |
|--------|--------|
| (a) 20 | (b) 25 |
| (c) 50 | (d) 75 |

प्रश्न (7) संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में प्राथमिक शिक्षा को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई है।

- (a) 1995 (b) 2000
(c) 2005 (d) 2010

(6) संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उच्च प्राथमिक शिक्षा को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई है ?

- (a) 1995 (c) 2000
(c) 2005 (d) 2010

(7) ब्लैक बोर्ड योजना को उच्च प्राथमिक स्तर पर कब लागू किया गा था ?

- (a) 1986 (b) 1987
(c) 1992 (d) 1995

(8) वर्ष 1986 से पहले किस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी।

- (a) 1985 (b) 1968
(c) 1980 (d) 1969

15.6 सारांश summary

भारत वर्षों की गुलामी के बाद स्वतंत्र हुआ यहाँ पर अंग्रजो ने एक छत्र शासन किया। यद्यपि उन्होंने भारत में काफी सुधार कार्य किये शिक्षा को एक अनोठी दिशा प्रदान की। आजादी के बाद शिक्षा में सुधार हेतु अनेक आयोग बनाये गये लेकिन शिक्षा सभी के लिये सुलभ न हो सकी क्योंकि समाज का धनाड्य वर्ग नहीं चाहता था कि सभी वर्गों को शिक्षा प्राप्त हो। उन्हें भय है कि यदि वे शिक्षित हो गये तो वे अपने अधिकारों की मांग करेंगे, हमारे द्वारा किये जाने वाले कार्यों में सुधार कि माग करेंगे। लेकिन तत्कालीन सरकार ने सभी के लिये शिक्षा के द्वार खोलने का प्रयास किया और वर्ष 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गयी। इसमें सरकार ने प्रयास किया कि सभी वर्गों के बच्चों को घर के पास एक किलोमीटर की दूरी पर शिक्षा प्राप्त हो। घर से एक किलोमीटर पर प्राथमिक विधालय व तीन किलोमीटर की दूरी पर जूनियर विधालय की स्थापना की गयी। जहा पर प्रशिक्षित अध्यापको की नियुक्ति भी की गयी। लेकिन सरकार के अधिकारियो ने सरकारी विधालयो के चारो ओर खुलने वाले प्राइवेट स्कूलों को मान्यता देकर कुकुरमुत्तो की तरह उनको स्थापित कराकर सरकारी स्कूलों की शिक्षा को समाप्त करने का षडयंत्र किया है। क्योंकि समाज का जब जागरूक नागरिक अपने बच्चों को नहीं पढायेगे तब

सरकारी विधालयों में शिक्षक की गतिविधियों से उनको कोई लेना देना नहीं है। आज शिक्षक सरकारी कार्यों का बहाना बनाकर विधालय से गायब रहते हैं। जब तक इन प्राइवेट विधालयों को बंद नहीं किया जाता तब तक न तो सरकारी विधालयों को बच्चे मिलेंगे न ही समाज उन्नति कर सकता है यह पूंजीपति वर्ग की बहुत सोची समझी चाल है। क्योंकि शिक्षा प्राइवेट होने पर आम आदमी का बच्चा शिक्षा नहीं कर पायगा।

15.7 शब्दावली Glossary

शिक्षा की विषयवस्तु और प्रक्रिया में नया मोड़ (Reorienting the Content and Process of Education) :- सांस्कृतिक मूल्यों और वैज्ञानिक सोच में समन्वय करने पर बल दिया गया है, मूल्यों की शिक्षा और भारतीय भाषाओं के विकास के साथ-साथ गणित और विज्ञान की शिक्षा पर बल दिया गया है और स्वास्थ्यवर्द्धक क्रियाओं-खेल-कूद आदि पर बल दिया गया है और अन्त में परीक्षा प्रणाली एवं मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार के लिए सुझाव दिए हैं।

ब्लैक बोर्ड योजना :- ब्लैक बोर्ड योजना के अन्तर्गत प्राथमिक विश्वविद्यालयों की न्यूनतम आवश्यकताओं (दो कमरों का भवन, फर्नीचर, शिक्षण सामग्री, पुस्तकालय सामग्री खेल सामग्री और कम से कम दो शिक्षकों) की पूर्ति करने और इन सबके लिए धनराशि जुटाने का संकल्प किया गया है।

15.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर Answer of Practice Questions

उत्तर 3 (a) 1990

उत्तर 4 (b) 1995

उत्तर 5 (a) प्राथमिक

उत्तर 6 (b) 25

उत्तर 7 (b) 2000

उत्तर 8 (b) 1968

15.9 सन्दर्भ पुस्तके Reference Books

- i- लाल (डॉ) रमन बिहारी, भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएं, राज प्रिंटर्स, मेरठा
- ii- जे. (डॉ) एस. वालिया (2009) भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास, अहमपाल पब्लिशर्स, मेरठा
- iii- शुक्ला (डॉ) सी. एस. (2008) उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक, इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस, मेरठा
- iv- शर्मा, रामनाथ व शर्मा, राजेन्द्र कुमार (2006) शैक्षिक समाजशास्त्र, एटलांटिक पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स
- v- शीलू मैरी (डॉ) (2008) शिक्षक के सामाजिक एवं दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, रजत प्रकाशन नई दिल्ली।

15.10 निबन्धात्मक प्रश्न

प्रश्न 1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का विस्तृत वर्णन कीजिए।

प्रश्न 2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की कार्य योजना का विस्तृत वर्णन कीजिए।

प्रश्न 3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में क्या प्रस्ताव किए गए हैं ? वर्णन कीजिए।

प्रश्न 4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षकों के स्तर को उठाने के सम्बन्ध में क्या प्रस्ताव किए गए हैं ? वर्णन कीजिए।

प्रश्न 5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में प्रौढ़ एवं सतत् शिक्षा के सम्बन्ध में क्या प्रस्ताव किए गए हैं ?

**इकाई 16 संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 (1992) Revised National Education
Policy, 1986 (1992)**

- 16.1 प्रस्तावना Introduction
- 16.2 उद्देश्य Objectives
- 16.3 संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, (1992) की नीति व संशोधन
- 16.4 कार्य योजना 1992 का दस्तावेज
- 16.5 संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 (1992) के मूल तत्त्व
 - 16.5.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 एवं संशोधित (1992) का मूल्यांकन अथवा गुण-दोष विवेचन
 - 16.5.2 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 एवं संशोधित (1992) का प्रभाव
अपनी उन्नति जानीय Check your Progress
- 16.6 सारांश Summary
- 16.7 शब्दावली Glossary
- 16.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर Answers of Practice Questions
- 16.9 सन्दर्भ पुस्तके Reference books
- 16.10 निबन्धात्मक प्रश्न Essay Types Questions

16.1 प्रस्तावना Introduction

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में यह घोषणा की गई थी कि प्रत्येक 5 वर्ष के बाद इस नीति के क्रियान्वयन और उसके परिणामों की समीक्षा की जाएगी। पर केन्द्र सरकार ने 3 वर्ष बाद 1990 में ही इसकी समीक्षा हेतु 'राममूर्ति समीक्षा समिति, 1990' का गठन किया था। अभी इस समिति के प्रतिवेदन पर विचार भी शुरू नहीं हुआ था कि सरकार ने 1992 में इस नीति के क्रियान्वयन एवं परिणामों की समीक्षा हेतु जनार्दन रेड्डी समिति, 1992' का गठन कर दिया। इन दोनों समितियों की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने 1992 में ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में कुछ संशोधन कर दिए और इसे संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986' (National Policy on Education, 1986, with Modifications Undertaken in 1992) के नाम से प्रकाशित किया। कुछ विद्वान इसे ही भूल से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 कहते हैं। सरकार ने उसी वर्ष इसकी कार्य योजना (Plan of Action) में कुछ परिवर्तन किए। इस परिवर्तित कार्य योजना को कार्य योजना 1992 (Plan of Action, 1992) कहा

जाता है। यहाँ 1992 की संशोधित नीति की एक स्पष्ट रूप से अध्ययन करने से केवल दो अनुच्छेद जोड़े गए हैं और चौतीस अनुच्छेदों में सुधार किये गये हैं।

16.2 उद्देश्य Objectives

- i. संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, (1992) के दस्तावेज को समझ सकेंगे।
- ii. कार्य योजना 1992 का दस्तावेज व प्रक्रिया को समझ सकेंगे।
- iii. संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 (1992) के मूल तत्त्व को समझ सकेंगे।
- iv. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं संशोधित (1992) के गुण से बच्चों को लाभान्वित कर सकेंगे।
- v. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 एवं संशोधित (1992) के दोष को जान सकेंगे।

16.3 संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, (1992) की नीति व संशोधन

भारत सरकार ने 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में निम्नलिखित संशोधन किए हैं-

भाग एक- भूमिका और भाग दो-शिक्षा का सार और उसकी भूमिका में कोई संशोधन एवं परिवर्तन नहीं किया गया है।

भाग तीन- राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में केवल एक संशोधन किया गया है।

(1) पूरे देश में +2 को स्कूली शिक्षा का अंग बनाया जाएगा।

चार भाग- समानता के लिए शिक्षा में चार संशोधन किए गए हैं-

(1) समग्र साक्षरता अभियान पर और अधिक बल दिया जाएगा।

(2) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (NLM) को निर्धनता निवारण, राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण संरक्षण, छोटा परिवार, नारी समानता को प्रोत्साहन, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण और प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या से जोड़ा जाएगा।

(3) रोजगार/स्वरोजगार केन्द्रित एवं आवश्यकता एवं रूचि पर आधारित व्यावसायिक व कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर बल दिया जाएगा।

(4) नव साक्षरों के लिए साक्षरता के उपरान्त सतत् शिक्षा के व्यापक कार्यक्रम उपलब्ध कराए जाएँगे।

भाग पाँच- विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन-शिशुओं की देखभाल और शिक्षा में सात संशोधन किए गए हैं-

(1) ब्लैक बोर्ड योजना के अन्तर्गत प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कम से कम तीन बड़े कमरों और तीन शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी।

- (2) भविष्य में प्राथमिक स्कूलों में नियुक्त होने वाले शिक्षकों में 50 प्रतिशत महिलाएँ होंगी।
- (3) ब्लैक बोर्ड योजना को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी लागू किया जाएगा।
- (4) अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के लक्ष्य को 2000 तक प्राप्त करने हेतु एक राष्ट्रीय मिशन चलाया जाएगा।
- (5) माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के नामांकन पर बल दिया जाएगा।

(6) मुक्त अधिगम प्रणाली को सुदृढ़ किया जाएगा।

(7) परीक्षा एवं मूल्यांकन में सुधार हेतु 'राष्ट्रीय मूल्यांकन संगठन' गठित किया जाएगा।

भाग छह- तकनीकी तथा प्रबन्ध शिक्षा में केवल एक संशोधन किया गया है-

(1) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) को और सुदृढ़ किया जाएगा।

भाग सात- शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाना में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

भाग आठ- शिक्षा की विषयवस्तु और प्रक्रिया को नया मोड़ देना में दो संशोधन किए गए हैं-

(1) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा में जनसंख्या शिक्षा पर विशेष बल दिया जाएगा।

(2) परीक्षा संस्थाओं के दिशा निर्देशन हेतु परीक्षा सुधार प्रारूप ग तैयार किया जाएगा।

भाग नौ- शिक्षक के सम्बन्ध में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

भाग दस- शिक्षा का प्रबन्ध में केवल एक संशोधन किया गया है-

(1) शिक्षा पर राष्ट्रीय आय का 6 प्रतिशत से अधिक व्यय किया जाएगा।

भाग ग्यारह- संशाधन और समीक्षा पर बल दिया गया ।

भाग बारह- भविष्य में कोई संशाधन नहीं बढ़ाया गया है।

16.4 कार्य योजना 1992 का दस्तावेज

भारत सरकार ने 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन के साथ-साथ उसकी कार्य योजना में भी कुछ संशोधन किए और उसे कार्य योजना 1992 के नाम से प्रकाशित किया। कार्य योजना 1986 यह 24 भागों में

विभाजित थी कार्य योजना 1992 को 23 भागों में विभाजित किया गया है। कार्य योजना 1992 के 23 शीर्षक हैं-

- (1) प्रारम्भिक शिक्षा (Elementary Education)
- (2) माध्यमिक शिक्षा (Secondary Education)
- (3) उच्च शिक्षा (Higher Education)
- (4) विकलांगों की शिक्षा (Education of Handicapped)
- (5) प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा (Adult and Continuing Education)
- (6) पूर्व बाल्य काल परिचर्या एवं शिक्षा (Early Childhood Care and Education)
- (7) नारी समानता के लिए शिक्षा (Education for Women Equality)
- (8) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों की शिक्षा (Education of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes)
- (9) नवोदय विद्यालय (Novodya Vidyalaya)
- (10) व्यावसायिक शिक्षा (Vocational Education)
- (11) अल्पसंख्यकों की शिक्षा (Education of Minorities)
- (12) मुक्त शिक्षा (Open Education)
- (13) उपाधि की रोजगार से विलगता (Delinking Degrees with Jobs)
- (14) ग्रामीण विश्वविद्यालय एवं संस्थान (Rural Universities and Institutes)
- (15) तकनीकी एवं प्रबन्ध शिक्षा (Technical and Management Education)
- (16) अनुसंधान एवं विकास (Research and Development)
- (17) सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य (Cultural perspective)
- (18) भाषाओं का विकास (Development of Languages)
- (19) जन संचार एवं शैक्षिक तकनीकी (Media and Educational Technology)

(20) खेल, शारीरिक शिक्षा एवं युवा (Sports, Physical Education and Youth)

(21) मूल्यांकन प्रक्रिया एवं परीक्षा सुधार (Evaluation process and Examination)

23) शिक्षा का प्रबन्ध (Management of Education)

(23) शिक्षक एवं उनका प्रशिक्षण (Teacher and their Training)

प्रारम्भ में नारी समानता के लिए शिक्षा, अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा पिछड़े वर्गों की शिक्षा, अल्पसंख्यकों की शिक्षा, विकलांगों की शिक्षा, प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा और पूर्व बाल्य काल परिचर्या एवं शिक्षा सम्बन्धी योजनाओं को प्रस्तुत करने से स्पष्ट है कि इस कार्य योजना में इन पर विशेष बल दिया गया है।

इसमें प्राथमिक सम्बन्धी योजनाओं को थोड़ा विस्तार दिया गया है। कार्य योजना, 1986 में ब्लैक बोर्ड योजना केवल प्राथमिक स्कूलों के लिए बनाई गई थी, कार्य योजना 1992 में इसकी सीमा में उच्च प्राथमिक स्कूलों को भी लाया गया। 1986 में 300 जनसंख्या वाले क्षेत्र में एक प्राथमिक स्कूल स्थापित करने की योजना बनाई गई थी, 1992 में इसे 200 जनसंख्या कर दिया गया। 1986 में एक प्राथमिक में कम से कम 2 कमरों के भवन और 2 शिक्षकों की व्यवस्था करने की योजना बनाई गई थी, 1992 में इसे कम से कम 3 कमरों के भवन और 3 शिक्षकों की व्यवस्था में विस्तृत कर दिया गया। 1986 में 3 किमी की दूरी के अन्दर स्थापित करने की योजना बनी इस योजना के भाग 13 से 23 तक में कोई नई योजना प्रस्तुत नहीं की गई है, केवल कार्य योजना, 1986 की योजनाओं को ही शब्द परिवर्तनों के साथ थोड़े बल के साथ प्रस्तुत किया गया है।

16.5 संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 (1992) के मूल तत्त्व

यदि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किए गए संशोधनों और उसकी कार्य योजना 1992 को समग्र रूप से देखा-समझा जाए तो स्पष्ट होगा कि इनसे उसके (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986) के मूल तत्त्वों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, यहाँ कुछ ही मूल तत्त्वों का वर्णन प्रस्तुत है।

1. से 5. मूल तत्त्व- संख्या 1 से 5 में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

6. मूल तत्त्व - संख्या 6 में अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को 1995 तक के स्थान पर 2000 के अन्त तक प्राप्त करने की घोषणा की गई है और इस हेतु 1 किमी. की दूरी के अन्दर प्राथमिक विद्यालय और 2-3 किमी. की दूरी के अन्दर उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की योजना प्रस्तुत की गई है। और साथ ही ब्लैक बोर्ड योजना द्वारा प्राथमिक विद्यालयों के साथ-साथ उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों की दशा सुधारने पर बल दिया गया है।

7. मूल तत्त्व- संख्या 6 में पहला संशोधन तो यह किया गया है कि +2 को स्कूली शिक्षा का अंग बनाया जाएगा। दूसरा संशोधन यह किया गया है कि +2 पर बालिकाओं और अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के

बच्चों को वाणिज्य, विज्ञान और व्यावसायिक धारा में लाने के लिए विशेष प्रयत्न किए जाएँगे। और तीसरा संशोधन यह किया गया है कि इस स्तर पर शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा।

8. मूल तत्त्व संख्या 8 में केवल एक संशोधन किया गया है कि नए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की स्थापना केवल वहीं की जाएगी जहाँ बहुत आवश्यक होगी।

9. से 21 मूल तत्त्व- संख्या 9 से 21 में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

साफ जाहिर है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जो संशोधन 1992 में किए गए हैं और उसके क्रियान्वयन के लिए जो कार्य योजना 1992 बनाई गई थी उससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के मूल तत्त्वों का विस्तार भर हुआ है। अतः उसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1992 मानाना युक्ति संगत नहीं है, उसे संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 ही कहना अधिक उचित रहेगा।

16.5.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 एवं संशोधित (1992) का मूल्यांकन अथवा गुण-दोष विवेचन

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और उसके संशोधित रूप (1992) का मूल्यांकन निम्न आधारभूत मानदण्डों पर करेंगे। इन मानदण्डों पर करने पर इस शिक्षा नीति में निम्नलिखित गुण-दोष उजागर होते हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं संशोधित (1992) के गुण

यूँ तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और उसके संशोधित रूप (1992) में जो कुछ प्रस्तावित है वह सब कुछ बहुत अच्छा है, परन्तु इस नीति की कुछ बातें अन्य नीतियों से बहुत ऊपर है, उन्हें ही हम इसकी विशेषता मान सकते हैं।

1. शिक्षा राष्ट्रीय महत्त्व की वस्तु- राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में शिक्षा को राष्ट्रीय महत्त्व का विषय घोषित किया गया है। यूँ तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में भी शिक्षा के महत्त्व को स्वीकार किया गया था और उस पर केन्द्रीय बजट में 6 प्रतिशत व्यय करने की बात कही गई थी, परन्तु इस शिक्षा नीति में तो इसे उत्तम निवेश के रूप में स्वीकार किया गया है।

2. कार्य योजना एवं वित्त व्यवस्था- राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 और संशोधित 1992 भारत की ऐसी पहली शिक्षा नीति है जिसके क्रियान्वयन के लिए पूरी कार्य योजना (Plan of Action) विस्तृत रूप से प्रस्तुत की गई और उसके लिए आवश्यक वित्त व्यवस्था भी की गई।

3. निश्चित शिक्षा संरचना- इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में राष्ट्रीय नीति, 1968 द्वारा घोषित 1+2+3 शिक्षा संरचना को पूरे देश में अनिवार्य रूप से लागू करने पर बल दिया गया है और प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा के लिए आधारभूत पाठ्यचर्या (Plan of Action) और +2 पर स्थान विशेष की आवश्यकतानुसार पाठ्यचर्या के निर्माण पर बल

दिया गया है उच्च स्तर की शिक्षा के पाठ्यक्रम के निर्माण का अधिकार विश्वविद्यालयों को दिया गया है पर इस निर्देश के साथ कि ये पाठ्यक्रम अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के होने चाहिए।

4. प्राथमिक शिक्षा हेतु ब्लैक बोर्ड योजना- प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क करने की बात तो प्रारम्भ से ही कही जाती रही है, पर प्राथमिक विद्यालयों के सुधार की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में ही कही गई है और उसके लिए ब्लैक बोर्ड योजना' बनाई गई है और उसका क्रियान्वयन भी किया जा रहा है। वर्ष 1987 से 2007 के दौरान प्राथमिक और 40 प्रतिशत उच्च प्राथमिक स्कूलों को इस योजना का लाभ पहुँचाया जा चुका था।

5. गति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना- राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में माध्यमिक स्तर पर गति निर्धारक विद्यालय खोलने की घोषणा की गई थी और उसके तहत 207 तक 565 नवोदय विद्यालय स्थापित किए जा चुके थे जिनमें 1.93 लाख छात्र-छात्राएँ अध्ययनरत थे। इनमें ग्रामीण क्षेत्रों एवं पिछड़े वर्ग एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं को प्रवेश के विशेष अवसर प्राप्त हैं।

6. खुले विश्वविद्यालयों की स्थापना- राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में खुले विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई थी, उसके तहत दिल्ली में इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। यह विश्वविद्यालय उन युवकों को उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान कर रहा है जो अन्यत्र प्राप्त नहीं कर पा रहे। साथ ही देश में 11 अन्य खुले विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है।

7. तकनीकी शिक्षा का उन्नयन- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किसी भी स्तर की तकनीकी शिक्षा के पाठ्यक्रम को अद्यतन बनाने पर बल दिया गया है और तकनीकी शिक्षा संस्थाओं की दशा सुधारने पर बल दिया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए वित्त व्यवस्था भी की गई है। राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा परिषद' के निर्देशानुसार इस तकनीकी शिक्षा में काफी सुधार भी हुआ है।

8. शिक्षक शिक्षा में सुधार- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षकों के स्तर और उनके प्रशिक्षण में सुधार पर बल दिया गया है। यँ तो इस पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 में भी बहुत बल दिया गया था और तद्रुकूल शिक्षकों के वेतनमान बढ़ाए गए थे और उनकी सेवाशर्तों में सुधार किया गया था परन्तु इस शिक्षा नीति, 1986 के तहत शिक्षक शिक्षा में सुधार हेतु 2007 तक 556 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान' (DIETs) स्थापित किए गए, 104 शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों को शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों (CTEs) और 39 को शिक्षा उच्च अध्ययन केन्द्रों (CASEs) में सम्मनित किया गया है। साथ ही 1993 में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद' (NCTE) को संवैधानिक दर्जा दिया गया और उसे और अधिक अधिकार दिए गए हैं। देश की समस्त शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएँ अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह ईमानदारी से कर रही है जिससे उनकी स्थिति में सुधार हुआ।

9. परीक्षा प्रणाली में सुधार- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में परीक्षा को विश्वसनीय और वस्तुनिष्ठ बनाने और सतत् मूल्यांकन पर बल दिया गया है। इस बीच परीक्षा एवं मूल्यांकन प्रणाली में काफी सुधार हुआ है।

10. न्यूनतम अधिगम स्तर एवं जवाबदेही- राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 पहली नीति है जिसमें योजना भी बनाई गई और उसके क्रियान्वयन के लिए ठोस सुझाव भी दिए गए। इसमें शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाने हेतु किसी भी स्तर की शिक्षा के लिए न्यूनतम अधिगम मानक (Minimum Learning Standard) बनाने, शिक्षकों एवं शिक्षा प्रशासकों की जवाबदेही (Accountability) निश्चित करने और छात्रों के उत्तरदायित्व निश्चित करने पर बल दिया गया है। जब तक छात्र, शिक्षक और शिक्षा प्रणाली से जुड़े सभी व्यक्ति अपने-अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते तब तक कोई भी शिक्षा योजना सफल नहीं हो सकती।

11. शैक्षिक अवसरों की समानता- राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 और उसके संशोधित रूप (1992) में शैक्षिक अवसरों की समानता की प्राप्ति पर बहुत बल दिया गया है और इसके लिए ठोस कदम उठाने पर बल दिया गया है और इसकी प्राप्ति के लिए वित्त व्यवस्था भी की गई है। यह बात दूसरी है कि इस दिशा में अब तक जो भी कार्य किए गए हैं वे वोट की राजनीति पर अधिक आधारित हैं, लोकतन्त्र की माँग पर कम।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 एवं संशोधित (1992) के दोष

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 और उसके संशोधित रूप (1992) में जो कुछ भी कहा गया है वह सब बड़ा लुभावना है। परन्तु इस शिक्षा नीति के तहत जो कुछ किया गया है उसमें कुछ दोष भी हैं। जो निम्न प्रकार है।

1. असमान शिक्षा व्यवस्था- राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 और उसके संशोधित रूप (1992) में केन्द्र एवं राज्य सरकारों के शैक्षिक अधिकार एवं उत्तरदायित्व निश्चित नहीं किए गए हैं। 1976 में संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची (Concurrent List) पर लाया गया था परन्तु केन्द्र एवं राज्य सरकारों के शैक्षिक अधिकार एवं कर्तव्यों को सुनिश्चित नहीं किया था। यह कार्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति निर्माताओं को करना चाहिए था, उन्होंने भी नहीं किया। परिणाम यह है कि प्रान्तीय सरकारें केन्द्र की उन शिक्षा योजनाओं को तो लागू कर देती हैं जिनके लिए केन्द्र शत प्रतिशत आर्थिक अनुदान देता है, परन्तु प्रायः उन योजनाओं को लागू नहीं करतीं जिन पर आंशिक सहायता अनुदान मिलता है। परिणाम यह है कि पूरे देश में शिक्षा की व्यवस्था समान नहीं है।

2. जन सहयोग के नाम पर जन शोषण- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा की व्यवस्था हेतु जन सहयोग के प्रोत्साहन की बात कही गई है। इसे प्राप्त करने के लिए शिक्षा संस्थाओं में अभिभावक समिति बनाने और इस समिति के माध्यम से जन सहयोग प्राप्त करने की कार्य योजना प्रस्तुत की गई है इसका अनुपालन प्रायः सभी शिक्षा संस्थाएँ कर रही हैं। पर प्रवेश के समय जबरन एक बड़ी धनराशि लेना जन सहयोग है या जन शोषण।

3. उच्च शिक्षा महँगी- इस शिक्षा नीति में स्ववित्तपोषित संस्थाओं को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है। इससे एक ओर उच्च शिक्षा आति महँगी हो गई है और दूसरी ओर उच्च शिक्षा का स्तर गिरा रहा है।

4. शैक्षिक अवसरों की समानता के नाम पर वोट की राजनीति- शैक्षिक अवसरों की समानता के नाम पर वोट की राजनीति की गई है। भारत में शैक्षिक अवसरों की समानता का अर्थ है कि देश के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं

निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा सुलभ कराना, किसी भी आधार पर भेद-भाव किए बिना सभी को अपनी योग्यतानुसार माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा सुलभ कराना और विशिष्ट शिक्षा (लॉ, मेडिकल और टेक्निकल आदि) सुलभ कराना। पर हमारे देश में तो इसके ठीक विपरीत क्षेत्र, लिंग, जाति और धर्म के नाम पर शैक्षिक सुविधाएँ प्रदान करने की बात कही जा रही है और उसके अनुकूल प्रयत्न भी किए जा रहे हैं। यह वोट की राजनीति नहीं तो और क्या है।

5. ब्लैक बोर्ड योजना का ईमानदारी से क्रियान्वयन नहीं- ब्लैक बोर्ड योजना के अन्तर्गत प्राथमिक स्कूलों के जो भवन बनाए जा रहे हैं और उनके लिए जो फर्नीचर एवं सामग्री भेजी जा रही हैं, वे बहुत घटिया किस्म के हैं। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं कार्य योजना 1992 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्कूलों को जो 40-40 हजार रूपयों की धनराशि दी जा रही है उसका भी सही प्रयोग सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है।

6. नवोदय विद्यालय योजना असफल- नवोदय विद्यालय केवल सफेद हाथी सिद्ध हुए हैं। नवोदय विद्यालय इस आशा से स्थापित किए गए थे कि इनमें पिछड़े क्षेत्रों, पिछड़े वर्गों और उपेक्षित जातियों के योग्य बच्चों को प्रवेश दिया जा सकेगा, उन्हें अपने विकास के अवसर दिए जा सकेंगे। पहली बात तो यह है कि ऐसे नियमों के होते हुए भी बड़ी हेराफेरी हो रही है, इनका लाभ वे नहीं उठा पा रहे जिनके लिए ये स्थापित किए गए हैं। दूसरी बात यह है कि इनकी स्थापना एवं संचालन में जितना व्यय हो रहा है उसका 10वां भाग भी लाभ नहीं हो रहा है।

7. +2 पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम असफल- इस बीच जिन प्रान्तों में +2 पर जो भी व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए गए, वे असफल रहे हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जिन विद्यालयों में ये पाठ्यक्रम शुरू किए गए उनमें संसाधनों और प्रशिक्षण शिक्षकों की कमी है। दूसरी बात यह है कि ये पाठ्यक्रम अपने में न पूर्ण हैं और न उपयोगी।

8. उच्च शिक्षा के साथ खिलवाड़ - राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में एक तरफ उच्च शिक्षा में प्रवेश पर नियन्त्रण की बात कही गई है और दूसरी तरफ उच्च शिक्षा के अवसर सभी को सुलभ कराने की बात कही गई है और इस हेतु खुले विश्वविद्यालयों की स्थापना और पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू करने की बात कही गई है। हर क्षेत्र की भाँति शिक्षा के क्षेत्र में भी दोहरी नीति। इससे उच्च शिक्षा का आधिकतर संस्थाओं में अयोग्य छात्रों का प्रवेश हो रहा है, अराजक तत्त्वों का प्रवेश हो रहा है और अधिकतर उच्च शिक्षा संस्थाएँ डिग्रियाँ प्राप्त करने के कारखाने बन गई हैं। यह समय, शक्ति और धन का अपव्यय नहीं तो और क्या है। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के तहत उच्च शिक्षा को स्ववित्तपोषित बनाना सरकार का अपने उत्तरदायित्व से मुँह मोड़ना ही कहा जाएगा। उच्च शिक्षा के निजीकरण (Privatization) से तो शिक्षा के क्षेत्र में शोषण बढ़ रहा है और उच्च शिक्षा निर्धनों की पहुँच से दूर होती जा रही है।

9. कैपीटेशन फीस की मार- राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में कैपीटेशन फीस के लिए इस बन्धन के साथ स्वीकृति दे दी गई कि ये संस्थाएँ सरकार द्वारा चयनित छात्रों को एक निश्चित प्रतिशत मात्रा में बिना कैपीटेशन फीस के प्रवेश देंगी। इससे भी शोषण बढ़ा है।

16.5.2 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 एवं संशोधित (1992) का प्रभाव

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 देश की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जिसमें नीति के साथ इसको लागू करने के लिए पूरी कार्य योजना, 1986 बनाई गई। 1992 में जब इसमें कुछ संशोधन किए गए तो साथ ही इसकी कार्य योजना में भी संशोधन किया गया है और उसे कार्य योजना, 1992 के नाम से प्रकाशित किया गया। इस नीति के तहत अब तक जो विशेष हुआ है उसे निम्नलिखित रूप से क्रमबद्ध किया जा सकता है-

- (1) केन्द्र और प्रान्तों के शिक्षा बजटों में बढ़ोतरी शुरू हुई है, यह बात दूसरी है कि अभी तक केन्द्र के बजट में शिक्षा पर 6 प्रतिशत व्यय अभी तक सुनिश्चित नहीं किया जा सका है।
- (2) पूरे देश में 10+2+3 शिक्षा संरचना लागू हो गई है, यह बात दूसरी है कि प्रथम 10 वर्षीय आधारभूत पाठ्यचर्या अभी लागू नहीं हो पाई है।
- (3) शिशुओं की देखभाल और पोषण तथा पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए अनेक योजनाएँ चलाई जा रही हैं। 2007 तक देश में 7.5 लाख से अधिक तो आँगनबाड़ियाँ और बालबाड़ियाँ स्थापित की जा चुकी थीं और इनमें 2.4 करोड़ से अधिक बच्चे लाभान्वित हो रहे थे, कितने लाभान्वित हो रहे, यह दूसरी बात है।
- (4) प्राथमिक शिक्षा का तेजी से प्रसार एवं उन्नयन हो रहा है। ब्लैकबोर्ड योजना के तहत 2007 तक लगभग 80 प्रतिशत प्राथमिक और 40 प्रतिशत उच्च प्राथमिक स्कूलों की दशा में सुधार किया जा चुका था।
- (5) माध्यमिक शिक्षा के प्रसार के प्रयत्नों में तेजी आई है। इस हेतु इस स्तर पर खुली शिक्षा का भी विस्तार किया गया है, अकेले राष्ट्रीय खुले विद्यालय (National Open School) में 4 लाख से अधिक छात्र-छात्राएँ पंजीकृत हैं। गति निर्धारक विद्यालयों के रूप में 2007 तक 565 नवोदय विद्यालय खोले जा चुके थे।
- (6) लगभग सभी प्रान्तों में +2 पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी शुरू किए गए हैं, यह बात दूसरी है कि इनमें सफलता नहीं मिल पा रही है।
- (7) उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, और प्रबन्ध शिक्षा सभी के विकास एवं उन्नयन के लिए प्रयत्न जारी हैं। इस बीच उच्च शिक्षा के प्रसार हेतु दूर शिक्षा (खुली शिक्षा) का काफी प्रसार किया गया है और इसके उन्नयन के लिए अद्यतन एवं स्तरीय पाठ्यक्रम तैयार एवं लागू किए गए हैं। साथ ही स्ववित्तपोषित उच्च शिक्षा संस्थाओं को खुले हाथ मान्यता दी गई है। इससे उच्च शिक्षा का प्रसार तो अवश्य हुआ है पर उसके स्तर पर गिरावट आ रही है।

(8) शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में तो क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए हैं, 2007 तक 556 'जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIETs) स्थापित किए जा चुके थे, 104 शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों को शिक्षक शिक्षा केन्द्रों (CTEs) में सम्मनित किया जा चुका था और 39 शिक्षक शिक्षा कॉलिजों को शिक्षा उच्च अध्ययन केन्द्रों (CASEs) में सम्मनित किया जा चुका था। इस बीच दिसम्बर, 1993 में संसद के एक एक्ट द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् (NCTE) को संवैधानिक दर्जा दिया गया और 1995 में इस एक्ट के अनुसार गठन किया गया। प्रारम्भ में तो उसके हस्तक्षेप से शिक्षक शिक्षा विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की दशा में सुधार हुआ था परन्तु अब यह परिषद् भी भ्रष्टाचार का शिकार हो गई है और स्ववित्तपोषित शिक्षक शिक्षा संस्थानों को खुले हाथ मान्यता दे रही है और शिक्षक शिक्षा एक व्यवसाय बन गई है।

(9) इस बीच प्रौढ़ शिक्षा एवं सतत शिक्षा कार्यक्रमों के लिए भी अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है जिससे इस क्षेत्र में भी कार्य की गति बढ़ी है। 2001 में हमारे देश में साक्षरता प्रतिशत 65.38 हो गया था जो वर्तमान (2008) में लगभग 72 प्रतिशत हो गया होगा।

(10) यूँ शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए जो भी कदम उठाए गए हैं वे वोट की राजनीति पर आधारित हैं परन्तु इससे स्त्री शिक्षा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों के बच्चों की शिक्षा में विस्तार हुआ है, उनका नामांकन बढ़ा है। कुछ विद्यालय अपंग एवं मन्दबुद्धि बच्चों, किशोरों और युवकों के लिए भी खोले गए हैं।

अपनी उन्नति जानीय Check your Progress

प्रश्न 1 राष्ट्रीय शिक्षा योजना 1986 से 1995 तक कितने प्रतिशत छात्र/छात्राओं को व्यावसायिक धारा में लाने की घोषणा की गई थी ?

- | | |
|--------|--------|
| (a) 20 | (b) 25 |
| (c) 50 | (d) 75 |

प्रश्न 2 संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई है ?

- | | |
|----------|----------|
| (a) 1995 | (b) 2000 |
| (c) 2005 | (d) 2010 |

प्रश्न 3 ब्लैक बोर्ड योजना को उच्च प्राथमिक स्तर पर कब लागू किया गा था ?

- | | |
|----------|----------|
| (a) 1986 | (b) 1987 |
|----------|----------|

(c) 1992

(d) 1995

प्रश्न 4 उच्च प्राथमिक स्कूलों को ब्लैक बोर्ड योजना के अन्तर्गत कितनी धनराशि दी जा रही है ?

(a) 10 हजार

(b) 40 हजार

(c) 50 हजार

(d) 60 हजार

लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 5 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में आपरेशन ब्लैक बोर्ड में कम से कम कितने कमरों के भवन और शिक्षकों की व्यवस्था की बात की गयी ?

प्रश्न 6 राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE) को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया है।

16.6 सारांश Summary

कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 एवं संशोधित (1992)के दस्तावेजों में तत्कालीन शिक्षा में सुधार हेतु सुझाव अधिक हैं और नीति सम्बन्धी घोषणाएँ कम हैं। फिर जो नीति सम्बन्धी घोषणाएँ की भी गई हैं उनमें कुछ मानने योग्य हैं जैसे-पूरे देश में 10+2+3 शिक्षा संरचना लागू करना, प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा के लिए आधारभूत पाठ्यचर्या होना, +2 को स्कूली शिक्षा का अंग बनाना, +3 की शिक्षा को राष्ट्र की माँग के अनुसार नियोजित करना और तकनीकी शिक्षा की उत्तम व्यवस्था करना आदि। शिक्षा नीति सम्बन्धी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जो कार्य योजनाएँ बनाई गई हैं, वे तो अच्छी हैं पर भ्रष्टाचार प्रधान इस युग में हाथ बहुत कम लगा है- ब्लैक बोर्ड योजना के अन्तर्गत जो भवन बनाए गए हैं वे बहुत निम्न स्तर के हैं और विद्यालयों को जो सामग्री प्रदान की गई है वह बहुत निम्न कोटि की है। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के तहत उच्च प्राथमिक विद्यालयों को शिक्षण-अधिगम सामग्री के क्रय हेतु जो 40-40 हजार रूपए दिए गए हैं उसमें भी बड़ी हेरा-फेरी हुई है, उसका सदुपयोग भी सुनिश्चित नहीं किया गया है। नवोदय विद्यालय भी सफेद हाथी साबित हुए हैं। कैपीटेशन फीस की स्वीकृति से तो शिक्षा अपने में एक व्यवसाय बन गई है। और उच्च शिक्षा के निजीकरण करने की ओर कदम बढ़ाने से उच्च शिक्षा का स्तर गिर रहा है और साथ ही छात्रों का शोषण बढ़ रहा है। आज इसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है।

16.7 शब्दावली Glossary

शिक्षक शिक्षा - राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षकों के स्तर और उनके प्रशिक्षण में सुधार पर बल दिया गया है। यून तो इस पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 में भी बहुत बल दिया गया था और तद्रुकूल शिक्षकों के वेतनमान बढ़ाए गए थे और उनकी सेवाशर्तों में सुधार किया गया था परन्तु इस शिक्षा नीति, 1986 के तहत शिक्षक शिक्षा में सुधार हेतु 2007 तक 556 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIETs) स्थापित किए गए, 104 शिक्षक

प्रशिक्षण महाविद्यालयों को शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों (CTEs) और 39 को शिक्षा उच्च अध्ययन केन्द्रों (CASEs) में सम्मनित किया गया है। साथ ही 1993 में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE) को संवैधानिक दर्जा दिया गया और उसे और अधिक अधिकार दिए गए हैं।

16.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर Answers of Practice Questions

उत्तर 1 (b) 25 उत्तर (a) 1995 उत्तर 3 (c) 1992 उत्तर (b) 40 हजार

उत्तर 5 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में आपरेशन ब्लेक बोर्ड योजना में कम से कम 3 कमरों के भवन और 3 शिक्षकों की व्यवस्था की बात की गयी

उत्तर 6 1993 में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE) को संवैधानिक दर्जा दिया गया।

16.9 सन्दर्भ पुस्तके Reference books

- i. लाल (डॉ) रमन बिहारी, भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएं, राज प्रिंटर्स, मेरठा
- ii. जे. (डॉ) एस. वालिया (2009) भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास, अहमपाल पब्लिशर्स, मेरठा
- iii. शुक्ला (डॉ) सी. एस. (2008) उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक, इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस, मेरठा
- iv. शर्मा, रामनाथ व शर्मा, राजेन्द्र कुमार (2006) शैक्षिक समाजशास्त्र, एटलांटिक पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स
- v. शीलू मैरी (डॉ) (2008) शिक्षक के सामाजिक एवं दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, रजत प्रकाशन नई दिल्ली।

16.10 निबन्धात्मक प्रश्न Essay Types Questions

प्रश्न 1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं संशोधित (1992) का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

प्रश्न 2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 कार्य योजना दस्तावेज का वर्णन कीजिए।

प्रश्न 3. संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 (1992) के मूल तत्त्व का वर्णन कीजिए।

प्रश्न 4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 एवं संशोधित (1992) का मूल्यांकन कीजिए।

प्रश्न 5 प्रारम्भ में ब्लैक बोर्ड योजना किस स्तर के विद्यालयों के सुधार हेतु बनाई गई थी ?

(1) प्राथमिक

(2) प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक

(3) उच्च प्राथमिक

(4) माध्यमिक